SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 3
(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 3

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		iii
कार्यपालन सारांश		v
अध्याय I–विहंगावलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	4
शासकीय लेखों की संरचना का विहंगावलोकन	1.3	4
बजटीय प्रक्रियायें	1.4	8
वित्त के मुख्य बिंदु	1.5	9
राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धियां	1.6	10
भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार उधारियों के संबंध में राज्य शासन का प्रदर्शन	1.7	15
लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटा	1.8	15
लेखापरीक्षा के बाद–कुल बकाया ऋण	1.9	16
राज्य वित्त आयोग	1.10	17
अध्याय II–राज्य के वित्त		
प्रस्तावना	2.1	19
2022–23 की तुलना में 2023–24 के दौरान महत्वपूर्ण राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन	2.2	19
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.3	20
राज्य के संसाधन	2.4	21
राज्य की प्राप्तियां	2.5	22
राजस्व प्राप्तियां	2.6	22
पन्द्रहवां वित्त आयोग अनुदान	2.7	33
पूंजीगत प्राप्तियां	2.8	34
संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.9	34
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.10	35
लोक लेखा	2.11	51
राज्य की संचित निधि/लोक लेखे से बाहर निधियां एवं समर्पित निधियां	2.12	55
लोक देयता प्रबंधन	2.13	56
ऋण संधारणीयता विश्लेषण	2.14	63
निष्कर्ष	2.15	71
अनुशंसाएं	2.16	72
अध्याय III–बजटीय प्रबंधन		
प्रस्तावना	3.1	73
विनियोग लेखे	3.2	77
बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा	3.3	77

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
बजटीय और लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता	3.4	90
निष्कर्ष	3.5	117
अनुशंसाएं	3.6	117
अध्याय IV–लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता		
प्रस्तावना	4.1	119
राज्य शासन के ऋणों को समेकित निधि में जमा नही किया जाना (बजटेत्तर उधारियां)	4.2	119
ब्याज सहित जमाओं पर ब्याज के संबंध में दायित्व का निर्वहन न करना	4.3	121
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित धनराशि	4.4	122
स्थानीय निधियों का जमा	4.5	123
उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति में विलंब	4.6	124
अनुदानग्राही संस्थान का "अन्य" के रूप में अभिलेखन	4.7	126
व्यक्तिगत जमा खाते	4.8	126
लघु शीर्ष 800 का उपयोग	4.9	128
उचंत एवं ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.10	131
लेखों का मिलान	4.11	133
रोकड़ शेष का मिलान	4.12	133
लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.13	134
स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	4.14	135
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	4.15	136
दुर्विनियोग, हानियाँ, चोरियाँ, इत्यादि	4.16	136
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.17	137
निष्कर्ष	4.18	138
अनुशंसाएं	4.19	138
परिशिष्ट	**141 से 226**	

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय 1** में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, शासकीय लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, वित्त के मुख्य बिंदु, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों का अनुपालन, प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों जैसे राजस्व अधिशेष/घाटा, राजकोषीय अधिशेष/घाटा, इत्यादि की प्रवृत्तियां शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय 2** एवं **3** में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य शासन के क्रमशः वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों की जाँच से उद्भूत तथ्यों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। मध्य प्रदेश शासन से, जहाँ भी आवश्यक हो, जानकारी प्राप्त की गई है।

अध्याय 4 वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ राज्य शासन के अनुपालन का विहंगावलोकन और स्थिति प्रदान करता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न शासकीय विभागों में अनुपालन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निगमों, मण्डलों और शासकीय कंपनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत आपत्तियों और राजस्व प्राप्तियों पर आपत्तियों के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदनों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गयी है।

कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

प्रतिवेदन के बारे में

वर्ष 2023–24 के लिए राज्य के वित्त पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन और लेखों की गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदन प्रथाओं और राज्य वित्त से संबंधित अन्य मामलों का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यपालन सारांश इस प्रतिवेदन की सामग्री पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आंकड़ो एवं पहलुओं को मुख्य बिंदुओं के माध्यम से, राजकोषीय संधारणीयता, बजट प्रयोजन के विरूद्ध प्रदर्शन, राजस्व और व्यय अनुमान, भिन्नता के कारणों और इसके प्रभाव की गहन जानकारी प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद धीरे–धीरे बढ़ा है। हालांकि, राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में 2019–20 और 2023–24 के मध्य उतार–चढ़ाव देखा गया है। यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुरूप है, जो उपरोक्त अवधि के दौरान उतार–चढ़ाव से भी गुजरी है। उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर में मामूली गिरावट के साथ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार मिश्रित योगदान स्थिर बना रहा।

प्राप्ति–व्यय स्थिति

राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे राज्य का स्वयं कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, करों में राज्यों के हिस्से का अंतरण, केंद्र सरकार से सहायतानुदान एवं अंताण तथा ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियां। राज्य शासन के व्यय में राजस्व लेखों पर राजस्व व्यय के साथ–साथ पूंजीगत व्यय (संपत्ति निर्माण, ऋण और अग्रिम, निवेश, इत्यादि) शामिल हैं।

2019–20 से 2023–24 तक, राजस्व प्राप्तियां 2019–20 में ₹1,47,643 करोड़ से 2023–24 में ₹2,34,026 करोड़ तक 58.51 प्रतिशत से बढ़ी। 2019–20 के दौरान, राज्य के कर राजस्व संसाधनों से लगभग 71 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां आयीं, जबकि करेत्तर राजस्व एवं सहायतानुदान ने 29 प्रतिशत का योगदान दिया। वर्ष 2023–24 में, राज्य के कर राजस्व संसाधनों से लगभग 77 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां आयीं और करेत्तर राजस्व एवं सहायतानुदान ने मिलकर 23 प्रतिशत का योगदान दिया।

भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान 2019–24 के दौरान 8.63 प्रतिशत से बढ़ा। 2021–22 एवं 2023–24 को छोड़कर, भारत सरकार से सहायतानुदान विगत पांच वर्षों के दौरान निरंतर बढ़ा है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता 2022–23 में 0.69 से 2023–24 में 1.57 तक बढ़ी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राज्य की स्वयं की राजस्व उत्प्लावकता भी 2022–23 में 0.60 से 2023–24 में 2.34 तक बढ़ी।

पिछले दायित्वों के भुगतान के लिये एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिये राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य की अवसंरचना एवं सेवा–संजाल में कोई इजाफा नहीं करता है। 2019–20 एवं 2023–24 के मध्य, राजस्व व्यय ₹1,50,444 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 16.21 प्रतिशत) से ₹2,21,538 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 16.25 प्रतिशत) तक बढ़ा। इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (79 से 83 प्रतिशत) बना।

साधनों से अधिक व्यय के परिणाम

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा होता है। 2019–21 (2019–20 में ₹2,801 करोड़ और 2020–21 में ₹18,356 करोड़) के दौरान राज्य को राजस्व घाटे का अनुभव हुआ। हालाँकि, 2021–22 से, राज्य में राजस्व अधिशेष रहा है और वर्तमान वर्ष (2023–24) में राजस्व अधिशेष ₹12,488 करोड़ था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष पिछले वर्ष (0.33 प्रतिशत) की तुलना में 2023–24 (0.92 प्रतिशत) में बढ़ा।

पूंजीगत परिव्यय जो 2019–20 में ₹29,241 करोड़ था 2023–24 में ₹56,539 करोड़ हो गया जिसमें 93.36 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत परिव्यय 2019–20 में 3.15 प्रतिशत से 2023–24 में 4.15 प्रतिशत तक बढ़ा।

कुल व्यय ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ और अन्य पर व्यय से बना हैं। राज्य का कुल व्यय 2019–20 में ₹1,80,671 करोड़ से 2023–24 में ₹2,78,887 करोड़ तक 54 प्रतिशत से बढ़ा। 2023–24 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में यह 13.05 प्रतिशत से बढ़ा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, 2019–24 के दौरान कुल व्यय 19.47 प्रतिशत से 20.46 प्रतिशत तक अन्तर–वर्षीय उतार–चढ़ाव से बढ़ा।

राज्य के कुल व्यय और कुल ऋणेत्तर प्राप्ति के बीच के अंतर का परिणाम राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करता है, जो 2022–23 में ₹41,202 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.31 प्रतिशत) से बढ़कर 2023–24 में ₹44,485 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.26 प्रतिशत) तक हो गया।

प्राथमिक घाटा, जो ऋणेत्तर प्राप्तियों पर प्राथमिक व्यय (शुद्ध ब्याज भुगतान का कुल व्यय) की अधिकता को इंगित करता है, 2022–23 में ₹21,749 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.74 प्रतिशत) से घटकर 2023–24 में ₹21,386 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.57 प्रतिशत) हो गया।

राज्य प्रमुख राजकोषीय मापदंडों के संबंध में 2023–24 के दौरान पंद्रहवे वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों के भीतर था। वर्ष 2023–24 के दौरान, इसका राजकोषीय घाटा ₹44,485 करोड़ था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.26 प्रतिशत और कुल व्यय का 15.95 प्रतिशत था। 2022–23 में ₹21,749 करोड़ का प्राथमिक घाटा घटकर ₹21,386 करोड़ हो गया और 2022–23 में ₹4,091 करोड़ का राजस्व अधिशेष 2023–24 में ₹12,488 करोड़ तक बढ़ा।

प्रतिबद्ध व्यय 2019–20 में ₹57,430 करोड़ (राजस्व व्यय का 38.17 प्रतिशत) से 2023–24 में ₹95,313 करोड़ (राजस्व व्यय का 43.02 प्रतिशत) तक बढ़ा। हालांकि, 2022–23 की तुलना में 2023–24 में प्रतिबद्ध व्यय में ₹9,370 करोड़ (10.90 प्रतिशत) से वृद्धि मुख्यतः पेंशन पर व्यय में 11.55 प्रतिशत से वृद्धि और ब्याज भुगतान में 18.74 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थी।

2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान अनम्य व्यय के घटकों में निरंतर वृद्धि देखी गयी। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, अनम्य व्यय 10.38 प्रतिशत से 16.37 प्रतिशत तक बढ़ा। आगे, पिछले वर्ष (₹27,969.59 करोड़) की तुलना में 2023–24 के दौरान अनम्य व्यय (₹36,268.33 करोड़) 29.68 प्रतिशत से बढ़ा।

प्रत्याभूति के कारण आकस्मिक देयताएं

31 मार्च 2024 तक, ₹45,551.09 करोड़ की बकाया प्रत्याभूति, वर्ष 2022–23 की राज्य की राजस्व प्राप्तियों (₹2,03,986.19 करोड़) का 22.33 प्रतिशत थी जो कि निर्धारित सीमा के भीतर है।

मध्य प्रदेश शासन ने 2023–24 के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा चूक के कारण प्रत्याभूतियों की किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया। प्रत्याभूति की अधिकतम राशि के संघटक ऊर्जा क्षेत्र की छः[1] इकाइयां (₹16,437 करोड़), नगरीय विकास एवं आवास के छः[2] संस्थान (₹7,389 करोड़), अन्य क्षेत्रो के सात[3] संस्थान (₹34,486 करोड़), सहकारिता (₹6,655 करोड़) एवं राज्य वित्त निगम (₹450 करोड़) थे।

प्रत्याभूति शुल्क प्रमुख ऋणी से प्रभारित किया जाता है जब तक कि विशेष रूप से छूट नहीं दी गयी हो। 2023–24 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्याभूति शुल्क के रूप मे कुल प्राप्य ₹1,517.17 करोड़ में से ₹24.08 करोड़ प्राप्त किए।

राजकोषीय संधारणीयता

राजकोषीय संधारणीयता की जांच घाटे, ऋण और देयताओं के स्तर, बजटेत्तर उधार प्रत्याभूति, राजसहायताओं, इत्यादि के कारण प्रतिबद्धताओं, जैसे समष्टि–राजकोषीय मानदण्डों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय के असंतुलन का सवाल है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज, इत्यादि शामिल हैं और अन्य अनम्य व्यय जैसे कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं, आरक्षित निधियों में अंतरण, स्थानीय निकायों को अंतरण, इत्यादि के लिए प्रतिबद्धता से उत्पन्न होने वाले व्यय भी शामिल हैं।

राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन आवश्यकताएं एवं राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

जनवरी 2016 में मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संशोधन में राज्यों के लिए उनके अवार्ड अवधि (2016–17 से 2019–20) के दौरान राज्यों के लिए अनुशंसित राजकोषीय घाटे की सीमा से संबंधित चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को शामिल किया गया। अधिनियम में प्रावधान किया गया कि राजकोषीय घाटा किसी भी वित्त वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत की वार्षिक सीमा से अधिक न हो। वर्ष 2023–24 के दौरान, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.00 प्रतिशत पर सीमित किया जाए। वर्ष 2023–24 के दौरान, भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों के आधार पर 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त ऋण सुविधा का विस्तार करने का भी निर्णय लिया था। इसलिये, 2023–24 के दौरान, भारत सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से लक्ष्य 3.50 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

राज्य ने 2021–22 से 2023–24 की अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष हासिल किया, लेकिन 2019–20 और 2020–21 के दौरान इसे प्राप्त नहीं कर सका। 2023–24 के दौरान, राजस्व अधिशेष विगत वर्ष की तुलना में 205 प्रतिशत से बढ़ा एवं राजकोषीय घाटा 7.97 प्रतिशत से बढा।

---

[1] मध्य प्रदेश ऊर्जा उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश ऊर्जा पारेषण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर, मध्य प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर।

[2] नगर निगम, नगर पालिका, राज्य विकास इकाई, मध्य प्रदेश नगरीय विकास कम्पनी लिमिटेड, नगर परिषद, मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड।

[3] मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मध्य प्रदेश खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक निर्माण कार्य विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, उच्च शिक्षा और पशुपालन।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, कुल ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2019–20 में 24.85 प्रतिशत से 2020–21 में 29.17 प्रतिशत तक बढ़ा, जबकि 2019–24 के दौरान राज्य में प्राथमिक घाटा था।

डॉमर अंतराल (वास्तविक विकास दर (जी) – ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर (आर)) पिछले पांच वर्षों (2019–24) के दौरान कोविड–19 वर्ष (2020–21) को छोड़कर सकारात्मक रहा। इस प्रकार, ऋण संधारणीयता के डॉमर मॉडल विश्लेषण के अनुसार, यह माना जा सकता है कि डॉमर अंतराल शून्य से अधिक है तो लोक ऋण स्थिर स्तर पर अभिसरित होगा।

हालांकि, 2021–22 से 2023–24 की अवधि में डॉमर अंतराल को देखकर मजबूत आर्थिक विकास (जी–आर > 0 के रूप में व्यक्त) की प्रवृत्ति को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। इस तीन वर्ष की अवधि के दौरान, राज्य में प्राथमिक घाटा था। इसके अलावा, 2021–24 की अवधि के दौरान कुल ऋण प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा (33 से 37 प्रतिशत) ऋण देयताओं को चुकाने के लिए उपयोग किया गया था, जिसका अर्थ है कि आर्थिक संवृद्धि ऋण को चुकाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन ने संकेतिक किया कि ₹3,72,008.74 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹3,04,082.59 करोड़ का व्यय हुआ, जिसमें ₹67,926.15 करोड़ (कुल बजट प्रावधान का 18.26 प्रतिशत) की बचत हुई। बचतों में से राशि ₹44,035.34 करोड़ को व्यपगत होने दिया गया और विभाग ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹23,696.42 करोड़ (कुल समर्पण राशि ₹23,890.81 करोड़ का 99.19 प्रतिशत) समर्पित किया, जबकि वर्ष 2023–24 के लिए 41 अनुदानों और छः विनियोगों में ₹57,983.90 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान प्राप्त हुए जिनमें से ₹11,643.71 करोड़ अनावश्यक सिद्ध हुए जो दर्शाता है कि बजट तैयार करते समय एक विश्वसनीय बजट प्रथा अपनाई जानी चाहिए।

बजट निष्पादन

कुल बजट परिणाम

बजट निष्पादन और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट प्रयोजन की जांच यह आंकलन करने के लिए की जाती है कि कुल बजट व्यय का परिणाम मूल रूप से अनुमोदित राशि को किस हद तक दर्शाता है। राजस्व अनुभाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (–)3.58 प्रतिशत था। यह 34 अनुदानों में 0 और ±25 प्रतिशत के मध्य, 21 अनुदानों में ±25 प्रतिशत और ±50 प्रतिशत के मध्य, और चार अनुदानों में ±50 प्रतिशत से अधिक के विचलन के कारण था। पूंजीगत अनुभाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (–)2.00 प्रतिशत था। यह 27 अनुदानों में 0 और ±25 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में ±25 प्रतिशत से ±50 प्रतिशत के मध्य और 23 अनुदानों में ±50 प्रतिशत से अधिक के विचलन के कारण था।

व्यय संरचना परिणाम

बजट निष्पादन यह भी देखता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनर्आवंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में किस सीमा तक योगदान दिया है। यह मापन मूल बजट एवं वास्तविक व्यय के बीच भिन्नता का संकेत देता है। राजस्व अनुभाग में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (–)5.98 प्रतिशत था। यह 46 अनुदानों में 0 और ±25 प्रतिशत के मध्य, 10 अनुदानों में ±25 प्रतिशत और ±50 प्रतिशत के मध्य और तीन अनुदानों में ±50 प्रतिशत से अधिक के विचलन के कारण था। पूंजीगत अनुभाग में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (–)11.53 प्रतिशत था। यह 11 अनुदानों

में 0 और ±25 प्रतिशत के मध्य, चार अनुदानों में ±25 प्रतिशत से ±50 प्रतिशत के मध्य और 44 अनुदानों में ±50 प्रतिशत से अधिक के विचलन के कारण था।

लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता

लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता उन वस्तुओं, लेनदेन और घटनाओं, को सम्मिलित करती है जो अनुपालन में अंतराल, नियमितता की कमजोरियों और उन लेखांकन अभिलेखों या समायोजन अभिलेखों की प्राप्ति में देरी से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित मुद्दों जैसे कि शासकीय लेखों के बाहर राशि को जमा करना, देनदारियों का गैर या कम निर्वहन एवं लेनदेन और आंकड़ों के अंतराल के गलत वर्गीकरण पर भी प्रकाश डालता है।

राज्य शासन के ऋणों को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना (बजटेत्तर उधारियां)

2023–24 के दौरान, बजटेत्तर राजकोषीय संचालन जैसे कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, राज्य शासन की ओर से विशेष प्रयोजन साधन और अन्य समतुल्य साधन, जहां राज्य के बजट से मूलधन और/या ब्याज चुकाया जाना है, द्वारा उधारियां ₹374.26 करोड़ थी और पिछले वर्ष की तुलना में यह ₹190.14 करोड़ (33.69 प्रतिशत) से कम हुई।

अनुदान/विनियोजन से अधिक्य का नियमितीकरण

राज्य शासन को संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अनुसार अनुदान/विनियोजन में आधिक्य को राज्य विधानसभा द्वारा विनियमित कराना होगा। यह देखा गया कि वर्ष 2011–12 से 2020–21 तक छः अनुदानों एवं तीन विनियोगों में राशि ₹1,173.64 करोड़ का अधिक्य व्यय, विधायी अनुमोदन के बिना किया गया था, जिसे राज्य विधानसभा द्वारा अभी तक नियमित नहीं किया गया।

लेखों में गलत वर्गीकरण

₹1,575.09 करोड़ के व्यय को राजस्व व्यय के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया था, इसके कारण राजस्व व्यय ₹1,575.09 करोड़ से न्यूनोक्त था और पूंजीगत व्यय ₹1,575.09 करोड़ से अत्योक्त था। इसी प्रकार, ₹3.68 करोड़ की राशि को गलत तरीके से पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के रूप में बजट किया गया था, जिसके कारण राजस्व व्यय ₹3.68 करोड़ से अत्योक्त था और पूंजीगत व्यय ₹3.68 करोड़ से न्यूनोक्त था।

मिलान (लेखों का मिलान)

सभी नियंत्रण अधिकारियों को शासन की प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम द्वारा लेखांकित आंकड़ों के साथ करना आवश्यक हैं। मध्य प्रदेश में, बजट नियंत्रण अधिकारियों के स्थान पर, संचालनालय कोष एवं लेखा प्राथमिक रूप से कार्यालय लेखा एवं हकदारी के साथ आंकड़ों का मिलान कर रहा है।

2023–24 के दौरान, संचालनालय, कोष एवं लेखा ने व्यय ₹2,86,095.61 करोड़ (संचित निधि के अंतर्गत कुल व्यय ₹3,00,521.86 करोड़ का 95.20 प्रतिशत) एवं प्राप्ति ₹2,95,199.94 करोड़ (संचित निधि के अंतर्गत कुल प्राप्तियों ₹2,99,581.24 करोड़ का 98.54 प्रतिशत) का मिलान किया था।

व्यक्तिगत जमा खाते

31 मार्च 2024 तक, 730 व्यक्तिगत जमा खाते अस्तित्व में थे और इन खातों में (–)₹917.24 करोड़ अंतशेष था। 31 मार्च 2024 तक, कुल 730 व्यक्तिगत जमा खातों में से 214 व्यक्तिगत जमा खाते जिनमें कुल शेष राशि ₹325.86 करोड़ थी, तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित थे।

व्यक्तिगत जमा खातों मे पड़ी अव्ययित शेषों को राज्य की समेकित निधि में अंतरित न करने से सार्वजनिक निधि के दुरूपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन का जोखिम होता है।

सिंगल नोडल एजेंसी को निधि

राज्य शासन ने वर्ष 2023–24 के दौरान अपने कोषालय लेखे में केन्द्रांश ₹15,423.14 करोड़ प्राप्त किए। 31 मार्च 2024, को सरकार ने कोषालय लेखे में प्राप्त केन्द्रांश ₹18,026.39 करोड़ तथा राज्यांश ₹17,319.56 करोड़ सिंगल नोडल एजेंसी को अंतरित किये। महालेखाकार कार्यालय को सिंगल नोडल एजेंसी से वास्तविक व्यय के विस्तृत प्रमाणक तथा समर्थित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। जैसा राज्य शासन/सिंगल नोडल एजेंसी द्वारा सूचित किया गया कि 31 मार्च 2024 तक सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में ₹9,194.05 करोड़ अव्ययित पड़े हुए हैं।

उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति में विलंब

31 मार्च 2024 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, एक निर्धारित समय अवधि के भीतर सशर्त अनुदानों के विरूद्ध ₹22,049.38 करोड़ के 19,897 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा न करने की स्थिति में वित्त लेखे में दर्शायी गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंचने का जोखिम बना रहता है। आगे, उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति में विलंब से भारत सरकार से निष्पादन अनुदानों की प्राप्ति प्रभावित हो सकती है।

प्रचलित नियमों और संहिता प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन में नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। गैर–अनुपालन और विचलन लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सशर्त अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा न करना; भारतीय शासकीय लेखांकन मानकों का अनुपालन न करना; शासकीय लेखों से बाहर शेष धनराशि; और सिंगल नोडल एजेंसी से व्यय के विवरण की आपूर्ति न होने से लेखों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अध्याय I

विहंगावलोकन

अध्याय I–विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

मध्य प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य 3,08,252 वर्ग किमी (देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.38 प्रतिशत) के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है और 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 7.33 करोड़ व्यक्तियों (देश की जनसंख्या का छः प्रतिशत) का घर है। राज्य की जनसंख्या की दशकीय (2014–24) वृद्धि दर 14.77 प्रतिशत अखिल भारतीय दशकीय वृद्धि दर 11.26 प्रतिशत से अधिक थी।

राज्य में 55 जिले हैं, जिन्हें 10 प्रशासनिक संभागों में वर्गीकृत किया गया है। 2023–24 में, वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹1,56,381 था, जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ₹2,11,725 से कम था।

राज्य से संबंधित सामान्य और वित्तीय आंकड़े ***परिशिष्ट 1.1*** में दिए गए हैं।

1.1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गयी समयावधि में राज्य के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को लक्षित करता है।

सकल मूल्य वर्धन एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। यह उत्पादित उत्पादन का कुल मूल्य है, जिसमें उनके उत्पादन में लगने वाली मध्यस्थ लागत शामिल नहीं है।

सकल मूल्य वर्धन का उपयोग भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है, सकल मूल्य वर्धन को सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को नजर अंदाज करता है। जबकि सकल घरेलू उत्पाद की गणना निजी उपभोग व्यय और सकल निश्चित पूंजी निर्माण या निवेश व्यय सहित अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों के योग के रूप में की जा सकती है, जो अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को दर्शाती है। दोनों उपायों में शुद्ध करों को शमिल करने के तरीकों में अंतर है जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति निर्माता के नजरिए से बेहतर विश्लेषण एवं नीतिगत हस्तेक्षप करने के लिए सकल मूल्य वर्धन एवं सकल राज्य मूल्य वर्धन के आकड़ों की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्य वर्धन से सकल राज्य मूल्य वर्धन के रुझानों के मध्य तुलना नीचे **तालिका 1.1** में दिखाई गई है:–

तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भारत					
वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (2011–12 श्रृंखला)	2,01,03,593	1,98,54,096	2,35,97,399	2,69,49,646	2,95,35,667
वर्तमान मूल्य पर सकल मूल्य वर्धन (2011–12 श्रृंखला)	1,83,81,117	1,82,10,997	2,16,35,584	2,46,59,041	2,67,62,147
वर्तमान मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	6.37	(-)1.24	18.85	14.21	9.60
वर्तमान मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में सकल मूल्य वर्धन की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	7.02	(-)0.93	18.81	13.97	8.53
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद	0.015	0.015	0.017	0.019	0.021
मध्य प्रदेश					
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011–12 श्रृंखला)	9,27,855	9,46,628	10,92,964 (पी.ई.)	12,46,471 (क्यू.ई.)	13,63,327 (ए.ई.)
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (2011–12 श्रृंखला)	8,69,608	8,94,714	10,34,896 (पी.ई.)	11,68,186 (क्यू.ई.)	12,73,440 (ए.ई.)
वर्तमान मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	11.82	2.02	15.46	14.05	9.37
वर्तमान मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य मूल्य वर्धन की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	10.99	2.89	15.67	12.88	9.01
प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.011	0.011	0.013	0.014	0.015

स्रोतः आर्थिक सलाहकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय, भारत सरकार तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी।

पी.ई.–अनंतिम अनुमान; क्यू.ई.–त्वरित अनुमान; ए.ई.–अग्रिम अनुमान

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, कि अवधि 2019–24 के दौरान मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद धीरे–धीरे बढ़ा। हालांकि, 2019–20 से 2023–24 के दौरान दौरान मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गयी। यह राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुरूप है, जो उपरोक्त अवधि के दौरान उतार चढ़ाव से गुजरी थी ।

आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर तीन वृहद् क्षेत्रों क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार योगदान में बदलाव भी महत्वपूर्ण है।

अवधि 2019–20 से 2023–24 तक के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद और सकल राज्य मूल्य वर्धन की प्रवृत्तियां नीचे **चार्ट 1.1** में दर्शायी गयी हैं:

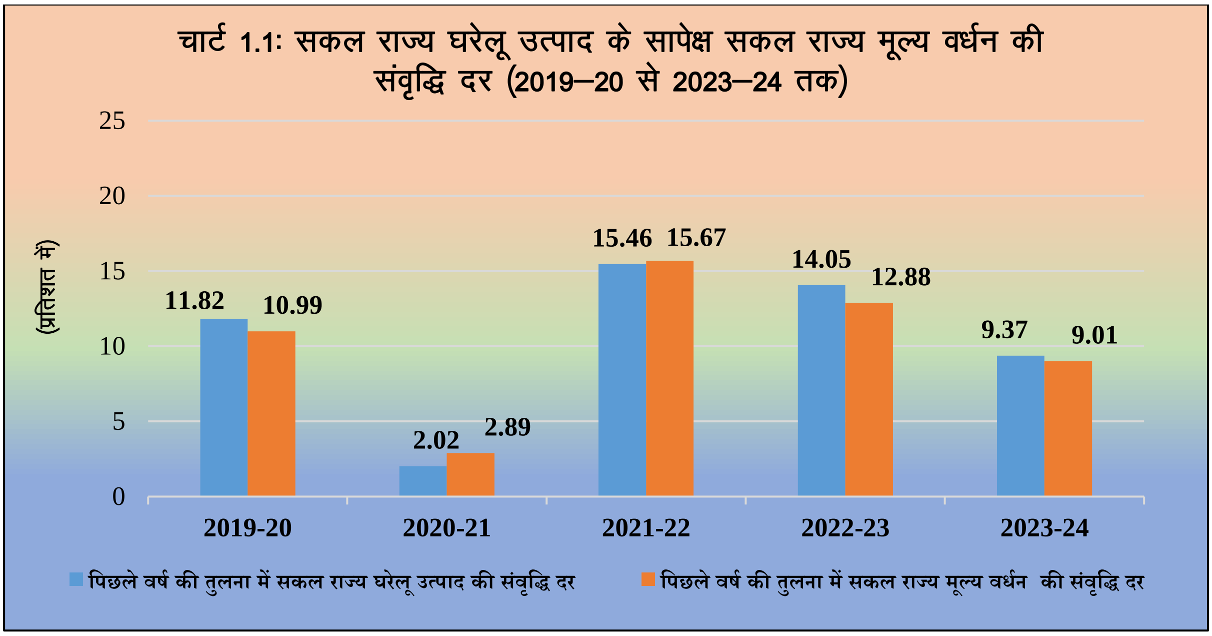

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी

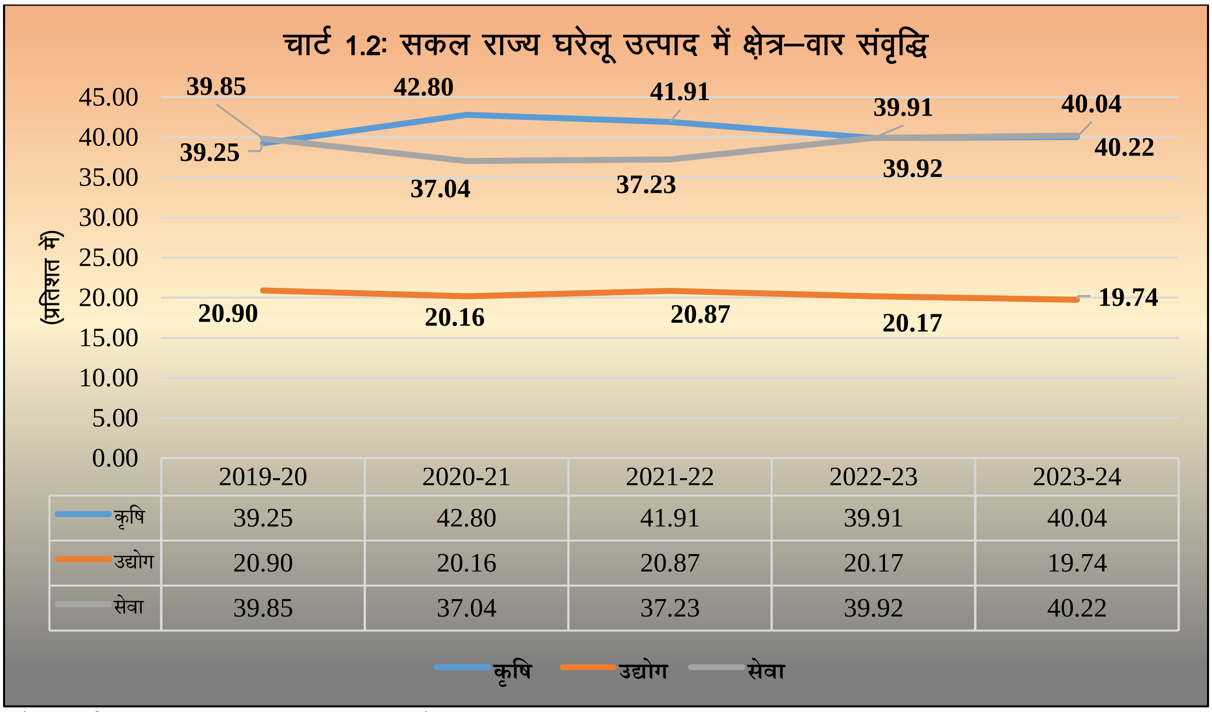

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कृषि	39.25	42.80	41.91	39.91	40.04
उद्योग	20.90	20.16	20.87	20.17	19.74
सेवा	39.85	37.04	37.23	39.92	40.22

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

चार्ट 1.2 दर्शाता है कि 2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की सापेक्ष हिस्सेदारी 2019–20 में 39.25 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 40.04 प्रतिशत हो गई है एवं सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 2019–20 में 39.85 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 40.22 प्रतिशत हो गई है। समान अवधि के दौरान, उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 2019–20 में 20.90 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 19.74 प्रतिशत तक हो गयी।

1.2 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उनको राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखवाएगा। 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मध्य प्रदेश के राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राज्य शासन के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषालयों, कार्यालयों एवं विभागों जो ऐसे लेखों को रखने के लिए उत्तरदायी है, के द्वारा प्रस्तुत प्रमाणको, चालानों एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखो और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से राज्य के वार्षिक वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों का संकलन करता है। इन लेखों की स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है एवं नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन के लिए वर्ष 2023–24 के राज्य के वित्त एवं विनियोग लेखों के प्रमुख आंकड़े शामिल हैं। निम्नलिखित अन्य स्रोतों को भी शामिल किया गया है:

- वर्ष 2023–24 के लिए राज्य का बजट भी अनुमान के सापेक्ष राजकोषीय मापदण्डों और आवंटन प्राथमिकताओं दोनों का आंकलन करने के लिए आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है साथ ही साथ इसके कार्यान्वयन और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए अनुमान लगाता है;

- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम), मध्य प्रदेश, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय), मध्य प्रदेश, राज्य सचिवालय के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर पर लेखापरीक्षा का परिणाम तैयार करता है;

- विभागीय प्राधिकारियों और कोषालयों से प्राप्त अन्य आंकड़े (लेखांकन के साथ–साथ एकीकृत प्रबंधन प्रणाली);

- संचालनालय, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन के सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े और अन्य राज्य से सम्बन्धित सांख्यिकी आंकड़े; एवं

- 2019–24 के दौरान नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार के दिशानिर्देशों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रासंगिक संदर्भ में विश्लेषण किया गया है।

1.3 शासकीय लेखों की संरचना का विहंगावलोकन

सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते है:

1. राज्य की समेकित निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1)}

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बंध पत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य शासन द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त किया गया सभी धन समाविष्ट होता है। इस निधि में

से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियुक्त नहीं किया जायेगा। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे–संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान, इत्यादि), राज्य की समेकित निधि (भारित व्यय) पर प्रभारित होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधान सभा द्वारा मतदेय होता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2)}

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो राज्य विधायिका द्वारा विधि द्वारा स्थापित की जाती है, और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। निधि की प्रतिपूर्ति, व्यय को राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को नामे द्वारा की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2)}

उपरोक्त के अलावा, अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंक अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे–अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमाएं (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (ये दोनों अस्थायी शीर्ष है, अंतिम रूप से पुस्तांकित होने तक लंबित है) शामिल होते हैं। लोक लेखे के अंतर्गत सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहता है। लोक लेखे विधायिका के मत के अधीन नही है।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, केंद्रीय कर/शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के सभी व्यय शामिल होते हैं जिसके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो सकते हैं) पर किए गए खर्चों से संबंधित हैं।

पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- **ऋण प्राप्तियां**: बाजार कर्ज, बंध–पत्र, वित्तीय संस्थानों से कर्ज, अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन–देन, केंद्र सरकार से कर्ज और अग्रिम, इत्यादि;
- **ऋणेत्तर प्राप्तियां**: विनिवेश की प्रक्रिया से, कर्ज और अग्रिम की वसूलियां;

पूंजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश और सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य पक्षों को कर्ज और अग्रिम पर किया गया व्यय शामिल है।

वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है, जिसका विवरण निम्न है:

विवरण	लेन–देन का प्रकार	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक द्वारा लेखों की मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्यः शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4 अंक)
	उप–कार्य	उप–मुख्य शीर्ष (2 अंक)
	कार्यक्रम	लघु–शीर्ष (3 अंक)
राज्य के लिए छोड़ा लचीलापन	योजना	उप–शीर्ष (2 अंक)
	उप–योजना	विस्तृत शीर्ष (2 अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	उद्देश्य शीर्ष–वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2 अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण में आर्थिक श्रेणियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय की व्यवस्था करना, सरकारी लेन–देन को राजस्व और पूंजीगत (लोक ऋण, कर्ज और अग्रिम सहित) अनुभागों में अंतर करना, क्षेत्र जैसे अन्य राजस्व और सहायतानुदान से कर राजस्व, उप क्षेत्रों जैसे आय और व्यय पर कर, राजकोषीय सेवाओं, इत्यादि शामिल है। व्यय पक्ष में भी, लेन–देन को क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे सामान्य सेवायें, आर्थिक सेवायें, सामाजिक सेवायें और सहायतानुदान एवं अंशदान तथा इन क्षेत्रों के अंतर्गत लेखाओं के मुख्य शीर्ष में उप–विभाजित किया गया है। समेकित निधि में शमिल होने वाले लेखे के मुख्य शीर्ष सामान्यतः सरकार के 'कार्य' के अनुरूप होते है, जैसे शिक्षा, जबकि मुख्य शीर्ष के अधीन लघुशीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा दर्शाए गये कार्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए "कार्यक्रम" की पहचान करते है। एक कार्यक्रम में कई योजनाएं या गतिविधियां शामिल हो सकती हैं और ये आम तौर पर "लघु शीर्ष" के अंतर्गत 'उप शीर्ष' के अनुरूप होते हैं। उप शीर्ष के अंतर्गत 'विस्तृत शीर्ष', मुख्य रूप से व्यय पर मदवार नियंत्रण के लिए होता है और आगत के संदर्भ में किसी योजना या गतिविधि पर व्यय के उद्देश्य या प्रकृति को इंगित करता है जैसेः– 'वेतन', 'कार्यालयीन व्यय', 'सहायतानुदान' इत्यादि।

शासकीय लेखों की संरचना का एक चित्रात्मक चित्रण **चार्ट 1.3** में दिया गया है:

चार्ट 1.3: शासकीय लेखों की संरचना का एक चित्रात्मक चित्रण

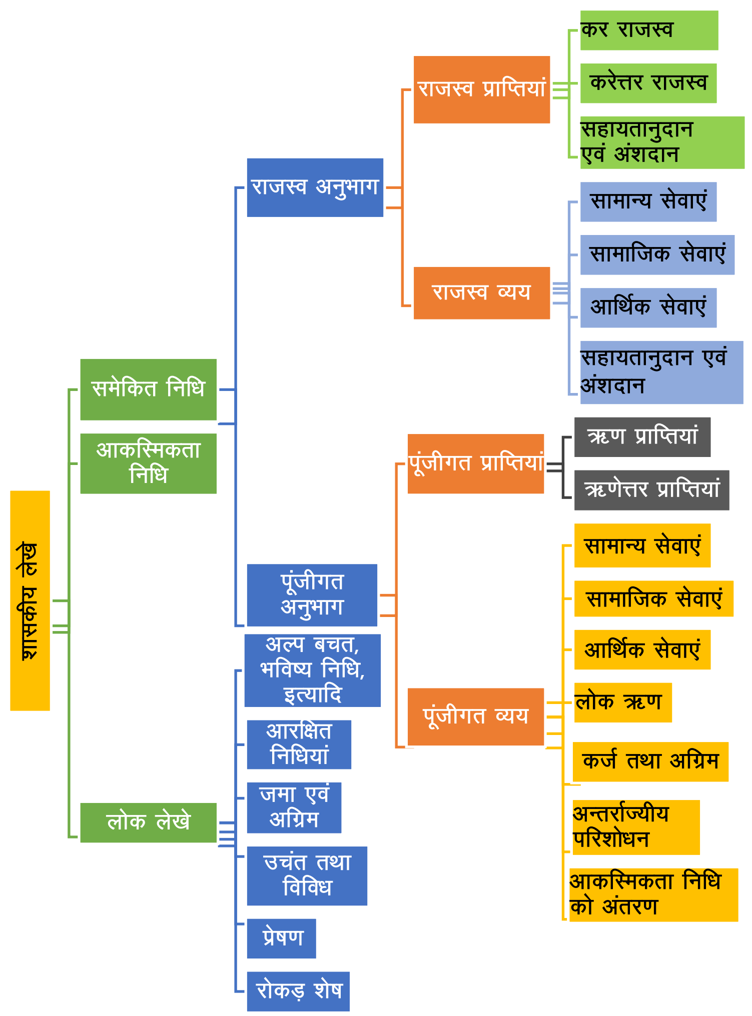

स्रोतः वित्त लेखे

लोक ऋण और लोक देयताएं: इस प्रतिवेदन में, 'लोक ऋण' में बाजार उधारियां, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए कर्ज इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, मुख्य शीर्षों 6003 और 6004– लोक ऋण को ध्यान में रखते हुये लिये गये है।

इसके अलावा, लोक लेखा के अंतर्गत 'अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि', 'आरक्षित निधियां और 'जमा और अग्रिम' से संबंधित ऐसे लेन–देन होते हैं कि प्राप्त धन को चुकाने का दायित्व सरकार का होता है या भुगतान की गई राशि को वसूल करने का दावा सरकार करती है। लोक लेखे के अंतर्गत 'प्रेषणों' और 'उचंत' से संबंधित लेन–देनों में केवल समायोजित शीर्षो जैसे:–कोषालयो और करेंसी चेस्टों के बीच रोकड़ का प्रेषण के रूप में लेन–देन एवं विभिन्न लेखा सर्किलो के बीच हस्तांतरण को शामिल किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में, 'लोक देयता' में 'अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा एवं अग्रिम' से संबंधित मुख्य शीर्षों 8001 से 8554 के अंतर्गत लेन–देनों के साथ–साथ मुख्य शीर्षों 6003 और 6004 के अंतर्गत लेन–देनों को शामिल किया गया है।

1.4 बजटीय प्रक्रियायें

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष वर्ष 2023–24 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण **वार्षिक वित्तीय विवरण** के रूप में रखवाते है।

अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, उपर्युक्त अनुदान/विनियोजन के लिए 59 मांगों के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया गया था, और इनके अनुमोदन के बाद, समेकित निधि से आवश्यक धन का विनियोग प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विधानमण्डल के द्वारा विनियोग विधेयक को पारित किया गया था।

जैसा कि पूर्व में **कंडिका 1.2** में वर्णित है, यह प्रतिवेदन तैयार करने के लिए वित्त लेखों और विनियोग लेखों में उल्लिखित मुख्य आंकड़े शामिल हैं। ये लेखे वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न अंतर्शासकीय और अन्य समायोजन शामिल हैं। यह विचार करते हुए कि इन प्राप्तियों और व्यय का बजट में अनुमान और व्यय राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, 2023–24 के लिए राज्य के बजट का सूक्ष्मता से अध्ययन करना और बजट में किए गए अनुमान के संदर्भ में वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

मध्य प्रदेश बजट नियमावली बजट तैयार करने, बजट निष्पादन और बजट निगरानी की प्रक्रिया का विवरण देता है। आगे, एक समेकित बजट के अलावा, राज्य शासन जेण्डर बजट, कृषि बजट और चाइल्ड बजट जैसे उप–बजट भी तैयार करती है।

जेंडर बजटः राज्य का जेंडर बजट समग्र बजट का हिस्सा है और इसे महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। जेंडर बजट दस्तावेज के अनुसार, महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था– (1) योजनाएँ जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित हैं, और (2) योजनाएँ जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित हैं।

कृषि बजटः यह बजट कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की गतिविधियों के हितों के साथ–साथ इन गतिविधियों पर खर्च की जानकारी भी शामिल करता है।

चाइल्ड बजटः राज्य का चाइल्ड बजट समग्र बजट का हिस्सा है और इसे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लाभान्वित करने के लिए रूपांकित किया गया है। चाइल्ड बजट दस्तावेज के अनुसार, बच्चों के विकास के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चाइल्ड बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया हैः (1) ऐसी योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान बच्चों से संबंधित हैं, और (2) ऐसी योजनाएं जिनमें बजट प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत बच्चों से संबंधित है।

इसके अतिरिक्त एक परिणामोन्मुखी बजट तैयार किया जाना आवश्यक है, जो वित्तीय परिव्यय से जुड़ी प्रत्येक योजना के तहत प्रस्तावित परिमाणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। हालांकि, भारत सरकार द्वारा योजना और योजनेत्तर योजनाओं के बीच विभेद को समाप्त[4] किये जाने से राज्य सरकार द्वारा 2015–16 से परिणामोन्मुखी बजट तैयार करना बंद कर दिया गया। वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा (जनवरी 2021) परिणामोन्मुखी बजट के तैयार न करने का कारण योजना और योजनेत्तर योजनाओं का बंद होना बताया।

[4] महालेखा–नियंत्रक ने 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी सहायतानुदान के वर्गीकरण को पुनरीक्षित किया, हालांकि, मध्य प्रदेश के लेखाओं में यह पुनरीक्षण 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ।

बजट की लेखापरीक्षा जांच और राज्य शासन की अन्य बजटीय पहलुओं के कार्यान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में विस्तृत रूप से दिये गये हैं।

1.5 वित्त के मुख्य बिंदु

2023–24 के बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय परिणामों के विवरण निम्न **तालिका 1.2** प्रदाय करती है:

तालिका 1.2: 2023–24 के लिए बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	संघटक	2022-23 (वास्तविक)	2023-24 (वास्तविक)	2023-24 (बजट अनुमान)	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से वास्तविक का प्रतिशत
1	**कर राजस्व (2+3)**	**1,47,153.40**	**1,79,389.22**	**1,66,683.65**	107.62	13.16
2	स्वंय के कर राजस्व	72,610.55	90,723.88	86,499.98	104.88	6.65
3	केन्द्रीय करों और शुल्कों का अंश	74,542.85	88,665.34	80,183.67	110.58	6.50
4	करेत्तर राजस्व	19,878.34	19,925.80	14,913.10	133.61	1.46
5	सहायतानुदान और अंशदान	36,954.45	34,711.02	44,113.15	78.69	2.55
6	**राजस्व प्राप्तियां (2+3+4+5)**	**2,03,986.19**	**2,34,026.04**	**2,25,709.90**	**103.68**	**17.17**
7	कर्जों और अग्रिमों की वसूली	1,458.12	371.79	134.85	275.71	0.03
8	अन्य प्राप्तियां	46.77	3.78	--	--	--
9	उधार और अन्य देयतायें[अ]	41,202.22	44,485.14	55,815.58	79.70	3.26
10	**पूंजीगत प्राप्तियां (7+8+9)**	**42,707.11**	**44,860.71**	**55,950.43**	**80.18**	**3.29**
11	**कुल प्राप्तियां (6+10)**	**2,46,693.30**	**2,78,886.75**	**2,81,660.33**	**99.01**	**20.46**
12	**राजस्व व्यय**	**1,99,895.26**	**2,21,538.26**	**2,25,297.13**	**98.33**	**16.25**
13	ब्याज भुगतान	19,453.27	23,098.41	22,619.91	102.12	1.69
14	पूंजीगत व्यय	**46,798.54**	**57,348.10**	**56,256.49**	**101.94**	**4.21**
15	पूंजीगत परिव्यय	44,438.37	56,538.59	54,056.40	104.59	4.15
16	कर्ज तथा अग्रिम	2,360.17	809.51	2,200.09	36.79	0.06
17	**कुल व्यय (12+14)**	**2,46,693.80**	**2,78,886.36**	**2,81,553.62**	**99.05**	**20.46**
18	**राजस्व घाटा(–) /अधिशेष(+)**	**4,090.93**	**12,487.78**	**412.77**	**3025.36**	**0.92**
19	**राजकोषीय घाटा**	**41,202.22**	**44,484.75**	**55,708.87**	**79.85**	**3.26**
20	**प्राथमिक घाटा**	**21,748.95**	**21,386.34**	**33,088.96**	**64.63**	**1.57**

***स्रोत:** वित्त लेखे और बजट पुस्तिकाएं 2023–24*

[अ] उधार और अन्य देयतायें: निवल (प्राप्तियां-वितरण) लोक ऋण + निवल आकस्मिकता निधि + निवल (प्राप्तियां-वितरण) लोक लेखा + निवल प्रारम्भिक एवं अंतिम रोकड़ शेष।

1.5.1 सरकार की सम्पत्ति और दायित्वों के मुख्य बिंदु

शासकीय लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और व्यय की गयी राशि से संपत्तियों के निर्माण को दर्शाते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक ऋण, भारत सरकार से कर्ज और अग्रिम, लोक लेखे और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां शामिल हैं। संपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज और अग्रिम एवं रोकड़ शेष भी शामिल हैं। इस संदर्भ में वर्ष 2023–24 में राज्य की स्थिति को नीचे **तालिका 1.3** में देखा जा सकता है:

तालिका 1.3: सम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं				सम्पत्तियां			
	2022-23	2023-24	वृद्धि(+) / कमी(-) प्रतिशत में		2022-23	2023-24	वृद्धि(+)/ कमी(-) प्रतिशत में
संचित निधि							
आंतरिक ऋण	2,51,427.60	2,82,515.52	12.36	सकल पूंजीगत परिव्यय	3,57,926.28	4,14,464.87[5]	15.80
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	49,797.93	62,254.31	25.01	कर्ज तथा अग्रिम	47,825.72	48,263.44	0.92
आकस्मिकता निधि	1,000.00	1,000.00	-		-	19.40	
लोक लेखा							
अल्प बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	18,019.74	16,976.37	(-)5.79	अग्रिम	3.49	3.50	0.29
जमाएं	21,711.25	20,544.55	(-)5.37	प्रेषण	--	--	
आरक्षित निधियां	23,969.69	27,571.12	15.02				
उचंत तथा विविध शेष	2,330.93	735.68	(-)68.44	उचंत तथा विविध	--	--	
प्रेषण	5,677.34	6,200.68	9.22	रोकड़ शेष (उद्दिष्ट निधि में निवेश सहित)	19,151.56	18,533.79	(-)3.23
				योग	**4,24,907.05**		
				शासकीय लेखों में कमी	(-)50,991.97	(-)63,482.37	
योग	**3,73,934.48**	**4,17,798.23**		**योग**	**3,73,915.08***	**4,17,802.63#**	

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

*** राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹19.40 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति नही होने के कारण अंतर है।**

 # ₹4.40 करोड़ (₹19.40 करोड़–₹15.00 करोड़ = ₹4.40 करोड़) का अन्तर वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य की संचित निधि में ₹19.40 करोड़ की प्रतिपूर्ति एवं ₹15.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति न होने के कारण है।

1.6 राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धियां

मध्य प्रदेश शासन ने राजस्व घाटे को समाप्त करने, राजकोषीय घाटे को कम करने और कुल/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक पहुंचाने, बेहतर ऋण प्रबंधन की स्थापना और मध्यम कालिक रूपरेखा की पारदर्शिता में सुधार के द्वारा राजकोषीय प्रबंधन में बुद्धिमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 पारित किया। इस संदर्भ में, यह अधिनियम घाटे के मापदण्डों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

[5] पूंजीगत व्यय में अन्य पूंजीगत व्यय और निवेश पर व्यय शामिल हैं।

1.6.1 मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के मुख्य लक्ष्यों पर राजकोषीय मापदण्ड और उनकी उपलब्धियां

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, राज्य शासन को 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना था और उसके बाद राजस्व अधिशेष को बनाए रखना था, 31 मार्च 2009 तक राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक कम करना था एवं उसके बाद समान स्तर को बनाए रखना था। आगे, अधिनियम में यह भी परिकल्पित था कि राज्य शासन 31 मार्च 2015 तक कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 40 प्रतिशत तक सीमित कर देगी।

जनवरी 2016 में मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संशोधन में राज्यों के लिए उनके अवार्ड अवधि (2016–17 से 2019–20) के दौरान राज्यों के लिए अनुशंसित राजकोषीय घाटे की सीमा से संबंधित चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को शामिल किया गया। अधिनियम में प्रावधान किया गया कि राजकोषीय घाटा किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत की वार्षिक सीमा से अधिक न हो। वर्ष 2023–24 के दौरान, पन्द्रहवे वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.00 प्रतिशत पर सीमित किया जाए। वर्ष 2023–24 के दौरान, भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों के आधार पर 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त ऋण सुविधा का विस्तार करने का भी निर्णय लिया था। इसलिये, 2023–24 के लिए, भारत सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से लक्ष्य 3.50 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

2019–20 से 2023–24 तक की पांच साल की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/राज्य शासन के नियम के अन्तर्गत मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों से संबंधित पुनरीक्षित लक्ष्य और उनकी उपलब्धियां **तालिका 1.4(अ)** में दी गई है:

तालिका 1.4(अ): मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/ मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धियां (₹ करोड़ में)				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+)	राजस्व आधिक्य	(-)2,801	(-)18,356	4,815	4,091	12,488
		✗	✗	✓	✓	✓
राजकोषीय घाटा* (–)/आधिक्य (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	संबंधित वर्षों के अंतर्गत कोष्ठक में दिया गया है।	3.55 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.34% से अधिक नहीं)	5.19 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.99% से अधिक नहीं)	3.30 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.50% से अधिक नहीं)	3.11 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.56% से अधिक नहीं)	3.26 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.02% से अधिक नहीं)
		✗	✗	✓	✓	✓
सकल राज्य घरेलू		24.85	29.61[6]	27.48[7]	26.68[8]	29.17[9]

[6] ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत की गणना ₹2,84,756 करोड़ के कुल ऋण पर की गई है, जिसमें ₹2,89,298 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कमी के बदले में क्षतिपूर्ति की राशि ₹4,542 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण को शामिल नहीं किया गया है।

[7] ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत की गणना ₹3,12,241 करोड़ के कुल ऋण पर की गई है, जिसमें ₹3,23,218 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कमी के बदले में क्षतिपूर्ति की राशि ₹11,553 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण को शामिल नहीं किया गया है एवं ₹576 करोड के बजटेत्तर उधारी को शामिल किया गया।

[8] ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत की गणना ₹3,52,963 करोड़ के कुल ऋण पर की गई है, जिसमें ₹3,63,952 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कमी के बदले में क्षतिपूर्ति की राशि ₹11,553 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण को शामिल नहीं किया गया है एवं ₹564 करोड के बजटेत्तर उधारी को शामिल किया गया।

[9] ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत की गणना ₹3,97,709 करोड़ के कुल ऋण पर की गई है, जिसमें ₹4,08,888 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कमी के बदले में क्षतिपूर्ति की राशि ₹11,553 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण को शामिल नहीं किया गया है एवं ₹374 करोड के बजटेत्तर उधारी को शामिल किया गया।

राजकोषीय मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धियां (₹ करोड़ में)				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
उत्पाद से कुल बकाया देनदारी का अनुपात (प्रतिशत में)		(सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 24.43% से अधिक नहीं)	(सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 28.83% से अधिक नहीं)	(सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 28.52% से अधिक नहीं)	(सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 33.31% से अधिक नहीं)	(सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 30.42% से अधिक नहीं)
		✗	✗	✓	✓	✓

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

*** इसमें ऊर्जा क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारियां शामिल हैं।**

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य और 2023–24 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय समुच्चय के संबंध में राज्य के बजट में अनुमानों के सापेक्ष उपलब्धियों की जानकारी **तालिका 1.4(ब)** दी गई है।

तालिका 1.4(ब): वर्ष 2023–24 के लिए प्रमुख राजकोषीय समुच्चय के संबंध में लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियां

राजकोषीय चर	पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट में लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक से प्रतिशत में भिन्नता	
				पंद्रहवें वित्त आयोग में लक्ष्य	बजट में लक्ष्य
राजस्व अधिशेष/घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	3.16	0.03	0.92	(-)2.24	0.89
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	3.50	4.02	3.26	0.24	0.76
कुल बकाया देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	33.30	30.42	29.17	4.13	1.25

स्रोतः पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें, वित्त लेखें एवं बजट दस्तावेज 2023–24

राज्य ने 2021–22 से 2023–24 की अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष हासिल किया, लेकिन 2019–20 और 2020–21 के दौरान इसे हासिल नही किया था। 2023–24 के दौरान, राजस्व अधिशेष पिछले वर्ष की तुलना में 205 प्रतिशत से बढ़ा और राजकोषीय घाटा 7.97 प्रतिशत से बढ़ गया।

पिछले वर्ष की तुलना में 2023–24 में स्वयं के कर राजस्व के तहत ₹32,325 करोड़ की वृद्धि के कारण 2022–23 की तुलना में 2023–24 में राजस्व प्राप्तियों में ₹30,040 करोड़ की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹14,394 करोड़ की वृद्धि), स्टांप एवं पंजीयन शुल्क इत्यादि पर (₹1,519 करोड़ की वृद्धि) और राज्य उत्पाद शुल्क (₹569 करोड़ की वृद्धि) के तहत थी। वर्तमान वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में करेत्तर राजस्व में ₹48 करोड़ से वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के अंतर्गत ₹704.27 करोड़ (₹38.27 प्रतिशत) और अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग में ₹1,811 करोड़ (24.60 प्रतिशत) से वृद्धि के अंतर्गत थी।

वर्तमान वर्ष के दौरान, स्वयं के कर राजस्व के प्रमुख योगदानकर्ता राज्य वस्तु एवं सेवा कर (41.65 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर (19.69 प्रतिशत) और राज्य उत्पाद शुल्क (14.91 प्रतिशत) थे।

2023–24 में करेत्तर राजस्व के प्रमुख योगदानकर्ता अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग (46.03 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (12.77 प्रतिशत) और ब्याज प्राप्ति (9.71 प्रतिशत) थे।

1.6.2 मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, राज्य शासन प्रत्येक वित्त वर्ष में, बजट के साथ मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगा, जिसमें राज्य शासन के राजकोषीय उद्देश्यों और बजट के साथ पंचवर्षीय चलित लक्ष्य निहित होंगे।

तालिका 1.5 2023–24 के वार्षिक बजट के साथ राज्य विधान मण्डल मे प्रस्तुत मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में 2023–24 के लिये किये गये अनुमानों और वर्ष के वास्तविक आंकड़ो के मध्य भिन्नता को प्रदर्शित करती है।

तालिका 1.5: 2023–24 के लिए मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय चर	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2023–24)	भिन्नता (प्रतिशत में)
स्वयं के कर राजस्व	86,499.98	90,723.88	4.88
करेत्तर राजस्व	14,913.10	19,925.80	33.61
केन्द्रीय कर का अंश	80,183.67	88,665.34	10.58
भारत सरकार से सहायतानुदान	44,113.15	34,711.02	(-)21.31
राजस्व प्राप्तियां	2,25,709.90	2,34,026.04	3.68
राजस्व व्यय	2,25,297.13	2,21,538.26	(-)1.67
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (–)/अधिशेष (+)	0.03	0.92	0.89
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	4.02	3.26	0.76
ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)	30.42	29.17	1.25
वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	4.86	9.37	4.51

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज 2023–24

2019–20 से 2023–24 तक पांच साल की अवधि में अधिशेष और घाटे की प्रवृत्ति को **चार्ट 1.4** में दर्शाया गया है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष अधिशेष या घाटे की प्रवृत्ति नीचे **चार्ट 1.5** में दी गई है:

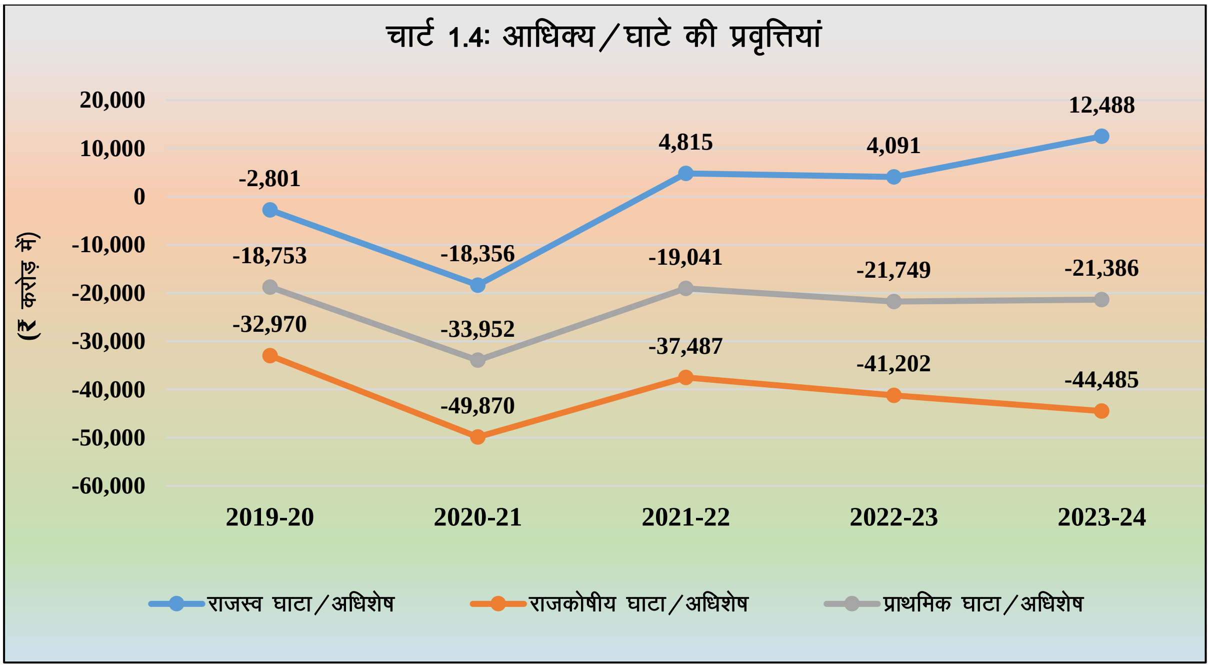

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

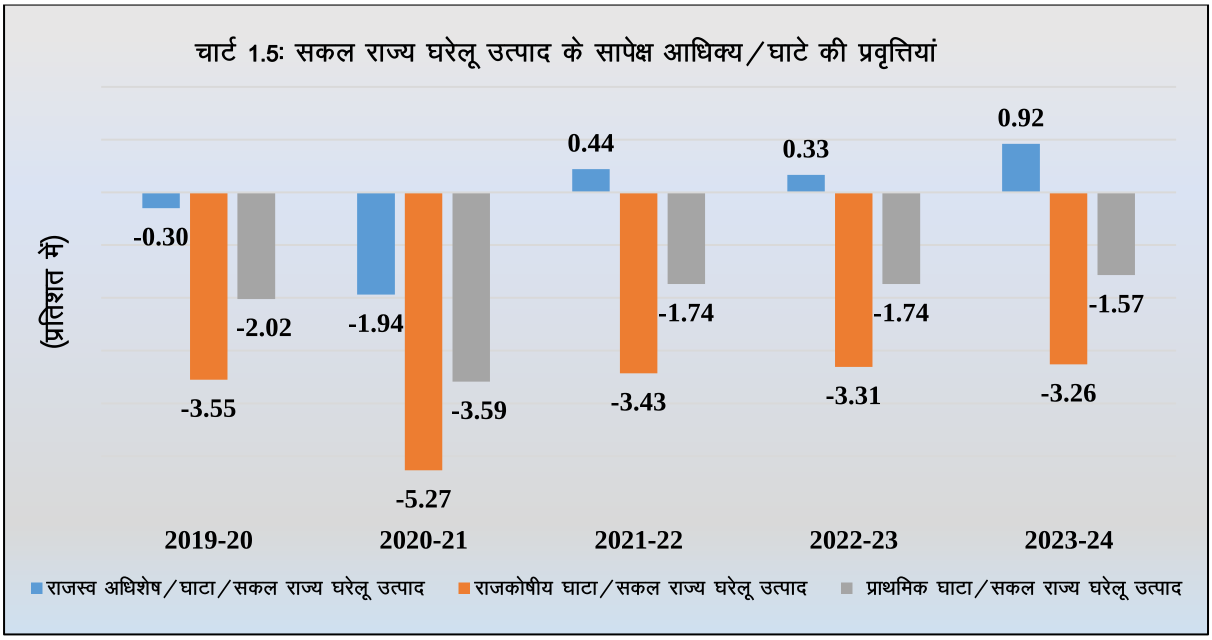

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व अधिशेष राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर को संदर्भित करता है, जो 2022–23 में ₹4,091 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.33 प्रतिशत) से बढ़कर 2023–24 में ₹12,488 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.92 प्रतिशत) हो गया। इससे पहले, राज्य ने पूर्व के दो वर्षों में (2019–20 और 2020–21) में राजस्व घाटे का अनुभव किया ।

राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करता है, जो 2022–23 में ₹41,202 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.31 प्रतिशत) से बढ़कर 2023–24 में ₹44,485 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.26 प्रतिशत) हो गया।

प्राथमिक घाटा, जो ऋणेत्तर प्राप्तियों पर प्राथमिक व्यय (ब्याज भुगतान का शुद्ध कुल व्यय) की अधिकता को इंगित करता है, जो 2022–23 में ₹21,749 करोड़ से घटकर 2023–24 में ₹21,386 करोड़

हो गया। हालांकि इसमें 2022–23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.74 प्रतिशत से 2023–24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.57 प्रतिशत तक सुधार हुआ।

राज्य प्रमुख राजकोषीय मापदंडों के संबंध में 2023–24 के दौरान पंद्रहवे वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों के भीतर था। वर्ष 2023–24 के दौरान इसका राजकोषीय घाटा ₹44,485 करोड़ था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.26 प्रतिशत और कुल व्यय का 15.95 प्रतिशत था। 2022–23 में ₹21,749 करोड़ का प्राथमिक घाटा घटकर ₹21,386 करोड़ हो गया और 2022–23 में ₹4,091 करोड़ का राजस्व अधिशेष 2023–24 में बढ़कर ₹12,488 करोड़ हो गया।

1.7 भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार उधारियों के संबंध में राज्य शासन का प्रदर्शन

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 (3) अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान करता है कि एक राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है, यदि भारत सरकार द्वारा राज्य को दिया गया ऋण का कोई हिस्सा, अभी भी बकाया है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए राज्य शासन की शुद्ध उधार सीमा ₹47,716 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50 प्रतिशत) निश्चित की और राज्य शासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी स्रोतों से उसकी वृद्धिशील उधारियां इस सीमा के भीतर रहें। ₹47,716 करोड़ की उधार सीमा में ₹6,817 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.50 प्रतिशत) की अतिरिक्त सीमा शामिल थी, जिसकी अनुमति तब दी जानी थी जब राज्य शासन द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में सुधार किए हो। बजट दस्तावेजों के अनुसार, राज्य शासन ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधार किए थे, इस प्रकार राज्य शासन सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा के लिए पात्र थी।

वित्त लेखों के विवरण 6 (उधार और अन्य देयताओं का विवरण) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य शासन की वृद्धिशील उधारियां और अन्य देयताएं ₹44,936 करोड़ थी, जो ₹47,716 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹13,63,327 करोड़ का 3.50 प्रतिशत) की उधार सीमा के भीतर रहीं।

1.8 लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटा

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को राजकोषीय संकेतकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों जैसे घाटे, ऋण पर एवं प्रत्याभूति पर निश्चित सीमा इत्यादि का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य के लिए अनुमानित किये गये राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा विभिन्न परिस्थितियां जैसे कि राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण और बजटेत्तर राजकोषीय संचालन के कारण प्रभावित होता है। इसके अलावा, स्पष्ट देनदारियों को स्थगित करना, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना, ऋणमोचन निधि और प्रत्याभूति मोचन निधि इत्यादि में कम अंशदान करना भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आंकड़ों तक पहुंचने के लिए, राजस्व व्यय/पूंजी परिव्यय के गलत वर्गीकरण के प्रभाव और/या ऐसे किसी भी गलत वर्गीकरण को शामिल करने की आवश्यकता है और ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को कम करने की जरूरत है। लेखापरीक्षा में परीक्षण के बाद घाटे का विश्लेषण **तालिका 1.6** में दिया गया है:

तालिका 1.6: वास्तविक राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (अत्युक्ति)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति)
राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण (लेखों की टिप्पणियों की कंडिका संख्या 3(ii), वित्त लेखे खंड–I)	1,575.09	--
ब्याज का गैर–भुगतान (लेखों पर टिप्पणियों की कंडिका संख्या 3(viii), वित्त लेखे खंड– I)	286.22	286.22
प्रत्याभूति मोचन निधि का गैर–हस्तांतरण (लेखों पर टिप्पणियों की कंडिका संख्या 5(ii)(B)(b), वित्त लेखे खंड– I)	36.58	36.58
योग	**1,897.89**	**322.80**

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य में अत्युक्ति और राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति क्रमशः ₹1,897.89 करोड़ और ₹322.80 करोड़ से थी। वित्त लेखों के अनुसार, राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹12,487.78 करोड़ और ₹44,484.75 करोड़ था, जो वास्तव में क्रमशः ₹10,589.89 करोड़ और ₹44,807.55 करोड़ होगा।

1.9 लेखापरीक्षा के बाद–कुल बकाया ऋण

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल देयताओं का अर्थ भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में निर्दिष्ट राज्य की समेकित निधि और लोक लेखों खाते के अंतर्गत देयताएं हैं। बकाया ऋण/देयताओं को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है जैसा **तालिका 1.7** में दिया गया है।

तालिका 1.7: बकाया ऋण/देयताओं के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारियां और अन्य देयताएं	31 मार्च 2024 तक शेष
क	**आंतरिक ऋण**	**2,82,515.52**
1	बाजार ऋण	2,22,625.66
2	क्षतिपूर्ति और अन्य बंध पत्र	5,888.44
3	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	14,823.10
4	केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत कोष को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां	39,178.32
ख	**केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम**	**62,254.31**
1	आयोजनेत्तर ऋण	11.03
2	राज्य आयोजित योजनाओं के लिए ऋण	8,092.44
3	1984–85 से पहले के ऋण	1.88
4	अन्य	54,148.96
ग	**लोक लेखों पर देयताएं**	**64,118.28**
1	अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	16,976.38
2	ब्याज सहित आरक्षित निधियां	13,168.37
3	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	13,428.99
4	ब्याज सहित जमाएं	288.26
5	ब्याज रहित जमाएं	20,256.28
घ	**बजटेत्तर ऋण**	**3,261.34**

क्र. सं.	उधारियां और अन्य देयताएं	31 मार्च 2024 तक शेष
ड	बैक टू बैक लोन (2020–21 में ₹4,542 करोड़ और 2021–22 में ₹7,011 करोड़)	11,553.00
	योग (क+ख+ग+घ-ड)	4,23,702.44

स्रोत: वित्त लेखे 2023–24

वर्ष 2023–24 के अंत में, सरकार द्वारा बकाया ऋण/देयताओं में बजटेत्तर ऋण को शामिल नही करने के कारण राज्य के कुल बकाया ऋण/देयताएं ₹3,261.34 करोड़ से न्यूनोक्त थीं। हालांकि, उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बजटेत्तर उधारियां और बैक टू बैक ऋण को समायोजित करने के बाद सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण 26.68 प्रतिशत (2022–23) से बढ़कर 29.17 प्रतिशत (2023–24) हो गया।

1.10 राज्य वित्त आयोग

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) के अनुसरण में मध्य प्रदेश शासन ने जून 1994 से अब तक पॉच राज्य वित्त आयोगों का गठन किया है। राज्य वित्त आयोग के गठन में उनकी सिफारिशों के प्रस्तुतिकरण और मध्य प्रदेश शासन द्वारा उनकी स्वीकृति की स्थिति नीचे दी गई **तालिका 1.8** में विस्तृत है।

तालिका 1.8: गठन की स्थिति– राज्य वित्त आयोग

राज्य वित्त आयोग	राज्य वित्त आयोग के गठन की नियत तिथि	गठन की वास्तविक तिथि	विलंब दिनों में	प्रतिवेदन जमा करने की तिथि	प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाई (तिथि)	राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने में लिया गया समय (दिनों में)	अवधि
प्रथम	17.06.1994	17.06.1994	निरंक	07.04.1995	20.09.1995	167	1996-2001
द्वितीय	17.06.1999	10.06.1999	निरंक	31.12.2003	14.03.2005	439	2001-2006
तृतीय	10.12.2004	12.07.2005	215	31.10.2008	05.02.2010	462	2006-2011
चतुर्थ	12.07.2010	27.01.2012	565	31.01.2017	20.07.2017	170	2011-2016
पंचम	27.01.2017	20.03.2017	53	कार्यरत			2020-2025

तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य, राज्य सरकार के विभाजनीय कोष[10] का पांच प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को दिनांक 31.03.2022 हस्तांतरित किया जाना चाहिए था एवं तदनुसार मध्य प्रदेश शासन ने आबंटित किया था। आगे, चौथे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार 7.50 प्रतिशत एवं दो प्रतिशत क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना था, जिसे लागू नहीं किया गया। हालांकि, मध्य प्रदेश शासन ने 2022–23 से 2025–26 तक पांचवां राज्य वित्त आयोग लागू किया है और राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, राज्य शासन ने वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक अगले चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से विभाज्यनीय निधि का हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को क्रमशः 6.25 प्रतिशत, 7.50 प्रतिशत, 8.75 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत पर हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग, मध्य प्रदेश सरकार (दिसंबर 2024) ने बताया कि छठे वित्त आयोग का गठन प्रक्रियाधीन है।

[10] विभाजनीय निधि का अर्थ है, करों के संग्रह के लिए किये गये व्यय के दस प्रतिशत की कटौती, पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकाय को सौंपे गए राजस्व को घटाने के बाद पिछले वर्ष का निवल राज्य कर राजस्व।

1.10.1 निधियों का हस्तांतरण एवं स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं

73वें और 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम 1992, के लागू होने के बाद, नगरीय स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थानों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यों और जिम्मेदारियों को उन्हें सौंपकर स्थानीय स्वशासन को पूर्ण विकसित और जीवंत संस्थान बनाया गया था। तदनुसार, राज्य सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली[11] को संगठित किया।

1.10.2 पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायो को अनुदानों का हस्तांतरण

मध्य प्रदेश शासन तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 31.03.2022 तक एवं 2022–23 से पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को राशि आबंटित कर रहा है। वर्ष 2019–2024 के दौरान, राज्य वित्त आयोग अनुदान का हस्तांतरण वित्त विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थानों एवं नगरीय स्थानीय निकायों को किया गया था, जैसा कि **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदानों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पंचायती राज संस्थाएं		कम जारी	नगरीय स्थानीय निकाय		कम जारी
	हस्तांतरित की जाने वाली निधि	वास्तविक हस्तांतरित निधि		हस्तांतरित की जाने वाली निधि	वास्तविक हस्तांतरित निधि	
1	2	3	4 (2-3)	5	6	7 (5-6)
2019-20	1,473.77	381.26	1,092.51	368.44	305.98	62.46
2020-21	1,711.37	329.62	1,381.75	427.78	300.79	126.99
2021-22	1,660.08	295.67	1,364.41	415.02	330.00	85.02
2022-23	1,985.91	1,884.44	101.47	576.56	530.82	45.74
2023-24	3,000.29	1,906.00	1,094.29	871.06	842.02	29.04
योग	**9,831.42**	**4,796.99**	**5,034.43**	**2,658.86**	**2,309.61**	**349.25**

स्रोतः वित्त विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2023–24 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को क्रमशः ₹1,094.29 करोड़ और ₹29.04 करोड़ की निधि का कम हस्तांतरण हुआ था। वित्त विभाग मध्य प्रदेश सरकार (दिसंबर 2024) ने गलती से लेखापरीक्षा को सूचित किया कि पंचायती राज संस्थाओं को कम जारी की गई राशि ₹994.28 करोड़ (₹1,094.29 करोड़ के विरूद्व) और शहरी स्थानीय निकाय के लिए इसे शून्य (₹29.04 के विरूद्व) बताया, जिसके परिणामस्वरूप इस अंतर का कम आंकलन हुआ।

[11] नगरीय स्थानीय निकायः बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषदें और संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर परिषदें। पंचायती राज संस्थाऐं: जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत।

अध्याय II

राज्य के वित्त

अध्याय II–राज्य के वित्त

2.1 प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त लेखों पर आधारित राज्य के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य, और पिछले वर्ष के सापेक्ष होने वाले मुख्य राजकोषीय क्रांतिक परिवर्तनों, पाँच वर्ष की अवधि 2019–20 से 2023–24 के दौरान समग्र प्रवृत्तियां, राज्य की ऋण संधारणीयता और मुख्य लोक लेखा लेन–देनों का विश्लेषण प्रदान करता है।

2.2 2022–23 की तुलना में 2023–24 के दौरान महत्वपूर्ण राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन

तालिका 2.1 विगत वर्ष की तुलना में 2023–24 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है:–

तालिका 2.1: 2022–23 की तुलना में 2023–24 के दौरान मुख्य राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	⬆	राज्य की राजस्व प्राप्तियां 14.73 प्रतिशत से बढ़ी।
	⬆	राज्य के स्वयं के कर की प्राप्तियां 24.95 प्रतिशत से बढ़ी।
	⬆	स्वयं की करेत्तर प्राप्तियां 0.24 प्रतिशत से बढ़ी।
	⬆	संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश 18.95 प्रतिशत से बढ़ा।
	⬇	भारत सरकार से सहायतानुदान 6.07 प्रतिशत से कम हुआ।
राजस्व व्यय	⬆	राजस्व व्यय 10.83 प्रतिशत से बढ़ा।
	⬆	सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 14.64 प्रतिशत से बढ़ा।
	⬆	सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 13.31 प्रतिशत से बढ़ा।
	⬆	आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 3.73 प्रतिशत से बढ़ा।
	⬆	सहायतानुदान एवं अंशदान पर राजस्व व्यय 8.11 प्रतिशत से बढ़ा।
पूंजीगत प्राप्तियां	⬆	ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 10.72 प्रतिशत से बढ़ी।
	⬇	ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियां 75.06 प्रतिशत से कम हुई।
पूंजीगत परिव्यय	⬆	पूंजीगत परिव्यय 27.23 प्रतिशत से बढ़ा।
	⬆	सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 3.30 प्रतिशत से बढ़ा।
	⬆	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 47.75 प्रतिशत से बढ़ा।
	⬆	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 17.72 प्रतिशत से बढ़ा।
कर्ज एवं अग्रिम	⬇	कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां 74.50 प्रतिशत से कम हुई।
	⬇	कर्जों एवं अग्रिमों के संवितरण पर पूंजीगत परिव्यय 65.70 प्रतिशत से कम हुआ।
लोक ऋण	⬆	लोक ऋण प्राप्तियां 10.72 प्रतिशत से बढ़ी।
	⬇	लोक ऋण का पुनर्भुगतान 1.68 प्रतिशत से कम हुआ।
लोक लेखा	⬆	लोक लेखा प्राप्तियां 10.93 प्रतिशत से बढ़ी।
	⬆	लोक लेखों का संवितरण 13.48 प्रतिशत से बढ़ा[12]।
रोकड़ शेष	⬆	रोकड़ शेष 89.77 प्रतिशत से बढ़ा।

उपर्युक्त प्रत्येक संकेतकों का विश्लेषण उत्तरवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

12 मुख्य शीर्ष 8670 के अंतर्गत चैक्स एवं देयक के अंतर्गत संवितरण में वृद्धि के कारण बढ़ा।

2.3 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

तालिका 2.2 2023–24 के दौरान राज्य के निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग की तुलना 2022–23 के आंकड़ों से करती है, जबकि **चार्ट 2.1** और **2.2**, 2023–24 के दौरान संचित निधि में प्राप्तियां और उसमें से होने वाले व्यय का विवरण प्रतिशतता के संदर्भ में देते हैं।

तालिका 2.2: 2022–23 तथा 2023–24 के दौरान संसाधनों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2022-23	2023-24	वृद्धि (+) / कमी (–) (प्रतिशत)
संसाधनों के संघटक	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ प्रारंभिक रोकड़ शेष	17,296.25	19,151.56	10.73
	राजस्व प्राप्तियां	2,03,986.19	2,34,026.04	14.73
	पूंजीगत प्राप्तियां	46.77	3.78	(-)91.92
	कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां	1,458.12	371.79	(-)74.50
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	36,861.08	43,544.29	18.13
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	6,216.19	318.45	(-)94.88
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	(-)0.78	(-)0.39	50.00
	योग	**2,65,863.82***	**2,97,415.52#**	**11.87**
संसाधनों के अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,99,895.26	2,21,538.26	10.83
	पूंजीगत परिव्यय	44,438.37	56,538.59	27.23
	कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण	2,360.17	809.51	(-)65.70
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	(-)0.95	(-)0.23	75.79
	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अंतिम रोकड़ शेष	19,151.56	18,533.79	(-)3.23
	योग	**2,65,844.41**	**2,97,419.92**	**11.88**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

***अंतर का कारण राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹19.40 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति का न होना है।**

 # वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹15.00 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति का न होना तथा ₹19.40 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति के होने के कारण ₹4.40 करोड़ (₹19.40 करोड–₹15.00 करोड़=₹4.40 करोड़) का अंतर है ।

परिशिष्ट 2.1 वर्तमान वर्ष के साथ साथ पिछले वर्ष के दौरान प्राप्तियां और संवितरण एवं राज्य की समग्र राजकोषीय स्थिति का विवरण प्रदान करती है।

चार्ट 2.1: संसाधनों के संघटक

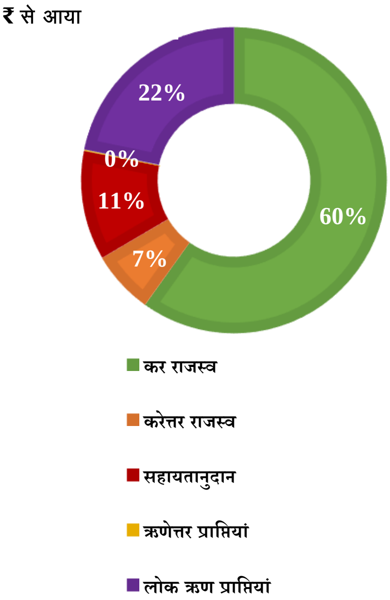

चार्ट 2.2: संसाधनों के अनुप्रयोग

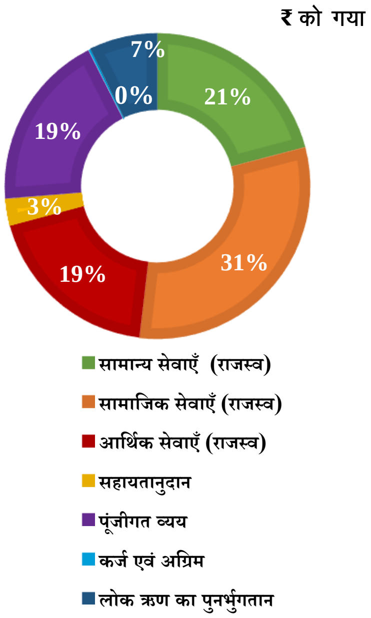

स्रोत: वित्त लेखे 2023-24

***नोट:** 2023–24 के दौरान ऋणेत्तर प्राप्तियां ₹375 करोड़ एवं ऋण एवं अग्रिम ₹809 करोड़ था जो क्रमश: कुल राजस्व प्राप्तियों एवं कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में नगण्य है इसलिए चार्ट में दोनों आंकड़े शून्य को प्रदर्शित करते है।*

2.4 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:–

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान शामिल हैं;

2. **पूंजीगत प्राप्तियों** (ऋण एवं ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियों) में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश की प्रक्रिया से, कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थान/वाणिज्यिक बैंको से उधारियां) और भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम समाविष्ट है। राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की संचित निधि के भाग हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** निश्चित लेन–देनों के संदर्भ में प्राप्तियां एवं संवितरण जैसे अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमाऐं, उचंत, प्रेषण, इत्यादि जो संचित निधि का भाग नहीं हैं। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और राज्य विधान सभा द्वारा मतदान के अधीन नही है। यहां, सरकार बैंकर की तरह कार्य करती है। संवितरण के पश्चात् शेष सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

2.5 राज्य की प्राप्तियां

चार्ट 2.3 2023–24 के दौरान समग्र प्राप्तियों की संरचना प्रदान करता है।

चार्ट 2.3: 2023–24 के दौरान समग्र प्राप्तियों की संरचना

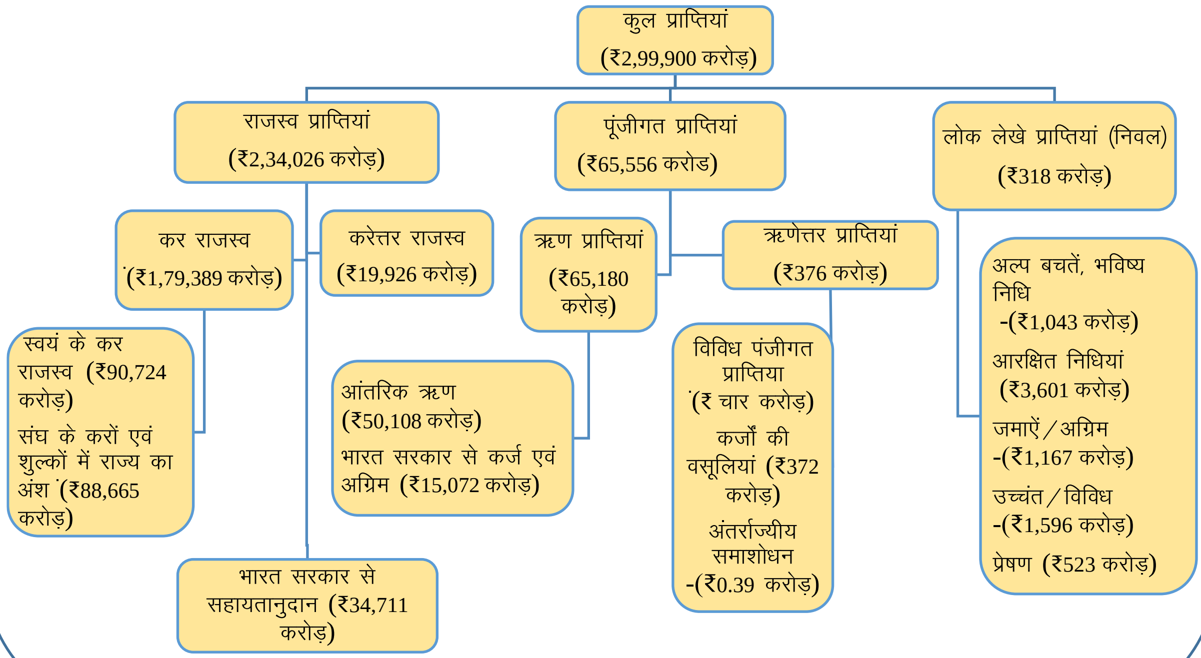

स्त्रोतः वित्त लेखे 2023–24

2.6 राजस्व प्राप्तियां

2.6.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां और संवृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्षों की अवधि 2019–24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों के साथ–साथ राजस्व उत्प्लावकता की प्रवृत्तियां एवं संवृद्धि को प्रदान करती है। आगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां और राजस्व प्राप्तियों के संघटक क्रमशः **चार्ट 2.4** एवं **2.5** में दिये गये हैं।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	**1,47,643**	**1,46,377**	**1,85,876**	**2,03,986**	**2,34,026**
राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)0.84	(-)0.86	26.98	9.74	14.73
कर राजस्व (₹ करोड़ में)	**1,05,342**	**1,01,373**	**1,35,779**	**1,47,154**	**1,79,389**
स्वयं के कर राजस्व	55,824	54,459	66,237	72,611	90,724
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	49,518	46,914	69,542	74,543	88,665
करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)	**10,349**	**9,902**	**15,305**	**19,878**	**19,926**
राजस्व की संवृद्धि दर (कर एवं करेत्तर राजस्व) (प्रतिशत)	(-)3.81	(-)3.82	35.78	10.56	19.33
भारत सरकार से सहायतानुदान (₹ करोड़ में)	**31,952**	**35,102**	**34,792**	**36,954**	**34,711**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	**9,27,855**	**9,46,628**	**10,92,964**	**12,46,471**	**13,63,327**

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	11.82	2.02	15.46	14.05	9.37
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य़ घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	15.91	15.46	17.01	16.37	17.17
उत्प्लावकता अनुपात[13]					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	--*	--*	1.75	0.69	1.57
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य की कर राजस्व उत्प्लावकता	--*	--*	2.20	0.60	2.34

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी
(*नकारात्मक आंकडो को इंगित करता है)

तालिका 2.3 दर्शाती है कि राजस्व प्राप्तियां 2019–20 में ₹1,47,643 करोड़ से 2023–24 में ₹2,34,026 करोड़ तक 58.51 प्रतिशत से बढ़ी। 2019–20 के दौरान, राज्य के कर राजस्व संसाधनों से लगभग 71 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां आयीं, जबकि करेत्तर राजस्व एवं सहायतानुदान ने 29 प्रतिशत का योगदान दिया। वर्ष 2023–24 में, राज्य के कर राजस्व संसाधनों से लगभग 77 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां आयीं, और करेत्तर राजस्व एवं सहायतानुदान ने मिलकर 23 प्रतिशत का योगदान दिया।

कुल मिलाकर, भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान 2019–24 के दौरान 8.63 प्रतिशत से बढ़ा, हालांकि, सहायतानुदान में 2023–24 में 2022–23 की तुलना में 6.07 प्रतिशत से कमी आई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता 2022–23 में 0.69 से बढकर 2023–24 में 1.57 हो गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राज्य की स्वयं की राजस्व उत्प्लावकता भी 2022–23 में 0.60 से बढकर 2023–24 में 2.34 हो गई।

राजस्व स्रोतो में विविधता लाना और स्थानीय कर आधार को मजबूत करना सतत् राजकोषीय स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक है।

चार्ट 2.4 में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है:

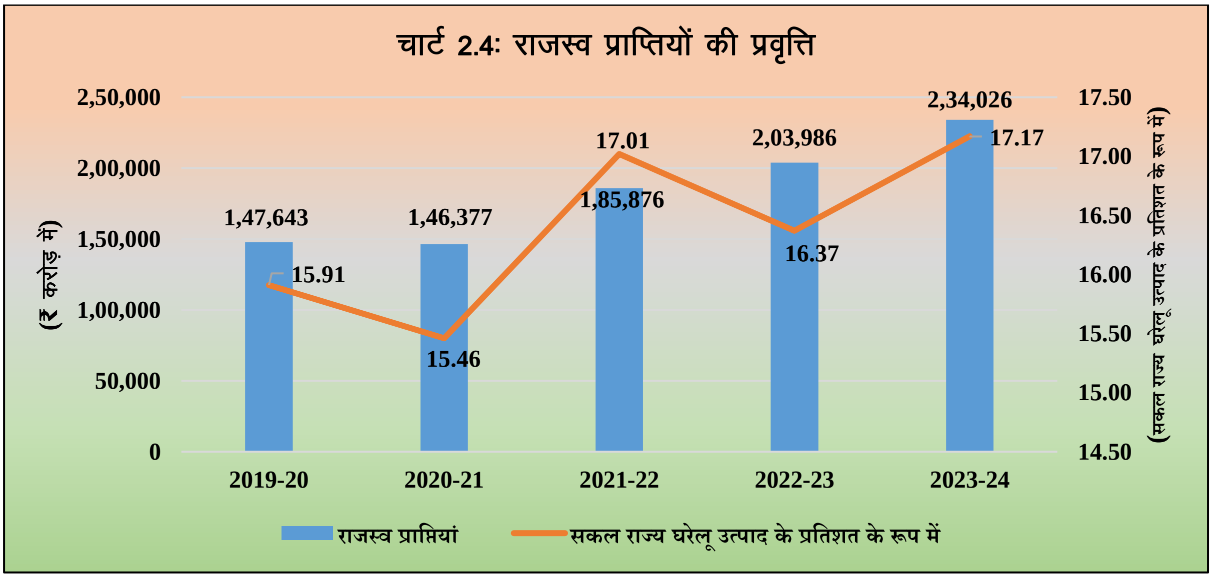

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी

[13] उत्प्लावकता अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्तनीयता की लोच या डिग्री की गतिशीलता को इंगित करता है। उदाहरण के लिए, 2023–24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्पलावकता 1.57 का अर्थ है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक से वृद्धि होने पर राजस्व प्राप्ति में 1.57 से वृद्धि होती है।

चार्ट 2.5 में राजस्व प्राप्तियों के संघटको की प्रवृत्तियां दी गयी है:

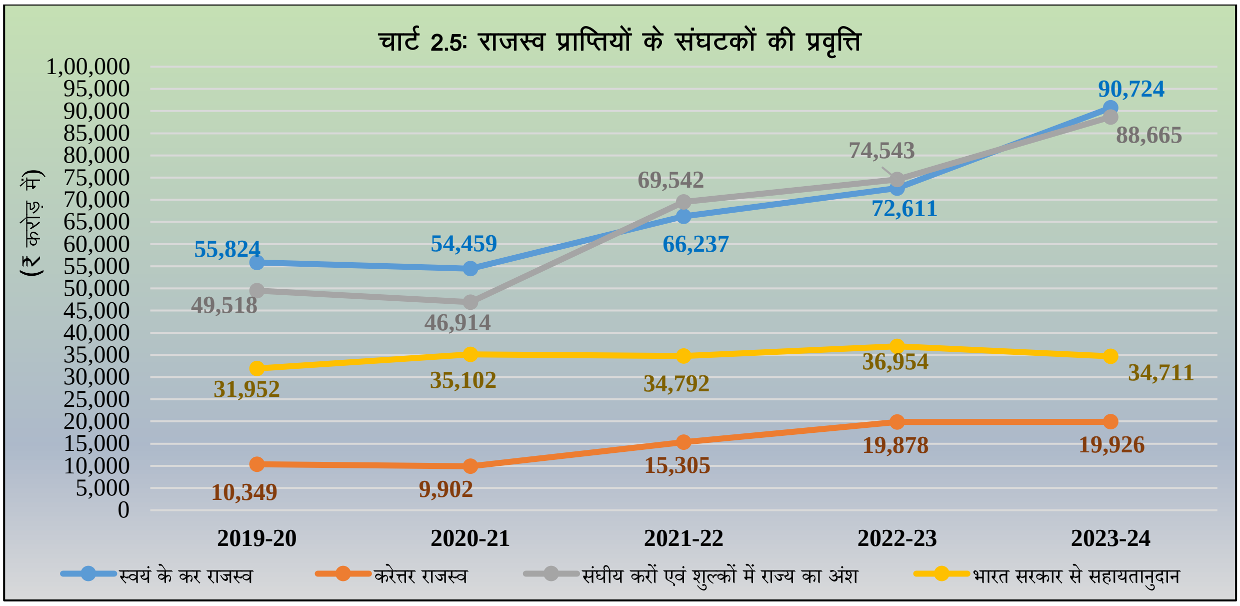

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.6.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केन्द्र सरकार से सहायतानुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण की प्रमात्रा एवं योजनाओं के लिये प्रत्याशित केन्द्रीय सहायता के द्वारा होता है। अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके स्वयं के संसाधनों जिसमें, कर एवं करेत्तर स्रोतो से प्राप्त राजस्व शामिल है, के आधार पर करना चाहिए।

2019–24 के दौरान मुख्य कर एवं करेत्तर राजस्व के संदर्भ में सकल संग्रहण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका सापेक्ष अंश ***परिशिष्ट 2.1*** में दिया गया है।

2.6.2.1 स्वयं के कर राजस्व

पांच साल की अवधि 2019–24 के दौरान राज्य शासन का स्वयं का कर राजस्व **चार्ट 2.6** में दिया गया है:

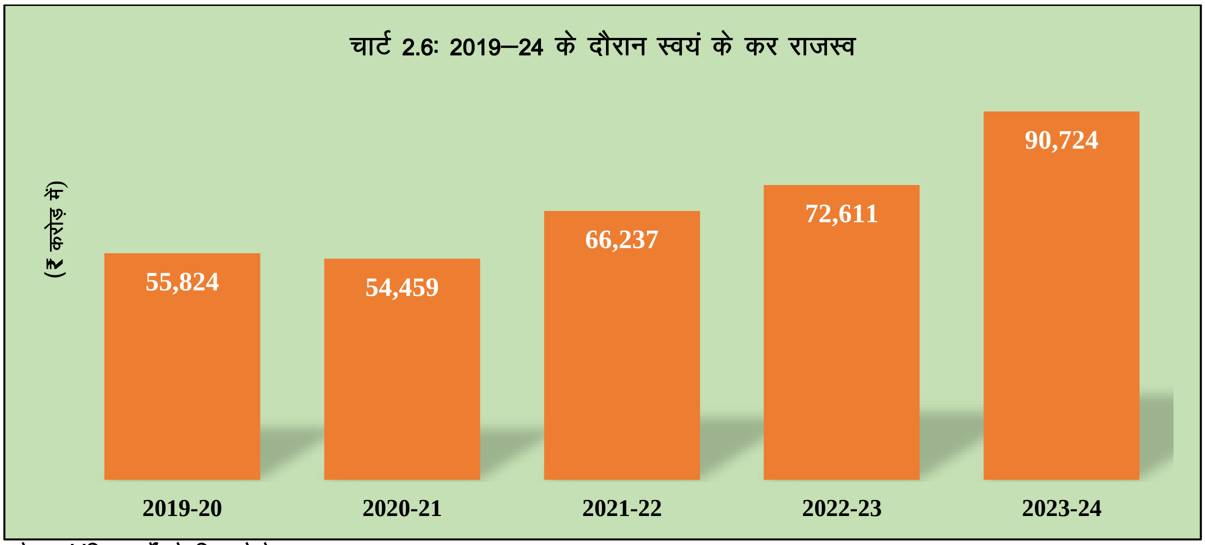

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019–24 के दौरान एकत्र किए गए स्वयं के कर राजस्व का घटक–वार विवरण **तालिका 2.4** में दिया गया हैं:

तालिका 2.4: 2019–24 के दौरान घटक–वार स्वयं के कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	11,258	13,296	16,185	17,719	17,863
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	20,448	17,258	22,028	23,397	37,791
राज्य उत्पाद शुल्क	10,829	9,526	10,334	12,955	13,524
वाहन कर	3,251	2,749	3,029	4,028	4,606
स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क	5,569	6,817	8,098	8,812	10,331
भू–राजस्व	562	504	733	956	1,079
माल तथा यात्री पर कर	145	75	64	59	31
विद्युत पर कर एवं शुल्क	2,268	2,608	4,582	3,498	4,207
अन्य कर[14]	1,494	1,626	1,184	1,187	1,292
योग	**55,824**	**54,459**	**66,237**	**72,611**	**90,724**
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	9,27,855	9,46,628	10.92.964	12,46,471	13,63,327
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वयं के कर राजस्व	6.02	5.75	6.06	5.83	6.65

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019–24 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 62.52 प्रतिशत से वृद्धि हुई। स्वयं के कर राजस्व में 2019–20 में ₹55,824 करोड़ से 2020–21 में ₹54,459 करोड़ तक मामूली कमी आई थी। 2020–21 को छोड़कर, पांच वर्षों के दौरान स्वयं के कर राजस्व में लगातार वृद्धि हुई।

वर्तमान वर्ष के दौरान, स्वयं के कर राजस्व के प्रमुख योगदानकर्ता **(चार्ट 2.7)** राज्य वस्तु एवं सेवा कर (41.65 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर (19.69 प्रतिशत) और राज्य आबकारी (14.91 प्रतिशत) थे।

चार्ट 2.7: स्वयं के कर राजस्व के मुख्य योगदानकर्ता

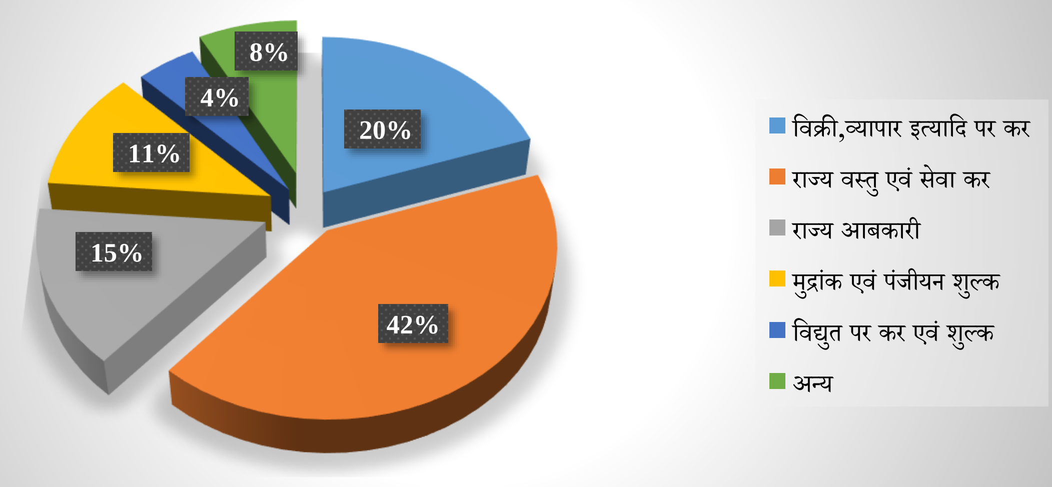

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

[14] अन्य करों में कृषि भूमि के अलावा अचल संपत्ति पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर और वस्तुओं तथा सेवाओं पर शुल्क शामिल हैं।

2.6.2.2 केंद्र से निधियों का अंतरण

केंद्र सरकार से निधियों का अंतरण वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है और यह केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और केंद्र से अनुदान के रूप में होता है।

तेरहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत तय की, जिसमें से मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 7.120 प्रतिशत थी। चौदहवें वित्त आयोग ने 2015–16 से केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी पहले प्राप्त 32 प्रतिशत के स्थान पर 42 प्रतिशत तय की। राज्य की उपरोक्त 42 प्रतिशत हिस्सेदारी में से, मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 2016–17 से 2020–21 की अवधि के दौरान 7.548 प्रतिशत थी। इसके अलावा, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत तय की, जिसमें से मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 7.850 प्रतिशत थी। इसलिए, 2015–16 के बाद से केंद्र से निधि का अंतरण बढ़ गया, जैसा कि **चार्ट 2.8** एवं **तालिका 2.5** में दिखाया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2020–21 से केंद्रीय करों के 41 प्रतिशत हिस्से की सिफारिश की।

चार्ट 2.8: केंद्र से अंतरण की प्रवृत्तियां

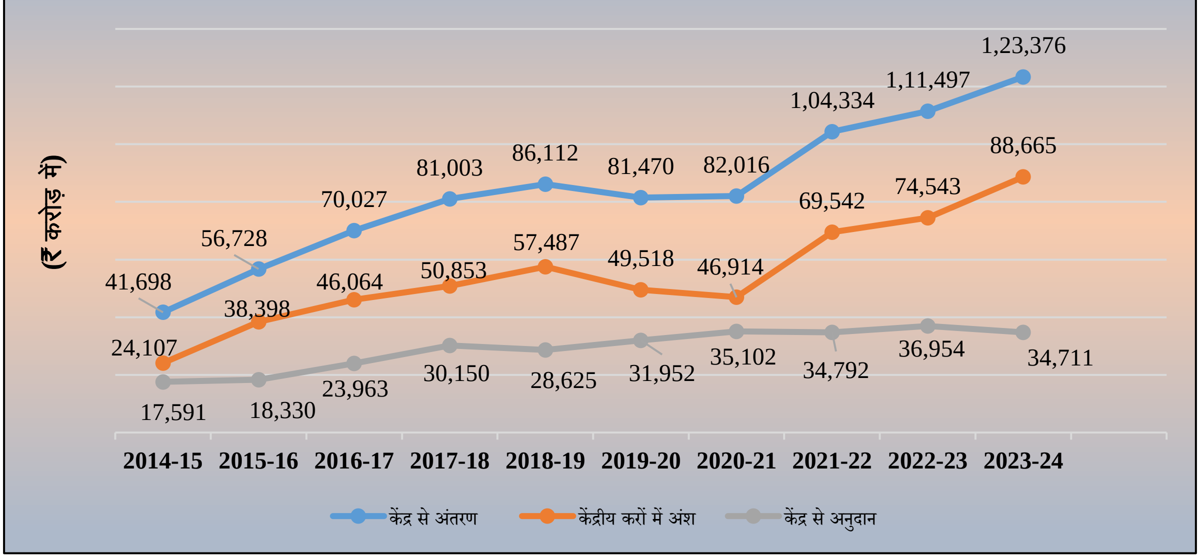

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.5: केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश; वित्त आयोग के अनुमान के सापेक्ष वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग अनुमान	वित्तीय समेकित रोडमैप में अनुमान	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
2014-15	तेरहवें वित्त आयोग ने 2011–12 से 2015–16 के दौरान मध्य प्रदेश के लिए केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्सेदारी 7.120 प्रतिशत की सिफारिश की थी	27,681.23	24,106.99	-3,574.24
2015-16		30,449.65	38,397.84	7,948.19
2016-17	चौदहवें वित्त आयोग ने 2016–17 से 2020–21 के दौरान मध्य प्रदेश के लिए केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्सेदारी 7.548 प्रतिशत की सिफारिश की थी	43,676.36	46,064.10	2,387.74
2017-18		51,106.32	50,853.07	-253.25
2018-19		59,489.92	57,487.01	-2,002.91
2019-20		63,750.81	49,517.61	-14,233.20
2020-21		46,025.00	46,913.75	888.75
2021-22		52,246.68	69,541.50	17,294.82
2022-23		64,106.99	74,542.85	10,435.86

वर्ष	वित्त आयोग अनुमान	वित्तीय समेकित रोडमैप में अनुमान	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
2023-24	पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021–22 से 2025–26 के दौरान केंद्रीय करों और शुल्कों में 7.850 प्रतिशत हिस्सेदारी की सिफारिश की	80,183.67	88,665.34	8,481.67

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन तथा वित्त आयोगों की अनुशंसाएं

केंद्रीय कर अंतरण

2019–24 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य शासन को किए गए अंतरण का विवरण **तालिका 2.6** में दिया गया है:

तालिका 2.6: केंद्रीय कर अंतरण की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	14,052	13,947	19,855	21,064	26,909
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	-	-
निगम कर	16,884	14,155	20,563	24,991	26,613
निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	13,229	14,512	20,589	24,399	30,735
सीमा शुल्क	3,139	2,495	4,950	2,930	3,107
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2,182	1,577	2,647	919	1,176
सेवा कर	-	203	863	117	16
सम्पत्ति पर कर	1	-	4	-	-
उत्पादों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	31	25	71	123	109
आय और व्यय पर अन्य कर	-	-	-	-	-
कुल केन्द्रीय कर अंतरण	**49,518**	**46,914**	**69,542**	**74,543**	**88,665**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/कमीं (-) का प्रतिशत	(-)13.86	(-)5.26	48.23	7.19	18.95
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष केंद्रीय कर अंतरण का प्रतिशत	33.54	32.00	37.41	36.54	37.89

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2020–21 को छोड़कर केंद्रीय कर अंतरण 2019–20 में ₹49,518 करोड़ से 2023–24 में ₹88,665 करोड़ तक लगातार बढ़ा । पिछले वर्ष की तुलना में 2023–24 में केंद्रीय कर अंतरण में ₹14,122 करोड़ से वृद्धि मुख्य रूप से केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत (₹5,845 करोड़ की वृद्धि) एवं निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर (₹6,336 करोड़ की वृद्धि) के अंतर्गत थी।

2.6.2.3 राज्य वस्तु एवं सेवा कर

वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण 2022–23 में ₹23,396.79 करोड़ की तुलना में 2023–24 में ₹37,791.04 करोड़ तक ₹14,394.25 करोड़ (61.52 प्रतिशत) से वृद्धि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, राज्य को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत राज्य को सौंपी गई शुद्ध आय के हिस्से के रूप में ₹26,908.80 करोड़ प्राप्त हुए। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹64,699.84 करोड़ थीं। राज्य को वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के कारण 2023–24 के दौरान राजस्व प्राप्ति के रूप में ₹2,613.48 करोड़ की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई।

2.6.2.4 बकाया राजस्व और बकाया आंकलन का विश्लेषण

राजस्व की बकाया राशि शासन को देय राजस्व आंकलन में देरी को इंगित करता है। इसी प्रकार, आंकलन का बकाया संभावित राजस्व को इंगित करता है, जो आंकलन में देरी के कारण अवरूद्ध है। दोनों ही राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

बकाया राजस्व

31 मार्च 2024 तक, प्रमुख राजस्व शीर्षों के संदर्भ में राजस्व की बकाया राशि ₹1,091.94 करोड़ थी, जिसमें से ₹357.98 करोड़ पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया थी, जैसा कि **तालिका 2.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2024 तक बकाया राशि	31 मार्च 2024 तक पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1	राज्य आबकारी	827.30	314.99
2	खनन	264.64	42.99
	योग	**1,091.94**	**357.98**

स्रोतः विभागीय जानकारी

अन्य विभागों से अनुरोध किये जाने (जुलाई 2024 इसके बाद सितम्बर 2024 में अनुस्मारक दिये जाने) के बावजूद बकाया राजस्व एवं आंकलन से संबंधित विवरण प्रस्तुत (अक्टूबर 2024) नही किये।

आंकलन में बकाया

वर्ष के प्रारंभ में लंबित प्रकरणों की संख्या, आंकलन के कारण बनने वाले प्रकरणों, वर्ष के दौरान निपटाये गये मामलों और वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने के लिए लंबित प्रकरणों की संख्या, जैसा कि मुद्रांक एवं पंजीयन और वाणिज्यिक विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी को **तालिका 2.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: आंकलन में बकाया

राजस्व शीर्ष	2023–24 के प्रारंभ में लंबित प्रकरणों की संख्या	2023–24 दौरान आंकलन के लिए देय नये प्रकरण	आंकलन के लिए देय कुल प्रकरण	2023–24 के दौरान निपटाये गये प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	निपटान का प्रतिशत
राज्य आबकारी	536	37	573	18	555	3.14
बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर वैट/कर	8,261	9,843	18,104	10,313	7,791	56.97
वस्तु एवं सेवा कर	7,183	26,865	34,048	29,006	5,042	85.19

स्रोतः विभागीय जानकारी

2.6.2.5 कर अपवंचन

राजस्व विभागों द्वारा कर अपवंचन के प्रकरणों का पता लगाना, प्रकरणों को अंतिम रूप देना और अतिरिक्त कर की मांग उठाना राज्य शासन के राजस्व संग्रहण के लिए किये गये प्रयासों के महत्त्वपूर्ण संकेतक हैं। वापसी प्रकरणों के निस्तारण में तत्परता विभागीय निष्पादन का एक संकेतक है। वापसी के प्रकरणों का

उच्च अवलंबन, लाल फीताशाही, निहित स्वार्थों, स्पीड मनी की व्यापकता, इत्यादि का संकेत हो सकते हैं।

31 मार्च 2024 तक, कर अपवंचन के प्रकरणों की जांच, प्रकरणों को अंतिम रूप देना और अतिरिक्त कर की मांग को उठाने संबंधी विवरण नीचे **तालिका 2.9** में दिया गया है:

तालिका 2.9: कर अपवंचन जाँच

राजस्व की प्रकृति	31.03.2023 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या	2023–24 के दौरान पता चले प्रकरणों की संख्या	कुल प्रकरणों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें जांच पूरी हुई और जुर्माना सहित अतिरिक्त मांग को उठाया गया		31.03.2024 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या
				प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	13,747	9,328	23,075	8,569	118.70	14,506
खनन	8,990	9,010	18,000	7,599	70.30	10,401
कुल	**22,737**	**18,338**	**41,075**	**16,168**	**189.00**	**24,907**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय जानकारी

अन्य विभागों से अनुरोध किये जाने (जुलाई 2024 इसके बाद सितम्बर 2024 में अनुस्मारक दिये जाने) के बावजूद कर अपवंचन से संबंधित विवरण प्रस्तुत (अक्टूबर 2024) नही किये।

तालिका 2.10 वाणिज्यिक विभाग तथा मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग के वापसी प्रकरणों का विवरण दर्शाती है।

तालिका 2.10: वापसी प्रकरणों का विवरण

स. क्र.	विवरण	वस्तु एवं सेवा कर		बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट		मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष 2023–24 के प्रारंभ में बकाया दावे	180	114.34	390	130.23	5,033	20.52
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	5,117	1,952.39	1387	215.81	14,108	70.61
3	वर्ष के दौरान की गई वापसियां	4,280	1,680.85	1385	338.84	14,251	68.86
4	वर्ष के दौरान खारिज की गई वापसियां	758	246.92	0	0	0	0
5	वर्ष 2023–24 के अंत में बकाया शेष	259	138.96	392	7.19	4,890	22.27

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त जानकारी

अन्य विभागों से अनुरोध किये जाने (जुलाई 2024 इसके बाद सितम्बर 2024 में अनुस्मारक दिये जाने) के बावजूद कर अपवंचन से संबंधित विवरण प्रस्तुत (अक्टूबर 2024) नही किये।

2.6.2.6 करेत्तर राजस्व

वर्ष 2019–24 के दौरान एकत्र किए गए करेत्तर राजस्व का घटक–वार विवरण **तालिका 2.11** में दिया गया हैं:

तालिका 2.11: 2019–24 के दौरान घटक–वार करेत्तर राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	4,320	4,557	6,180	7,360	9,171
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,060	1,383	3,019	1,840	2,545
वानिकी एवं वन्य जीवन	833	1,240	1,406	1,395	1,421
ब्याज प्राप्तियां	443	243	1,644	4,569	1,934
लाभांश एवं लाभ	476	288	139	160	291
अन्य करेत्तर प्राप्तियां	2,217	2,191	2,917	4,554	4,564[15]
योग	**10,349**	**9,902**	**15,305**	**19,878**	**19,926**
राजस्व प्राप्तियां	**1,47,643**	**1,46,377**	**1,85,876**	**2,03,986**	**2,34,026**
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	7.01	6.76	8.23	9.74	8.51

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

करेत्तर राजस्व, पाँच वर्षों की अवधि 2019–20 से 2023–24 के दौरान जो अंतरवर्षीय उतार–चढ़ाव के साथ राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का सात से 10 प्रतिशत के मध्य था। 2023–24 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में यह ₹48 करोड़ से मामूली बढ़ा, और करेत्तर राजस्व के प्रमुख योगदानकर्ता अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग (46.03 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (12.77 प्रतिशत), फसल कर्म (9.79 प्रतिशत) और ब्याज प्राप्तियां (9.71 प्रतिशत) थे।

चार्ट 2.9: करेत्तर राजस्व के मुख्य योगदानकर्ता

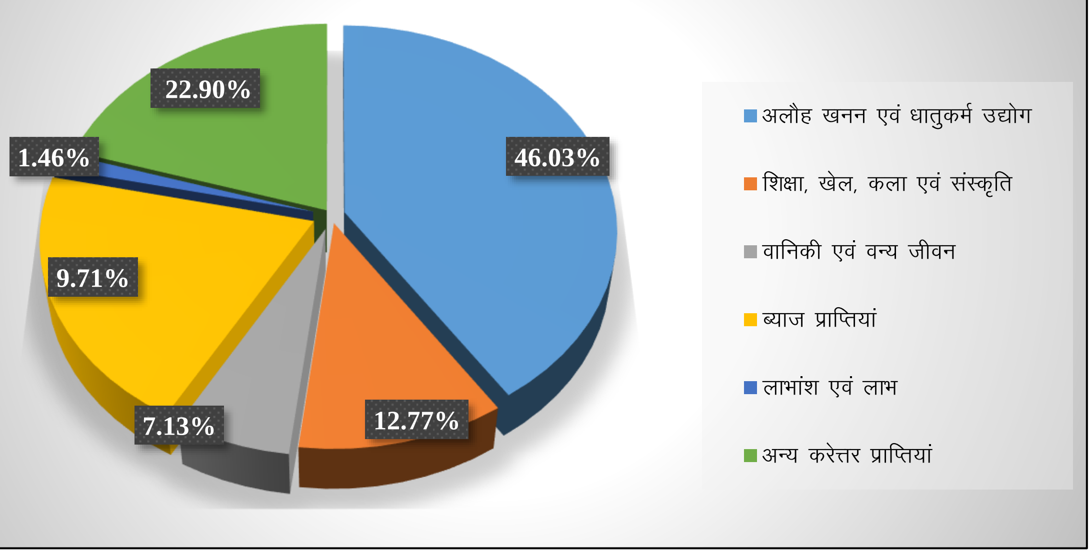

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

15 इसमें फसल कर्म (₹1,951.16 करोड़), लघु सिंचाई (₹325.78 करोड़), ऊर्जा (₹352.66 करोड़), पुलिस (₹293.32 करोड़), मध्यम सिंचाई (₹213.84 करोड़), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (₹200.24 करोड़), अन्य प्रशासनिक सेवाएं (₹224.65 करोड़) और अन्य प्राप्तियां (₹1,002.35 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियां शामिल हैं।

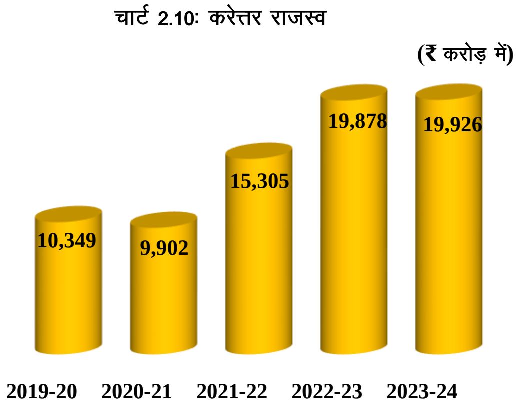

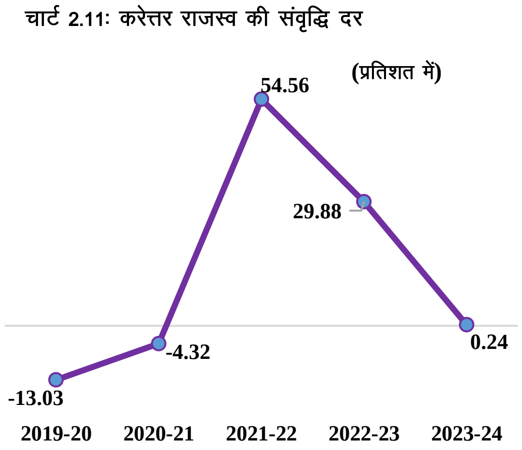

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2023–24 के दौरान, करेत्तर राजस्व में मामूली वृद्धि मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत थी

- "अन्य निवेश से लाभांश" में वृद्धि के कारण लाभांश एवं लाभ ₹131 करोड़ (81.88 प्रतिशत) से बढ़ा;
- "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों से ब्याज" में कमी के कारण ब्याज प्राप्तियों में ₹2,635 करोड़ (57.62 प्रतिशत) की कमी के कारण करेत्तर राजस्व में मामूली वृद्धि थी।
- "सामान्य शिक्षा" के अंतर्गत "प्रारंभिक शिक्षा" में वृद्धि के कारण शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति में ₹704 करोड़ (38.27 प्रतिशत) से वृद्धि हुई और,
- "खनिज रियायत शुल्क, किराए और रॉयल्टी" में वृद्धि के कारण अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग में ₹1,811 करोड़ (24.61 प्रतिशत) से वृद्धि हुई।

2.6.2.7 भारत सरकार से सहायतानुदान

राज्य सरकार वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित सहायतानुदान एवं केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यों के अंश प्राप्त करती है। राज्य को भारत सरकार से दिये गये सहायतानुदान का विवरण नीचे **तालिका 2.12** में दिया गया है:

तालिका 2.12: भारत सरकार से सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण[16]	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केंद्र प्रायोजित योजनाएं	19,548	21,340	25,488	26,291	25,855
राज्यों को अन्य अनुदान (वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के कारण हुयी राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए एवं राष्ट्रीय आपदा विमोचन निधि में अंशदान के लिए अनुदान)	6,327	7,185	3,695	5,169	3,550
वित्त आयोग अनुदान	6,078	6,577	5,609	5,495	5,306
योग	**31,953**	**35,102**	**34,792**	**36,955**	**34,711**

[16] लेखा–महानियंत्रक ने 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी सहायता अनुदान के वर्गीकरण को पुनरीक्षित किया है। हालांकि, मध्य प्रदेश के लेखों में 1 अप्रैल 2019 से पुनरीक्षण प्रभावी किया गया।

विवरण[16]	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत	11.63	9.86	(-)0.88	6.22	(-)6.07
राजस्व प्राप्तियां	1,47,643	1,46,377	1,85,876	2,03,986	2,34,026
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	21.64	23.98	18.72	18.12	14.83

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

भारत सरकार से सहायतानुदान में 2019–20 में ₹31,953 करोड़ से 2023–24 में ₹34,711 करोड़ तक की वृद्धि हुई। आयोजना एवं आयोजनेत्तर वर्गीकरण को वित्त वर्ष 2019–20 से वार्षिक लेखों से समाप्त कर दिया गया था एवं भारत सरकार से दिया जाने वाला सहायतानुदान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, वित्त आयोग अनुदान एवं अन्य अनुदानों की निधियों के रूप में दिया गया।

2023–24 में भारत सरकार से सहायतानुदान में पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,244 करोड़ (6.07 प्रतिशत) की कमी, मुख्यतः "वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए क्षतिपूर्ति" में कमी के कारण थी।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान

2023–24 के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ₹25,855 करोड़ के अनुदान मे से, मुख्य राशियां दी गईः

- सामान्य शिक्षा–सर्व शिक्षा अभियान/समग्र शिक्षा अभियान (₹3,376 करोड़–पिछले वर्ष की तुलना में 4535 प्रतिशत की वृद्धि);
- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य– आयुष का राष्ट्रीय मिशन (₹451 करोड़–पिछले वर्ष की तुलना में 49 प्रतिशत की कमी);
- आवास–प्रधान मंत्री आवास योजना (₹1,532 करोड़ पिछले वर्ष की तुलना में 81 प्रतिशत की कमी);
- जलापूर्ति, सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, –जल जीवन मिशन (₹5,448 करोड़–पिछले वर्ष की तुलना में 93 प्रतिशत की वृद्धि)।

2.6.2.8 सिंगल नोडल एजेंसी

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र सं. 1(13) पी.एफ.एम.एस./एफ.सी.डी./2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के द्वारा सिंगल नोडल एजेंसी के माध्यम से जारी निधियों के उपयोग की निगरानी तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत निधि के जारी होने की प्रक्रिया अधिसूचित की थी। राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए प्रत्येक केन्द्रीय प्रायोजित योजना हेतु सिंगल नोडल एजेंसी की, अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अपने बैंक खाते के साथ स्थापना की जाती है। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने लेखे में प्राप्त केन्द्रांश को संबंधित राज्यांश के साथ संबंधित सिंगल नोडल एजेंसी के खाते में अंतरण करना होता है।

सिंगल नोडल एजेंसी रिपोर्ट[17] 01 के अनुसार राज्य सरकार को वर्ष 2023–24 के दौरान अपने कोषालय लेखे में केन्द्रांश के रूप में ₹15,423.14 करोड़ (वित्त लेखे के अनुसार ₹25,855.29 करोड़) प्राप्त हुआ। 31 मार्च 2024 को, राज्य शासन ने लेखों में प्राप्त केन्द्रांश ₹18,026.39 करोड़ एवं राज्यांश ₹17,319.56 करोड़ सिंगल नोडल एजेंसी को अंतरित किया। महालेखाकार कार्यालय को सिंगल नोडल एजेंसी से वास्तविक व्यय के विस्तृत प्रमाणक तथा समर्थित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। जैसा राज्य

[17] लोक वित्तीय प्रबधंन प्रणाली से व्युत्पन्न ।

सरकार/सिंगल नोडल एजेंसी द्वारा सूचित किया गया कि 31 मार्च 2024 तक सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में ₹9,194.05 करोड़ अव्ययित पड़े हुए हैं।

2.7 पन्द्रहवां वित्त आयोग अनुदान

पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुसार स्थानीय निकायों एवं राज्य आपदा मोचन निधि के लिए राज्यों को अनुदान प्रदान किया जाता है। स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थानों एवं नगरीय स्थानीय निकायों) के लिए अनुदान, पहले भारत सरकार से राज्य के लिये अंतरित होते है और वही अनुदान तब राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के लिए अंतरित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में दिये गये अनुदानों का विवरण **तालिका 2.13** में दिया गया है:

तालिका 2.13: अनुशंसित राशि, वास्तविक जारी एवं अंतरित सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

अंतरण		2023–24 के लिए पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें	2023–24 के दौरान भारत सरकार द्वारा वास्तविक जारी	राज्य शासन द्वारा जारी
(i) पंचायती राज संस्थानों को अनुदान		**3,083.00**	**3,529.59@**	**3,529.59**
(अ) संबद्ध अनुदान[18]		1,849.80	1,751.75	1,751.75
(ब) असंबद्ध अनुदान[19]		1,233.20	1,777.83	1,777.83
(ii) नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान		**1,588.00**	**1,054.54#**	**1,054.54**
(अ) दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर (परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए)		495.00	318.54	318.54
(ब) दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए)		निरंक	निरंक	निरंक
(स) दस लाख से कम आबादी वाले शहर (स्थानीय आवश्यकताओं के लिए असंबद्ध अनुदान)		1,093.00	736.00	736.00
(द) दस लाख से कम आबादी वाले शहर (पेय जल, वर्षा जल संचयन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता के लिए संबद्ध अनुदान)		निरंक	निरंक	निरंक
राज्य आपदा मोचन निधि	केन्द्रांश	**2,007.00**	**1,997.40**	**1,169.93**
	राज्यांश	**669.00**	**665.60**	**-**
राज्य आपदा मोचन निधि के लिए कुल		**2,676.00**	**2,663.00**	**1,169.93**
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान		**969.27**	**446.61**	**885.63***

स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी

@ वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ₹2,135 करोड़ सहित वित्त वर्ष 2023–24 में ₹1,394.59 करोड़ पंचायती राज संस्थानों के लिए प्राप्त अनुदान।

 # वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ₹835.54 करोड़ सहित वित्त वर्ष 2023–24 में ₹219.00 करोड नगरीय स्थानीय निकायों के लिए अनुदान।

*** स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2022–23 के विरुद्ध वर्ष 2022–23 में ₹439.02 करोड़ तथा वर्ष 2023–24 में ₹446.61 करोड़ प्राप्त हुए। दोनों राशियों को मिलाकर वर्ष 2023–24 में राज्य शासन द्वारा कुल ₹885.63 करोड़ की राशि जारी की गई।**

2022–24 की अवधि के लिये पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के लिए ₹4,671 करोड़ के अनुशंसित अनुदान के विरूद्ध भारत सरकार ने मध्य प्रदेश शासन को ₹86.87 करोड़ कम जारी किए। इसके अलावा, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने 2023–24 की अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत ₹2,676.00 करोड़ की अनुशंसा की, जिसके विरूद्ध भारत सरकार ने राज्य को ₹13.00 करोड़ कम जारी किये।

---

18 संबद्ध अनुदानों का उपयोग मूलभूत सेवाओं जैसे पेयजल, वर्षा जल संचयन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता के लिए किया जा सकता है।

19 असंबद्ध अनुदानों का उपयोग स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है।

2.8 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश प्रक्रिया से प्राप्तियां, कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋणों, वित्त संस्थानों एवं वाणिज्यिक बैंकों से उधारियां) और भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम शामिल हैं।

पांच साल की अवधि 2019–24 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन की पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण नीचे **तालिका 2.14** में दिया गया है:

तालिका 2.14 पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	14	14	1,598	47	4
2	अंतर्राज्यीय परिशोधन	-	-	1	(-)1	0
3	कर्जो और अग्रिमों की वसूली	46	58	62	1,458	372
4	**ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)**	**60**	**72**	**1,661**	**1,504**	**376**
5	ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)27.71	20.00	2,206.94	(-)9.45	**(-)75**
6	आंतरिक ऋण	29,496	54,242	33,671	48,202	50,108
7	आंतरिक ऋण की वृद्धि दर	2.77	83.90	(-)37.92	43.16	3.95
8	केंद्र सरकार से प्राप्त कर्ज और अग्रिम	4,868	10,929[20]	12,614[21]	10,665	15,072
9	केंद्र सरकार से प्राप्त कर्जो और अग्रिमों की वृद्धि दर	28.24	124.51	15.42	(-)15.45	41.32
10	**लोक ऋण प्राप्तियां (6+8)**	**34,364**	**65,171**	**46,285**	**58,867**	**65,180**
11	**पूंजीगत प्राप्तियां (4+10)**	**34,424**	**65,243**	**47,946**	**60,371**	**65,556**
12	लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.75	89.65	(-)28.98	27.18	10.72
13	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.82	2.02	15.46	14.05	9.37
14	पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.66	89.53	(-)26.51	25.91	8.59

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य शासन की पूंजीगत प्राप्तियों में 2022–23 में ₹60,371 करोड़ से 2023–24 में ₹65,556 करोड़ तक 8.59 प्रतिशत से वृद्धि हुई जो मुख्यतः आंतरिक ऋण में 2022–23 में ₹48,202 करोड़ से 2023–24 में ₹50,108 करोड़ तक (चार प्रतिशत) की वृद्धि के कारण थी।

2.9 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों के जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन वर्ष 2023–24 के लिए स्वयं के कर और करेत्तर स्रोत शामिल कर उसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है।

[20] इसमें से ₹4,542 करोड़ रुपये वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैक–टू–बैक ऋण से संबंधित हैं।
[21] इसमें से ₹7,011 करोड़ रुपये वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैक–टू–बैक ऋण से संबंधित हैं।

तालिका 2.15: अनुमान के सापेक्ष स्वयं के कर एवं करेत्तर प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक	वास्तविक से भिन्नता का प्रतिशत	
				पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान
स्वयं के कर राजस्व	71,188	86,500	90,724	27.44	4.88
करेत्तर राजस्व	18,641	14,913	19,926	6.89	33.61
योग	**89,829**	**1,01,413**	**1,10,650**	**23.18**	**9.11**

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24, पन्द्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन और बजट अनुमान

तालिका 2.15 से, यह देखा जा सकता है कि राज्य शासन ने संसाधन जुटाने के लिए बजट अनुमानों में निर्धारित लक्ष्यों को 9.11 प्रतिशत से अधिक प्राप्त किया, जिसमें, प्रमुख योगदान करेत्तर राजस्व से था, जहां वास्तविक प्राप्ति अनुमान से ₹5,013 करोड़ (33.61 प्रतिशत) अधिक थी।

2.10 संसाधनों का अनुप्रयोग

राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के अन्तर्गत व्ययों को उठाने का उत्तरदायित्व राज्य शासन में निहित है, जबकि उसी समय यह सुनिश्चित करना कि राज्य की राजकोषीय सुधार और समेकन की चल रही प्रक्रिया पूंजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में किये गये व्यय की कीमत पर नहीं हो। यह कंडिका, उप–कंडिकाओं के साथ, राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण देता है।

2.10.1 व्यय की संवृद्धि और संरचना

राजस्व व्ययः रखरखाव, मरम्मत, वस्तुओं के रखरखाव एवं कामकाजी व्यय पर शुल्क, जो कि संपत्तियों को चालू अवस्था में बनाये रखने के लिए आवश्यक है साथ ही स्थापना और प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन के दिन प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गये अन्य सभी व्ययों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

पूंजीगत परिव्ययः किसी परियोजना के पहले निर्माण के सभी शुल्कों के साथ–साथ सेवा के लिए नहीं खोले जाने वाले कार्य के मध्यवर्ती रखरखाव के लिए शुल्क और ऐसे अतिरिक्त परिवर्धन और सुधारों के लिए शुल्क जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये गये नियमों के तहत स्वीकृत किये जा सकते हैं, उन्हें पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

कर्ज एवं अग्रिमः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य पक्षों के लिए सरकार द्वारा दिये गये कर्ज एवं अग्रिम।

वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान कुल व्यय, इसकी संरचना एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनकी सापेक्ष हिस्सेदारी **तालिका 2.16** में प्रस्तुत की गई हैः

तालिका 2.16: कुल व्यय और इसके संघटक

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय	**1,80,671**	**1,96,319**	**2,25,024**	**2,46,692**	**2,78,887**
राजस्व व्यय	1,50,444	1,64,733	1,81,061	1,99,895	2,21,538
पूंजीगत परिव्यय	29,241	30,356	40,733	44,438	56,539
कर्ज और अग्रिम	987	1,230	3,229	2,360	810
अंतर्राज्यीय समाशोधन	(-)0.62	(-)0.25	1	(-)0.95	(-)0.23
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	9,27,855	9,46,628	10,92,964	12,46,471	13,63,327

मापदण्ड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	19.47	20.35	20.59	19.79	20.46
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	16.21	17.40	16.57	16.04	16.25
पूंजीगत परिव्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.15	3.21	3.73	3.57	4.15
कर्ज तथा अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.11	0.13	0.30	0.19	0.06

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य का कुल व्यय 2019–20 में ₹1,80,671 करोड़ से 2023–24 में ₹2,78,887 करोड़ तक 54 प्रतिशत से बढ़ा। 2023–24 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में यह 13.05 प्रतिशत से बढ़ा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, 2019–24 के दौरान कुल व्यय अंतरवर्षीय उतार चढाव के साथ 19.47 प्रतिशत से 20.46 प्रतिशत तक बढ़ा।

चार्ट 2.12 और **2.13**, 2019–24 की अवधि में राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय की प्रवृत्तियां प्रस्तुत करते हैं जबकि **चार्ट 2.14** कुल व्यय में घटकों के हिस्सेदारी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट 2.12: 2019–24 के दौरान राजस्व व्यय की प्रवृत्तियां

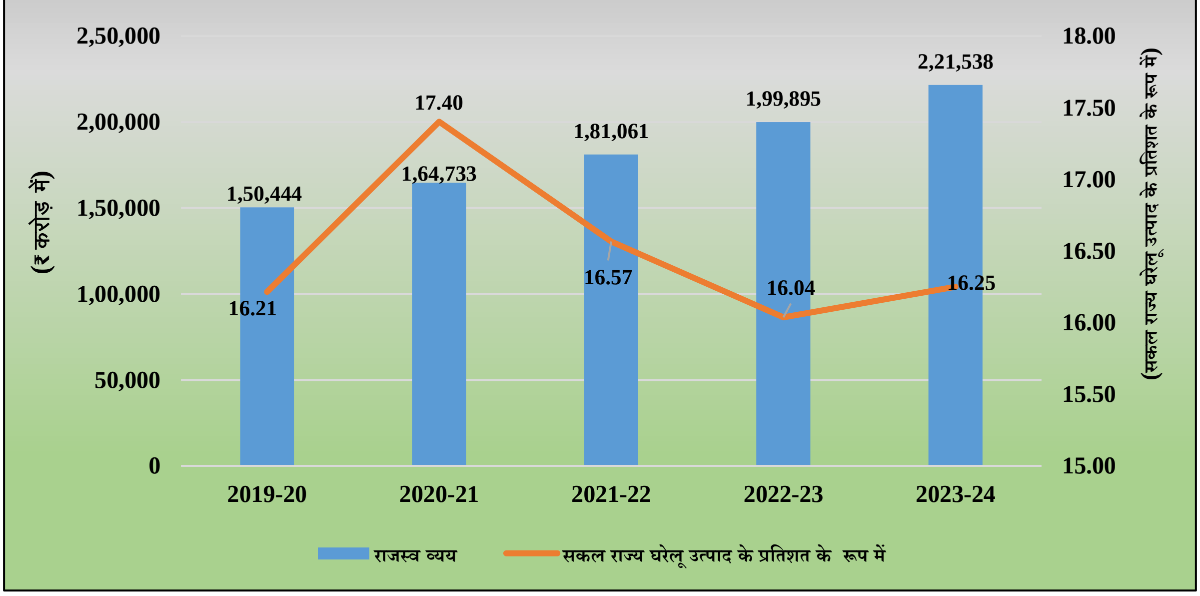

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी

चार्ट 2.13: 2019–24 के दौरान पूंजीगत परिव्यय की प्रवृत्तियां

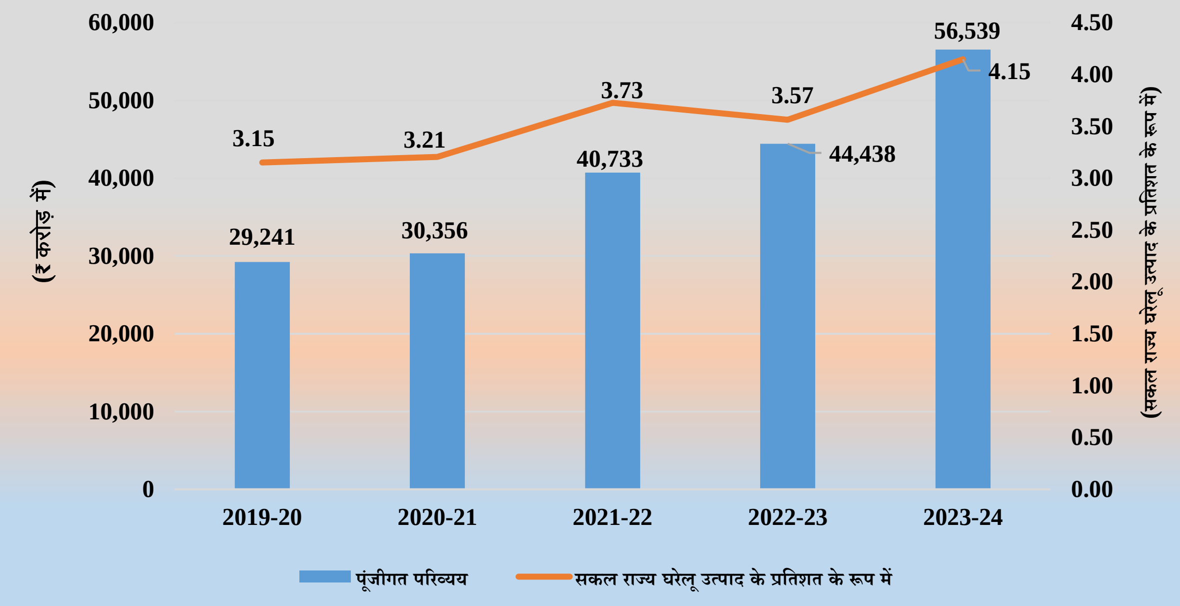

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी

चार्ट 2.14: 2019–24 के दौरान कुल व्यय में संघटकों के अंश में प्रवृत्तियां

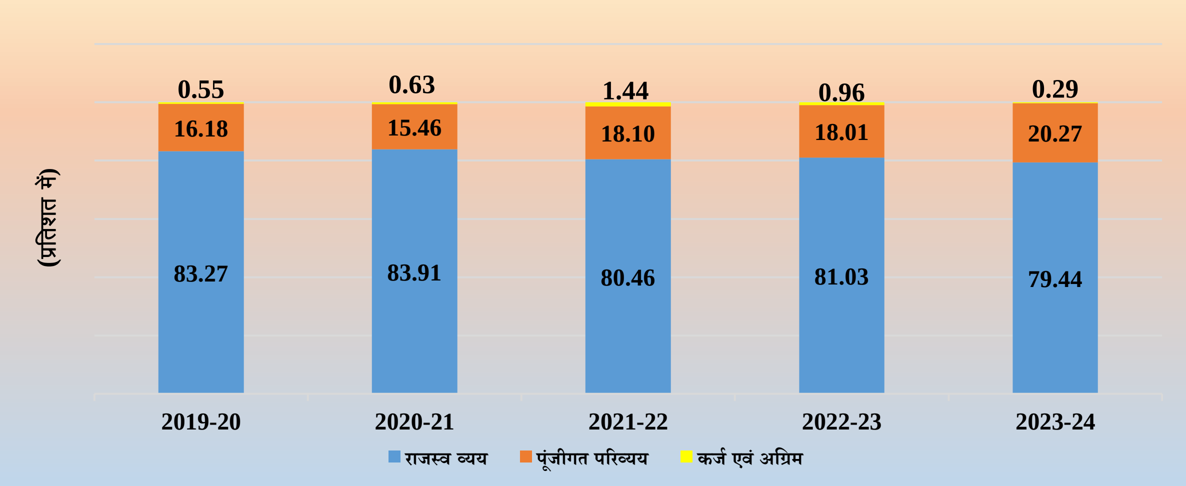

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पूंजीगत परिव्यय जो 2019–20 में ₹29,241 करोड़ था, 2023–24 में यह ₹56,539 करोड़ हो गया जिसमें 93.36 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत परिव्यय 2019–20 में 3.15 प्रतिशत से 2023–24 में 4.15 प्रतिशत तक बढ़ गया।

पिछले वर्ष की तुलना में 2023–24 के दौरान पूंजीगत परिव्यय में ₹12,101 करोड़ (27.23 प्रतिशत) से वृद्धि, सड़कों एवं पुलों (₹3,996 करोड़ से), पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता में (₹3,785 करोड़ से), वृहद् सिंचाई (₹2,058 करोड़ से) एवं शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (₹1,742 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि के कारण थी।

गतिविधियों के संदर्भ में, कुल व्यय सामान्य सेवाओं, ब्याज भुगतान सहित, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और अन्य पर व्यय शामिल हैं। 2023–24 के दौरान कुल व्यय ₹2,78,887 करोड़ (संदर्भ ***परिशिष्ट 2.1***) में इन घटकों का सापेक्ष हिस्सा **तालिका 2.17** में दिया गया है:

तालिका 2.17: व्यय में विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष अंश

(प्रतिशत में)

मापदण्ड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सामान्य सेवाएं	22.59	24.88	22.42	22.69	22.96
सामाजिक सेवाएं	39.38	39.17	38.22	39.21	41.10
आर्थिक सेवाएं	34.22	32.32	34.76	33.96	32.60
अन्य (स्थानीय निकायों के लिये अनुदान और कर्ज एवं अग्रिम)	3.81	3.63	4.60	4.14	3.34

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

व्यय के उपरोक्त घटकों के सापेक्ष अंशों से संकेत मिलता है कि कुल व्यय में सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं के अंश में पिछले वर्ष की तुलना में 2023–24 के दौरान क्रमशः 0.27 प्रतिशत एवं 1.89 प्रतिशत से वृद्धि हुई। हालांकि, ये बढ़ोत्तरी आर्थिक सेवाओं के संबंधित हिस्से में कमी से प्रति संतुलित हुयी।

2023–24 के दौरान व्यय की संरचना **चार्ट 2.15** में चित्रित है।

चार्ट 2.15: 2023–24 के दौरान व्यय की सरंचना

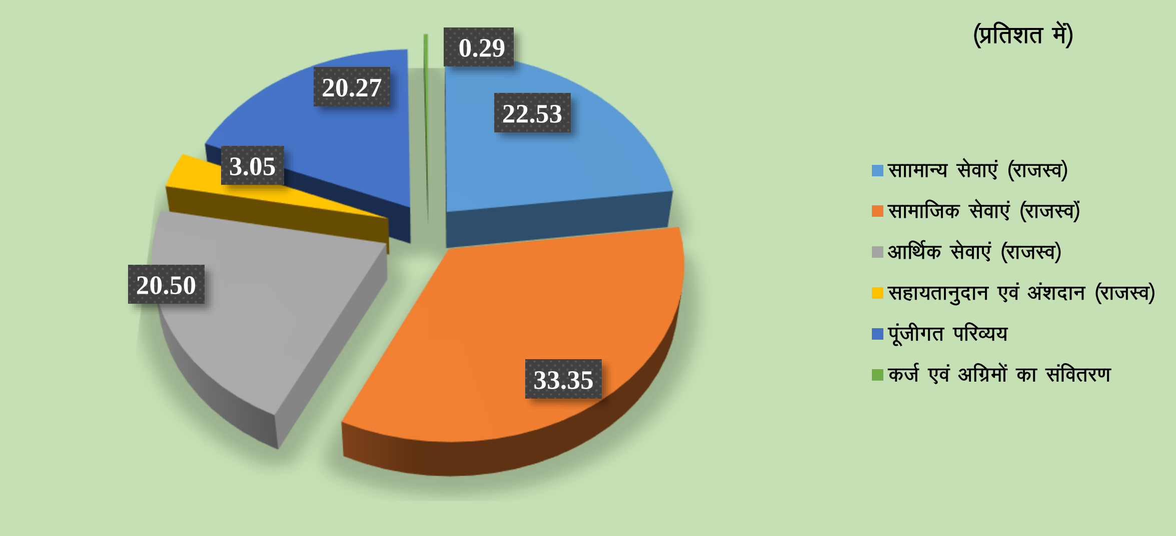

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

2.10.2 राजस्व व्यय

पिछले दायित्वों के भुगतान के लिये एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिये राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य की अवसंरचना एवं सेवा संजाल में कोई इजाफा नहीं करता है।

समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, इसका कुल व्यय से अनुपात एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष उत्प्लावकता **तालिका 2.18** में संकेतिक है। 2023–24 से संबंधित राजस्व व्यय का क्षेत्र–वार वितरण **चार्ट 2.16** में दिया गया हैः

तालिका 2.18 राजस्व व्यय–मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय	**1,80,672**	**1,96,319**	**2,25,024**	**2,46,692**	**2,78,887**
राजस्व व्यय	1,50,444	1,64,733	1,81,061	1,99,895	2,21,538
राजस्व व्यय की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	5.84	9.50	9.91	10.40	10.83
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	83.27	83.91	80.46	81.03	79.44
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	9,27,855	9,46,628	10,92,964	12,46,471	13,63,327
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	16.21	17.40	16.57	16.04	16.25
राजस्व प्राप्तियां	1,47,643	1,46,377	1,85,876	2,03,986	2,34,026
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	101.90	112.54	97.41	97.99	94.66
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.49	4.69	0.64	0.74	1.15
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	(-)6.95	(-)11.08	0.37	1.07	0.74

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ राजस्व प्राप्तियों (अनुपात) में पिछले वर्ष की तुलना में 2023–24 के दौरान 0.33 से कम हुई।

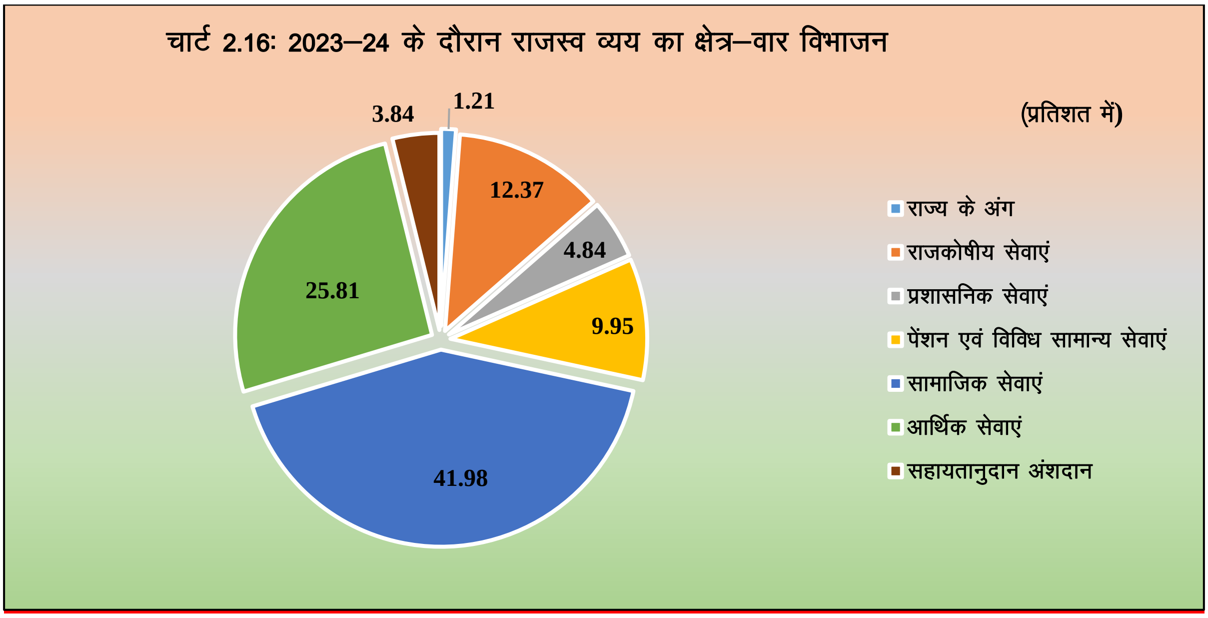

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

2023–24 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 0.21 प्रतिशत से वृद्धि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (9.37 प्रतिशत) की तुलना में राजस्व व्यय की वृद्धि दर (10.83 प्रतिशत) में अधिकता के कारण थी। इसके अलावा, मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण (₹2,25,297 करोड़) में किए गए आंकलन की तुलना में राजस्व व्यय ₹3,759 करोड़ से कम था।

2.10.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

2022–23 की तुलना में 2023–24 के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भिन्नता का विवरण **तालिका 2.19** में वर्णित है।

तालिका 2.19: 2022–23 की तुलना में 2023–24 के दौरान राजस्व व्यय में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

लेखा का मुख्य शीर्ष	2022-23	2023-24	राजस्व व्यय का प्रतिशत	भिन्नता (प्रतिशत)
2202-सामान्य शिक्षा	31,256.22	35,155.41	15.87	3,899.19(12)
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	8,520.75	24,088.47	10.87	15,567.72(183)
2049-ब्याज भुगतान	19,453.27	23,098.41	10.43	3,645.14(19)
2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ	19,690.62	21,965.74	9.92	2,275.12(12)
2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	11,810.01	13,150.04	5.94	1,340.03(11)
2401-कृषि कर्म	7,967.48	7,273.79	3.28	-693.69(-9)
2216-आवास	10,817.73	3,517.32	1.59	-7,300.41(-67)
2217-शहरी विकास	5,518.53	3,426.35	1.55	-2,092.18(-38)
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	1,873.82	2,704.92	1.22	831.10(44)
2505-ग्रामीण रोजगार	1,558.79	2,885.26	1.30	1,326.47(85)
2408-खाद्य, भंडारण एवं वेयरहाउस	1,225.97	1,620.55	0.73	394.58(32)
2045-वस्तु सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	1,109.38	1,514.44	0.68	405.06(37)

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष के दौरान, मुख्य शीर्ष 2216–आवास के अन्तर्गत राजस्व व्यय में ₹7,300 करोड़ से कमी, मुख्यतः "ग्रामीण आवास" के अन्तर्गत "ग्राम पंचायतों को सहायता" पर व्यय में कमीं के कारण थी। आगे, पिछले वर्ष की तुलना में 2023–24 के दौरान मुख्य शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत व्यय में ₹15,568 करोड़ से वृद्धि, "2235–सामाजिक सुरक्षा" के अन्तर्गत "महिला कल्याण" पर व्यय में वृद्धि के कारण थी। मुख्य शीर्ष 2505–ग्रामीण रोजगार के अंतर्गत राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,326 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण "राष्ट्रीय कार्यक्रमों" के अंतर्गत "ग्राम पंचायतों को सहायता" पर व्यय में वृद्धि थी।

2.10.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राज्य शासन के राजस्व लेखों पर प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी तथा पेंशन पर व्यय शामिल हैं।

उपरोक्त के अलावा, अनम्य व्यय की कुछ मदें हैं जिन्हें सामान्यतः बदला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता या जो वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक हैं, जैसे कि पूंजीगत व्यय इत्यादि जैसे परिवर्तनीय लेन–देन से भिन्न उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है:

(क) स्थानीय निकायों को हस्तांतरण– वेतन और भत्तों के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण (पूंजीगत व्यय के लिए हस्तांतरण/अंतरण)।

(ख) आरक्षित निधि में अंशदान की वैधानिक आवश्यकताएं–समेकित ऋण शोधन निधि, प्रत्याभूति मोचन निधि, राज्य आपदा शमन/मोचन निधि इत्यादि में अंशदान।

(ग) आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति– वर्ष के अंदर प्रतिपूर्ति की गई राशि।

(घ) उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय में अंतरित करना, जो वैधानिक रूप से आवश्यक है।

(ड़) प्राप्त केन्द्रीय निधि के विरूद्ध केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का अंश योगदान–राज्य के हिस्से की राशि सिंगल नोडल एजेंसी को हस्तांतरित करना/राज्य द्वारा खर्च करना।

(च) ब्याज देने वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसा कि उनका निवेश किया जा सकता था एवं लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान भारित व्यय के रूप में किया जा सकता था–ब्याज भुगतान।

प्रतिबद्ध व्यय पर बढ़ती प्रवृत्ति सरकार को विकासात्मक क्षेत्र के लिए कम लचीलापन छोड़ती है। प्रतिबद्ध व्यय और अनम्य व्यय एवं इसके संघटकों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण **तालिका 2.20** में वर्णित है और राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश **चार्ट 2.17** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय

प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वेतन एवं मजदूरी	31,160	37,759	41,096	46,799	50,249
पेंशन पर व्यय	12,053	14,671	17,042	19,691	21,966
ब्याज भुगतान	14,217	15,918	18,446	19,453	23,098
योग	**57,430**	**68,348**	**76,584**	**85,943**	**95,313**

अनम्य व्यय

अनम्य व्यय के संघटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण	5,900.24	5,900.29	7,125.46	7,877.50	8,516.87
आरक्षित निधि को अंशदान	9,012.96	8,284.84	7,232.00	5,030.36	9,554.78
आकस्मिकता निधि को प्रतिपूर्ति	256.48	386.97	49.30	263.69	96.34
आरक्षित निधि/अन्य निकाय को उपकर का अंतरण	442.45	1,065.00	884.45	500.00	780.78
प्राप्त केन्द्रीय निधि के सापेक्ष केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का अंश योगदान*	--	--	--	14,298.04	17,319.56
ब्याज देने वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसा कि उनका निवेश किया जा सकता था एवं लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान भारित व्यय के रूप में किया जा सकता था–ब्याज भुगतान*	--	--	--	--	--
योग	**15,612.13**	**15,637.10**	**15,291.21**	**27,969.59**	**36,268.33**
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय					
वेतन एवं मजदूरी	21.10	25.80	22.11	22.94	21.47
पेंशन पर व्यय	8.16	10.02	9.17	9.65	9.39
ब्याज भुगतान	9.63	10.87	9.92	9.54	9.87
योग	**38.90**	**46.69**	**41.20**	**42.13**	**40.73**
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय	**10.57**	**10.68**	**8.23**	**13.71**	**15.50**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय					
वेतन एवं मजदूरी	20.71	22.92	22.70	23.41	22.68
पेंशन पर व्यय	8.01	8.91	9.41	9.85	9.92
ब्याज भुगतान	9.45	9.66	10.19	9.73	10.43
योग	**38.17**	**41.49**	**42.30**	**42.99**	**43.03**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय	**10.38**	**9.49**	**8.45**	**13.99**	**16.37**
गैर–प्रतिबद्ध राजस्व व्यय	**93,014**	**96,385**	**1,04,477**	**1,13,952**	**1,26,225**

राजस्व व्यय का प्रतिशत	61.83	58.51	57.70	57.01	56.98
कुल व्यय का प्रतिशत	51.48	49.10	46.43	46.19	45.26
राजसहायताएं	**12,642**	**13,669**	**19,285**	**19,289**	**20,377**
गैर–प्रतिबद्ध राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं	13.59	14.18	18.46	16.93	16.14

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

*** आंकड़े उपलब्ध नहीं**

प्रतिबद्ध व्यय 2019–20 में ₹57,430 करोड़ (राजस्व व्यय का 38.17 प्रतिशत) से 2023–24 में ₹95,313 करोड़ (राजस्व व्यय का 43.02 प्रतिशत) तक बढ़ा। 2022–23 की तुलना में 2023–24 में प्रतिबद्ध व्यय में ₹9,370 करोड़ (10.90 प्रतिशत) से वृद्धि मुख्यतः पेंशन पर व्यय में 11.55 प्रतिशत से वृद्धि और ब्याज भुगतान में 18.74 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थी।

चार्ट 2.17: राजस्व प्राप्तियों और व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा

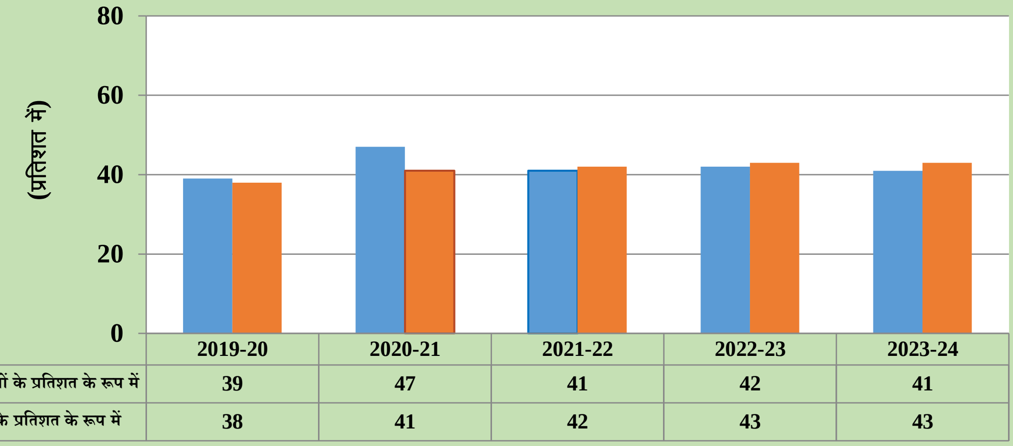

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2023–24 के दौरान (**चार्ट 2.17**) प्रतिबद्ध व्यय (₹95,313 करोड़) कुल राजस्व व्यय (₹2,21,538 करोड़) का 43.02 प्रतिशत लेखांकित था।

अनम्य व्यय

2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान अनम्य व्यय के घटकों में निरंतर वृद्धि देखी गयी। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, अनम्य व्यय 10.38 प्रतिशत से 16.37 प्रतिशत तक बढ़ा। आगे, पिछले वर्ष (₹27,969.59 करोड़) की तुलना में 2023–24 के दौरान अनम्य व्यय (₹36,268.33 करोड़) 29.67 प्रतिशत से बढ़ा।

2.10.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भुगतान में अन–उन्मोचित दायित्व

2023–24 के दौरान, पेंशन भुगतान पर व्यय ₹21,965.74 करोड़ था, जिसमें से ₹3,885.68 करोड़ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर व्यय हुआ जो 1 जनवरी 2005 या उसके बाद भर्ती हुये कर्मचारियों पर लागू होती है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

नवीन पेंशन योजना या परिभाषित अंशदान पेंशन योजना को 1 जनवरी 2005 से प्रारंभ में शासकीय कर्मचारियो के लिये अभिकल्पित किया गया था। आगे इसे 2009 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में पुनर्संरचित किया गया। योजना के अनुसार, कर्मचारी मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है, जिसमें राज्य शासन द्वारा समरूप अंश मिलाया जाता है और संपूर्ण राशि मनोनीत निधि प्रबंधक

को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड के माध्यम से अंतरित की जाती है। 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अंशदान के रूप में नियोक्ता का हिस्सा 10 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया।

आगे, 1 अक्टूबर 2009 से प्रभावी, मध्य प्रदेश शासन ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (सितम्बर 2008) द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों के अंशदान को शीर्ष 0071–01–500–'अन्य लघु शीर्ष को अंतरण के लिए प्रतीक्षित प्राप्तियां' के अंतर्गत एवं शासन के अंशदान को शीर्ष 2071–01–117–में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए शासकीय अंशदान से विकलित कर एवं उसके बाद शासकीय अंशदान को 0071–01–500 शीर्ष 'अन्य लघु शीर्षों को अंतरण के लिए प्रतीक्षित प्राप्तियों में' अंतरण हेतु वर्गीकृत करना शुरू किया।

वर्ष 2023–24 के दौरान, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए कुल अंशदान ₹6,772.07 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹2,886.39 करोड़ एवं शासन का अंशदान ₹3,885.68 करोड़) था। शासकीय अंशदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखों के विवरण संख्या 15 में उपलब्ध है। वर्ष के दौरान शासन ने संपूर्ण राशि को मुख्य शीर्ष 0071 के अंतर्गत लघु शीर्ष 500–'प्रतीक्षित प्राप्तियों में अंतरण' में अंतरित किया एवं ₹6,787.65 करोड़ राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को अंतरित किये।

2.10.2.4 राजसहायताएं

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं 2022–23 में 9.46 प्रतिशत से 2023–24 में 8.71 प्रतिशत तक कम हुईं और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में 2022–23 में 9.65 प्रतिशत से 2023–24 में 9.20 प्रतिशत तक कम हुईं, जिसे **तालिका 2.21** में दिये गये विवरण से देखा जा सकता है।

तालिका 2.21: 2019–24 के दौरान राजसहायताओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजसहायताएं	12,642	13,669	19,285	19,289	20,377
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं	8.56	9.34	10.38	9.46	8.71
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं	8.40	8.30	10.65	9.65	9.20
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा(–)	(-)2,801	(-)18,356	4,815	4,091	12,488
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा(–) के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं	(-)451	(-)74	401	471	163

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2023–24 के दौरान, राजसहायताओं में पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,088 करोड़ (5.64 प्रतिशत) से वृद्धि हुई।

2.10.2.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य शासन द्वारा वित्तीय सहायता

2019–24 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों एवं कर्जों के माध्यम से प्रदान की गयी सहायता की प्रमात्रा को **तालिका 2.22** में प्रस्तुत किया है:

तालिका 2.22: स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
(अ) स्थानीय निकाय					
पंचायती राज संस्थान (93)	18,828.94	19,103.09	16,889.40	20,441.40	17,203.39
नगरीय स्थानीय निकाय (19)	6,204.28	6,873.93	7,001.23	6,989.61	7,707.00
योग (अ)	**25,033.22**	**25,977.02**	**23,890.63**	**27,431.01**	**24,910.39**
(ब) अन्य					
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (4)	93.50	51.84	100.17	107.86	78.91
स्वायत्त निकाय (13)	3,099.07	3,223.99	4,632.80	4,265.04	4,260.16
सहकारी समितियाँ एवं सहकारी संस्थाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गैर–सरकारी संगठन (16)	689.03	880.53	1,090.95	1,047.81	839.28
अन्य (196)	35,292.46	33,310.86	35,983.70	38,626.00	50,603.94
₹10 करोड़ से कम व्यय वाली अन्य योजनाएं (20)	1,051.05	826.71	899.72	1,029.08	1,300.34
योग (ब)	**40,225.11**	**38,293.93**	**42,707.34**	**45,075.79**	**57,082.63**
महायोग (अ+ब)	**65,258.33**	**64,270.95**	**66,597.97**	**72,506.80**	**81,993.02**
राजस्व व्यय	1,50,444.30	1,64,733.01	1,81,061.30	1,99,895.26	2,21,538.26
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता	**43.38**	**39.02**	**36.78**	**36.27**	**37.01**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता 2019–20 में ₹65,258.33 करोड़ से 2023–24 में ₹81,993.02 करोड़ तक ₹16,734.69 करोड़ से बढ़ी। 2023–24 के दौरान, स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,520.62 करोड़ से कम हुई।

राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता 2019–20 में 43.38 प्रतिशत से 2022–23 में 36.27 प्रतिशत तक कम हुई और उसके बाद 2023–24 में मामूली रूप से 37.01 प्रतिशत तक बढ़ी।

2.10.3 पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत परिव्यय में प्राथमिक रूप से स्थायी अवसंरचना परिसंपत्तियों, जैसे– भवन, सड़कें, पुलों, इत्यादि के निर्माण पर व्यय शामिल होता है। पाँच वर्ष की अवधि 2019–24 के दौरान बजट के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण **चार्ट 2.18** में दिया गया है:

चार्ट 2.18: पांच वर्षों की अवधि 2019–20 से 2023–24 के दौरान पूंजीगत परिव्यय का विवरण

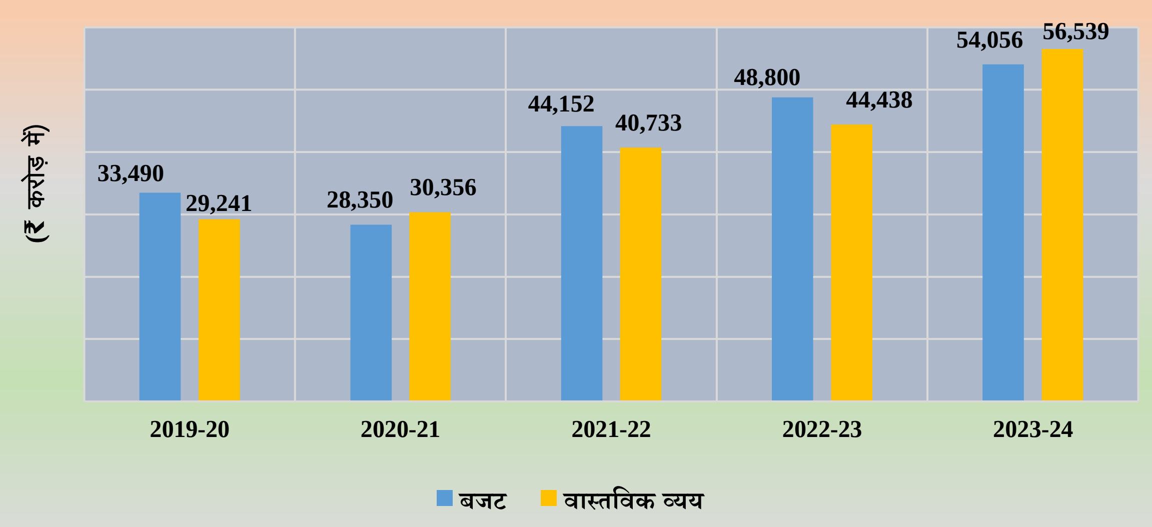

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकाएं

पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य का पूंजीगत परिव्यय 2019–20 में ₹29,241 करोड़ से 2023–24 में ₹56,539 करोड़ तक बढ़ा।

2.10.3.1 पूंजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तन

तालिका 2.23 विगत वर्ष के सापेक्ष 2023–24 के दौरान पूंजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि या कमी के प्रकरणों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.23: 2022–23 की तुलना में 2023–24 के दौरान पूंजीगत परिव्यय में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

लेखा मुख्य शीर्ष	2022-23	2023-24	भिन्नता (प्रतिशत में)
4202–शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2,145.07	3,887.21	1,742.14(81.22)
4210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	1,609.82	2,505.99	896.17(55.67)
4215–जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	6,739.49	10,524.22	3,784.73(56.16)
4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	2,339.13	3,127.03	787.90(33.68)
4225–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1,114.14	1,342.72	228.58(20.52)
4406–वन एवं वन्यजीव	1,286.69	650.34	-636.35(49.46)
4700–वृहद् सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	10,562.18	12,620.28	2,058.10(19.49)
5054–सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	7,323.77	11,319.87	3,996.10(54.56)
योग	**25,796.52**	**45,977.66**	**20,181.14(78.23)**
वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय	**44,438.37**	**56,538.59**	**12,100.22(27.23)**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि मुख्य व्यय "जलापूर्ति और स्वच्छता", "वृहद् सिंचाई" और "सड़क एवं पुल" पर किया गया था और पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि का प्रतिशत भी इन तीन शीर्षों में सबसे अधिक था। हालाँकि, "वन एवं वन्यजीव" के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में उल्लेखनीय कमी आई, जहाँ समग्र व्यय/परिव्यय 2022–23 में ₹1,286.69 करोड़ से 49.46 प्रतिशत घटकर 2023–24 में ₹650.34 करोड़ हो गया।

2.10.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यदि राज्य सरकार घाटे में चल रही ऐसी शासकीय कंपनियों में निवेश करना जारी रखती है जिनका निवल मूल्य पूरी तरह समाप्त हो गया है, निवेश पर प्रतिलाभ की कोई संभावना नहीं है। इसी तरह, अनुभव ने घाटे में चल रहे निगमों एवं अन्य निकायों, वित्तीय निगमों आदि को दिये गये कर्जो को बट्टे खाते में डालने की अनिवार्यता को दिखाया है। ऐसी वित्तीय प्रक्रियाओं के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित कदम उठाने होंगे। यह अनुभाग वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूंजीगत व्यय का एक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों एवं अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

कंपनियों, निगमों एवं अन्य निकायों, जो घाटे में चल रहे हैं या जिनका निवल मूल्य पूरी तरह समाप्त हो गया है, में पूंजीगत व्यय संवहनीय नहीं है।

ऐसी कंपनियों, निगमों एवं सहकारिताओं में निवेश करना एवं कर्ज देना, पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किये गये पूंजीगत निवेश के अंश में निवेश पर प्रतिलाभ और विभिन्न निकायों को दिये जाने वाले कर्जो के पुनर्भुगतान का इतिहास पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्त्वपूर्ण निर्धारक हैं।

निवेश एवं प्रतिलाभ

2023–24 के वित्त लेखों के अनुसार, मध्य प्रदेश शासन ने 2023–24 के दौरान राज्य में 35 सांविधिक निगमों, 53 शासकीय कंपनियों, 24 संयुक्त स्टॉक कंपनियां और साझेदारियां, एक बैंक एवं 129 सहकारी संस्थाओं में ₹47,485.80 करोड़ का निवेश किया था। 2023–24 के दौरान राज्य शासन ने इन निवेशों पर ₹291.41 करोड़ का प्रतिलाभ अर्जित किया। पाँच वर्ष की अवधि 2019–24 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा किये गये निवेश का वर्ष–वार **तालिका 2.24** में विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 2.24: 31 मार्च 2024 तक निवेश एवं निवेश पर प्रतिलाभ का विवरण

(₹ करोड़ में)

इकाइयां	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सांविधिक निगम (इकाइयों की संख्या)	10,038.35 (35)	10,892.35 (35)	12,019.72 (35)	13,018.59 (35)	13,861.59 (35)
शासकीय कंपनियां (इकाइयों की संख्या)	24,713.23 (41)	26,544.84 (44)	26,657.70 (44)	27,992.26 (52)	29,679.72 (53)
संयुक्त स्टॉक कंपनियां और साझेदारियां (इकाइयों की संख्या)	1.31 (24)	1.31 (24)	1.31 (24)	1.31 (24)	1.31 (24)
बैंक[22] (इकाइयों की संख्या)	निरंक (01)	निरंक (01)	निरंक (01)	निरंक (01)	निरंक (01)
सहकारी संस्थाएं (इकाइयों की संख्या)	1,620.63 (130)	1,653.36 (129)	2,380.15 (129)	2,371.88 (129)	3,943.18 (129)
वर्ष के अंत में निवेश	**36,373.52**	**39,091.86**	**41,058.88**	**43,384.04**	**47,485.80**
निवेश पर प्रतिलाभ	475.96	288.44	138.73	159.58	291.41
निवेश पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	1.31	0.74	0.34	0.37	0.61

[22] बैंक ऑफ देवास लिमिटेड, देवास।

इकाइयां	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
शासकीय उधारियों पर औसत ब्याज दर [23] (प्रतिशत)	6.69	6.19	6.22	5.97	6.44
निवेश पर प्रतिलाभ एवं शासकीय उधार पर ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत)	5.38	5.45	5.88	5.60	5.83
शासकीय उधारियों पर लागत निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर	1,956.90	2,130.50	2,414.26	2,429.50	2,768.42

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पाँच वर्ष की अवधि 2019–24 के दौरान, निवेश पर औसत प्रतिलाभ दर 0.67 प्रतिशत थी, जबकि राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि के दौरान उधारियों पर औसत ब्याज दर 6.30 प्रतिशत से भुगतान किया। पिछले पाँच वर्षों में, शासकीय उधारियों पर लागत एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर ₹11,699.58 करोड़ था।

राज्य शासन द्वारा कर्ज एवं अग्रिम

राज्य शासन ने सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त कई संस्थानों/संगठनों को भी कर्ज एवं अग्रिम प्रदान किया है। **तालिका 2.25** 31 मार्च 2024 की स्थिति में बकाया कर्ज एवं अग्रिमों के साथ–साथ पाँच वर्ष की अवधि 2019–24 के दौरान ब्याज प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.25: बकाया कर्ज एवं अग्रिम तथा राज्य शासन द्वारा ब्याज प्राप्तियां एवं भुगतान

(₹ करोड़ में)

कर्ज/ब्याज प्राप्तियां/उधारियों की लागत की मात्रा	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कर्ज एवं अग्रिमों का प्रारंभिक शेष (1)	**42,144**	**42,585**[24]	**43,757**	**46,924**	**47,826**
वर्ष के दौरान संवितरित राशि (2)	987	1,230	3,229	2,360	809
वर्ष के दौरान वसूल राशि (3)	46	58	62	1,458	372
कर्ज तथा अग्रिमों का अंतिम शेष (4)	**43,085**	**43,757**	**46,924**	**47,826**	**48,263**
कर्ज तथा अग्रिमों का निवल संयोजन (5)=(2-3)	941	1,172	3,167	902	437
ब्याज प्राप्तियां (6)	130	88	1,432	4,033	1,509
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां (7)	0.30	0.20	3.05	8.43	3.13
शासकीय उधारियों पर ब्याज की औसत दर[25] (प्रतिशत) (8)	6.69	6.19	6.22	5.97	6.44
बाजार उधारियों पर ब्याज दर एवं कर्जों पर प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत) (9)	6.39	5.99	3.17	2.46	3.31

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोटः औसत ब्याज दर को पुनरीक्षित किया गया, ब्याज रहित कर्ज को हटाकर एवं बजटेत्तर उधारियों को शामिल करने के कारण औसत ब्याज दर में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।

31 मार्च 2024 तक बकाया कर्ज एवं अग्रिमों की कुल राशि ₹48,263 करोड़ थी, जो मुख्यतः शासकीय कंपनियों (₹26,939 करोड़), सांविधिक निगमों (₹7,271 करोड़) एवं नगर पालिका/नगर परिषद/नगर

[23] राज्य सरकार को 2020–21 (₹1,320 करोड़), 2021–22 (₹1,512.36 करोड़), 2022–23 (₹7,360.20 करोड़) और 2023–24 (₹12,636.20 करोड़) के दौरान ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हुआ। ब्याज दरों की गणना उक्त ब्याज मुक्त ऋण को छोड़कर की गई है।

[24] प्रोफार्मा सुधार के कारण प्रारंभिक शेष राशि में ₹500 करोड़ से कमी आई।

[25] राज्य सरकार को 2020–21 (₹1,320 करोड़), 2021–22 (₹1,512.36 करोड़), 2022–23 (₹7,360.20 करोड़) और 2023–24 (₹12,636.20 करोड़) के दौरान ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हुआ। ब्याज दरों की गणना उक्त ब्याज मुक्त ऋण को छोड़कर की गई है।

निगम (₹2,522 करोड़) के अंतर्गत थी। आर्थिक सेवा क्षेत्र[26] (₹40,064 करोड़) में बकाया कर्ज एवं अग्रिम बहुत ज्यादा है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹184 करोड़ से वृद्धि हुई। संवितरित कर्ज की राशि वर्ष 2019–20 से 2022–23 तक 139.11 प्रतिशत से बढी जबकि पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान यह ₹1,551 करोड़ (अर्थात 65.72 प्रतिशत) से कम हुआ।

2023–24 के दौरान राज्य को ₹1,509 करोड़ ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,524 करोड़ से कमी मुख्यत: ऊर्जा क्षेत्र[27] से ब्याज प्राप्ति में कमी के कारण थी।

2023–24 के दौरान 6.44 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से उधारियों पर भुगतान किया गया, जबकि 2023–24 के दौरान शासन द्वारा दिये गये कर्ज एवं अग्रिमों पर 3.13 प्रतिशत की औसत ब्याज दर प्राप्त हुई।

2.10.4 अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी का अवरूद्धीकरण

अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों में अवरूद्ध पूंजी की प्रवृत्तियों का आंकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करेगा।

अपूर्ण कार्यों पर अवरूद्ध पूंजी, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। नमूना जाँच के अनुसार 31 मार्च 2024 तक अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण नीचे **तालिका 2.26** में सारांशीकृत किया है:

तालिका 2.26: 31 मार्च 2024 तक अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विवरण	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की प्रारंभिक बजट लागत	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की संचयी वास्तविक लागत	परियोजनाओं की संख्या जिनकी लागत पुनरीक्षित की गई	परियोजना की अनुमानित लागत जिसके लिए लागत पुनरीक्षित की गयी		
					प्रारंभिक	पुनरीक्षित अनुमानित लागत	बढ़ी हुयी लागत
लोक निर्माण विभाग	1,152	6,937.13	4,059.37	4	881.74	1,043.18	161.44
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	10	4,450.27	978.09	0	0	0	0
नगरीय प्रशासन एवं विकास	44	3,265.52	2,213.50	20	1,832.37	1,730.35	(-)102.02
योग	**1,206**	**14,652.92**	**7,250.96**	**24**	**2,714.11**	**2,773.53**	**59.42**

स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी

नोटः विगत वर्ष लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 31 अपूर्ण परियोजनाएं थी, जिनमें ₹1,670.27 करोड़ की पूंजी अवरूद्ध हुई थी। हालांकि, इस वर्ष विभाग ने अनुरोध के बावजूद जानकारी नहीं दी (जुलाई 2024 – अक्टूबर 2024)।

परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब के परिणामस्वरूप लोक निर्माण विभाग की चार परियोजनाओं में ₹161.44 करोड़ की लागत बढ़ गई जबकि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की 20 परियोजनाओं में लागत में ₹102.02 करोड़ रुपये की कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप 24 परियोजनाओं में शुद्ध लागत में

[26] आर्थिक सेवा क्षेत्र में मुख्यत: बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण (₹35,023 करोड़), पेट्रो रसायन उद्योगों को ऋण (₹1,852 करोड़) एवं सहकारिता के लिए ऋण (₹1,474 करोड़) शामिल हैं।

[27] 2022–23 में ऊर्जा क्षेत्र से प्राप्त ब्याज ₹3,968.08 करोड़ था, जो 2023–24 में ₹1,456.31 करोड़ तक कम हुआ।

₹59.42 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, इसके अलावा अपूर्ण परियोजनाओं से अपेक्षित लाभ मिलने में भी विलम्ब हुआ।

इन सभी उपरोक्त परियोजनाओं को आगे बिना किसी देरी के पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि लागत बढ़ने से बचा जा सके।

2.10.5 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता

सार्वजनिक निजी भागीदारी सरकार या वैधानिक इकाई और एक निजी क्षेत्र की इकाई के बीच एक व्यवस्था है, जो एक ऐसा ढांचा प्रदान करती है, जो उन्हें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जनता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है।

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि मार्च 2024 तक प्रारम्भ की गई 200 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं (परियोजना लागत ₹33,306.37 करोड़) में से, ₹14,668.47 करोड़ लागत की 147 परियोजनाओं (73.50 प्रतिशत) को पूर्ण किया गया था, जबकि ₹4,043.51 करोड़ लागत वाली सात परियोजनाओं (3.50 प्रतिशत) में कार्य प्रगति पर था तथा ₹14,594.39 करोड़ लागत वाली 46 परियोजनाएं (23.00 प्रतिशत) प्रक्रियाधीन एवं बोली के अंतर्गत थी। विवरण निम्न **तालिका 2.27** में दिया गया है:

तालिका 2.27: 31 मार्च 2024 तक विभिन्न विभागों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	कुल परियोजनाएं		योजनाधीन/ प्रक्रियाधीन		निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत		कार्यान्वयनाधीन/ निर्माणाधीन		पूर्ण परियोजनाएं	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	3	176.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	176.48
2	ऊर्जा	3	382.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	382.70
3	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1	138.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	138.50
4	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2	374.92	0	0.00	1	125.00	0	0.00	1	249.92
5	वन	4	196.68	1	130.00	1	50.00	1	15.68	1	1.00
6	आवास एवं पर्यावरण	3	47.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	47.00
7	चिकित्सा शिक्षा	2	105.73	2	105.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	67.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	67.00
9	लोक निर्माण कार्य	142	26,869.46	14	10,381.37	1	1,297.00	1	2,982.00	126	12,209.09
10	खेलकूद एवं युवा कल्याण	1	900.00	0	0.00	0	0.00	1	900.00	0	0.00
11	पर्यटन	7	84.22	4	49.22	1	15.00	0	0.00	2	20.00
12	परिवहन	1	1,094.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,094.00
13	नगरीय विकास	30	2,869.68	20	2,427.13	1	13.94	4	145.83	5	282.78
	योग	**200**	**33,306.37**	**41**	**13,093.45**	**5**	**1,500.94**	**7**	**4,043.51**	**147**	**14,668.47**

स्रोतः संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा प्रदायित जानकारी

2.10.6 व्यय की प्राथमिकता

मानव विकास के स्तरों को बढ़ाने के लिए राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है, तो किसी विशेष क्षेत्र को कम राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अंतर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) दी जाती है। कुल व्यय में इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है।

2019–20 से 2023–24 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवा व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य शासन की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण नीचे **तालिका 2.28** में किया गया है:

तालिका 2.28: 2019–20 एवं 2023–24 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राजकोषीय प्राथमिकता (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रतिशतता)	कुल व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय / कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय / कुल व्यय	आर्थिक क्षेत्र का व्यय / कुल व्यय	पूंजीगत व्यय / कुल व्यय	शिक्षा पर व्यय / कुल व्यय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय / कुल व्यय
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2019–20	15.88	66.58	37.04	29.54	14.02	15.79	5.25
मध्य प्रदेश का (अनुपात) 2019–20	19.47	74.15	39.58	34.57	16.18	16.55	5.30
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2023–24	15.66	67.93	37.92	30.01	16.50	14.36	5.71
मध्य प्रदेश का (अनुपात) 2023–24	20.46	73.98	41.21	32.78	20.56	14.35	5.84

स्रोतः आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 2019–20 और 2023–24 के दौरान मध्य प्रदेश में उपरोक्त सभी क्षेत्रों के लिए आवंटन सामान्य श्रेणी के राज्यों द्वारा इन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों के लिए औसत आवंटन की तुलना में अधिक था। कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश की राजकोषीय प्राथमिकता 2019–20 के साथ–साथ 2023–24 के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों (औसत) के अनुरूप है।

2.10.7 उद्देश्य शीर्ष–वार व्यय

वित्त लेखे केवल लघु शीर्ष तक के लेन–देन को दर्शाते है। इसलिए, उद्देश्य शीर्ष स्तर पर वास्तविक मदों पर किए गए खर्च का बजटीय आवंटन (₹1,000 करोड़ से अधिक) एवं व्यय की सीमा की गहन समीक्षा नीचे **तालिका 2.29** में दी गयी है:

तालिका 2.29: वर्ष 2023–24 के दौरान बजट प्राधिकार के सापेक्ष उद्देश्य शीर्ष–वार व्यय

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	बजट	व्यय	उपयोगिता प्रतिशत
11–वेतन	49,102.74	47,553.36	96.84
12–मजदूरी	2,689.69	2,695.33	100.21
13–पेशन तथा पेंशन हितलाभ	18,629.58	18,098.22	97.15
15–सामाजिक सुरक्षा पेंशन	2,900.28	2,895.17	99.82
19–कार्यभारित आकस्मिक कर्मचारियों का वेतन	1,232.70	877.99	71.22
22–कार्यालयीन व्यय	1,538.46	1,452.02	94.38

शीर्ष	बजट	व्यय	उपयोगिता प्रतिशत
31–पेशेवर सेवाओं के लिये भुगतान	5,230.49	4,882.79	93.35
33–अनुरक्षण	3,237.37	2,651.33	81.90
34–सामग्री एवं आपूर्ति	2,630.34	2,417.14	91.89
41–शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति	3,375.84	3,092.11	91.60
42–सहायतानुदान	81,940.05	79,417.45	96.92
43–अंशदान	4,427.90	3,904.13	88.17
44–राजसहायताएं	23,818.75	20,377.30	85.55
45–पूंजीगत संपत्तियों के सृजन के लिए सहायतानुदान	1,020.79	823.82	80.70
46–शर्तानुसार सहायतानुदान	1,849.80	1,751.75	94.70
51–अन्य प्रभार	2,288.33	745.65	32.58
52–ब्याज/लाभांश का भुगतान	24,795.91	23,306.81	93.99
63–मशीनरी	1,122.94	697.80	62.14
64–वृहद् निर्माण कार्य	57,190.05	49,544.00	86.63
65–निवेश	17,403.37	3,709.26	21.31
66–कर्ज पुनर्भुगतान	24,906.41	21,645.84	86.91
67–कर्ज एवं अग्रिम	3,121.34	870.89	27.90
73–अंतर लेखा हस्तांतरण	7,522.51	5,912.69	78.60
योग	**3,41,975.64**	**2,99,322.85**	**87.53**

स्रोतः वित्त लेखे एवं व्ही.एल.सी. आंकड़े 2023–24

जैसा कि उक्त तालिका से देखा जा सकता है, उपरोक्त उद्देश्य शीर्षों पर कुल बजटीय आवंटन ₹3,41,975.64 करोड़ में से, 2023–24 के दौरान विभिन्न उद्देश्य शीर्षों पर वास्तविक व्यय ₹2,99,322.85 करोड़ (87.53 प्रतिशत) था। उपरिलिखित 23 उद्देश्य शीर्षों में से, पांच उद्देश्य शीर्षों (11–वेतन, 12–मजदूरी, 13–पेंशन एवं पेंशन हितलाभ, 15–सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं 42–सहायतानुदान) ने अपने आवंटन का 95 प्रतिशत से अधिक उपयोग किया।

2.11 लोक लेखा

कुछ लेन–देन जैसे अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमाएं, उचन्त, प्रेषण, इत्यादि के संबंध में प्राप्तियों एवं संवितरण जो कि समेकित निधि का भाग नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते है और राज्य विधान मण्डल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। सरकार इनके संबंध में बैंकर के रुप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात शेष राशि सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

2.11.1 निवल लोक लेखा शेष

मार्च 2024 के अन्त तक राज्य के लोक लेखा में संघटक–वार निवल शेष नीचे **तालिका 2.30** में दिया गया है:

तालिका 2.30: 31 मार्च 2024 को लोक लेखा में संघटक–वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उपक्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
झ. अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि, राज्य भविष्य निधियां एवं अन्य लेखा	**19,033.74**	**19,894.09**	**19,310.64**	**18,019.74**	**16,976.37**
ञ. आरक्षित निधियां	(क) ब्याज सहित आरक्षित निधियां	5,199.92	5,684.40	7,997.82	8,963.55	13,168.37
	(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियां	6,699.66	10,144.49	12,363.12	14,032.37	13,428.99
योग		**11,899.58**	**15,828.89**	**20,360.94**	**22,995.92**	**26,597.36**
ट. जमा एवं अग्रिम	(क) ब्याज सहित जमा	(-)44.45	(-)66.79	(-)94.80	204.43	288.26
	(ख) ब्याज रहित जमा	18,853.92	20,400.20	19,276.88	21,506.83	20,256.28
	(ग) अग्रिम	(-)3.48	(-)3.48	(-)3.48	(-)3.49	(-)3.50
योग		**18,805.99**	**20,329.93**	**19,178.60**	**21,707.77**	**20,541.04**
ठ. उचन्त एवं विविध	(ख) उचन्त	(-)1,391.42	(-)862.43	251.45	573.27	514.28
	(ग) अन्य लेखे	(-)10,774.66	(-)20,177.29	(-)16,810.90	(-)21,389.80	(-)17,846.96
	(घ) विदेशी देशों की सरकारों के साथ खोले गये लेखे	(-)0.15	(-)0.15	(-)0.15	(-)0.15	(-)0.15
	(ड) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग		(-)**12,166.23**	(-)**21,039.87**	(-)**16,559.60**	(-)**20,816.68**	**(-)17,332.83**
ड. प्रेषण	(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	2,855.74	3,820.37	5,499.15	6,402.02	7,198.98
	(ख) अंतः सरकार समायोजन लेखा	(-)694.37	(-)655.74	(-)717.05	(-)724.69	(-)998.29
योग		**2,161.37**	**3,164.63**	**4,782.10**	**5,677.33**	**6,200.69**
महायोग		**39,734.45**	**38,177.67**	**47,072.68**	**47,584.08**	**52,982.63**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोटः धनात्मक आंकड़ें नामे शेष को प्रदर्शित करती है एवं ऋणात्मक जमा शेष को प्रदर्शित करते है।

संबंधित वर्षों के 31 मार्च तक लोक लेखा में संघटक–वार निवल शेष 2019–24 में उत्तरोत्तर 33.34 प्रतिशत से बढ़ा। विगत वर्ष की तुलना में 2023–24 में लोक लेखा के निवल शेषों में ₹5,398.55 करोड़ से वृद्धि हुई।

पाँच वर्षों की अवधि 2019–24 में लोक लेखा में शेष राशि की संरचना में वार्षिक परिवर्तन **चार्ट 2.19** में दिया गया है:

चार्ट 2.19: लोक लेखा शेषों की संरचना में वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

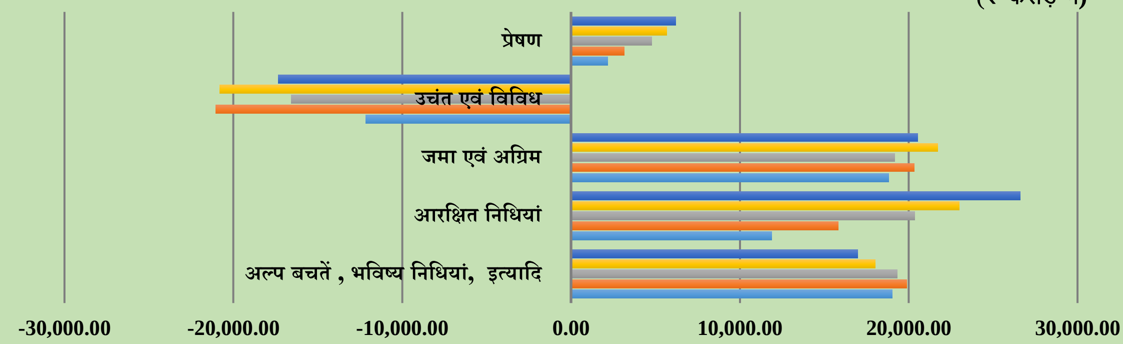

	अल्प बचतें , भविष्य निधियां, इत्यादि	आरक्षित निधियां	जमा एवं अग्रिम	उचंत एवं विविध	प्रेषण
2023-24	16,976.37	26,597.36	20,541.04	-17,332.83	6,200.69
2022-23	18,019.74	22,995.92	21,707.77	-20,816.68	5,677.33
2021-22	19,310.64	20,360.94	19,178.60	-16,559.60	4,782.10
2020-21	19,894.09	15,828.89	20,329.93	-21,039.87	3,164.63
2019-20	19,033.74	11,899.58	18,805.99	-12,166.23	2,161.37

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.11.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य शासन के लोक लेखों के अंतर्गत पूर्ण परिभाषित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित की जाती है। इन निधियों को भारत या राज्य की समेकित निधि या बाह्य एजेंसियों के अंशदान या अनुदानों से पूरा किया जाता है। इसमें ब्याज सहित आरक्षित निधियां और ब्याज रहित आरक्षित निधियां शामिल है।

आरक्षित निधियों का विवरण वित्त लेखों के विवरण पत्रक संख्या 21 एवं 22 में दिया गया है। 31 मार्च 2024 को ब्याज सहित तीन एवं ब्याज रहित पांच आरक्षित निधियां थी। 31 मार्च 2024 को इन आरक्षित निधियों में पड़े हुए शेषों को **तालिका 2.31** में दिया गया है:

तालिका 2.31: आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	आरक्षित निधियों का नाम	31 मार्च 2024 को शेष
अ	**ब्याज सहित आरक्षित निधियां**	**13,168.37**
1	राज्य आपदा मोचन निधि	3,224.07
2	राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि	9,409.09
3	राज्य आपदा शमन निधि	535.21
ब	**ब्याज रहित आरक्षित निधियां**	**13,428.99**
1	सूखा राहत निधि	5.93
2	मूल्य ह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	5.04
3	राजस्व आरक्षित निधि	24.09
4	विकास एवं कल्याण निधि	13,151.22
5	सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	242.71
	कुल योग	**26,597.36**

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

2.11.2.1 राज्य आपदा मोचन निधि

राज्य ने तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 'राज्य आपदा मोचन निधि' का संचालन 2010–11 में शुरू किया। दिशानिर्देशों के संदर्भ एवं चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, केन्द्र एवं राज्य सरकारों को 75:25 के अनुपात में राज्य आपदा मोचन निधि में अंशदान किया जाना आवश्यक है। यह अंशदान मुख्य शीर्ष 8121 के अंतर्गत लोक लेखा में अंतरित किया जाना है तथा वर्ष के दौरान व्यय मुख्य शीर्ष 2245 के संचालन द्वारा किया जाता है। दिशानिर्देशों के संदर्भ में, गंभीर आपदाओं के मामलों में, जहां राज्य आपदा मोचन निधि में शेष राशि आवश्यकता से कम होती है, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से तत्काल राहत प्रदान कर सकती है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य शासन ने ₹1,605.60 करोड़ केन्द्रांश के रूप में प्राप्त किए थे। वर्ष के दौरान राज्यांश ₹535.20 करोड़ था। राज्य शासन ने ₹2,166.45 करोड़ (राज्य आपदा मोचन निधि का केन्द्रांश ₹1,605.60 करोड़, राज्यांश ₹535.20 करोड़ एवं ब्याज ₹25.65 करोड़) मुख्य शीर्ष 8121–122 के अंतर्गत राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरित किया।

राज्य आपदा मोचन निधि पर भारित व्यय का विवरण नीचे **तालिका 2.32** में दिया गया है:

तालिका 2.32: राज्य आपदा मोचन निधि पर भारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखा का मुख्य शीर्ष	लेखा का उप मुख्य शीर्ष	लेखा का लघु शीर्ष	राशि
2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	01–सूखा	101– आनुग्रहिक राहत	15.63
		102–पेय जलापूर्ति	1.03
	02–बाढ़, चक्रवात, इत्यादि	101–आनुग्रहिक राहत	525.76
	05–राज्य आपदा मोचन निधि	101–आरक्षित निधि और जमा लेखों को अन्तरण–राज्य आपदा मोचन निधि	2,140.80[28]
		901–घटाएं–राज्य आपदा मोचन निधि से पूरी की गई राशि	-7,67.89[29]
	80–सामान्य	001–निदेशन और प्रशासन	2.19
		102–विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन	440.69
		103–राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राज्य को सहायता	--
		800–अन्य व्यय	219.30
योग			**2,577.51**

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

2.11.2.2 प्रत्याभूति विमोचन निधि

राज्य शासन ने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2005–06 में प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया। प्रत्याभूति विमोचन निधि के दिशानिर्देशानुसार, निधि को राज्य शासन द्वारा, पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क के साथ समरूप अंशदान जमा किया जाना आवश्यक है। हालांकि, यह राज्य वित्त सचिवों की समिति के प्रतिवेदन पर आधारित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है, जिसमें प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन प्रत्याभूतियों के जोखिम भार से पहले किया जाना है। इसके

---

[28] ₹1,60,560.00 लाख का केंद्रीय हिस्सा और ₹53,520.00 लाख का राज्य हिस्सा (कुल ₹2,14,080.00 लाख) मुख्य शीर्ष 2245–05–101 'आरक्षित निधियों और जमा खातों में अंतरण–राज्य आपदा मोचन निधि' (वित्त खातों का विवरण संख्या 21) से अंतरित किया गया।

[29] मुख्य शीर्ष 8121–122–राज्य आपदा मोचन निधि (वित्त लेखे का विवरण संख्या 21) से प्रतिपूर्ति की राशि।

अलावा, राज्य शासन को निधि के गठन के समय बकाया प्रत्याभूतियों का कम से कम एक प्रतिशत अंशदान करना आवश्यक है एवं तत्पश्चात आगामी पाँच वर्षों में तीन प्रतिशत तक का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 0.50 प्रतिशत अंशदान करें। निधि का सही आकार विगत वर्ष की बकाया प्रत्याभूति का न्यूनतम तीन प्रतिशत हो सकता है।

31 मार्च 2024 तक, ₹45,551.09 करोड़ की बकाया प्रत्याभूति जो वर्ष 2022–23 की राज्य की राजस्व प्राप्तियों (₹2,03,986.19 करोड़) का 22.33 प्रतिशत थी जो निर्धारित सीमा के अंदर है।

2023–24 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन ने ₹73.16 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹36.58 करोड़ का निधि में अंतरण किया। 31 मार्च 2024 तक निधि का कुल संचय ₹1,087.74 करोड़ (31 मार्च 2023 तक ₹1,051.16 करोड़) था, 2023–24 के दौरान, ₹36.58 करोड़ के कम अंशदान के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय कम बताया गया।

2.12 राज्य की संचित निधि/लोक लेखे से बाहर निधियां एवं समर्पित निधियां

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) में अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, संबंधित सरकार द्वारा कोषालय देयक जारी कर उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिमों के माध्यम से लिए गए सभी ऋण और उस सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी राशियों से एक संचित निधि बनेगी जो ''राज्य की संचित निधि'' कहलाएगी। अनुच्छेद 266(2) प्रावधान करता है कि किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी धनराशियां जैसा भी मामला हो, राज्य के लोक लेखों में जमा किया जाएगा।

राज्य शासन ने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए विभिन्न उपकर लगाए है। लेखापरीक्षा के दौरान, ऐसा कोई प्रकरण नही देखा गया जहां उपकर को राज्य की समेकित निधि/लोक लेखे से बाहर रखा गया हो।

2.12.1 ऊर्जा विकास उपकर

प्रत्येक उत्पादन कंपनी राज्य सरकार को निर्धारित समय पर और निर्धारित तरीके से वितरण लाइसेंस या मध्य प्रदेश राज्य में उपभोक्ता को विक्रित या आपूर्ति की गई या स्वयं के द्वारा या इसके कर्मचारियों द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा की कुल इकाइयों पर 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा विकास उपकर का भुगतान करेगी। पिछले वर्ष में एकत्रित ऊर्जा विकास उपकर को आगामी वर्ष में निधि में अंतरित किया जाना चाहिए, अर्थात एकत्रित उपकर लोक लेखे के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8229–110– विद्युत विकास निधि में जमा किया जाता है।

2022–23 के दौरान कुल संग्रहित उपकर ₹710.29 करोड़ के विरूद्ध राज्य शासन ने 2023–24 के दौरान ₹780.78 करोड़ की राशि विद्युत विकास निधि में अंतरित की। उपकर का ₹70.49 करोड़ अधिक प्रेषण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को कम दर्शाया गया तथा राजकोषीय घाटे को उसी राशि से अधिक दर्शाया गया।

आगे, 2023–24 के दौरान शासन ने ₹833.34 करोड़ ऊर्जा विकास उपकर के रूप में एकत्रित किये थे।

2.12.2 सभी ऋणों के परिशोधन के लिए ऋण शोधन निधि (सिंकिंग फंड) की स्थापना

बारहवें वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 12.59 में सिफारिश की थी कि राज्यों को ऋणों के परिशोधन के लिए ऋण शोधन निधि (सिंकिंग फंड) स्थापित करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्यों को पिछले वर्ष के अंत में अपनी बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण +

लोक लेखा देयताएं) का न्यूनतम 0.50 प्रतिशत समेकित ऋण शोधन निधि में योगदान करना आवश्यक है।

हमने पाया कि अक्टूबर 2024 तक राज्य शासन द्वारा ऋण शोधन निधि की स्थापना नहीं की गई थी।

2.13 लोक देयता प्रबंधन

लोक देयता प्रबंधन सरकार की देयताओं के प्रबंधन के लिए निधियन की आवश्यक राशि जुटाने हेतु एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, जो अपने जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त करते है, और किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करें जो सरकार ने अधिनियम या किसी अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किए हो।

कुल बकाया देयताओं में ₹11,553 करोड़ (2020–21 के लिए ₹4,542 करोड़ और 2021–22 के लिए ₹7,011 करोड़) का बैक–टू–बैक ऋण शामिल है, जो वस्तु एवं सेवा कर में कमी के बदले में क्षतिपूर्ति के रूप में केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी पुनर्भुगतान देयता के ऋण प्राप्ति के रूप में प्रदान किया गया। इस प्रकार, कुल बकाया ऋण के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात और ऋण पर औसत ब्याज दर की गणना के दौरान इसे बाहर रखा गया है।

वर्ष 2019–20 से 2023–24 के लिए राज्य की बकाया देयताओं को सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के साथ **चार्ट 2.20** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.20: बकाया लोक देयता एवं इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ प्रतिशतता

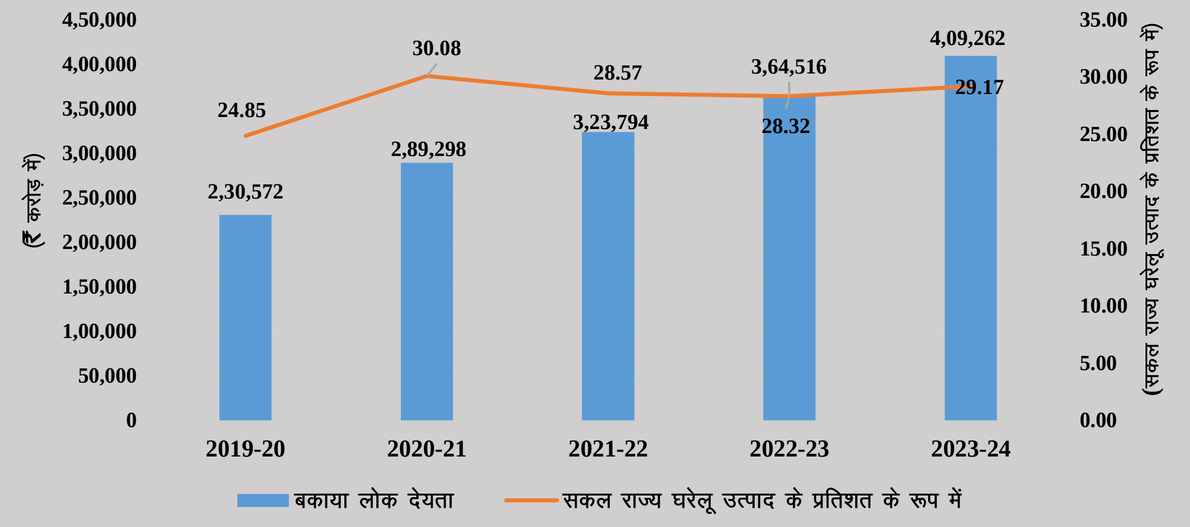

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखें तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

2.13.1 देयता रूपरेखाः संघटक

राज्य सरकार की कुल देयताएं आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति और अन्य बंध पत्र, वित्तीय संस्थानों से ऋण), केन्द्र सरकार से कर्ज एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देयताओं से बनती है। 2019–20 से प्रारंभ पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की संघटक–वार देयताओं की प्रवृत्तियां निम्न **तालिका 2.33** में प्रदर्शित है:

तालिका 2.33: संघटक—वार देयताओं की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल बकाया देयता	**2,30,572**	**2,89,298**	**3,23,794**	**3,64,516**	**4,09,262**
लोक ऋण	1,80,829	2,33,242	2,64,364	3,01,226	3,44,770
आंतरिक ऋण	1,59,793	2,02,719	2,23,013	2,51,428	2,82,516
भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम	21,036	30,523	41,351	49,798	62,254
लोक लेखा देयताएं	49,743	56,056	58,854	62,726	64,118
अल्प बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	19,034	19,894	19,311	18,020	16,976
ब्याज सहित आरक्षित निधियां	5,200	5,684	7,998	8,964	13,168
ब्याज रहित आरक्षित निधियां	6,700	10,144	12,363	14,032	13,429
ब्याज सहित जमाएं	-44	-67	(-)95	204	288
ब्याज रहित जमाएं	18,854	20,400	19,277	21,507	20,256
बजटेत्तर उधारियां	-	-	576	564	374
कुल बकाया देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.66	25.47	11.92	12.58	12.28
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	9,27,855	9,46,628	10,92,964	12,46,471	13,63,327
देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	24.85	30.08	28.57	28.32	29.17
उधारियां एवं अन्य देयताएं					
कुल प्राप्तियां	85,613	1,37,196	88,536	1,19,552	1,24,741
कुल पुनर्भुगतान	49,351	78,470	54,616	78,818	79,805
कुल उपलब्ध निधियां	36,262	58,726	33,920	40,734	44,936
पुनर्भुगतान/प्राप्तियां (प्रतिशत)	57.64	57.20	61.69	65.93	63.98

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोटः विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2023–24 तक संचयी बजटेत्तर उधारी ₹3,261 करोड़ थी। हालांकि, उन्होंने 2019–20 और 2020–21 के लिए वर्ष–वार बजटेत्तर उधारी प्रस्तुत नहीं की, जिसके कारण बकाया देयता की गणना के लिए केवल पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों पर विचार किया गया।

राज्य शासन की कुल देयताओं में निरंतर बढ़ोत्तरी हुयी 2019–20 में ₹2,30,572 करोड़ से 2023–24 तक 77.50 प्रतिशत से बढ़कर ₹4,09,262 करोड़ तक हो गई। विगत वर्ष की तुलना में लोक ऋण में ₹43,544 करोड़ (14.46 प्रतिशत) से वृद्धि हुई। ऊपर दिखाए गए कुल बकाया देयताओं में बजटेत्तर ऋण ₹1,514 करोड़ एवं राज्य शासन (पुनर्भुगतान दायित्व के बिना) को ऋण प्राप्ति के रूप में वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति के बदले में ₹11,553 करोड़ का बैक टू बैक ऋण शामिल है।

अवधि 2019–24 के दौरान लोक लेखा देयताओं में ₹14,375 करोड़ (28.90 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। मुख्य वृद्धि 'ब्याज सहित आरक्षित निधियां' (₹7,968 करोड़) एवं 'ब्याज रहित आरक्षित निधियां' (₹6,729 करोड़) के अंतर्गत थी।

2023–24 के अंत में कुल बकाया देयताओं का घटक–वार विभाजन **चार्ट 2.21** में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.21: वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंत में कुल बकाया देयताओं का विभाजन

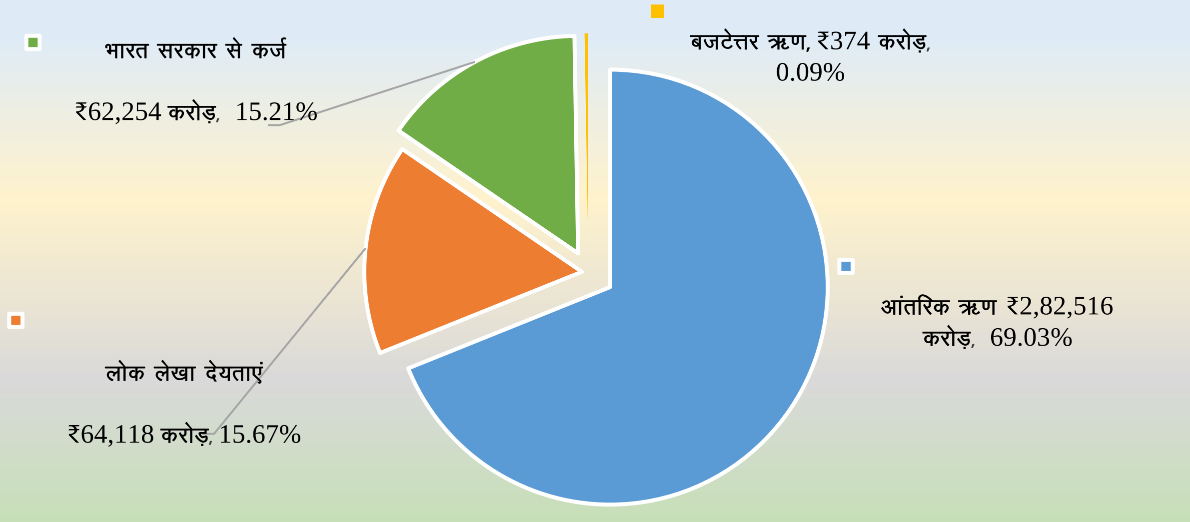

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

निम्न **चार्ट 2.22** पिछले पांच वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण प्रतिमान को दर्शाता है, जबकि **चार्ट 2.23** राज्य शासन द्वारा लिए गए आंतरिक ऋण और उसी अवधि के लिए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।

चार्ट 2.22: संघटक–वार ऋण प्रवृत्तियां

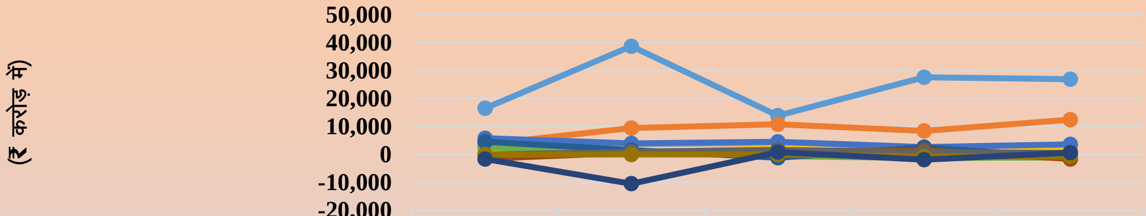

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बाजार से उधारियां	16,550	38,773	13,900	27,585	27,000
भारत सरकार से कर्ज	3,647	9,487	10,829	8,447	12,456
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2,970	3,582	4,129	1,360	3,257
वित्तीय संस्थानों से कर्ज	310	572	2,265	205	1,567
आरक्षित निधियां	5,827	3,929	4,532	2,635	3,602
अल्प बचतें , भविष्य निधियां, इत्यादि	2,456	860	-583	-1,291	-1,043
जमा एवं अग्रिम	4,550	1,524	-1,151	2,529	-1,167
उचंत एवं विविध	-1,522	640	1,128	1,448	-1,596
प्रेषण	-69	1,003	1,617	895	523
अन्य	-47	0	0	-755	-732
रोकड़ में वृद्धि (+)/कमी (-)	-1,672	-10,500	822	-1,856	618

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

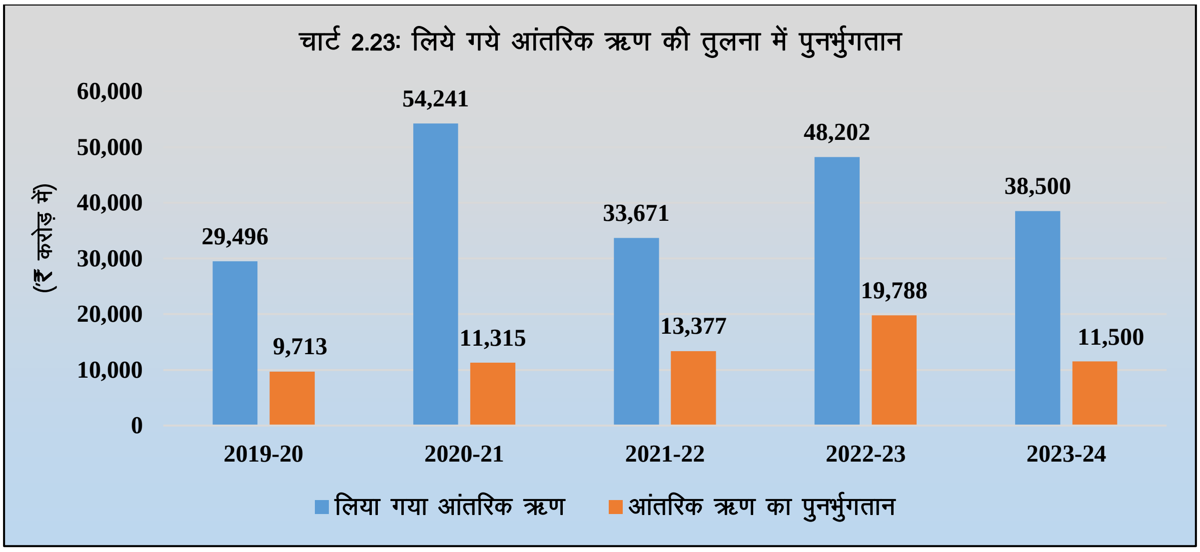

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य शासन का आंतरिक ऋण 2019–20 में ₹1,59,793 करोड़ से 2023–24 में ₹2,82,516 करोड़ तक ₹1,22,723 करोड़ (76.80 प्रतिशत) से बढ़ा।

2.13.1.1 राजकोषीय घाटा और उसके वित्तपोषण प्रतिमान के घटक

राजकोषीय घाटा, राज्य को राजस्व और ऋणेत्तर प्राप्तियों पर राजस्व और पूंजीगत व्यय (कर्ज और अग्रिम सहित) की अधिकता को पूरा करने के लिए राज्य की आवश्यक (मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक से अपने नकदी और निवेश शेष को आहरित करने एवं उधारी द्वारा) कुल वित्तपोषण का प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण प्रतिमान **तालिका 2.34** में परिलक्षित होता है:

तालिका 2.34: राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसका वित्तपोषण प्रतिमान

(₹ करोड़ में)

विवरण		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) (राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद)		**(-)32,970 (3.55)**	**(-)49,870 (5.27)**	**(-)37,487 (3.43)**	**(-)41,202 (3.31)**	**(-)44,485 (3.26)**
राजकोषीय घाटा/आधिक्य के घटक						
1	राजस्व घाटा(-)/आधिक्य(+)	(-)2,801	(-)18,356	4,815	4,091	12,487.78
2	निवल पूंजीगत व्यय	(-)29,228	(-)30,342	(-)39,135	(-)44,391	(-)56,534.81
3	निवल कर्ज एवं अग्रिम	(-)941	(-)1,172	(-)3,167	(-)902	(-)437.72
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रतिमान						
1	बाजार उधारियां	16,550	38,773	13,900	27,585	27,000
2	भारत सरकार से कर्ज	3,647	9,487	10,829	8,447	12,456
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2,970	3,582	4,129	1,360	3,257
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	310	572	2,265	205	1,567
5	आरक्षित निधियां	5,827	3,929	4,532	2,635	3,602
6	अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	2,456	860	(-)583	(-)1,291	(-)1,043
7	जमा एवं अग्रिम	4,550	1,524	(-)1,151	2,529	(-)1,167
8	उचंत एवं विविध	(-)1,552	640	1,128	1,448	(-)1,596
9	प्रेषण	(-)69	1,003	1,617	895	523

विवरण		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
10	अन्य[30]	(-)47	0	0	(-)755	(-)732
11	रोकड़ में वृद्धि (+)/कमीं(-)	(-)1,672	(-)10,500	822	(-)1,856	618
12	**सकल राजकोषीय घाटा**	**32,970**	**49,870**	**37,487**	**41,202**	**44,485**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2023–24 के दौरान राजस्व अधिशेष ₹8,397 करोड़ (205.26 प्रतिशत) से बढ़ा एवं राजकोषीय घाटा 7.97 प्रतिशत से बढ़ा।

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण वाले विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण को **तालिका 2.35** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.35: राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विवरण	प्राप्तियां	संवितरण	निवल
1	बाजार उधारियां	38,500.00	11,500.00	27,000.00
2	भारत सरकार से कर्ज	15,071.63	2,615.25	12,456.38
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	8,010.50	4,753.91	3,256.59
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	3,597.89	2,030.56	1,567.33
5	अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	3,952.49	4,995.85	(-)1,043.36
6	जमा एवं अग्रिम	46,053.32	47,220.06	(-)1,166.74
7	उचंत एवं विविध[31]	2,04,758.76	2,06,355.01	(-)1,596.25
8	प्रेषण	28,210.99	27,687.64	523.35
9	आरक्षित निधियां	9,554.78	5,953.35	3,601.44
10	अन्य	19.01	750.77[32]	(-)731.76
11	रोकड़ शेष में वृद्धि (+)/कमीं(-)	19,151.56	18,533.79	617.77
12	**सकल राजकोषीय घाटा**	**3,76,880.93**	**3,32,396.18**	**44,484.75**

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

2.13.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

लोक ऋण एवं उसकी परिपक्वता रूपरेखा का विवरण **तालिका 2.36** एवं **चार्ट 2.24** में नीचे दिया गया है:

[30] आकस्मिकता निधि एवं निवेश तथा बंधपत्र के अधीन लेन–देन।

[31] उचंत एवं विविध का विभाजन (₹ करोड़ में)

8658: उचंत एवं विविध (निवल)	**(–) 58.99**
8670: चैक एवं बिल्स (निवल)	**(–) 1,536.26**
8679: अन्य देशों की सरकारों के साथ लेखे	**0.00**
8680: विविध सरकारी लेखे	**(–) 1.00**

[32] आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति नही किये गये ₹15 करोड़ सहित।

तालिका 2.36: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता रूपरेखा	राशि			कुल लोक ऋण का प्रतिशत
		आंतरिक ऋण	भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम	कुल	
2025-26 तक	0-2 वर्ष	42,512.34	470.20	42,982.54	12.47
2025-26 एवं 2028-29 के मध्य	2-5 वर्ष	60,201.42	408.36	60,609.78	17.58
2028-29 एवं 2033-34 के मध्य	5-10 वर्ष	72,934.37	324.82	73,259.19	21.25
2033-34 से आगे	10 वर्ष से अधिक	92,043.84	49.30	92,093.14	26.71
अन्य (राज्य शासन के साथ मिलान के अंतर्गत/ऋण पुनर्भुगतान का विवरण अपेक्षित)		14,823.55	61,001.63	75,825.18	21.99
योग		**2,82,515.52**	**62,254.31**	**3,44,769.83**	-

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

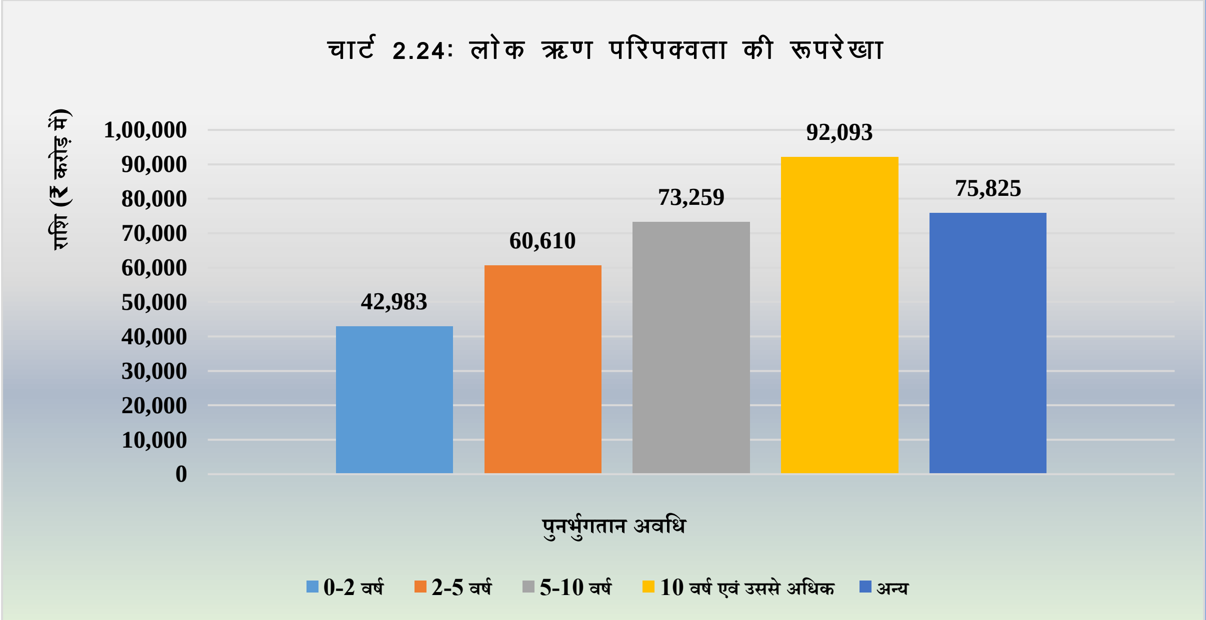

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

31 मार्च 2024 तक लोक ऋण की बकाया मात्रा की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि ₹3,44,769.83 करोड़ के बकाया लोक ऋण में से, 51.30 प्रतिशत (₹1,76,851.51 करोड़) आगामी 10 वर्षों के अंदर देय है जबकि शेष 48.70 प्रतिशत (₹1,67,918.32 करोड़) 10 वर्षों से अधिक की परिपक्वता अवधि में देय है। कुल बकाया लोक ऋण में से, आंतरिक ऋण में बाजार उधारियां, क्षतिपूर्ति एवं बंधपत्र, वित्तीय संस्थानों से कर्ज और केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों का 81.94 प्रतिशत (₹2,82,515.52 करोड़) शामिल है।

2022–23 की हमारे पिछले प्रतिवेदनों में दर्शाए गए और 2023–24 में वास्तविक किये गये भुगतान के सापेक्ष विवरण निम्न **तालिका 2.37** में तालिकाबद्ध है:

तालिका 2.37: लोक ऋण का भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	31 मार्च को बकाया ऋण	सांकेतिक भुगतान	वास्तविक पुनर्भुगतान
2022-23	3,01,225.53	18,430.25	22,006.24
2023-24	3,44.769.83	17,625.31	21,635.72

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.13.3 बाजार उधारियों एवं ब्याज का पुनर्भुगतान

राज्य शासन के उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा शासित होते हैं। राज्य सरकार विभिन्न राज्य योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और राजकोषीय देनदारियों की पूर्ति के लिए बाजार से ऋण/उधार लेती है।

वित्त लेखे के अनुसार, वर्ष 2024–25 से आगे के लिए इन ऋणों पर ब्याज सहित बाजार ऋणों के पुनर्भुगतान की अनुसूची नीचे **तालिका 2.38** और **चार्ट 2.25** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.38: बाजार ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया बाजार ऋण	बाजार ऋण	ब्याज	कुल
2024-25 तक	2,22,625.39	15,458.00	9,983.52	25,441.52
2025-26	2,07,167.39	14,700.00	12,188.70	26,888.70
2026-27	1,92,467.39	18,100.00	12,555.00	30,655.00
2027-28	1,74,367.39	15,000.00	11,360.00	26,360.00
2028-29	1,59,367.39	10,550.00	7,970.93	18,520.93
2029-30	1,48,817.39	12,500.00	8,474.10	20,974.10
2030-31	1,36,317.39	9,000.00	6,220.50	15,220.50
2031-32	1,27,317.39	10,000.00	6,880.00	16,880.00
2032-33	1,17,317.39	14,000.00	10,798.40	24,798.40
2033-34	1,03,317.39	12,371.00	11,421.32	23,792.32
योग		**1,31,679.00**	**97,852.47**	**2,29,531.47**

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24 एवं ब्याज की गणना कार्यालय महालेखाकार (ले./ह.)–प्रथम, मध्य प्रदेश द्वारा की गयी

नोटः ब्याज की गणना पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च तक कुल बकाया देयता पर की जाती है। मार्च 2024 तक कुल बकाया देयता ₹2,22,625.39 करोड़ थी। भविष्य के ब्याज की गणना पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार घटती शेष राशि पर की गई है।

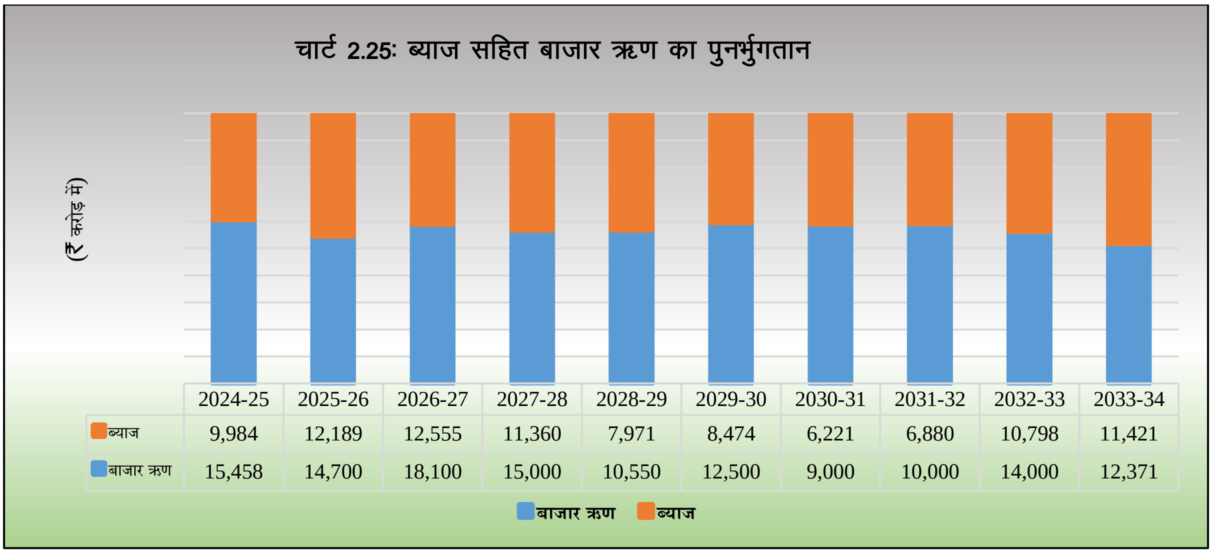

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24 एवं ब्याज की गणना कार्यालय महालेखाकार (ले./ह.)–प्रथम, मध्य प्रदेश द्वारा की गयी

जैसा कि उपरोक्त तालिका और चार्ट से देखा जा सकता है कि राज्य सरकार को 2033–34 तक ₹2,29,531.47 करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा, जिसमें ₹1,31,679.00 करोड़ का बाजार ऋण और बाजार ऋण पर ₹97,852.47 करोड का ब्याज भुगतान शामिल है।

2.13.4 पिछले वर्ष की देयताओं का आगामी वर्ष के बजट से भुगतान

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 13 के अनुसार, सरकार द्वारा निर्विवाद रूप से देय धनराशि के भुगतान में देरी सभी नियमों और बजटीय सिद्धांतों के विपरीत है और इससे बचा जाना चाहिए। नियम 14 में यह परिकल्पना की गई है कि सभी व्ययों का एक साथ भुगतान किया जाना चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में उन्हें किसी अन्य वर्ष के विनियोग से भुगतान करने के लिए संचित नहीं होने दिया जाना चाहिए। यदि संभव हो, तो व्यय को तब तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए जब तक कि नए बजट की तैयारी में प्रावधान करने का अवसर न मिल जाए, और जब तक कि उस बजट की स्वीकृति से साधन उपलब्ध न हो जाएं, लेकिन किसी भी स्थिति में एक वर्ष में वास्तव में व्यय किया गया प्रभार किसी अन्य वर्ष के विनियोजन पर नहीं डाला जा सकता।

कार्यपालन यंत्री, हल्की मशीनरी एवं विद्युत यांत्रिकी संभाग, जल संसाधन संभाग, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर एवं ग्वालियर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों को एक वर्ष से 10 वर्ष की अवधि के लिए भुगतान राशि ₹3.40 करोड़ लंबित थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्रियों ने उत्तर दिया कि बजट में निधि की कमी थी, अतः बजट की उपलब्धता के अनुसार भुगतान किया गया था, अतः भुगतान उसी के अनुसार किया गया। आवंटन प्राप्त होने पर भुगतान किया जाएगा।

कार्यपालन यंत्रियों का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भी देय ₹3.40 करोड़ का भुगतान लंबित था।

2.14 ऋण संधारणीयता विश्लेषण

ऋण संधारणीयता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदण्डों के आधार पर किया गया है; डोमर दृष्टिकोण राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों के लिए समष्टि–राजकोषीय मापदण्डों से संबंधित है। ऋण संधारणीयता राज्य की भविष्य में अपने ऋणों का भुगतान करने की क्षमता को दर्शाती है।

ऋण संधारणीयता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण **तालिका 2.39** में दिया गया है।

तालिका 2.39: ऋण संधारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	ऋण संधारणीयता संकेतक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	लोक ऋण एवं अन्य देयताएं (कुल ऋण)[33]	2,30,572	2,84,756	3,12,241	3,52,963	3,97,709
2	कुल ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.81	23.50	9.65	13.04	12.68
3	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	9,27,855	9,46,628	10,92,964	12,46,471	13,63,327
4	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.82	2.02	15.46	14.05	9.37
5	कुल ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	24.85	30.08	28.57	28.32	29.17
6	**सभी प्रकार के उधारों की परिपक्वता रूपरेखा (लोक लेखों के अंतर्गत देयताओं सहित, यदि कोई हो)**					
6क	0-2 वर्ष	19,761.16	26,239.79	34,470.75	38,865.84	42,982.54

[33] लोक ऋण एवं अन्य देयताएं, बजटेत्तर उधारियों सहित परंतु 2020–21 के लिए ₹4,542 करोड़ और 2021–22 के लिए ₹7,011 करोड़ का बैक–टू–बैक ऋण शामिल नही है, जो वस्तु एवं सेवा कर में कमी के बदले में क्षतिपूर्ति के रूप में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया था।

स.क्र.	ऋण संधारणीयता संकेतक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
6ख	2-5 वर्ष	33,562.60	50,859.14	59,761.31	63,307.46	60,609.78
6ग	5-10 वर्ष	79,108.75	79,983.42	73,500.90	69,538.48	73,259.19
6घ	10 वर्ष से अधिक	48,396.20	76,159.56	96,631.49	12,9513.75	1,67,918.32
7	सकल उधारियों का पुनर्भुगतान (प्रतिशत)	21.40	4.48	17.50	22.33	20.07
8	सकल उधारियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल उधारियां	78.60	95.52	82.51	77.67	79.93
9	कुल ऋण पर ब्याज भुगतान	14,216.52	15,917.87	18,445.91	19,453.27	23,098.41
10	कुल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत)	7.50	6.33	6.95	6.65	7.12
11	राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	9.63	10.87	9.92	9.54	9.87
12	राजस्व घाटा/आधिक्य	-2,800.95	-18,356.22	4,814.55	4,090.93	12,487.78
13	राजस्व प्राप्ति	1,47,643	1,46,377	1,85,876	2,03,986	2,34,026
14	राजस्व व्यय	1,50,444.30	1,64,733.01	1,81,061.30	1,99,895.26	2,21,538.26
15	प्राथमिक राजस्व शेष (12-13+9)	11,415.22	-2,438.14	23,260.61	23,544.01	35,586.15
16	राजकोषीय घाटा	-32,970	-49,870	-37,487	-41,202	-44,485
17	प्राथमिक शेष (15+9)	-18,753.48	-33,952.13	-19,041.09	-21,748.73	-21,386.59
18	प्राथमिक शेष / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	-2.02	-3.59	-1.74	-1.74	-1.57
19	कुल ऋण पर ब्याज दर एवं प्रभावी ब्याज दर के मध्य अंतर	3.51	0.28	81.75	194.77	55.30
20	तरलता प्रबंधन (भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन उपकरणों का उपयोग) (कई अवसरों पर)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
21	ऋण संधारणीयता (प्रमात्रा प्रसार+प्राथमिक शेष)	-9,907.67	-44,836.85	4,587.57	968.95	-13,708.02
22	**डॉमर मापदंड**					
क	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर मूल्यों पर)	5,67,525	5,41,016	5,84,470	6,22,908	6,60,363
ख	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (स्थिर मूल्यों पर)	4.64	-4.67	8.03	6.58	6.01
ग	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति (प्रतिशत)	5.47	6.83	6.45	7.46	4.36
घ	प्रभावी ब्याज दर	7.50	6.33	6.95	6.65	7.12
ङ	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (वास्तविक प्रभावी ब्याज दर–मुद्रा स्फीति)	2.03	-0.50	0.50	-0.81	2.76
च	ब्याज अंतर वृद्धि (वास्तविक वृद्धि–वास्तविक प्रभावी ब्याज दर)	2.61	-4.17	7.53	7.39	3.25

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

प्रभावी ब्याज दरः {ब्याज भुगतान/(विगत वर्ष एवं चालू वर्ष का औसत बकाया ऋण ब्याज रहित दायित्वों को छोड़कर)}

तरलता प्रबंधनः विषेष आहरण सुविधा, अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्षण के विरूद्ध प्राप्त राषि

प्रमात्रा प्रसार=(ऋण*दर प्रसार) जहां दर प्रसार=(सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर–ब्याज दर)

तालिका 2.39 से निम्नलिखित को सारांशीकृत किया जा सकता है:

- **ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात:** ऋण संधारणीयता को मुख्य रूप से ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के माध्यम से मापा जाता है। यह अनुपात 2022–23 में 28.32 से 0.85 प्रतिशत बढ़कर 2023–24 में 29.17 प्रतिशत हो गया। कुल मिलाकर, 2019–24 के दौरान ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में 4.32 प्रतिशत से वृद्धि हुई। हालांकि, यह पिछले तीन वर्षों अर्थात 2021–22 से 2023–24 के दौरान मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रवंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर रहा।

- **प्राथमिक शेष:** इसे राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर से मापा जाता है। 2019–24 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान प्राथमिक शेष राशि नकारात्मक (घाटा) था। पांच वर्षों की अवधि के दौरान नकारात्मक प्राथमिक शेष राशि और बढ़ते ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात से संकेत मिलता है कि ऋण लंबे समय में गैर संधारणीय हो सकता है क्योंकि ब्याज भुगतान में वृद्धि से सरकार की पूंजीगत व्यय करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

- **ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात:** राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का अनुपात भी ऋण संधारणीयता का एक अच्छा मानक है। 2019–24 की अवधि के दौरान यह अनुपात 9.54 प्रतिशत और 10.87 प्रतिशत के बीच था। यह अनुपात समय के साथ कम होना चाहिए ताकि अन्य उत्पादक उद्देश्यों के लिए अधिक संसाधन बचे रहें, हालांकि, यह प्रवृत्ति 2021–22 से 2023–24 के दौरान स्थिर बनी रही और 2022–23 में 9.54 से मामूली रूप से बढ़कर 2023–24 में 9.87 हो गई, इस अनुपात की बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाती है कि राज्य को इस अनुपात को कम करने का प्रयास करना चाहिए ताकि ऋण प्रक्षेपवक्र एक संधारणीय पथ पर सतत बना रहे।

- **पुनर्भुगतान का सकल उधारियों से अनुपात:** पुनर्भुगतान का सकल उधारियों से प्रतिशत 2022–23 में 22.33 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 20.07 प्रतिशत हो गया, जो एक सकारात्मक संकेतक है। हालांकि, पुनर्भुगतान का लोक ऋण प्राप्तियों से अभी भी ऊंचा ₹21,636 करोड़ (33.19 प्रतिशत) बना हुआ है, जो दर्शाता है कि सकल उधारी की पर्याप्त राशि का उपयोग पहले के ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था, जिससे पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उधार ली गई धनराशि के उपयोग के लिए कम राजकोषीय स्थान बचता है।

- **उधारियों की परिपक्वता रूपरेखा** राज्य के ऋण पर मोचन दबाव को दर्शाता है; उच्च परिपक्वता रूपरेखा वर्तमान में उच्च मोचन दबाव और भविष्य में कम मोचन दबाव को इंगित करता है। अगले 10 वर्षों में ऋण का पुनर्भुगतान प्रतिशत 73.24 प्रतिशत (2019–20) से घटकर 51.30 प्रतिशत (2023–24) हो गया, लोक ऋण के पुनर्भुगतान प्रतिशत में कमी की प्रवृत्ति इंगित करती है कि राज्य से ऋण का मोचन दबाव वर्तमान में कम हो रहा था। हालांकि, राज्य को अन्य देयताओं के लिए भी भुगतान रूपरेखा बनाने की आवश्यकता है जिसमें लघु बचत मोचन, भविष्य निधियां और आरक्षित निधियां (या तो ब्याज सहित या ब्याज रहित) शामिल हैं, ताकि इसके पुनर्भुगतान देयताओं को सही ढंग से समझा जा सके और बाद के बजटों में भी उपयुक्त वित्तीय योजना बनाई जा सके।

- **तरलता प्रबंधन:** वर्ष 2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश शासन ने पर्याप्त/निर्धारित दैनिक नकदी शेष बनाए रखा और भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पकालिक अर्थोपाय अग्रिम पर निर्भर नहीं रही, जो दर्शाता है कि राज्य सरकार ने अपनी तरलता का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया है।

- **डॉमर मॉडल विश्लेषण:** ई.डी. डॉमर (1944) द्वारा किए गए एक अध्ययन के आधार पर ऋण संधारणीयता विश्लेषण किया गया था। डॉमर मॉडल बताता है कि लोक ऋणग्रस्तता की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि सरकारी उधार के लिए ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद/सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  डॉमर अंतराल (वास्तविक विकास दर (जी) – ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर (आर)) पिछले पांच वर्षों (2019–24) के दौरान कोविड–19 वर्ष (2020–21) को छोड़कर सकारात्मक रही। इस प्रकार, ऋण संधारणीयता के डॉमर मॉडल विश्लेषण के अनुसार, यह माना जा सकता है कि लोक ऋण शून्य से अधिक है तो यह स्थिर स्तर पर अभिसरित होगा।

  हालांकि, 2021–22 से 2023–24 की अवधि में डॉमर अंतराल को देखकर मजबूत आर्थिक विकास (जी–आर > 0 के रूप में व्यक्त) की प्रवृत्ति को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। इस तीन वर्ष की अवधि के दौरान, राज्य में प्राथमिक घाटा था। इसके अलावा, 2021–24 की अवधि के दौरान कुल ऋण प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा (33 से 37 प्रतिशत) ऋण देयताओं को चुकाने के लिए उपयोग किया गया था, जिसका अर्थ है कि आर्थिक संवृद्धि ऋण को चुकाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है।

2.14.1 उधार लिए गए धन का उपयोग

उधार लिए गए धन का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी सृजन और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान उपभोग को पूरा करने के लिए एवं बकाया कर्ज पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार लिए गए धन का उपयोग करना संधारणीय नही है। 2019–24 के दौरान उधार लिए गए धन के उपयोग की प्रवृत्तियां और विवरण **तालिका 2.40** एवं **चार्ट 2.26** में दिया गया है:

तालिका 2.40: उधार लिए गए धन का उपयोग

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल उधारियां	34,364.41	65,170.50	46,284.98	58,867.32	65,180.02
पूर्व की उधारियों का पुनर्भुगतान अर्थात मूलधन (प्रतिशत)	10,933.62 (31.82)	12,757.30 (19.58)	15,162.44 (32.76)	22,006.24 (37.38)	21,635.72 (33.19)
उधारियों की निवल उपलब्ध निधि	23,430.79	52,413.20	31,122.54	36,861.08	43,544.30
निवल पूंजीगत व्यय	29,227.82	30,341.31	39,135.41	44,391.60	56,534.81
निवल कर्ज एवं अग्रिम	941.30	1,172.00	3,166.52	902.05	437.72
राजस्व व्यय का भाग जो निवल उपलब्ध उधारियों से मिलता है	निरंक	20,899.89	निरंक	निरंक	निरंक

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

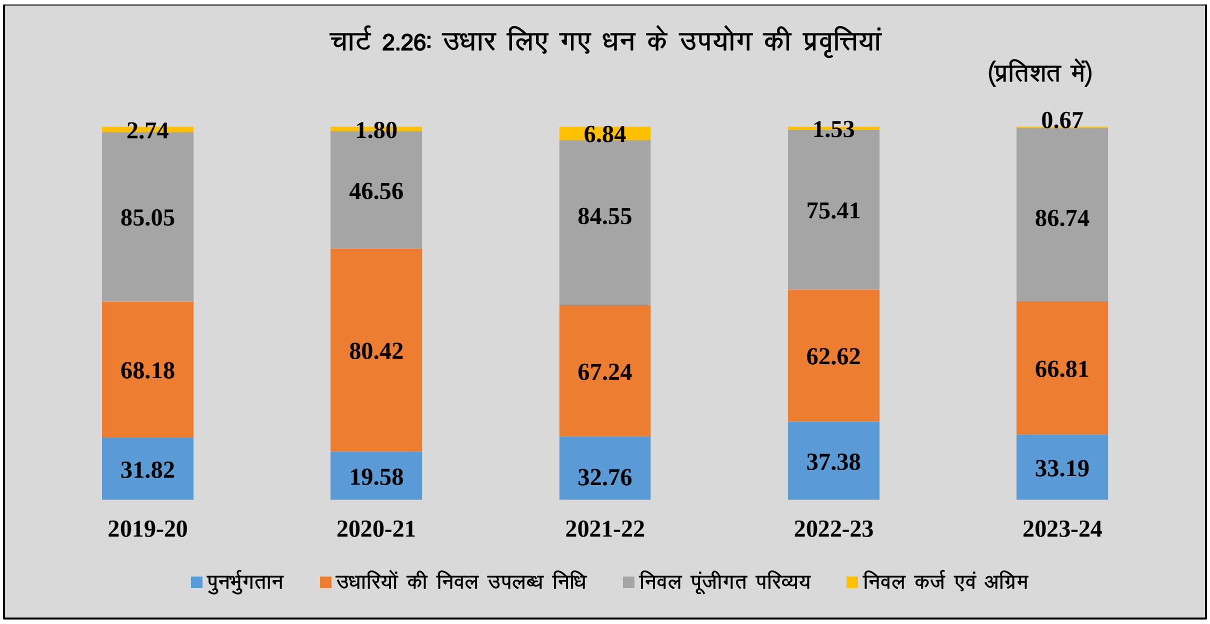

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका/चार्ट से यह देखा जा सकता है कि राज्य शासन ने 2023–24 (पिछले पांच वर्षों के दौरान औसत व्यय का 30.95 प्रतिशत) के दौरान अपने कुल उधार का 33 प्रतिशत पिछले ऋण/देयताओं को चुकाने के लिए खर्च किया, जिससे उधार ली गई धनराशि में से पूंजीगत परिव्यय के लिए कम गुंजाइश बची। 2019–24 की अवधि के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान करने के बाद ऋण की निवल उपलब्ध निधि 62.62 प्रतिशत एवं 80.42 प्रतिशत के मध्य रही, जिससे विकासात्मक गतिविधियों के लिए सीमित धन राशि बची।

2.14.2 प्रत्याभूतियों–आकस्मिक देयताओं की स्थिति

प्रत्याभूतियां उधारकर्ता की चूक के कारण राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं, जिसके लिए प्रत्याभूति बढ़ाई गई है। राज्य शासन की कुल बकाया प्रत्याभूतियां राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम[34] के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर थी। 2019–24 के दौरान राज्य शासन द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियां नीचे **तालिका 2.41** में दर्शायी गयी है:

तालिका 2.41: राज्य शासन द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियां	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की बकाया राशि लागू सीमा तक (मानदण्ड)	1,19,114	1,18,115	1,17,101	1,48,701	1,63,189
ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	30,930	37,010	35,006	39,788	45,551

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

[34] कुल प्रत्याभूतियां, पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गयी बकाया प्रत्याभूतियां एवं अधिकतम प्रत्याभूति राशि का विवरण ***परिशिष्ट 2.1*** में दिया गया है। 31 मार्च 2024 तक बकाया प्रत्याभूतियों के क्षेत्र–वार संघटक को **चार्ट 2.27** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.27: 31 मार्च 2024 को क्षेत्र–वार प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

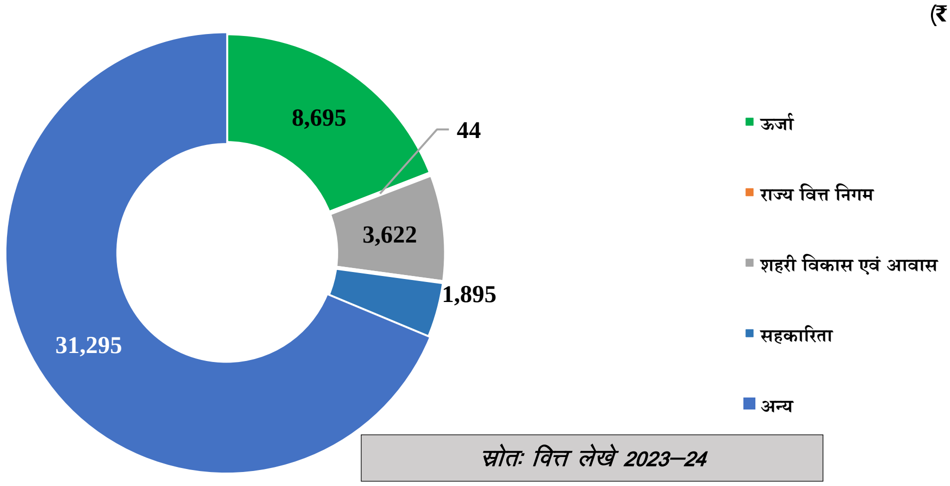

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

मध्य प्रदेश शासन ने 2023–24 के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा चूक के कारण प्रत्याभूतियों की किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया। प्रत्याभूति की अधिकतम राशि के संघटक ऊर्जा क्षेत्र की छः[35] इकाइयां (₹16,437 करोड़), नगरीय विकास एवं आवास के छः[36] संस्थान (₹7,389 करोड़), अन्य क्षेत्रो के सात[37] संस्थान (₹34,486 करोड़), सहकारिता (₹6,655 करोड़) एवं राज्य वित्त निगम (₹450 करोड़) थे।

प्रत्याभूति शुल्क प्रमुख ऋणी से प्रभारित किया जाता है जब तक कि विशेष रूप से छूट नहीं दी गयी हो। 2023–24 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्याभूति शुल्क के रूप मे कुल प्राप्य ₹1,517.17 करोड़ में से ₹24.08 करोड़ प्राप्त किए।

2.14.3 रोकड़ शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए एक समझौते के अनुसार, राज्य शासन को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष ₹1.96 करोड़ बनाए रखना है। यदि यह शेष राशि निश्चित न्यूनतम से किसी दिन कम हो जाती है, उस कमी की पूर्ति समय–समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण लेकर की जाती है। 1 फरवरी 2016 से राज्य शासन के लिए साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹1,600 करोड़ थी और बैंक द्वारा समय–समय पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को पुनरीक्षित किया जाता है।

2.14.3.1 रोकड़ शेष

मध्य प्रदेश शासन के 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2024 को रोकड़ शेषों का विवरण **चार्ट 2.28** में दर्शाया गया है:

---

[35] मध्य प्रदेश ऊर्जा उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश ऊर्जा पारेषण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर, मध्य प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर।

[36] नगर निगम, नगर पालिका, राज्य विकास इकाई, लिमिटेड, मध्य प्रदेश नगरीय विकास कम्पनी लिमिटेड, नगर परिषद, मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड।

[37] मध्य प्रदेश औद्यौगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मध्य प्रदेश खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक निर्माण कार्य विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, उच्च शिक्षा और पशुपालन।

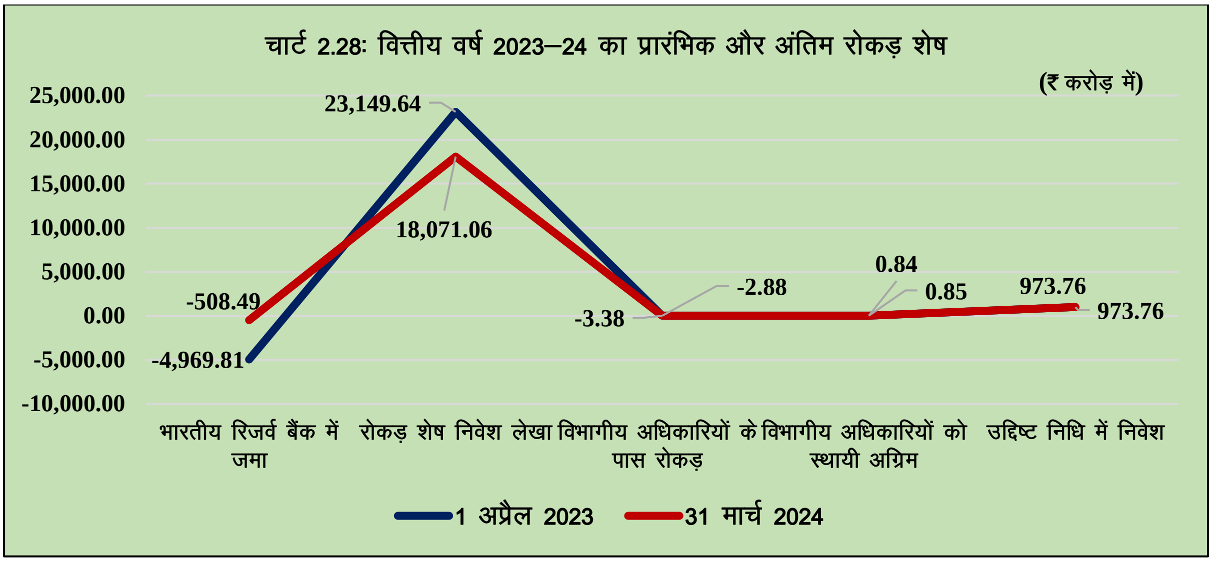

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

2023–24 के दौरान राज्य शासन ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष को बनाए रखा एवं वर्ष के दौरान कोई साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण नहीं लिया गया।

2.14.3.2 रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 2.42 वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा रोकड़ शेष एवं इनमें से किए गए निवेशों का चित्रण करती है:

तालिका 2.42: रोकड़ शेष एवं उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2024 को अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषालयों में रोकड़	--	--
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	(-)4,969.81	(-)508.49[38]
पारगमन में प्रेषण– स्थानीय	--	--
योग	**(-)4,969.81**	**(-)508.49**
रोकड़ शेष निवेश लेखे में हुए निवेश	**23,149.64**	**18,071.06**
योग (अ)	**18,179.83**	**17,562.57**
(ब) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय रोकड़ शेष	(-)2.88	(-)3.38
स्थायी पेशगी	0.85	0.84
उद्दिष्ट निधि में से निवेश	973.76	973.76
योग (ब)	**971.73**	**971.22**
महायोग (अ)+(ब)	**19,151.56**	**18,533.79**
अर्जित ब्याज	**166.17**	**168.49**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

38 मार्च 2024 के अंत में, महालेखाकार के खातों में दर्शाए गए ₹509.49 करोड़ (क्रेडिट) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए ₹188.99 करोड़ (डेबिट) के बीच "रिजर्व बैंक के पास जमा" के अंतर्गत ₹319.50 करोड़ (क्रेडिट) का शुद्ध अंतर था। रिजर्व बैंक के पास जमा के अंतर्गत अंतर एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक और कोषालय अधिकारियों के खातों में लेनदेन के गलत प्रतिवेदन के कारण है।

वर्तमान वर्ष के अंत में राज्य शासन के रोकड़ शेष में 2022–23 में ₹19,152 करोड़ से 2023–24 में ₹18,534 करोड़ तक की उल्लेखनीय रूप से कमी हुई। ₹618 करोड़ की कमी का मुख्य कारण कोषालय देयकों में निवेश 2022–23 में ₹23,150 करोड़ से 2023–24 में ₹18,071 करोड़ तक ₹5,079 करोड़ से कमी के कारण था।

राज्य शासन अपने रोकड़ शेष अधिशेष को भारत सरकार की अल्प और दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों और कोषालय देयकों में निवेश करती है। इस प्रकार के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष '0049–ब्याज प्राप्तियां' के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। 2023–24 के दौरान, राज्य शासन ने कोषालय देयकों में किए गए निवेश से ₹168.49 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।

2019–20 से 2023–24 तक की संपूर्ण अवधि के लिए अर्जित ब्याज **तालिका 2.43** में दिया गया है:

तालिका 2.43: रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष–8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी(-)	अर्जित ब्याज
2019-20	8,638.46	11,270.17	2,631.71	145.29
2020-21	11,270.17	20,788.72	9,518.55	144.73
2021-22	20,788.72	17,441.88	(-)3,346.84	196.99
2022-23	17,441.88	23,149.64	5,707.76	166.17
2023-24	23,149.64	18,071.06	(-)5,078.58	168.49

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य शासन के रोकड़ शेष निवेश के अंतिम शेष का प्रवृत्ति विश्लेषण 31 मार्च 2020 को ₹11,270.17 करोड़ से 31 मार्च 2024 को ₹18,071.06 करोड़ तक ₹6,800.89 करोड़ से वृद्धि को दर्शाता है।

2019–24 की अवधि के दौरान नकद शेष निवेश लेखों में उपलब्ध शेषों एवं राज्य द्वारा लिए गए बाजार कर्ज की तुलना निम्न **चार्ट 2.29** करता है। बाजार कर्ज अधिक ब्याज दरों पर लिया गया जबकि कोषालय देयकों में किए गए निवेश से कम दरों पर ब्याज प्राप्त हुआ।

चार्ट 2.29: रोकड़ शेष निवेश के सापेक्ष बाजार कर्ज

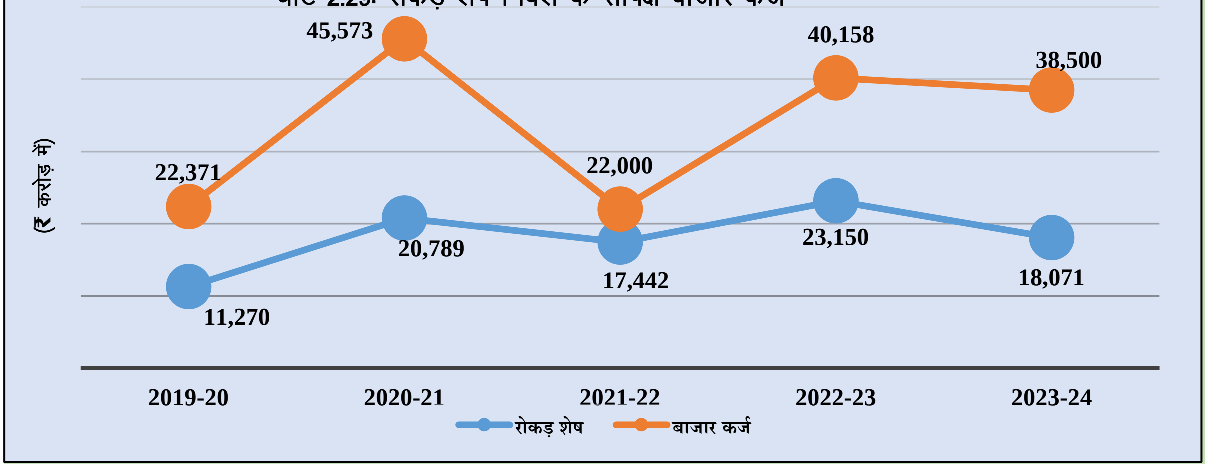

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023–24 के दौरान बाजार कर्ज एवं रोकड़ शेष निवेश का माह–वार चित्रण नीचे **चार्ट 2.30** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.30: 2023–24 के दौरान बाजार कर्ज एवं रोकड़ शेष निवेश की माह–वार चाल

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं ह.)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी

अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक राज्य शासन द्वारा माह–वार रोकड़ शेष निवेश ₹373 करोड़ एवं ₹5,698 करोड़ के मध्य था, जबकि बाजार कर्ज ₹2,000 करोड़ एवं ₹13,000 करोड़ के मध्य था। इसके अलावा, 2023–24 में राज्य शासन द्वारा उधारियों पर ₹23,098 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया, जबकि रोकड़ शेष निवेश पर केवल ₹168.49 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया था। चूंकि उधार आवश्यकता आधारित होते हैं, तथा शासन के पास पर्याप्त नकदी शेष थी, जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, मध्य प्रदेश शासन को नकदी शेष का अधिक विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए था, ताकि उधार पर निर्भरता से बचा जा सके, जो अंततः राज्य की देयताओं को बढ़ातीं हैं।

राज्य शासन को आवश्यकता आधारित उधारी की नीति अपनानी चाहिए और न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखना चाहिए। इन वित्तीय वर्षों के अंत में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा' में किया गया उच्च स्तर का निवेश इंगित करता है कि बेहतर नकदी प्रबंधन की आवश्यकता है।

2.15 निष्कर्ष

2023–24 के दौरान राज्य ने तीनों मुख्य राजकोषीय लक्ष्यों अर्थात् राजस्व अधिशेष को बनाये रखना, राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात और कुल बकाया दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात को प्राप्त किया। इसके अलावा वर्तमान वर्ष के दौरान, राज्य ने राजस्व अधिशेष (₹12,488 करोड़) दर्ज किया। पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं के कर राजस्व और करेत्तर राजस्व दोनों में वृद्धि हुयी, जो लक्ष्य से अधिक थी।

राज्य शासन द्वारा 'रोकड़ शेष निवेश लेखा' में रखा गया निवेश 2022–23 एवं 2023–24 के अंत में क्रमशः ₹19,151.56 करोड़ एवं ₹ 18,533.79 करोड़ था। रोकड़ शेष निवेश लेखे में ब्याज की न्यूनतम दर पर वृहद् राशि रखना जबकि ब्याज की उच्च दर पर उधारी लेना वित्तीय दुविधा है। इन वित्तीय वर्षों के अंत में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा' में रखा गया उच्च स्तर का निवेश इंगित करता है कि बेहतर नकदी प्रबंधन की आवश्यकता है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य शासन द्वारा वर्ष 2023–24 तक सांविधिक निगमों, कम्पनियों, सहकारी समितियों, इत्यादि में किए गए ₹47,485.80 करोड़ के निवेश पर प्रतिलाभ (₹291.41 करोड़) वर्ष के दौरान, औसत उधारी लागत 6.44 प्रतिशत के विरूद्ध केवल 0.61 प्रतिशत था। सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों (₹48,263 करोड़) पर प्राप्त ब्याज की दर भी केवल 3.13 प्रतिशत थी।

2.16 अनुशंसाएं

- राज्य सरकार बजट प्रक्रिया की योजना अधिक तर्कसंगत तरीके से बनाने के लिए उपाय आरंभ कर सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच लगातार अंतर को कम किया जा सके।
- राज्य शासन को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो भारी नुकसान उठा रहे हैं के कामकाज की समीक्षा करनी चाहिए और उनके पुनरुद्धार की रणनीति तैयार करें।
- राज्य शासन नए उधार लेने से पहले आवश्यकता–आधारित उधार लेने और मौजूदा नकदी शेष का उपयोग करने पर विचार कर सकती है।
- राज्य शासन अपने निवेशों पर उच्चतर प्रतिलाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने निवेशों की समीक्षा और पुनर्गठन कर सकती है।

अध्याय III

बजटीय प्रबंधन

अध्याय III–बजटीय प्रबंधन

3.1 प्रस्तावना

प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करता है कि नीतिगत स्तर पर लिये गये निर्णय के बिना किसी अपव्यय या निधियों के व्यपवर्तन के प्रशासनिक स्तर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित होते है। यह अध्याय राज्य शासन की आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजट निरुपण की पारदर्शिता एवं उसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां करता है।

3.1.1 बजट तैयार करने की प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाना है। व्यय का अनुमान व्यय की भारित और दत्तमत मदों को अलग–अलग दिखाता है और राजस्व लेखों पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायी प्राधिकार आवश्यक है।

मध्य प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार, वित्त विभाग विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। विभागाध्यक्षों की सलाह पर नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों एवं व्यय का विभागीय अनुमान तैयार किया जाता है तथा निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विभाग अनुमानों का संकलन करता है और विस्तृत अनुमान तैयार करता है जिसे 'अनुदान की मांग' कहा जाता है। राज्य के बजट में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं जैसा कि **चार्ट 3.1** में दिया गया है।

चार्ट 3.1: राज्य के बजट के दस्तावेजों का विवरण

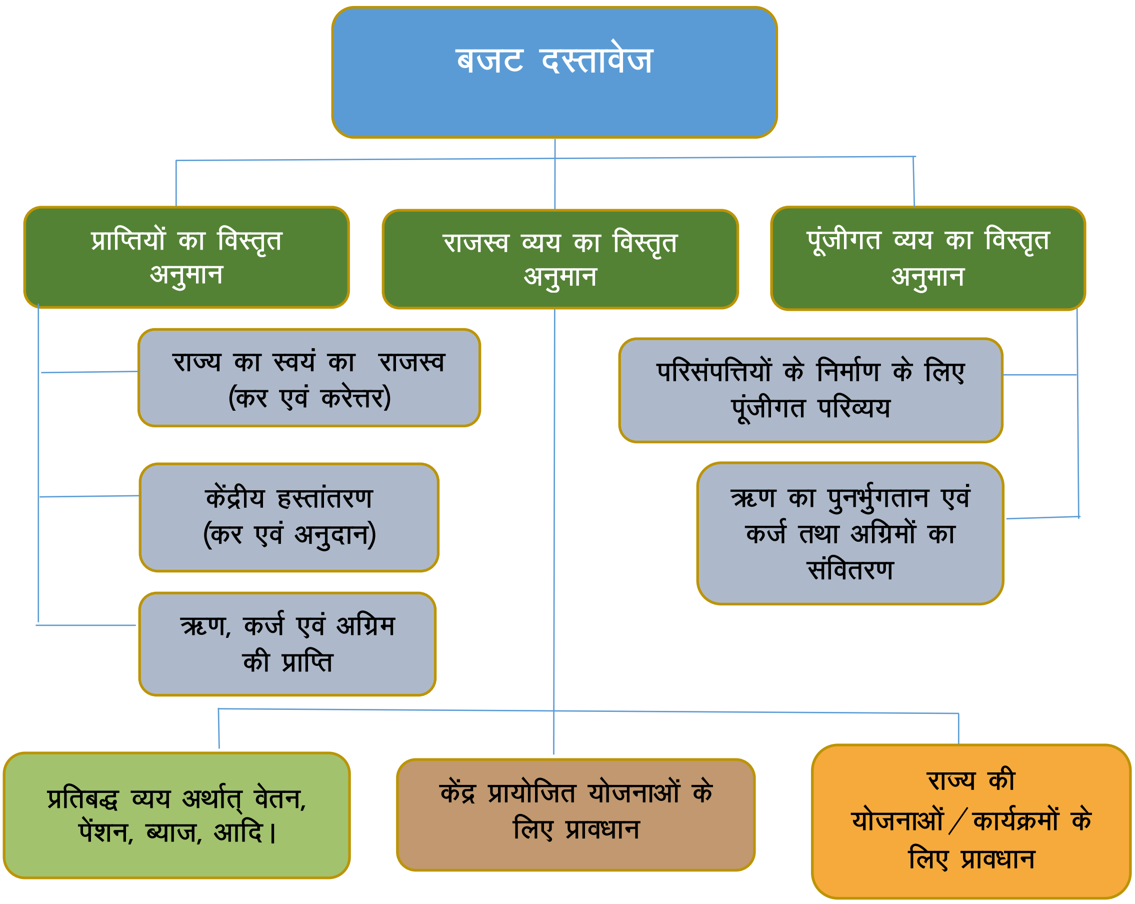

वित्त विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट), और अनुदान की मांगें क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 199, 202 और 203 के अंतर्गत आवश्यक हैं।

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा राज्य की संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष के दौरान अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग प्रदान किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा सभी व्यय वहन करने के लिए विधायी प्राधिकार अनिवार्य शर्त है। प्रत्येक शासकीय विभागों के मार्गदर्शन करने के लिए, राज्य सरकार वित्तीय नियम बनाती है और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रावधान करती है। ये शक्तियां विनियोग और पुनर्विनियोजन पर प्रतिबंधों के साथ—साथ व्यय करने की सीमा और ऐसे व्यय को मंजूरी देने के लिए अधिकृत स्तरों की स्थापना करते हैं।

राज्य शासन अपने वार्षिक बजट तथा अनुदानों/विनियोगों की 59 मांगों की प्रस्तुती द्वारा राज्य की समेकित निधि में से व्यय के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करता है। सामान्यतः प्रत्येक विभाग के पास अनुदान के लिए एक मांग होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए विभागाध्यक्ष नीति निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है और सार्वजनिक धन को इच्छित उद्देश्यों के लिए व्यय करता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान मूल बजट राशि के आधिक्य में व्यय की पूर्ति के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान/विनियोग प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य शासन वर्ष के दौरान विनियोग की विभिन्न इकाईयों जहां बचतें प्रत्याशित है, एक ही खंड (राजस्व—दत्तमत, राजस्व—भारित, पूंजीगत—दत्तमत, पूंजीगत—भारित) से उन इकाईयों को जहां अतिरिक्त व्यय परकल्पित है, (उसी अनुदान/विनियोग के भीतर) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निधियों का पुनर्विनियोजन/पुनर्आवंटन किया जाता है।

सामान्यतः, मध्य प्रदेश का बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के फरवरी—मार्च के महीने में पारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023—24 के दौरान दो अनुपूरक देयक क्रमशः 14 जुलाई 2023, एवं 12 फरवरी 2024 को लाए गए।

वर्ष 2023—24 के दौरान राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित कुल राशि, मूल और अनुपूरक बजट, व्यय और बचत सहित **चार्ट 3.2** में नीचे दिया गया है:

चार्ट 3.2: 2023–24 के लिए मध्य प्रदेश के बजट और व्यय का सारांश

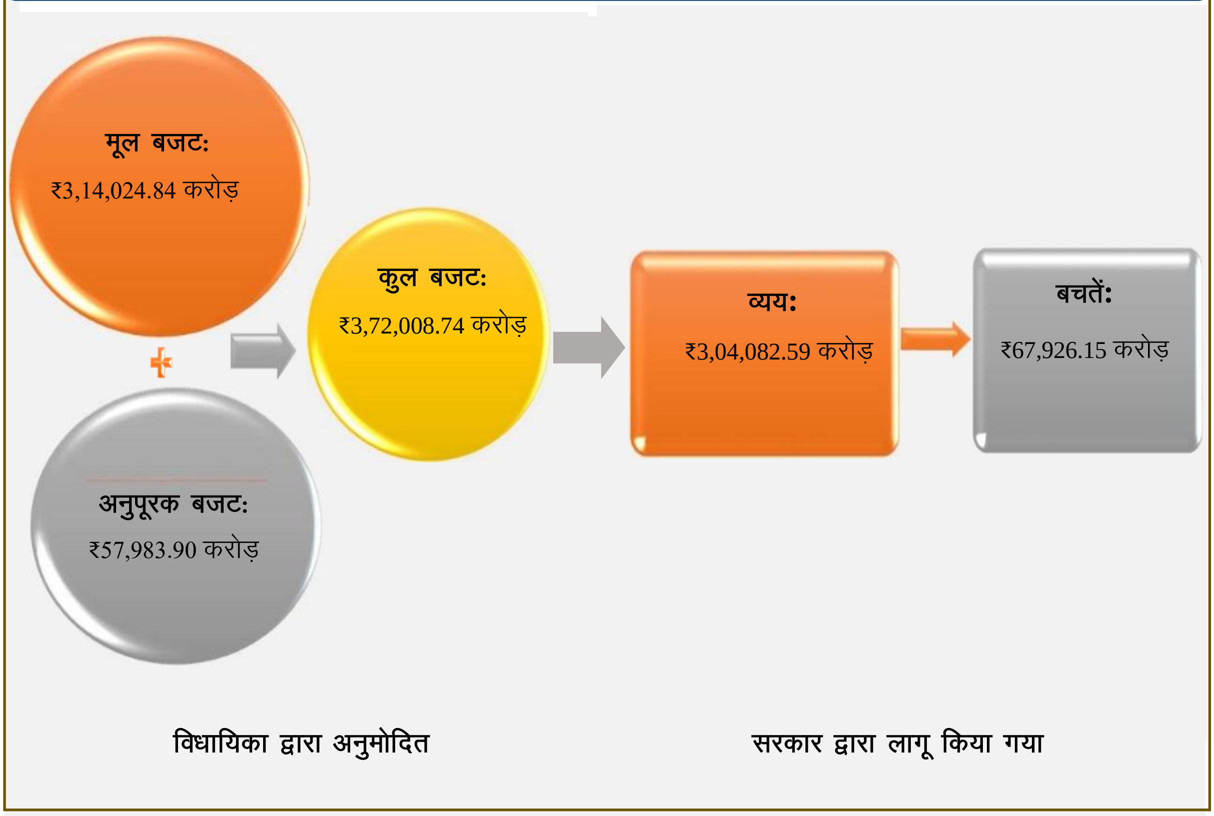

स्रोत: विनियोग लेखे 2023–24

3.1.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचतों का सारांश

विनियोग लेखे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के दत्तमत और भारित व्यय के लेखे है, जो कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदान और भारित विनियोग की राशि की तुलना में है, जैसा कि विनियोग अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट है।

कुल 59 अनुदानों/विनियोगों के लिए 2023–24 के दौरान कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य की एक सारांशीकृत स्थिति, आगे इनका दत्तमत/भारित में विभाजन **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण और बचतें

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(–)/आधिक्य(+)	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
राजस्व	2,32,820.87	28,097.06	1,98,411.96	25,428.39	(-)34,408.91	(-) 2,668.67
पूंजीगत	83,428.12	791.60	57,296.50	500.73	(-)26,131.62	(-) 290.87
कर्ज एवं अग्रिम	2,318.09	2.00	809.28	0.00	(-)1,508.81	(-) 2.00
लोक ऋण	0.00	24,551.00	0.00	21,635.73	0.00	(-) 2,915.27
योग	**3,18,567.08**	**53,441.66**	**2,56,517.74**	**47,564.85**	**(-)62,049.34**	**(-)5,876.81**

स्रोत: विनियोग लेखे 2023–24

3.1.3 भारित और दत्तमत संवितरण

पिछले पांच वर्षों (2019–24) के दौरान भारित और दत्तमत में किए गए कुल संवितरण का विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.2: 2019–24 के दौरान दत्तमत एवं भारित में कुल बजट प्रावधान एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(–)/आधिक्य(+) (प्रतिशत)	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
2019-20	2,24,923.47	32,001.93	1,68,171.91	26,621.87	(-)56,751.56 (25.23)	(-)5,380.06 (16.81)
2020-21	2,00,259.26	35,667.76	1,82,689.33	30,294.31	(-) 17,569.93 (8.77)	(-) 5,373.45 (15.06)
2021-22	2,38,758.86	44,020.75	2,07,213.45	35,779.90	(-) 31,545.41 (13.21)	(-) 8,240.85 (18.72)
2022-23	2,72,402.42	49,255.79	2,27,268.63	43,845.83	(-) 45,133.79 (16.57)	(-) 5,409.96 (10.98)
2023-24	3,18,567.08	53,441.66	2,56,517.74	47,564.85	(-) 62,049.34 (19.48)	(-) 5,876.81 (11.00)

स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका से देखा जा सकता है, कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान दत्तमत बजट में बचतें 19 प्रतिशत (दत्तमत प्रावधान का) थी, जबकि भारित बजट में बचतें 11 प्रतिशत (भारित प्रावधान का) थी।

3.1.4 लक्ष्यवेधित्व बजट

कुल बजट परिणाम व्यय संरचना परिणाम

कुल बजट परिणाम उस सीमा को मापता है जिस सीमा तक कुल बजट व्यय का परिणाम/वास्तविक व्यय मूल रूप से अनुमोदित से कम और अनुमोदित से अधिक दोनों के संदर्भ में, अनुमोदित राशि को दर्शाता है जबकि व्यय संरचना परिणाम यह मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच कौन सा पुनर्आवंटन किस सीमा तक व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान किया है।

तालिका 3.3: वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कुल बजट परिणाम एवं व्यय संरचना परिणाम

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुमोदित बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक परिणाम	पुनरीक्षित अनुमान एवं बजट अनुमान में अंतर	वास्तविक और पुनरीक्षित अनुमान के मध्य अंतर	वास्तविक एवं बजट अनुमान में अंतर
राजस्व अनुभाग	2,32,145.83	2,38,081.05	2,23,840.35	(-)5,935.22	(-)14,240.70	(-)8,305.48
पूंजीगत अनुभाग	81,879.01	90,705.03	80,242.23	(-)8,826.02	(-)10,462.81	(-)1,636.78
योग	**3,14,024.84**	**3,28,786.08**	**3,04,082.58**	**(-)14,761.24**	**(-)24,703.51**	**(-)9,942.26**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत व्ही.एल.सी. आंकड़े

राजस्व अनुभाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में कुल विचलन (–)3.58 प्रतिशत था। यह 34 अनुदानों में 0 और ±25 प्रतिशत के मध्य, 21 अनुदानों में ±25 प्रतिशत और ±50 प्रतिशत के मध्य, और चार अनुदानों (**परिशिष्ट 3.1**) में ±50 प्रतिशत से अधिक के विचलन के कारण था। इसी प्रकार राजस्व अनुभाग में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में परिणाम में कुल विचलन (–)5.98 प्रतिशत था। यह 46

अनुदानों (**परिशिष्ट 3.3**) में 0 और ±25 प्रतिशत के मध्य, 10 अनुदानों में ±25 प्रतिशत और ±50 प्रतिशत के मध्य और तीन अनुदानों में ±50 प्रतिशत से अधिक के विचलन के कारण था।

पूंजीगत अनुभाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में कुल विचलन (–)2.00 प्रतिशत था। यह 27 अनुदानों में 0 और ±25 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में ±25 प्रतिशत से ±50 प्रतिशत के मध्य और 23 अनुदानों (**परिशिष्ट 3.2**) में ±50 प्रतिशत से अधिक के विचलन के कारण था। पूंजीगत अनुभाग में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में परिणाम में कुल विचलन (–)11.53 प्रतिशत था। यह 11 अनुदानों में 0 और ±25 प्रतिशत के मध्य, चार अनुदानों में ±25 प्रतिशत से ±50 प्रतिशत के मध्य और 44 अनुदानों (**परिशिष्ट 3.4**) में ±50 प्रतिशत से अधिक के विचलन के कारण था।

3.2 विनियोग लेखे

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत विधानसभा द्वारा पारित अनुदानों की राशि और विनियोग अधिनियम की तुलना में विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय लेखे है, जो कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदानों और भारित विनियोगों की राशि की तुलना में है, जैसा कि विनियोग अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। इन लेखों में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, समर्पण और पुनर्विनियोजन प्रत्यक्ष रूप से सूचीबद्ध है। वे विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत और राजस्व व्यय का संकेत भी देते है, जो कि बजट के दोनों मदों भारित एवं दत्तमत के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है। इस प्रकार, विनियोग लेखें, निधियों की उपयोगिता की समझ, वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाता है, इसलिए वित्त लेखों का अनुपूरक है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिये गये प्राधिकार के भीतर है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत व्यय भारित होने के लिए आवश्यक है इसलिए यह भारित व्यय है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा

3.3.1 बिना बजट प्रावधान के व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा राज्य की संचित निधि से कोई राशि आहरित नहीं की जाएगी। किसी नई योजना पर व्यय, निधि के प्रावधान के बिना नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि राज्य के आकस्मिक निधि से अग्रिम या पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोग द्वारा अतिरिक्त निधियाँ प्राप्त न कर ली जाए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि आठ प्रकरणों में, बिना बजट प्रावधान के ₹99.36 करोड़ का व्यय किया गया था। लेखा का शीर्ष–वार विवरण नीचे **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: 2023–24 के दौरान बिना बजट प्रावधान के व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष (विस्तृत शीर्ष तक)	द.म/ भा.	बजट (मूल+अनु.)	पुनर्विनि–योग और समर्पण	कुल बजट	व्यय	आधिक्य
1	8	भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	2029-001-0456-51	दत्तमत	0.01	(-)0.01	0.00	0.33	0.33
2	12	ऊर्जा	6801-204-0101-6869-67-001	दत्तमत	0.00	0.00	0.00	98.49	98.49
3	23	जल संसाधन	4700-C7-800-0701-1141-64-001	दत्तमत	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
4	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-277-0103-2526-11-009	दत्तमत	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
5	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0703-0658-11-009	दत्तमत	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
6	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0708-0658-11-009	दत्तमत	0.10	(-)0.10	0.00	0.09	0.09
7	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0709-0658-11-009	दत्तमत	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
8	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-103-0703-6103-34-009	दत्तमत	1.32	(-)1.32	0.00	0.27	0.27
			योग		**1.43**	**(-)1.43**	**0.00**	**99.36**	**99.36**

स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे 2023–24

मध्यप्रदेश में संपूर्ण व्यय आई.एफ.एम.आई.एस. के माध्यम से किया जा रहा है। बजट प्रावधान भी आई.एफ.एम.आई.एस. माध्यम से ही किया जा रहा है। **तालिका 3.4** में प्रस्तुत उपरोक्त व्यय आंतरिक नियंत्रण तंत्र की कमी और अनुचित निगरानी को दर्शाता है। आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है, और सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में बिना बजट प्रावधान के व्यय न हो।

3.3.2 बजट अनुमानों में अनाधिकृत लेखा शीर्षों का संचालन

2023–24 के बजट की जांच के दौरान यह देखा गया कि मध्यप्रदेश राज्य सरकार के स्वीकृत बजट में, अनुदान संख्या–3 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 4055–पुलिस पर पूंजीगत व्यय में, सात मामलों में, लघु शीर्ष–109 और अनुदान संख्या–5 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय में, चार प्रकरणों में उप मुख्य शीर्ष–01 में बजट को त्रुटिपूर्ण तरीके से लेखा शीर्ष में पुस्तांकित किया गया। जबकि मुख्य एवं लघु शीर्ष के सूची अनुसार मुख्य शीर्ष 4055 एवं 4070 पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में लघु शीर्ष 109 एवं उप मुख्य शीर्ष 01 अस्तित्व में नही है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 11 प्रकरणों में कुल बजट ₹49.45 करोड़ के विरुद्ध ₹49.44 करोड़ का व्यय पूंजीगत दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत किया गया, जैसा कि **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: बजट अनुमानों में अनाधिकृत लेखा शीर्षों का संचालन

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	बजट पुस्तकों में लेखा शीर्ष	मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार लेखा शीर्ष	कुल बजट	किया गया व्यय
1	3-4055-109-0702-9953-63-002	3-4055-पुलिस पर पूंजीगत व्यय लघु शीर्ष 109 का अस्तित्व नहीं है।	1.86	1.86
2	3-4055-109-0702-9953-64-001		7.40	7.40
3	3-4055-109-0705-9953-63-002		0.00	0.00
4	3-4055-109-0705-9953-64-001		4.93	4.93

स. क्र.	बजट पुस्तकों में लेखा शीर्ष	मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार लेखा शीर्ष	कुल बजट	किया गया व्यय
5	3-4055-109-0802-9913-63-002		0.00	0.00
6	3-4055-109-0802-9913-64-001		9.61	9.61
7	3-4055-109-9913-63-002		23.85	23.85
8	5-4070-01-800-0101-5044-63-001	5–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय, उप मुख्य शीर्ष 01 का अस्तित्व नहीं है।	टोकन	0.00
9	5-4070-01-800-0101-5044-63-002		1.80	1.79
10	5-4070-01-800-0101-5048-63-002		टोकन	0.00
11	5-4070-01-800-0101-6855-63-002		टोकन	0.00
	योग		**49.45**	**49.44**

स्रोतः मासिक विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे 2023–24

इस टिप्पणी को राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया है ताकि सुधार किया जा सके तथा अगले वित्तीय वर्ष के बजट अनुभागों मे आवश्यक परिवर्तन किया जा सके।

3.3.3 बजट अनुमान में लेखा शीर्ष का गलत वर्गीकरण

भारत सरकार के लेखा मानक–2 को 2011 में केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा प्राप्त या दी गई सहायतानुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। भारत सरकार लेखा मानक–2 के अनुसार सहायतानुदान एक सरकार से दूसरी सरकार, निकाय, संस्थानों या व्यक्ति को दी गयी सहायता, दान या अंशदान की प्रकृति का भुगतान है। इसके अलावा, सहायतानुदान पर व्यय को अनुदानकर्ता की पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में और प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। पूंजीगत व्यय को किसी सामग्री या स्थायी प्रकृति की मूर्त परिसम्पत्तियों को बढ़ाये जाने अथवा आवर्ती दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

2019–20 से 2023–24 के दौरान राज्य शासन द्वारा राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में सहायतानुदान के वर्गीकरण की सीमा के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान राज्य शासन द्वारा पूर्ण रूप से भारत सरकार के लेखा मानक–2 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के प्रभाव का विवरण **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है, जबकि **चार्ट 3.3** पूंजीगत व्यय में सहायतानुदान की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालता है।

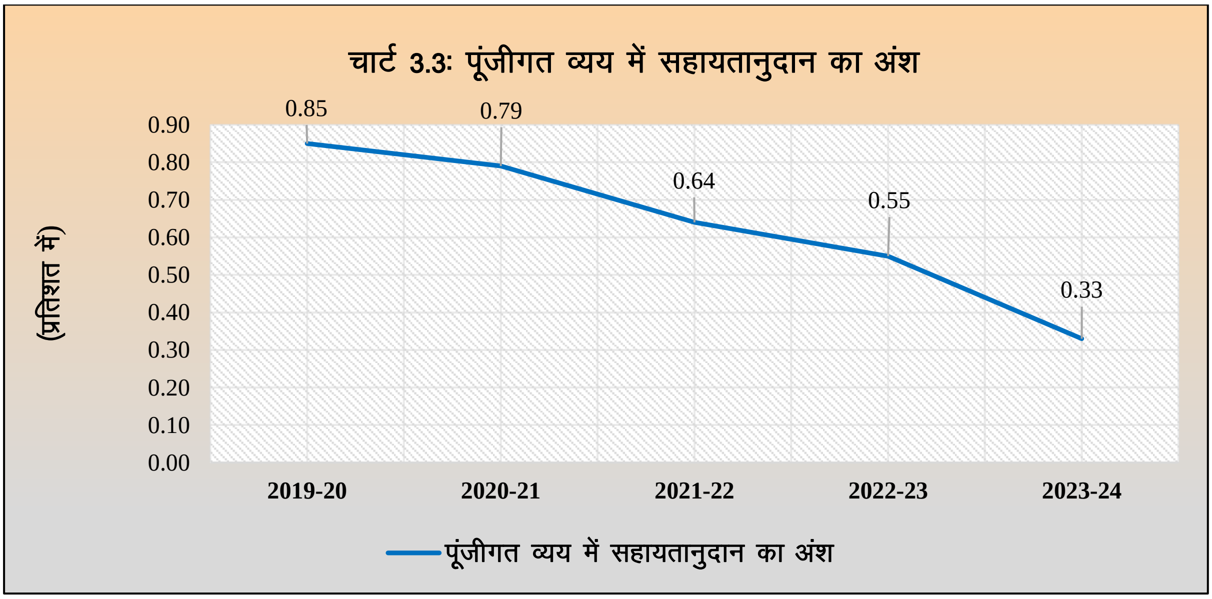

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 3.6 और **चार्ट 3.4** इंगित करते हैं कि 2019–24 के दौरान राज्य द्वारा भारत सरकार के लेखा मानक–2 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन न करने का प्रभाव यह हुआ कि इस अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष को अधिक बताया गया और राजस्व घाटा को कम बताया गया। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय को भी उस सीमा तक बढ़ा–चढ़ाकर बताया गया था।

तालिका 3.6: पूंजीगत व्यय के रूप में सहायतानुदान के वर्गीकरण की सीमा

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पूंजीगत व्यय के रूप में पुस्तांकित सहायतानुदान	257	250	280	256	190
कुल पूंजीगत व्यय	30,228	31,586	43,962	46,798	57,349
पूंजीगत व्यय में सहायतानुदान की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	0.85	0.79	0.64	0.55	0.33
राजस्व घाटा (–)/राजस्व अधिशेष (+)	(-) 2,801	(-) 18,356	4,815	4,091	12,488
राजस्व घाटा (–)/राजस्व अधिशेष (+) पर प्रभाव, यदि सहायतानुदान से किये गयें व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।	(-) 3,058	(-) 18,606	4,535	3,835	12,298

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

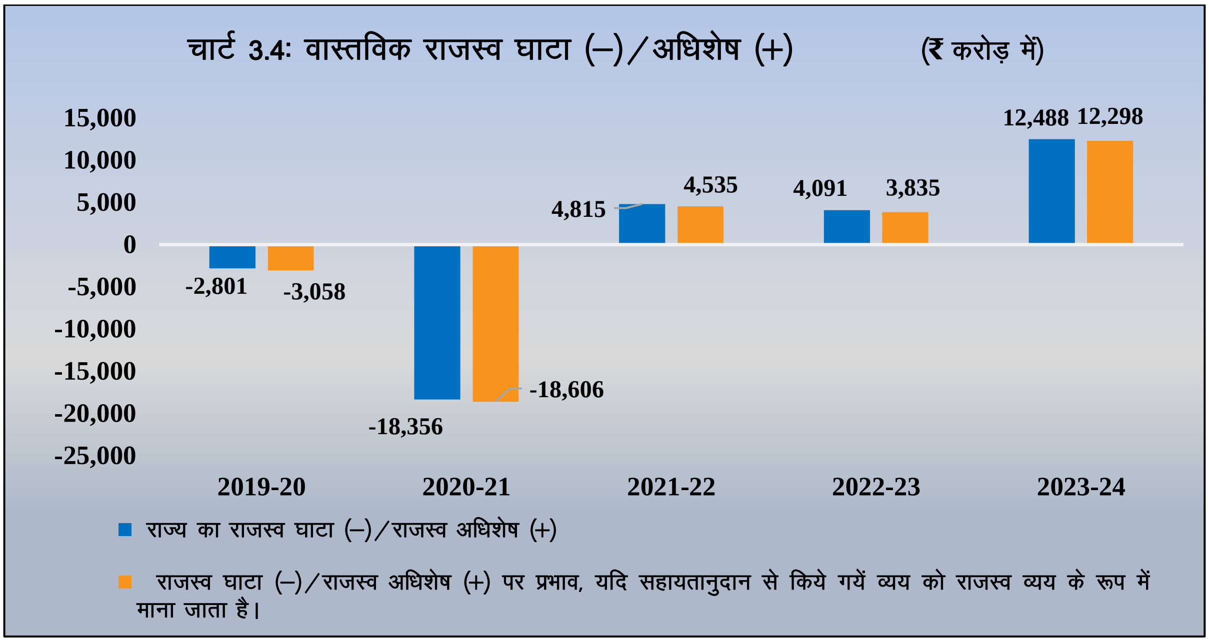

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

हालांकि, 2023–24 के दौरान राशि ₹1,575.09 करोड़ को राजस्व व्यय के अंतर्गत लेखांकन के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में राज्य शासन द्वारा गलत वर्गीकृत किये गये थे। इसमें से ₹190 करोड़ सहायतानुदान से संबंधित और ₹1,385.09 करोड़ अन्य व्यय से संबंधित है। इसके कारण, राजस्व व्यय ₹1,575.09 करोड़ से न्यूनोक्त और पूंजीगत व्यय ₹1,575.09 करोड़ से अत्योक्त था। विवरण ***परिशिष्ट 3.5*** में दिया गया है।

इसी प्रकार, राज्य शासन द्वारा ₹3.68 करोड़ की राशि को पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के रूप में गलत बजट और व्यय ('मशीनरी', 'सर्वेक्षण, अन्वेषण, एवं रुपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन' एवं 'निवेश' के लिए) किया गया, जिसके कारण राजस्व व्यय ₹3.68 करोड़ से अत्योक्त था और पूंजीगत व्यय ₹3.68 करोड़ से न्यूनोक्त था। विवरण ***परिशिष्ट 3.6*** में दिया गया है।

3.3.4 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान पर एक पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा सकता है, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं। जब ऐसा अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य पाया जाता है और पुनर्विनियोजन द्वारा आधिक्य का बचाव करने के लिए अनुदान के भीतर बचत करने की कोई संभावना नहीं होती है, तो संबंधित विभाग के सचिव वित्त विभाग को पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग के लिए प्रस्ताव देते हैं।

मध्य प्रदेश बजट नियमावली, 2012 अनुपूरक अनुदान/विनियोजन प्राप्त करने की अनुमति देता है, यदि बजटीय प्रावधान कम रह जाता है और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अंतर्गत व्यय के लिए प्रतिबद्धता पहले से ही की गई है।

वर्ष 2023–24 के लिए राज्य विधानसभा ने 14 जुलाई 2023 एवं 12 फरवरी 2024 में कुल ₹57,983.90 करोड़ (41 अनुदानों एवं छः विनियोगों के संबंध में) के दो अनुपूरक बजट अनुमोदित किये। लेखापरीक्षा विश्लेषण में दर्शाया कि इन अनुपूरक प्रावधानों की 22 अनुदानों एवं तीन विनियोगों में उपयोग हेतु केवल ₹28,885.66 करोड़ के प्रावधान की आवश्यकता थी, जहां अंतिम व्यय मूल बजट प्रावधानों से अधिक था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.7*** में वर्णित है। इस प्रकार, ₹29,098.24 करोड़ का अधिक अनुपूरक प्रावधान किया गया था। साथ ही, 25 अनुदानों एवं पाँच विनियोगों में अनुपूरक प्रावधानों की राशि ₹11,643.71 करोड़ अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.8*** में वर्णित है। 10 अनुदानों एवं एक विनियोग के प्रकरणों में जहां मूल बजट प्रावधान में ₹1,000 करोड़ एवं अधिक की महत्वपूर्ण बचतें थी एवं फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था, **तालिका 3.7** में नीचे वर्णित है।

तालिका 3.7: प्रकरण जहां मूल बजट प्रावधान में से बचतें ₹1,000 करोड़ एवं अधिक थी, वहां अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	राज.द./पूंजी.द.	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान में से बचतें
1	Ch-II	भारित विनियोग– ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी	राज. भा.	22,619.91	1,961.90	24,581.81	23,098.41	1,483.40
2	3	गृह	राज.द.	9,573.48	20.35	9,593.83	8,306.50	1,287.33
3	6	वित्त	राज.द.	24,857.17	2.00	24,859.17	22,221.86	2,637.31
4	12	ऊर्जा	पूंजी.द.	8,348.44	13,365.00	21,713.44	1,230.98	20,482.46
5	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राज.द.	16,981.01	7,746.50	24,727.51	21,379.16	3,348.35
6	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज.द.	10,918.26	1,343.56	12,261.82	10,803.68	1,458.14
7	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी.द.	9,154.05	2,616.57	11,770.62	10,531.22	1,239.40
8	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज.द.	11,010.24	10.00	11,020.24	9,089.41	1,930.83
9	27	स्कूल शिक्षा	राज.द.	28,603.07	350.00	28,953.07	26,859.84	2,093.23
10	30	ग्रामीण विकास	राज.द.	14,943.24	592.00	15,535.24	9,535.09	6,000.15
11	40	पंचायत	राज.द.	6,972.06	2,605.00	9,577.06	7,395.88	2,181.18
		योग		**1,63,980.93**	**30,612.88**	**1,94,593.81**	**1,50,452.03**	**44,141.77**

स्रोत: विनियोग लेखे 2023–24

संक्षेपाक्षर: राजस्व दत्तमत (राज.द.), राजस्व भारित (राज.भा.), पूंजीगत दत्तमत (पूंजी.द.)

जैसा कि ऊपर दी गई **तालिका 3.7** से देखा जा सकता है, अनुदान/विनियोग के अंतर्गत किए गए अनुपूरक प्रावधानों को इन अनुदान/विनियोग के अंतर्गत निर्धारित योजनाओं में पूर्णतः खर्च नहीं किया गया। यह दर्शाता है कि राज्य शासन द्वारा अनुपूरक अनुदान प्रशासन द्वारा आवश्यकता और निगरानी के पर्याप्त मूल्यांकन के बिना थे, जो खराब बजट प्रबंधन को प्रदर्शित करता है।

3.3.5 निधियों का पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोग की एक इकाई से, जहां बचत प्रत्याशित होती है, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है, को पहचान कर निधियों का अंतरण होता है। वित्त विभाग के पास अनुदान के भीतर किसी भी पुनर्विनियोजन की मंजूरी/अधिकृत करने की शक्ति है, जिसमें आवर्ती देयता का दायित्व लेना शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश बजट नियमावली, 2012 की कंडिका 26.6 के अनुसार पुनर्विनियोजन की स्वीकृति की शक्तियां वित्त विभाग द्वारा बनाए गये नियमों द्वारा विनियमित होती है।

2023–24 के दौरान, 15 अनुदानों एवं दो विनियोगों से संबंधित कुल 43 उप–शीर्षों में पुनर्विनियोजन किया गया था, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.9*** में वर्णित है। तीन अनुदानों एवं एक विनियोग से संबंधित पाँच उप–शीर्षों में ₹3,154.00 करोड़ के पुनर्विनियोजन के बाद भी ₹428.96 करोड़ का आधिक्य व्यय किया गया था। 14 अनुदानों एवं एक विनियोग से संबंधित शेष 38 उप–शीर्षों में, जहां ₹2,369.01 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया था, उन्हीं उप–शीर्षों में अंतिम बचतें ₹2,234.62 करोड़ थी।

अनुदान संख्या 10–वन (₹239.79 करोड़), अनुदान संख्या 24–लोक निर्माण कार्य (₹611.56 करोड़), अनुदान संख्या 30–ग्रामीण विकास (₹363.18 करोड़) और CH-II भारित विनियोग–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा (₹883.35 करोड़) के अंतर्गत वृहद् बचतें थी।

3.3.5 (अ) अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

2023–24 के दौरान, लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि दो अनुदान और एक विनियोजन से संबंधित 10 प्रकरणों में मूल बजट प्रावधान नहीं किया गया था और केवल प्रतीकात्मक धनराशि को अनुपूरक बजट प्रावधान के रूप में दिया गया।

जैसा कि नीचे दिए गए **तालिका 3.8** में दर्शाया गया है, 10 ऐसे प्रकरण, जहां मूल बजट का प्रावधान नहीं किया गया और न ही अनुपूरक बजट भी आवंटित नहीं किया गया। राशि ₹753.42 करोड़ पुनर्विनोयजन द्वारा प्रदाय की गयी। पुनर्विनोयजन द्वारा आवंटित राशि अप्रयुक्त रही। इस प्रकार प्रभावी योजना की कमी के कारण अविवेकपूर्ण पुनर्विनोयजन हुआ एवं परिणामतः निधियों का उपयोग न हो सका, जिसका अन्यत्र प्रभावी तरीके से उपयोग किया जा सकता था।

तालिका 3.8: अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्वि– नियोग	कुल बजट	वास्त–विक व्यय	बचतें
1	CH-II	भारित विनियोग–ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी	2049-01-101-1365-52-001	निरंक	टोकन	111.90	111.90	निरंक	111.90
2	CH-II	भारित विनियोग–ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी	2049-01-101-1367-52-001	निरंक	टोकन	149.20	149.20	निरंक	149.20
3	CH-II	भारित विनियोग–ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी	2049-01-101-1368-52-001	निरंक	टोकन	37.20	37.20	निरंक	37.20
4	CH-II	भारित विनियोग–ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी	2049-01-101-1371-52-001	निरंक	टोकन	149.60	149.60	निरंक	149.60
5	CH-II	भारित विनियोग–ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी	2049-01-101-1372-52-001	निरंक	टोकन	149.00	149.00	निरंक	149.00
6	CH-II	भारित विनियोग–ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी	2049-01-101-1374-52-001	निरंक	टोकन	74.60	74.60	निरंक	74.60
7	24	लोक निर्माण	5054-04-337-0101-1428-64-002	निरंक	टोकन	15.00	15.00	निरंक	15.00
8	46	विज्ञान एवं तकनीकी	5425-600-0101-7062-64-001	निरंक	टोकन	40.82	40.82	निरंक	40.82
9	46	विज्ञान एवं तकनीकी	5425-600-0102-7062-64-001	निरंक	टोकन	15.39	15.39	निरंक	15.39
10	46	विज्ञान एवं तकनीकी	5425-600-0103-7062-64-001	10.71	टोकन	10.71	10.71	निरंक	10.71
		योग		**निरंक**	**टोकन**	**753.42**	**753.42**	**निरंक**	**753.42**

स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे 2023–24

इस प्रकार, योजनाओं के विरूद्ध विभिन्न चरणों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन स्पष्ट रूप से बजट आवंटन स्तर और पुनर्विनियोजन चरण दोनों पर कमजोर आतंरिक नियंत्रण तंत्र को इंगित करता है।

3.3.6 अव्ययित राशि और समर्पित विनियोजन और/या वृहद् बचतें/समर्पण

अनुमानों की पूर्ण सटीकता हमेशा संभव नहीं हो सकती है; लेकिन जहां चूक या अशुद्धि पूर्वविवेक की कमी, स्पष्ट या अवास्तविक अनुमान की उपेक्षा का परिणाम है, यह चिंता का विषय है। सभी आकलन अधिकारियों को बजट में हर उस चीज के लिए प्रावधान करने का प्रयास करना चाहिए जिसकी कल्पना की जा सकती है और केवल उतना ही प्रदान करना चाहिए जितना आवश्यक हो, प्रशासनिक और वित्त विभाग को अनुमानों पर अंतिम जांच करते समय इस पर विचार करना चाहिए।

अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, संसाधन जुटाने की क्षमता का अत्यधिक विस्तार, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रण वित्तीय वर्ष के अंत में धन जारी करने को बढावा देते हैं। कुछ मदों में अत्यधिक बचतें अन्य विभागों को उस धनराशि से भी वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

3.3.6.1 सारभूत समर्पण

2023–24 के दौरान, 26 अनुदानों से संबंधित 256 उप–शीर्षों में राशि ₹11,302.96 करोड़ (₹16,185.34 करोड़ के मूल बजट प्रावधान का 69.83 प्रतिशत) का 50 प्रतिशत या अधिक का सारभूत समर्पण किया गया था जिसमें 18 अनुदानों से संबंधित 114 उप–शीर्षों (₹1,840.52 करोड़) में 100 प्रतिशत समर्पण शामिल है जैसा कि ***परिशिष्ट 3.10*** में विस्तृत है। भू राजस्व, जिला प्रशासन और आपदा राहत, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित व्यय के अनुदानों में, प्रत्येक प्रकरण में ₹200 करोड़ या उससे अधिक की सारभूत समर्पण के कुछ कारण भारत सरकार द्वारा योजनाओं की नीति निर्धारण में कमी, बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा जैसे धन जारी न करना, भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्से की राशि और धन का अनुमोदन प्राप्त न होना, धन की कम आवश्यकता, और एन.एस.पी. पोर्टल के द्वारा से डी.बी.टी. के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में सीधे 60 प्रतिशत भुगतान इत्यादि थे।

3.3.6.2 समर्पित न की गयी बचतें

2023–24 के दौरान, बजट अनुमानों के विरूद्ध कुल बचतें ₹67,926.15 करोड़ थी। 114 प्रकरणों में कुल राशि ₹67,918.98 करोड़ थी जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ एक करोड़ एवं अधिक की थी, इसमें से राशि ₹44,031.61 करोड़ समर्पित (***परिशिष्ट 3.11***) नहीं की गई। यह राशि उपरिलिखित 114 प्रकरणों की बचत का 64.83 प्रतिशत और कुल बचत (₹67,926.15 करोड़) का 64.82 प्रतिशत थी।

राशि ₹67,926.15 करोड़ की बचतों के कुल प्रकरणों में से 42 प्रकरणों (₹27,319.42 करोड़ की बचतें) में से, इन प्रकरणों में बचतों का कोई भाग संबंधित विभागों द्वारा समर्पित नहीं किया गया था। विवरण ***परिशिष्ट 3.12*** में दिया गया है।

3.3.6.3 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधियों का समर्पण

मध्य प्रदेश बजट नियमावली खण्ड–1 की कंडिका 26.11 के अनुसार, अपेक्षित बचत का आंकलन संवितरण अधिकारी द्वारा यथासंभव 15 दिसंबर तक कर लिया जाना चाहिए। वहीं, मध्य प्रदेश बजट नियमावली खण्ड–1 की कंडिका 26.9 के अनुसार, व्यय में अपेक्षित बचत के विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग को 15 जनवरी तक प्रस्तुत किए जाना आवश्यक है। यह इसलिए किया जाता है ताकि वित्त विभाग अन्य अनुदानों की मांगों के लिए संसाधनों का आवंटन कर सके।

राशि ₹1,000 करोड़ और अधिक के प्रत्येक प्रकरण का विवरण जो वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अर्थात् 31 मार्च 2024 को समर्पण किया गया था, **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9: प्रत्येक प्रकरण में राशि ₹1,000 करोड़ और अधिक के समर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं नामावली	राज.द./ पूँजी.द./ रा.भा./ पूँजी.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय (+)/ बचतें (-)	31 मार्च 2024 को समर्पित राशि
1	3-गृह	राज.द.	9,573.48	20.35	9,593.83	8,306.50	(-)1,287.34	1,156.86
2	8-भू–राजस्व, जिला	राज.द.	8,974.69	टोकन	8,974.69	5,877.40	(-)3,097.29	2,256.96

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं नामावली	राज.द./ पूँजी.द./ रा.भा./ पूँजी.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय (+)/ बचतें (-)	31 मार्च 2024 को समर्पित राशि
	प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय							
3	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राज.द.	16,981.01	7,746.50	24,727.51	21,379.16	(-)3,348.34	3,348.34
4	27-स्कूल शिक्षा	राज.द.	28,603.07	350.00	28,953.07	26,859.84	(-)2,093.23	2,091.26
5	30-ग्रामीण विकास	राज.द.	14,943.24	592.00	15,535.24	9,535.09	(-)6,000.15	5,899.36
6	33-जनजातीय कार्य	राज.द.	10,034.17	टोकन	10,034.17	8,256.57	(-)1,777.60	1,776.38
	योग		**89,109.66**	**8,708.85**	**97,818.51**	**80,214.56**	**(-)17,603.95**	**16,529.16**

स्रोतः विनियोग लेखे 2023–24

उपरोक्त **तालिका 3.9** से यह देखा जा सकता है कि राज्य शासन द्वारा वर्ष के अंतिम दिन ₹1,000 करोड़ से अधिक राशि के छः प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में) में राशि ₹16,529.16 करोड़ समर्पित की गई थी, जबकि राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंतिम दिन ₹1,074.79 करोड़ को समेकित निधि में व्यपगत होने दिया। इससे पता चलता है कि बजट नियंत्रण अधिकारी ने वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना और संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के प्रस्ताव के बिना बजट अनुमान तैयार किया और निधि अन्य विकासात्मक योजनाओं में उपयोग नहीं लायी जा सकी।

3.3.6.4 मध्य प्रदेश शासन से समर्पण/पुनर्विनियोजन आदेशों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) में विलंब से प्राप्त होना

राज्य शासन के निर्देशों (फरवरी 2012) के अनुसार पुनार्विनियोजनों/समर्पणों की समस्त स्वीकृतियां वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी की जानी चाहिए एवं उन्हें लेखाओं में समावेशन के लिए यथासमय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। योजनाओं के उपयुक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने चाहिए एवं स्वीकृतियों का योग सही होना चाहिए। जिन शीर्षों में समर्पण/पुनर्विनियोजन स्वीकृत किये गये है उनसे संबंधित शीर्षों में प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 13 अनुदानों से संबंधित 14 स्वीकृतियां (₹12,468.94 करोड़ की समर्पण राशि के लिए) और एक अनुदान से संबंधित पांच स्वीकृतियां (₹2.71 करोड़ की पुनर्विनियोजन राशि के लिए) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम द्वारा निर्धारित[39] समय सीमा के बाद जारी की गईं और संबंधित स्वीकृति आदेशों को महालेखाकार ने लेखों में शामिल करने हेतु स्वीकार नहीं किया। विवरण ***परिशिष्ट*** **3.13 (अ)** और **3.13 (ब)** में दिया गया है।

[39] 15 मई 2024

3.3.6.5 योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान

2023–24 के दौरान, विभिन्न योजनाओं (प्रत्येक प्रकरण में ₹10 करोड़ और अधिक) के अन्तर्गत 130 प्रकरणों में कुल ₹34,843.90 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा जैसा कि विवरण ***परिशिष्ट 3.14*** में दिया गया है। इनमे से महत्वपूर्ण प्रकरण, जहां अप्रयुक्त बजट प्रावधान ₹500 करोड़ और अधिक था, का विवरण नीचे **तालिका 3.10** में दिया गया है। प्रमुख अनुदान/विनियोग जहां प्रावधान ₹28,020.33 करोड़ की सीमा तक अप्रयुक्त रहे, लोक ऋण, वित्त, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय विकास एवं आवास थे।

तालिका 3.10: योजनाएं जिनमें ₹500 करोड़ एवं अधिक का प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोग का नाम	योजना का नाम	दत्तमत/ भारित	कुल प्रावधान (मूल+अनु. +पुनर्वि.)	व्यय	बचत (प्रतिशत)
1	CH-I	भारित विनियोग – लोक ऋण	6003-110-0637-66-उपाय तथा साधन अग्रिम	भारित	1,643.92	0.00	1,643.92 (100%)
2	CH-I	भारित विनियोग – लोक ऋण	6003-110-0779-66-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	भारित	2,000.00	0.00	2,000.00 (100%)
3	6	वित्त	2048-101-1086-73-संविलियन सिंकिंग फंड में हस्तांतरण	भारित	1,000.00	0.00	1,000.00 (100%)
4	6	वित्त	2054-095-5329-51-लंबित देयकों का भुगतान	दत्तमत	1,471.42	0.00	1,471.42 (100%)
5	12	ऊर्जा	2801-80-101-0101-7837-44-005-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	दत्तमत	1,692.05	0.00	1,692.05 (100%)
6	12	ऊर्जा	2801-80-101-0102-7837-44-005-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	दत्तमत	795.00	0.00	795.00 (100%)
7	12	ऊर्जा	2801-80-101-0103-7837-44-005-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	दत्तमत	512.95	0.00	512.95 (100%)
8	12	ऊर्जा	4801-05-190-0101-2051-65-विद्युत वितरण कंपनियों को उदय योजना के तहत अंशपूंजी का प्रदाय	दत्तमत	13,365.00	0.00	13,365.00 (100%)
9	12	ऊर्जा	4801-05-190-0101-7837-64-002-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	दत्तमत	2,273.34	0.00	2,273.34 (100%)
10	12	ऊर्जा	4801-05-190-0102-7837-64-002-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	दत्तमत	975.63	0.00	975.63 (100%)
11	12	ऊर्जा	4801-05-190-0103-7837-64-002-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	दत्तमत	686.02	0.00	686.02 (100%)
12	12	ऊर्जा	4801-05-190-1901-9542-67-रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)	दत्तमत	600.00	0.00	600.00 (100%)
13	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0420-5468-64-001-जल जीवन मिशन (जे जे	दत्तमत	505.00	0.00	505.00 (100%)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोग का नाम	योजना का नाम	दत्तमत/ भारित	कुल प्रावधान (मूल+अनु. +पुनर्वि.)	व्यय	बचत (प्रतिशत)
			एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन				
14	22	नगरीय विकास एवं आवास	6217-60-800-0101-9619-67-001-मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना चतुर्थ चरण	दत्तमत	500.00	0.00	500.00 (100%)
योग					**28,020.33**	**0.00**	**28,020.33 (100%)**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत व्ही.एल.सी. आंकड़े

संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया था, जो अवास्तविक बजट अनुमान को दर्शाता है।

3.3.7 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) एवं 283(2) के अनुसार मध्य प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम 1957 के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गयी है। आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और आकस्मिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है, जो विधि द्वारा किए गए विनियोग के तहत राज्य शासन द्वारा इस तरह के व्यय के प्राधिकृति के लिए लंबित है। निधि की स्थापना के समय यह अग्रदाय के रूप में ₹40 करोड़ थी। 27 मार्च 2021 को एक अध्यादेश के माध्यम से निधि को बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ कर दिया गया था।

आकस्मिकता निधि का प्रारंभिक शेष ₹980.60 करोड़ था और वर्ष 2023–24 के दौरान आकस्मिकता निधि से ₹76.94 करोड़ की अग्रिम राशि प्रदान की गई। वर्ष 2023–24 के दौरान, आकस्मिकता निधि में ₹81.34 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई, जिसमें ₹19.40 करोड़ पिछले वर्ष की राशि शामिल है। 2023–24 के अंत में, मुख्य शीर्ष 2052–'सचिवालय–सामान्य सेवाएं' के अंतर्गत राशि ₹15.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु शेष रही।

3.3.8 बजट बनाने में त्रुटि

भारत सरकार, विशेष सड़क परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि के तहत वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराती है। मौजूदा लेखांकन प्रक्रिया के संदर्भ मे, मुख्य शीर्ष ''1601–सहायता अनुदान'' के तहत अनुदानों को प्रारंभ में राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। तत्पश्चात् प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय के मुख्य शीर्ष ''3054–सड़क एवं पुल'' के माध्यम से मुख्य शीर्ष ''8449–अन्य जमा–103 केन्द्रीय सड़क निधि से सबवेंसन'' के अंतर्गत लोक लेखा को अंतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्राप्त अनुदान प्राप्तियाँ, लेखाओं में राजस्व अधिशेष को अधिक या राजस्व घाटे को कम करके नहीं दर्शाती है। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निर्धारित सड़क निर्माण पर व्यय प्रथमतः राजस्व अथवा पूंजीगत व्यय अनुमान (मुख्य शीर्ष 5054 या 3054) के अंतर्गत लेखांकित किया जाएगा एवं लोक लेखे में से उसकी प्रतिपूर्ति मुख्य शीर्ष 8449 के अंतर्गत एवं संबंधित मुख्य शीर्ष (5054 या 3054 जो भी संबंधित हो) में से व्यय को घटाकर की जायेगी।

वर्ष 2023–24 के दौरान यह देखा गया कि राज्य शासन को केंद्रीय सड़क निधि के लिए अनुदान संख्या 24–लोक निर्माण कार्य की योजना 0948 केंद्रीय सड़क निधि में ₹1,180.00 करोड़ के बजट आवंटन के विरूद्ध ₹778.13 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ जिसे शीर्ष 8449–अन्य जमा–103 केन्द्रीय सड़क निधि में

से सबवेंसन में अंतरित नही किया। राज्य शासन ने ₹1,177.16 करोड़ का व्यय लोक लेखा के माध्यम से नहीं करते हुए सीधे मुख्य शीर्ष 5054 से किया था। यह लेखांकन प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था।

3.3.9 बचतें

बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय में अनुमानित बचतें 15 जनवरी तक (मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.9) वित्त विभाग को प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, ताकि जहां अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो, वहां उनका उपयोग किया जा सके। ₹10 करोड़ और अधिक एवं बजट प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की बचतों के अनुदानों/विनियोगों से संबंधित प्रकरणों का सारांश नीचे **तालिका 3.11** में दिया गया है और ***परिशिष्ट 3.15*** में विस्तृत है।

तालिका 3.11: ₹10 करोड़ और अधिक एवं कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक की बचत सीमा के अनुदानों/विनियोगों से संबंधित प्रकरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	बचत सीमा	उप–शीर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की कुल संख्या	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचतें	कुल अनुदानों के सापेक्ष बचतों का प्रतिशत	समर्पित राशि
1	10 करोड़ से < 100 करोड़	19	17	1,776.47	1,033.69	742.78	41.81	316.77
2	100 करोड़ से < 500 करोड़	18	18	11,699.98	7,427.41	4,272.57	36.52	1,845.57
3	500 करोड़ एवं अधिक	10	9	68,690.20	32,011.03	36,679.17	53.40	10,426.20
	योग	**47**	**44**	**82,166.65**	**40,472.13**	**41,694.52**	**50.74**	**12,588.54**

स्रोतः विनियोग लेखे 2023–24

वर्ष 2023–24 के दौरान 47 उप–शीर्षों में ₹41,694.52 करोड़ की बचत थी, जहाँ बचतें ₹10 करोड़ और उससे अधिक थी और साथ ही प्रत्येक प्रकरण में कुल अनुदान का 30 प्रतिशत से अधिक थी। वित्तीय वर्ष के दौरान ₹41,694.52 करोड़ की कुल बचतों में से केवल ₹12,588.54 करोड़ (30.19 प्रतिशत) समर्पित किये गये।

18 अनुदानों में बचतें ₹100 करोड़ से अधिक और ₹500 करोड़ तक थी, जबकि अन्य नौ अनुदानों में कुल बचतें ₹500 करोड़ से अधिक थी।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि तीन अनुदानों में लगातार पिछले तीन वर्षों से ₹500 करोड़ और उससे अधिक की बचतें हुई, जैसा कि नीचे **तालिका 3.12** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.12: ₹500 करोड़ और अधिक की बचतों वाली अनुदानें

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान का नाम	बचतें (बचतों का प्रतिषत)		
		2021-22	2022-23	2023-24
1	ऊर्जा (पूंजीगत दत्तमत)	1,296.62 (39.48)	4,771.71 (73.67)	20,482.47 (94.33)
2	पंचायत (राजस्व दत्तमत)	1,825.24 (34.65)	2,546.20 (31.80)	2,181.18 (22.78)
3	उच्च शिक्षा (राजस्व दत्तमत)	572.97 (20.40)	664.10 (22.74)	791.08 (25.88)

स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

इन अनुदानों में पिछले दो वर्षों (2021–22 और 2022–23) के दौरान लगातार बचत के बावजूद, वित्त विभाग ने 2023–24 में भी इन अनुदानों के तहत निधियों का प्रावधान किया, यह न केवल गलत अनुमान को इंगित करता है, बल्कि गलत प्रावधान ने अन्य विभागों में निधियों के प्रवाह को भी प्रभावित किया, जहां इन निधियों का अधिक सार्थक/कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता था।

विभाग द्वारा बचतों के उपलब्ध कराए गए कारण, वित्त विभाग द्वारा राशि जारी न करना एवं व्यय पर प्रतिबन्ध लगाना था।

वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व समर्पित बचत का विवरण नीचे **चार्ट 3.5** में दिया गया है।

चार्ट 3.5: वित्तीय वर्ष 2023–24 के समाप्ति के पूर्व बचतें एवं समर्पण
(₹ करोड़ में)

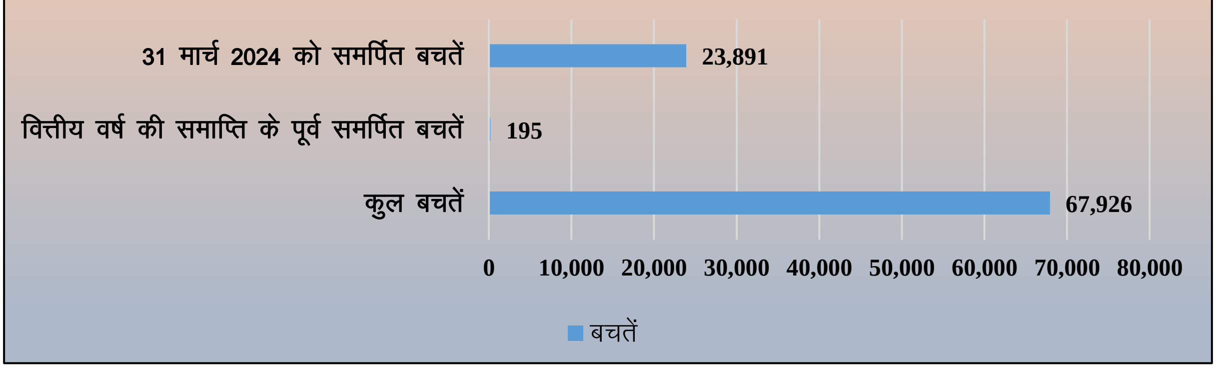

स्रोतः विनियोग लेखे 2023–24

यह अनुशंसा की जाती है कि मध्य प्रदेश शासन आवंटन/पुनर्विनियोजन चरण स्तर पर धन की आवश्यकता का उचित विश्लेषण करे, ताकि बचत/समर्पण से बचा जा सके और राजकोषीय घाटे को प्रबंधित करने के लिए बाहरी ऋणों पर निर्भरता कम की जा सके।

3.3.10 उचंत लेन–देन का असंचालन

"उचंत" में अस्थाई प्रकृति के लेन–देन दर्ज किये जाते हैं, जो कि या तो संबंधित निर्माण कार्य के अंतिम व्यय के रूप में समायोजनीय नहीं होते हैं या जिनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत लेन–देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है तो उन्हें वर्ष प्रति वर्ष अग्रेनीत किया जाता है। उचंत शीर्ष के अंतर्गत चार उप–खण्ड होते हैं (i) क्रय (ii) भण्डार (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम (iv) कार्यशाला उचंत।

यह देखा गया कि 'उचंत लेन—देन' के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अनुदान संख्या 23—जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विभाग के अंतर्गत अनुदान संख्या 48 के राजस्व दत्तमत और पूंजी दत्तमत के तहत विभिन्न उचंत उप—शीर्षकों में, पिछले छः वर्षों अर्थात 2018—19 से 2023—24 तक के दौरान विभिन्न सस्पेंस उप—शीर्षकों में प्रारंभिक और समापन शेष में कोई लेन—देन नहीं हुआ, अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और अनुदान संख्या—48 में कोई लेन—देन नही हुआ, जबकि अनुदान संख्या 23—जल संसाधन में विविध कार्य अग्रिम से ₹ एक लाख की राशि समायोजित की गई। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि ₹194.82 करोड़ राजस्व दत्तमत और ₹18.30 करोड़ पूंजी दत्तमत के अंतर्गत लंबी अवधि से निष्क्रिय पड़े हुए हैं।

यह बजट और वित्तीय प्रणाली को विकृत करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

3.3.11 तदर्थ आधार पर बजट अनुमान तैयार करना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली खंड—1 (भाग—ब) के कंडिकाओं ब—7 और ब—8 के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारी उनके अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों को एकत्र करने के साथ—साथ आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान संभावित बजटेत्तर निधि के अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं एवं विभागीय योजनाओं के लिए प्राप्त होने वाले व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए, बजट नियंत्रण अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए सभी अनुमानों को एकत्र करना चाहिए और उसकी समीक्षा करनी चाहिए।

2023—24 के दौरान विस्तृत विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत यह देखा गया कि 24 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 348 उप—शीर्षों में, टोकन मनी आवंटित की गई थी और टोकन मनी को या तो वित्तीय वर्ष 2023—24 के अंत में समर्पित कर दिया गया था या पुनर्विनियोजित किया गया था। यह इंगित करता है कि बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा बजट अनुमान तैयार करते समय, बजट अनुमान को अंतिम रूप देने से पहले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से जानकारी एकत्र नहीं की गई थी। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि बजट अनुमान उक्त नियमावली के प्रावधानों का पालन किए बिना तदर्थ आधार पर बनाया गया है। विवरण ***परिशिष्ट 3.16*** में दिया गया है।

3.3.12 आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अनुसार, राज्य शासन के लिए यह आवश्यक है कि अनुदानों/विनियोगों से आधिक्य व्यय को राज्य विधान सभा द्वारा विनियमित कराया जाए। यद्यपि, यह पाया गया कि राज्य शासन ने 2011—12 से 2020—21 की अवधि से संबंधित छः अनुदानों एवं तीन विनियोगों को शामिल करते हुए राशि ₹1,173.64 करोड़ के आधिक्य व्यय को नियमित नहीं किया। विवरण ***परिशिष्ट 3.17*** में दिया गया है।

3.4 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता

3.4.1 बजट प्रक्षेपण और अनुमान तथा वास्तविक के बीच का अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन राजकोषीय संकेतकों की उपलब्धि के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, योजना कार्यान्वयन की कमजोर क्षमता और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के कारण विभिन्न विकासात्मक

आवश्यकताओं के बीच उप–इष्टतम आवंटन होता है। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित कर देती है, जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

2023–24 के दौरान, 59 अनुदानों/विनियोगों के विरूद्ध अनुपूरक बजट, वास्तविक व्यय और आधिक्य/बचतों सहित राज्य बजट की स्थिति नीचे **तालिका 3.13** में दी गई है:

तालिका 3.13: वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

दत्तमत / भारित	व्यय की प्रकृति	बजट (मूल)	बजट (अनुपूरक)	कुल बजट (मूल+अनुपूरक)	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (–) (प्रतिशत)	समर्पित राशि (प्रतिशत)	असमर्पित राशि (प्रतिशत)
दत्तमत	राजस्व	2,06,010.88	26,809.99	2,32,820.87	1,98,411.96	(-)34,408.91 (14.78)	21,007.47 (9.02)	13,401.44 (5.76)
	पूंजीगत परिव्यय	54,886.32	28,541.80	83,428.12	57,296.50	(-)26,131.62 (31.32)	2,752.07 (3.30)	23,379.55 (28.02)
	कर्ज एवं अग्रिम	2,198.09	120.00	2,318.09	809.28	(-)1,508.81 (65.09)	49.45 (2.13)	1,459.36 (62.96)
	योग दत्तमत	**2,63,095.29**	**55,471.79**	**3,18,567.08**	**2,56,517.74**	**(-)62,049.34 (19.48)**	**23,808.99 (7.47)**	**38,240.35 (12.00)**
भारित	राजस्व व्यय	26,134.95	1,962.11	28,097.06	25,428.39	(-)2,668.67 (9.50)	66.54 (0.24)	2,602.13 (9.26)
	पूंजीगत	241.60	550.00	791.60	500.73	(-)290.87 (36.74)	10.13 (1.28)	280.74 (35.46)
	लोक ऋण	24,551.00	0.00	24,551.00	21,635.73	(-)2,915.27 (11.87)	5.15 (0.02)	2,910.12 (11.85)
	कर्ज एवं अग्रिम	2.00	0.00	2.00	0.00	(-)2.00 (100.00)	0.00 (0.00)	2.00 (100.00)
	योग भारित	**50,929.55**	**2,512.11**	**53,441.66**	**47,564.85**	**(-)5,876.81 (11.00)**	**81.82 (0.15)**	**5,794.99 (10.84)**
महायोग		**3,14,024.84**	**57,983.90**	**3,72,008.74**	**3,04,082.59**	**(-)67,926.15 (18.26)**	**23,890.81 (6.42)**	**44,035.34 (11.84)**

स्रोतः व्ही.एल.सी. आंकड़ें एवं विनियोग लेखे 2023–24

टिप्पणीः कोष्ठक में आंकड़ें बचतों एवं समर्पणों के प्रतिशत को दर्शाते है।

कुल ₹67,926.15 करोड़ की कुल बचतों में से ₹37,077.58 करोड़ की बचत राजस्व अनुभाग के अंतर्गत और ₹26,422.49 करोड़ की बचत पूंजी अनुभाग के अंतर्गत हुई। इसके परिणामस्वरूप कुल अनुदानों और विनियोगों की राशि में 18.26 प्रतिशत की कुल बचत हुई। तथापि, विभागों ने ₹23,696.42 करोड़ (कुल समर्पित राशि ₹23,890.81 करोड़ का 99.19 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन समर्पित किया था, जबकि ₹44,035.34 करोड़ को व्यपगत होने दिया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं में हुई बचतें/आधिक्य (विस्तृत विनियोग लेखे) के कारण विभागीय नियंत्रण अधिकारियों से मांगे गये (जुलाई 2024) थे, और उनसे सार्थक भिन्नताओं को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, विभाग से केवल आंशिक उत्तर (अगस्त 2024) प्राप्त हुए। यह सवाल उठाता है कि क्या राज्य सरकार ने बढ़ा–चढ़ाकर बजट तैयार किया था अथवा उसके विभागों ने परिकल्पित समय सीमा के भीतर आवंटित धन का उपयोग करने के लिए जमीनी स्तर पर काम नहीं किया था।

3.4.2 बजटीय निधि का उपयोग

राज्य सरकार द्वारा बजट का उपयोग 2019–20 की तुलना में 2020–21 में बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया था, यह 2021–22 में 86 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 82 प्रतिशत तक हो गया, जैसा कि नीचे **चार्ट 3.6** में दर्शाया गया है:

चार्ट 3.6: 2019–20 से 2023–24 के दौरान बजट आवंटन और उपयोग

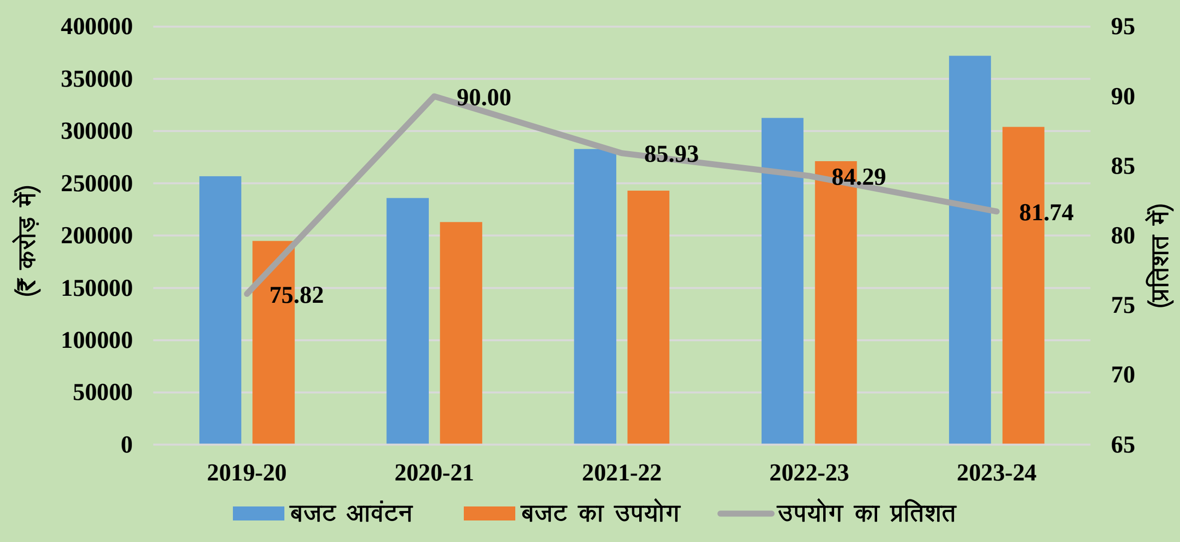

स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

2019–20 से 2023–24 की अवधि के लिए मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमान, वास्तविक व्यय में रुझान नीचे **तालिका 3.14** में दिये गये है।

तालिका 3.14: 2019–24 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मूल बजट	2,33,606	2,05,397	2,41,375	2,79,237	3,14,025
अनुपूरक बजट	23,320	30,530	41,404	42,421	57,984
कुल बजट	2,56,926	2,35,927	2,82,779	3,21,658	3,72,009
पुनरीक्षित अनुमान	1,92,542	2,07,710	2,37,909	2,79,697	3,28,786
वास्तविक व्यय	1,94,794	2,12,983	2,42,993	2,71,114	3,04,083
बचतें	62,132	22,944	39,786	50,544	67,926
मूल बजट से अनुपूरक का प्रतिशत	9.98	14.86	17.15	15.19	18.46
कुल बजट से कुल बचत/आधिक्य का प्रतिशत	24.18	9.73	14.07	15.71	18.26
कुल बजट–पुनरीक्षित अनुमान	64,384	28,217	44,870	41,961	43,223
पुनरीक्षित अनुमान–वास्तवित व्यय	(-)2,252	(-)5,273	(-)5,084	8,583	24,703
कुल बजट एवं पुनरीक्षित अनुमान के अंतर का कुल बजट से प्रतिशत	25.06	11.96	15.87	13.05	11.62
पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक व्यय के अन्तर का कुल बजट से प्रतिशत	(-)0.88	(-)2.24	(-)1.80	2.67	6.64

स्रोतः संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज और विनियोग लेखें

तालिका 3.14 दर्शाती है कि 2023–24 के दौरान ₹57,984 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 18.46 प्रतिशत था।

उपरोक्त **तालिका 3.14** से यह देखा जा सकता है कि 2019–20 से 2023–24 तक के वर्षों में, पुनरीक्षित अनुमान राज्य के कुल बजट से हमेशा कम था। पुनरीक्षित अनुमान और कुल बजट के बीच का अंतर 11.62 प्रतिशत और 25.06 प्रतिशत के बीच था। 2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान, पुनरीक्षित अनुमान बनाम कुल बजट में निरंतर उतार–चढाव ने खराब बजटीय पद्धति का संकेत दिया, जिसके परिणामस्वरूप अनुमान संबंधी त्रुटियां हुईं।

इसके अलावा, संबंधित वर्षों के दौरान वास्तविक व्यय हमेशा कुल बजट से कम रहा, जो दर्शाता है कि संबंधित वर्षों में किए गए अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक थे, क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंचा था।

3.4.3 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

एकमुश्त प्रावधान वे प्रावधान है जहां विस्तृत उद्देश्य शीर्ष परिभाषित नहीं है। हालांकि, कुछ प्रकरणों में, जहां एकमुश्त प्रावधान अपरिहार्य हो सकता है और उन प्रकरणों को छोड़कर जहां एकमुश्त आवंटन से व्यय को स्थायी स्वीकृतियों, निर्देशों या नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, प्रस्तावित प्रावधानों को उचित ठहराते हुए विस्तृत विवरण एकमुश्त अनुमानों के साथ बजट टिप्पणी में दिया जाएगा।

2023–24 के दौरान, 11 अनुदानों से सम्बंधित 34 प्रकरणों (जहां समर्पण ₹50 करोड़ एवं अधिक और कुल बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक था) में ₹13,668.94 करोड़ का अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान किया गया था। इसमें से ₹9,338.33 करोड़ (68.32 प्रतिशत) की राशि अप्रयुक्त रही और वर्ष के अंत में समर्पित कर दी गई, पूर्ण विवरण ***परिशिष्ट 3.18*** में दिया गया है, तथा ₹100 करोड़ या उससे अधिक की एकमुश्त व्यवस्था का प्रावधान सारांश **तालिका 3.15** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.15: ₹100 करोड़ एवं अधिक और कुल बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक एकमुश्त प्रावधानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+अनु.)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
8	भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	2245-02.101.2018-बाढ़ तथा अतिवृष्टि से पीड़ितों को राहत	(मूल) 600.00	333.48	55.58
		2245-80.102.6276-आपदा प्रबंधन योजनाएं	(मूल) 1,131.21	736.22	65.08
		2245-80.102.7667-15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण	(मूल) 267.51	261.55	97.77
13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-102.0101.9899-ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना	(मूल) 217.00	217.00	100.00
		2408-01.102.7847-मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना	(मूल) 1,000.00	799.90	79.99
30	ग्रामीण विकास	2216-03.198.0701.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	(मूल) 2,430.00	1,473.67	60.64
		2216-03.198.0702.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	(मूल) 1,174.80	721.43	61.41
		2216-03.198.0703.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	(मूल) 1,195.20	743.74	62.23

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+अनु.)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
		2216-03.198.0704.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	(मूल) 1,620.00	970.02	59.88
		2216-03.198.0705.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	(मूल) 783.20	476.26	60.81
		2216-03.198.0706.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	(मूल) 796.80	492.56	61.82
33	जनजातीय कार्य	2225-01.001.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 143.94	133.63	92.84
		2225-02.102.0802.6500-विशेष पिछडी जनजातियो का विकास	(मूल) 100.00	100.00	100.00
43	खेल और युवा कल्याण	4202-03.003.0101.7662-खेलों इंडिया एम.पी.	(मूल) 203.13	130.00	64.00
49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01.277.0703.7764-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	(मूल) 375.00	375.00	100.00
		2225-01.793.0803.1213-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	(मूल) 128.75	128.75	100.00
		योग	**12,166.54**	**8,093.21**	**66.52**

स्रोतः विनियोग लेखे 2023–24

वर्ष के दौरान प्रमुख छः अनुदानों में जहां एकमुश्त प्रावधान किया गया था, जो ऊपर सारणीबद्ध है, में कुल 34 प्रकरणों में से 16 ऐसे प्रकरण शामिल थे जो कुल एकमुश्त प्रावधानों का 89.01 प्रतिशत थे। छः अनुदानों के लिए ₹8,093.21 करोड़ (66.52 प्रतिशत) की राशि अप्रयुक्त रहने का कारण भारत सरकार द्वारा विलंब से राशि जारी करना, वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी निर्देश, वित्त विभाग से अनुमोदन न मिलना, भारत सरकार से केंद्रीय अंश प्राप्त न होना, इत्यादि रहा।

जैसा कि **तालिका 3.15** से देखा जा सकता है, इन योजनाओं में विस्तृत मदों की अनुपस्थिति के कारण, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है कि इन योजनाओं में किया गया व्यय उचित रूप से संबंधित योजनाओं में उपयोग हो रहा है या नहीं। गलत वर्गीकरण भी हो सकता है।

3.4.4 शासन द्वारा वर्ष के दौरान बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं हेतु प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक निधियन

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिकाओं 30.1 और 30.2 के अनुसार, विभाग को एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा किये गये व्यय की समीक्षा करके बजट की निगरानी करनी चाहिए। इस तरह की निगरानी का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय वर्ष के दौरान विधायिका द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित राज्य का बजट, वास्तविक व्यय के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शक बना रहे। निगरानी में चालू वित्तीय वर्ष में किया गया व्यय शामिल होना चाहिए।

यह देखा गया कि 12 योजनाओं में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की बचतें हुई, जबकि दो योजनाओं (जो 2023–24 में शुरू हुई) में ₹19.33 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ, जैसा कि **तालिका 3.16** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.16: 2023–24 के दौरान योजनाएं जिनमें बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ एवं अधिक था

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल+अनु. +पुनर्वि.)	व्यय	बचत (-) /आधिक्य (+)
1	10	वन	10-2406-02-110-1122-चीता प्रबंधन योजना	3.00	0.00	(-)3.00
2	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19-2210-06-101-1131-सिकलसेल (एनीमिया)	40.00	0.00	(-)40.00
3	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	20-4215-01-001-1126-विभागीय कार्यालय भवनों का निर्माण	10.00	0.15	(-)9.85
4	21	लोक सेवा प्रबंधन	21-2053-800-1165-जीवन विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था	5.00	0.00	(-)5.00
5	23	जल संसाधन	23-4700-C7-800-1141- केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना	172.47	171.12	(-)1.35
6	23	जल संसाधन	23-4701-80-800-1163-सीप अम्बर द्वितीय चरण	70.00	50.19	(-)19.81
7	23	जल संसाधन	23-4701-E1-800-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण काय	28.95	9.55	(-)19.40
8	26	संस्कृति	26-4202-04-800-1164-अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक	1.00	0.00	(-)1.00
9	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	34-4235-02-101-1167-परिणाम निधि	100.00	0.00	(-)100.00
10	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	47-2230-03-102-1138-मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना	68.25	37.64	(-)30.61
11	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	47-4202-02-105-1140-अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास केन्द्र	50.00	0.00	(-)50.00
12	52	चिकित्सा शिक्षा	52-4210-03-105-1136-नवीन नर्सिंग कालेजों का निर्माण	25.00	43.33	(+)18.33
13	55	महिला एवं बाल विकास	55-2235-02-103-1130-मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023	14,732.95	14,733.95	(+)1.00
14	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	56-2851-104-1135-प्रधानमंत्री विकास (कारीगर) योजना	5.00	0.00	(-)5.00
			योग	**15,311.62**	**15,045.93**	**(-)265.69**

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24 एवं बजट पुस्तिकाएं

उपरोक्त **तालिका 3.16** से देखा जा सकता है कि 2023–24 के दौरान तीन अनुदानों में शुरू की गई चार नई योजनाओं में प्रत्येक प्रकरण में ₹30 करोड़ एवं अधिक जैसे सिकल सेल (अनीमिया), परिणाम निधि, मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना और अंतरराष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र में राशि ₹220.61 करोड़ की कुल बचत हुई।

राज्य सरकार को घोषित योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए, उनकी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय पर परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रावधान एवं आवंटन प्रभावी कार्यान्वयन में परिवर्तित हों साथ ही, एक मजबूत निगरानी तंत्र भी स्थापित किया जाना चाहिए।

3.4.5 व्यय की अत्यधिकता

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.13 के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में व्यय की अत्यधिकता को वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाता है। साथ ही, वित्त विभाग के स्थायी आदेशों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों को अपनी वार्षिक व्यय योजना चार तिमाही व्यय सीमाओं के आधार पर निर्धारित करनी चाहिए। इसमें मुक्त श्रेणी और विशेष व्यय सीमा को छोड़कर, पहले दो तिमाहियों में अधिकतम 55 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 80 प्रतिशत तक और अंतिम तिमाही में अधिकतम 30 प्रतिशत व्यय का लक्ष्य रखा जाना चाहिए।

2023–24 के दौरान मासिक संवितरण प्रवाह निम्नलिखित **चार्ट 3.7** में दिया गया है।

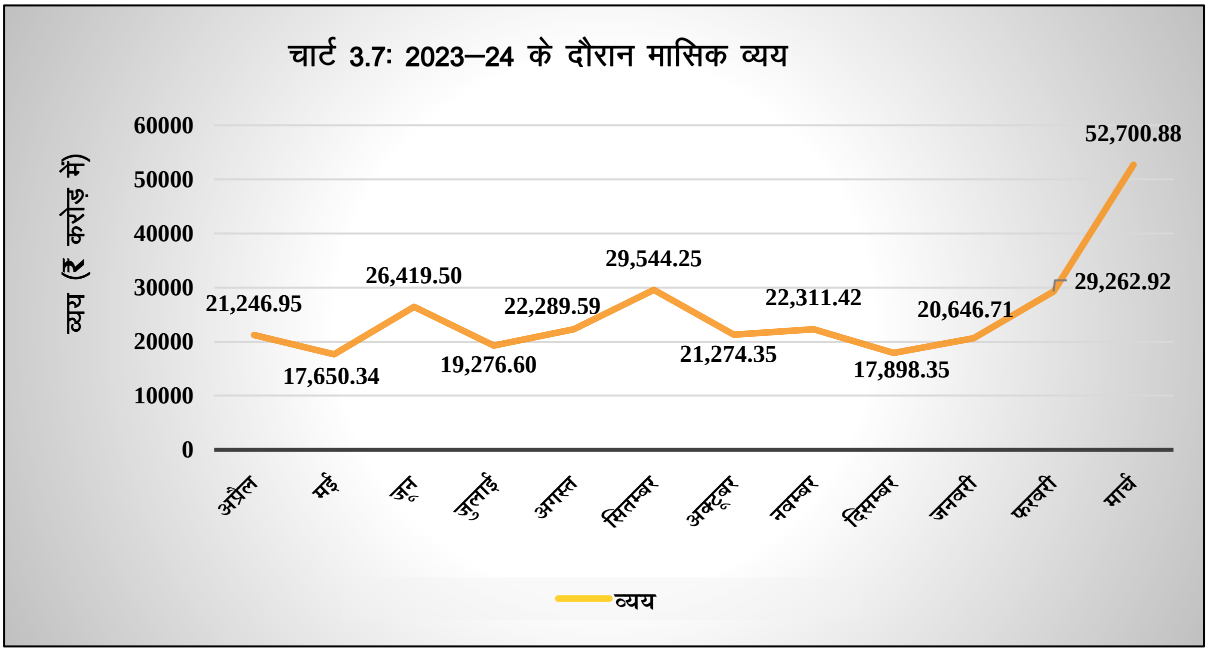

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत व्ही.एल.सी. आंकड़े

जैसा कि ऊपर दिए गए **चार्ट 3.7** से देखा जा सकता है, पहले दो तिमाहियों के अंत तक, मध्य प्रदेश शासन ने केवल 44.87 प्रतिशत व्यय किया, जो निर्धारित लक्ष्य 55 प्रतिशत से कम था। तीसरी तिमाही में और गिरावट आई, जहां केवल 20.22 प्रतिशत नियोजित व्यय हुआ, जो उस समय तक 80 प्रतिशत तक पहुंचने के लक्ष्य से काफी कम था। अंतिम तिमाही में व्यय में वृद्धि हुई, जिसमें 34.92 प्रतिशत बजट खर्च किया गया, जो उस अवधि के लिए निर्धारित 30 प्रतिशत की सीमा से अधिक था। राज्य शासन ने अकेले मार्च 2024 में कुल व्यय ₹3,00,521.86 करोड़[40] का लगभग 17.54 प्रतिशत ₹52,700.88 करोड़ व्यय किया। विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 3.20*** में दिया गया है।

कुल ₹3,00,521.86 करोड़ के व्यय में से, मार्च 2024 के दौरान सात अनुदानों/विनियोगों के 12 प्रकरणों[41] में 100 प्रतिशत व्यय हुआ, जिसकी राशि ₹14,515.41 करोड़ थी। विस्तृत विवरण **तालिका 3.17** में दिया गया है।

40 लोक ऋण पर व्यय सहित।

41 जहाँ अंतिम तिमाही के दौरान व्यय ₹10 करोड़ से अधिक था।

तालिका 3.17: मार्च 2024 में व्यय की प्रमात्रा

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना संख्या	जनवरी–मार्च 2024 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2024 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किये गये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी–मार्च 2024	मार्च 2024
1	CH-I भारित विनियोग–लोक ऋण	1089	736.00	736.00	736.00	100.00	100.00
2	CH-I भारित विनियोग–लोक ऋण	9928	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00
3	CH-I भारित विनियोग–लोक ऋण	9822	750.00	750.00	750.00	100.00	100.00
4	CH-I भारित विनियोग–लोक ऋण	9823	750.00	750.00	750.00	100.00	100.00
5	7-वाणिज्यिक कर	0817	851.53	851.53	851.53	100.00	100.00
6	8-भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	0475	2,140.80	2,140.80	2,140.80	100.00	100.00
7	8-भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	9597	522.40	522.40	522.40	100.00	100.00
8	12-ऊर्जा	5381	1,702.05	1,702.05	1,702.05	100.00	100.00
9	12-ऊर्जा	3218	780.78	780.78	780.78	100.00	100.00
10	17-सहकारिता	9254	532.94	532.94	532.94	100.00	100.00
11	25-खनिज साधन	6606	842.91	842.91	842.91	100.00	100.00
12	40-पंचायत	7668	1,906.00	1,906.00	1,906.00	100.00	100.00
	योग		**14,515.41**	**14,515.41**	**14,515.41**	**100.00**	**100.00**

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

यह भी देखा गया कि 2023–24 के दौरान, 85 प्रकरणों (36 अनुदानों/विनियोगों) में कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2024 में किया गया था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.19*** में वर्णित है।

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अनुपातहीन व्यय की चिंताजनक स्थिति दर्शाता है जो प्रभावी वित्तीय प्रबंधन को बाधित करता है। राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि बजटीय असंतुलन और नकदी प्रवाह के मुद्दों के जोखिम को रोकने के लिए सरकारी धन को पूरे वर्ष समान रूप से आवंटित और व्यय किया जाए। विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 3.20*** में दिया गया है।

वर्ष के अंत में व्यय की अत्याधिकता एवं बजटीय प्रबंधन पर नियंत्रण की अपर्याप्तता को दर्शाती है। इस प्रकार असमान व्यय का तरीका राज्य के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और निर्धारित बजटीय ढांचे के भीतर संसाधन कुशल प्रबंधन के लिए प्रतिकूल प्रभाव के साथ राजकोषीय प्रबंधन के बारे में चिंताए पैदा करता है।

3.4.6 बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण

स्वीकृत बजट के विरूद्ध व्यय दर्शाने के अलावा, विनियोग लेखें उन मामलों के लिए स्पष्टीकरण भी प्रदान करते है जहां व्यय बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक) से काफी भिन्न होता है। लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों में उप–शीर्ष स्तर (विनियोग की इकाई) पर इस तरह की भिन्नता की सीमा निर्धारित (सितंबर 2004) की गयी है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को प्रारूप विनियोग लेखा प्रदान करता है और लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित बजटीय आवंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के कारणों/स्पष्टीकरण की मांग करता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

बचतें	• *टिप्पणियां की जानी है यदि अनुदान के अंतर्गत कुल बचतें कुल प्रावधान का पांच प्रतिशत या अधिक है।* • *टिप्पणियां की जानी है यदि उप–शीर्ष के अन्तर्गत कुल बचतें उप–शीर्ष के कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत या अधिक है, बशर्तें बचतों की राशिः* *(क) ₹40 लाख से कम नहीं हो यदि कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से अधिक है,* *(ख) ₹20 लाख से कम नहीं हो यदि कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से ₹30 करोड़ के मध्य है, अथवा* *(ग) ₹10 लाख से कम नहीं हो यदि कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से कम है।* • *टिप्पणियां की जानी है यदि अनुदान में भारित व्यय के अंतर्गत कुल बचतें ₹10 लाख से कम नहीं है।*
आधिक्य	• *उन सभी प्रकरणों में जहां किसी अनुदान या विनियोग में समग्र आधिक्य हो पर प्रावधान से आधिक्य के नियमितीकरण के लिए सामान्य टिप्पणी की जानी है।* • *ऐसे सभी प्रकरणों में टिप्पणियां की जानी है जहां किसी वैयक्तिक उप–शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य ₹10 लाख से अधिक और उप–शीर्ष के अंतर्गत कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से भी अधिक है।* • *ऐसे सभी प्रकरणों में टिप्पणियां की जानी है जहां किसी वैयक्तिक उप–शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य उस उप–शीर्ष के कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है बशर्तें:* *(क) प्रत्येक उप–शीर्ष में आधिक्य ₹40 लाख से अधिक है, जहां कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से अधिक है;* *(ख) प्रत्येक उप–शीर्ष में आधिक्य ₹20 लाख से अधिक है, जहां कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से ₹30 करोड़ के मध्य है; अथवा* *(ग) प्रत्येक उप–शीर्ष में आधिक्य ₹10 लाख से अधिक है जहां कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से कम है।*

स्रोतः विनियोग लेखे 2023–24

वर्ष 2023–24 के लिए विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा और अंतर्निहित लेखांकन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि सभी 59 अनुदानों/विनियोगों में बजट से भिन्नता के कारणों की आवश्यकता थी। हालांकि, 15 अनुदानों/विनियोगों के संबंध में सरकारी विभागों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जबकि 35 अनुदानों/विनियोगों के संबंध में आंशिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। शेष नौ अनुदानों के संदर्भ में, या तो कोई प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं थी या उत्तर प्राप्त हुआ था। शामिल किये गये उप–शीर्षों के संदर्भ में कुल 4,844 उप–शीर्षों में से भिन्नताओं के लिए स्पष्टीकरण की प्राप्ति या अन्यथा को नीचे **तालिका 3.18** में दर्शाया गया है। इस संबंध में विवरण ***परिशिष्ट 3.21*** में दिया गया है।

तालिका 3.18: बजट के सापेक्ष अस्पष्ट भिन्नताओं का सारांश

स. क्र	विवरण	
1	उप–शीर्षो की कुल संख्या	4,844
2	उप–शीर्षो की संख्या जहां स्पष्टीकरण की आवश्यकता है	1,084
3	उप–शीर्षो की संख्या जहां स्पष्टीकरण प्राप्त हुये थे	500
4	उप–शीर्षो की संख्या जहां स्पष्टीकरण प्राप्त होना अभी भी शेष है	584

स्रोतः विनियोग लेखे 2023–24

2023–24 के दौरान, कुल 4,844 उप–शीर्षों में से, 70 प्रकरणों में, कुल आवंटित बजट ₹36,417.21 करोड़ के विरूद्ध ₹44,366.31 करोड़ का व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹7,949.70 करोड़ का अधिक व्यय हुआ, जबकि 12 अनुदानो/विनियोगों के अंतर्गत 28 उप–शीर्षों में बिना उचित/पर्याप्त विश्लेषण एवं अनुमान के समर्पण एवं पुनर्विनियोजन किया गया था जिसके कारण उप–शीर्षों में अधिक व्यय हुआ। विवरण ***परिशिष्ट 3.22*** में दिया गया है।

बजट आवंटन और उसके उपयोग के बीच अधिक व्यय और भिन्नता के कारणों के स्पष्टीकरण का अभाव, सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रुप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करता है।

3.4.7 असंचालित योजनाएं

लेखापरीक्षा में पाया कि 2019–20 से 2023–24 के दौरान पाँच योजनाओं में, बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा बजट अनुमान तैयार करते समय, बजट अनुमान को अंतिम रूप देने से पहले आहरण एवं संवितरण अधिकारी से जानकारी एकत्र नहीं की गई थी क्योंकि विभाग ने 2023–24 में आवंटित बजट ₹2,051.52 करोड़ के विरुद्ध व्यय नहीं किया था। यह इंगित करता है कि बजट अनुमान उक्त नियमावली के प्रावधानों का पालन किए बिना बनाया गया था और तदर्थ आधार पर अर्थात आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर पर वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किए बिना था जिसके परिणामस्वरूप राशि के अवरूद्ध होने के साथ–साथ उक्त प्रावधानों का उल्लंघन भी हुआ। विवरण **तालिका 3.19** में दिखाया गया है।

तालिका 3.19: पिछले पांच वर्षों के दौरान असंचालित योजनाएं

(₹ करोड़ में)

स. क्र	योजनाएं	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	व्यय
1	कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम–(0779)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2	एन.सी.सी. का सुदृढीकरण एवं विकास– (2081)	0.45	0.31	5.40	4.27	8.00	0.00
3	राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बांड्स के समाधान हेतु प्रावधान–(6788)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
4	खण्ड स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण–(7449)	13.52	टोकन	13.52	13.52	13.52	0.00
5	राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना–(7615)	5.00	0.10	टोकन	टोकन	20.00	0.00
	योग	**2,028.97**	**2,010.41**	**2,028.92**	**2,027.79**	**2,051.52**	**0.00**

स्रोतः संबंधित वर्षों के विस्तृत विनियोग लेखे

3.4.8 राज्य विशिष्ट बजट की समीक्षा

3.4.8.1 जेण्डर बजट

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्ण या आंशिक हितलाभ वाली योजनाओं पर समग्र बजट में से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रकट करता है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम जेण्डर बजट 2007–08 के दौरान पेश किया गया था। जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था:

श्रेणी 1: योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और

श्रेणी 2: योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

जेण्डर बजट को राज्य के बजट में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य के रूप में शामिल किया गया था, जो अनुदान की मांगों के अंतर्गत जेण्डर के आधार पर बजटीय आवंटन को अलग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

2020–24 के दौरान जेण्डर बजट के अंतर्गत बजटीय प्रावधान का विवरण **तालिका 3.20** दर्शाती है:

तालिका 3.20: 2020–24 के दौरान जेण्डर बजट के अंतर्गत प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
जेण्डर बजट	55,244	60,379	84,512	1,02,976
कुल बजट	2,35,927	2,82,780	3,21,658	3,72,009
कुल बजट में जेण्डर बजट का प्रतिशत	**23.42**	**21.35**	**26.27**	**27.68**

स्रोतः बजट पुस्तिकाएं तथा संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

जेण्डर बजट के अंतर्गत बजट आवंटन 2022–23 में ₹84,512 करोड़ से 2023–24 में ₹1,02,976 करोड़ तक ₹18,464 करोड़ से बढ़ा। यह आवंटन 30 विभागों में महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं पर किया गया था। वर्ष 2020–24 की अवधि के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के संबंध में वर्ष–वार आवंटन एवं व्यय **तालिका 3.21** में दिया गया है:

तालिका 3.21: 2020–24 के दौरान जेण्डर बजट आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
	कुल बजट	व्यय	कुल बजट में व्यय का प्रतिशत	कुल बजट	व्यय	कुल बजट में व्यय का प्रतिशत
2020-21	3,035.01	3,424.08	112.82	59,139.40	64,217.26	108.59
2021-22	1,978.34	3,346.55	169.16	64,947.18	68,990.78	106.23
2022-23	4,214.35	3,491.06	82.84	86,957.37	79,007.52	90.86
2023-24	18,546.29	18,187.76	98.07	96,067.58	78,414.59	81.62

स्रोतः वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत जेण्डर बजट के आंकड़ों में पिछले वर्षों की तुलना में अंतर देखा गया है, जिसके कारण वास्तविक व्यय आंकड़ों में विसंगतियाँ हैं। विभाग ने अभी तक इस श्रेणी के अंतर्गत व्यय का पूर्ण रूप से हिसाब नहीं किया है या सत्यापन नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवेदित किए गए और वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर हो सकता है।

2023–24 में श्रेणी 1 योजनाओं के लिए कुल बजट और व्यय 2022–23 की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया, जिसका मुख्य कारण लाड़ली बहना योजना का कार्यान्वयन रहा। यह एक प्रत्यक्ष लाभ

अंतरण योजना है, जिसके तहत 21 से 60 वर्ष की प्रत्येक पात्र[42] महिला को ₹1,000 प्रति माह प्रदान किया जाता है। इस योजना के लिए 2023–24 में ₹14,743 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध ₹14,733.96 करोड़ का व्यय हुआ, योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, लेकिन केवल एक नई पहल के कारण बजट में वृहद् वृद्धि (340 प्रतिशत की वृद्धि) राज्य की राजकोषीय व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।

3.4.8.2 कृषि बजट

राज्य का कृषि बजट किसानों को लाभान्वित करने के लिए लक्षित योजनाओं पर समग्र बजट के भीतर किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को उजागर करता है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 2012–13 में कृषि बजट पेश किया गया था। यह बजट कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के लाभ के लिए किसानों के हितों की गतिविधियों को सम्मिलित करता है। राज्य के बजट में कृषि बजट को एक महत्वपूर्ण वक्तव्य के रूप में शामिल किया गया था, जो अनुदानों की मांगों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के आधार पर बजटीय आवंटन को अलग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

तालिका 3.22 2019–24 के दौरान राज्य द्वारा किसान कल्याण और कृषि विकास के अंतर्गत किये गए प्रावधान का विवरण दर्शाती है।

तालिका 3.22: 2019–24 के दौरान किसान कल्याण और कृषि विकास अनुदान की तुलना में कृषि बजट का बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
किसान कल्याण और कृषि विकास (अनुदान संख्या 13)	22,609	14,062	15,991	22,426	24,743
कृषि बजट	46,560	26,265	35,354	40,916	53,961

स्रोतः बजट पुस्तिकाएं तथा संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

कृषि बजट आवंटन 2022–23 में ₹40,916 करोड़ से 2023–24 में ₹53,961 करोड़ तक ₹13,045 करोड़ से बढ़ा। 2019–24 के दौरान किसान कल्याण और कृषि विकास (अनुदान संख्या 13) में वर्ष–वार आवंटन एवं व्यय **तालिका 3.23** में दिया गया है:

तालिका 3.23: किसान कल्याण और कृषि विकास के अंतर्गत बजट आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन	व्यय	बचत (प्रतिशत)
2019-20	22,609	15,021	7,588 (33.56)
2020-21	14,062	13,542	520 (3.70)
2021-22	15,991	15,389	602 (3.76)
2022-23	22,426	19,221	3,205 (14.29)
2023-24	24,743	21,379	3,364 (13.60)

स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुदान संख्या 13 के अंतर्गत लगातार बचत हुई है, जो यह दर्शाता है कि योजनाओं के लिए नियोजित और आवंटित निधियों का उचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

[42] पात्रता निर्धारित करने के लिए कई शर्तें निर्धारित की गयी है, जैसे (1) राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना (2) वार्षिक परिवारिक आय ₹2.50 लाख से कम होना, आदि।

3.4.8.3 चाइल्ड बजट

राज्य शासन द्वारा 2022–23 में पहली बार बच्चों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत बच्चों के लिए चाइल्ड बजट लाया गया है। चाइल्ड बजट का मुख्य लक्ष्य देश, राज्य और समाज के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में बाल विकास के लिए वांछित परिणाम प्राप्त करने में मदद करना है, इसलिए बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर ध्यान देना आवश्यक है, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समाज के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

बच्चों के विकास के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चाइल्ड बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

श्रेणी 1: योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान बच्चों से संबंधित है और

श्रेणी 2: योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान बच्चों से संबंधित है।

चाइल्ड बजट को राज्य के बजट में पहली बार शामिल करने के लिए अनुदान की मांगों के तहत विशेष रूप से बच्चों को समर्पित बजट आवंटन को अलग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

2023–24 के दौरान, श्रेणी 1 और 2 के तहत बच्चों को लाभान्वित करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं पर 17 विभागों में ₹68,077.96 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था। 2022–23 एवं 2023–24 की अवधि के लिए श्रेणी 1 और 2 में आवंटन एवं व्यय **तालिका 3.24** में दिया गया है:

तालिका 3.24: 2022–24 के दौरान चाइल्ड बजट आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
	परिव्यय आवंटन	व्यय	समाविष्ट की गई मांग का प्रतिशत (3 का 2 के साथ प्रतिशत	परिव्यय आवंटन	व्यय	समाविष्ट की गई मांग का प्रतिशत (6 का 5 के साथ प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
2022-23	39,309.68	32,897.07	83.69	21,664.87	18,729.26	86.45
2023-24	43,749.37	39,729.76	90.81	24,328.59	22,750.22	93.51

स्रोतः बजट दस्तावेज और वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

वित्त विभाग द्वारा श्रेणी 1 में सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना और श्रेणी 2 में जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हुई बचत के कारणों की जानकारी प्रदान नहीं की गई।

3.4.9 चयनित अनुदानों की समीक्षा

विधानसभा में अनुदानों की मांगो पर मतदान पूर्ण होने के उपरांत राज्य की समेकित निधि में से आवश्यक धन के विनियोग हेतु एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो (क) विधानसभा द्वारा दी गई अनुदानों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति करता है। विधेयक पर राज्यपाल की सहमति उपरान्त, विनियोग अधिनियम और इसकी अनुसूचियों में दर्शायी गई राशियां, विभिन्न मांगों के अंतर्गत व्यय के लिए स्वीकृत अनुदान बन जाती है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, दो अनुदानों को लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया, अर्थात् अनुदान संख्या 19–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा अनुदान संख्या 20–लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के अंतर्गत निर्धारित

बजटीय प्रक्रियाओं के अनुपालन की समीक्षा, निधियों की निगरानी, नियंत्रण तंत्र और इन अनुदानों के भीतर योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत जांच के लिए इनका चयन किया गया।

3.4.9.1 अनुदान संख्या 19–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

लेखापरीक्षा ने, अनुदान संख्या 19–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित बजटीय प्रक्रिया और व्यय नियंत्रण की समीक्षा (जुलाई–अगस्त 2024) की। आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल (BCO कोड–1704) और नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल (BCO कोड–1706) अनुदान संख्या 19 के बजट नियंत्रण अधिकारी हैं। अनुदान की समीक्षा तीन मुख्य शीर्ष, अर्थात् 2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2211–परिवार कल्याण और 4210–लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय के संदर्भ में की गई।

(i) बजट और व्यय की सारांशीकृत स्थिति

2023–24 के दौरान अनुदान संख्या 19–''लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण'' के अंतर्गत बजटीय राशि एवं किये गये व्यय का विवरण नीचे **तालिका 3.25** में सारांशीकृत है:

तालिका 3.25: 2023–24 के दौरान सारांशीकृत विनियोग

(₹ करोड़ में)

अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	बजट नियंत्रण अधिकारियों को जारी बजट	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को संवितरित बजट	व्यय		बचतें	
						बजट नियंत्रण अधिकारियों के अनुसार	विनियोग लेखे के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारियों के अनुसार	विनियोग लेखे के अनुसार
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7	8	9 (5-7)	10 (4-8)
राजस्व (दत्तमत)	10,918.26	1,343.56	12,261.82	12,183.14	10,854.19	10,803.46	10,803.68	1,379.68	1,458.14
राजस्व (भारित)	0.00[43]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूंजीगत (दत्तमत)	1,069.47	71.72	1,141.19	1,141.19	1,115.89	1,088.63	1,088.63	52.56	52.56
योग	**11,987.73**	**1,415.28**	**13,403.01**	**13,324.33**	**11,970.08**	**11,892.09**	**11,892.31**	**1,432.24**	**1,510.70**

स्रोतः विनियोग लेखे 2023–24 एवं बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी

तालिका 3.25 निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत करती है:

जैसा कि उपरोक्त **तालिका 3.25** से देखा जा सकता है कि राज्य विधायिका ने ₹13,403.01 करोड़ के मूल बजट की स्वीकृति प्रदान की थी, हालांकि वित्त विभाग ने बजट नियंत्रण अधिकारियों को ₹13,324.33 करोड़ आवंटित किए, जिससे विधायिका द्वारा स्वीकृत बजट की तुलना में ₹78.68 करोड़ की कमी हो गई। बजट नियंत्रण अधिकारियों को आवंटित ₹13,324.33 करोड़ में से केवल ₹11,970.08 करोड़ ही आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को वितरित किए गए, जिसमें से ₹11,892.09 करोड़ का ही उपयोग हो सका।

बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा बताया गया व्यय विनियोग लेखों में दर्ज राशि से ₹0.22 करोड़ कम था। **महालेखाकार के साथ किए गए मिलान से संबंधित कोई दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए**। यह इंगित करता है कि बजट नियंत्रण अधिकारियों ने अपने लेखों का महालेखाकार के साथ नियमित

[43] केवल ₹50,000, इसलिए राउंडिंग के कारण शून्य के रूप में दिखाया गया है।

रूप से मिलान करने की जिम्मेदारी का पालन नहीं किया, जो कि मध्य प्रदेश बजट नियमावली की नियम कंडिका 24.9.3 के तहत अनिवार्य है।

विनियोग लेखें 2023–24 के अनुसार, आवंटित ₹13,403.01 करोड़ में से ₹11,892.31 करोड़ का व्यय किया गया, जिससे ₹1,510.70 करोड़ (11.27 प्रतिशत) का अव्ययित प्रावधान रहा। सारभूत बचतों से पता चलता है कि बजट अनुमान प्रकिया के दौरान बजट नियंत्रण अधिकारियों ने उचित सावधानी नहीं बरती और बजट नियमावली का पालन नहीं किया।

इसके अलावा, हमनें यह भी पाया गया कि ₹1,415.28 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि विभाग मूल प्रावधान भी व्यय नहीं कर सका। यह इंगित करता है कि अनुपूरक अनुदानों के प्रस्तावों की समीक्षा में समुचित जांच नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान किया गया।

(ii) तदर्थ आधार पर बजट अनुमान तैयार करना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली खण्ड–I (भाग–ब) की कंडिकाओं ब–7 और 8 के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से व्यय एवं प्राप्तियों के अनुमान एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, विभागीय योजनाओं के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में संभावित बजटेत्तर (ऑफ–बजट) निधियों के अनुमानों को संकलित कर अंतिम रूप देना भी उनका दायित्व है। बजट नियंत्रण अधिकारी को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए सभी अनुमानों को संकलित कर उनकी समीक्षा करनी चाहिए।

वित्त विभाग ने निर्देश (नवंबर 2022) जारी कर वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमानों को तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी मांगी थी। इसके अलावा यह देखा गया कि विभाग ने ₹13,324.33 करोड़ के आवंटित बजट के विरुद्ध ₹11,892.09 करोड़ व्यय किए, परिणामस्वरूप ₹1,432.24 करोड़ की बचत हुई। हालांकि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि बजट को अंतिम रूप देने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से व्यय और प्राप्तियों को अनुमान प्राप्त नहीं किये गये थे। यह इंगित करता है कि बजट अनुमान तदर्थ आधार पर तैयार किए गए थे। तदर्थ आधार पर बजट तैयार करने से बचतें हुई।

(iii) बचतें

सारभूत बचतें

ऐसे अनुश्रवण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विधान सभा द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित राज्य बजट वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक व्यय का एक विश्वसनीय मार्गदर्शक बना रहे।

वर्ष 2023–24 के दौरान, लेखापरीक्षा में 15 योजनाओं में कुल ₹1,362.51 करोड़ की महत्वपूर्ण बचतें दर्ज की गई, जिनमें से प्रत्येक योजना में कुल बजट से ₹ पाँच करोड़ या अधिक की बचत हुई। विस्तृत विवरण नीचे **तालिका 3.26** में दिया गया है।

तालिका 3.26: सारभूत बचतें जहां प्रत्येक प्रकरण में ₹ पांच करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई

(₹ करोड़ में)

स. क्र	योजना शीर्ष	योजना का नाम	आवंटित बजट	पुनर्विनियोजन (+ और -)	कूल बजट	व्यय	बचते	बचत (प्रतिशत में)
1	9545	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	129.33	(-)58.34	70.99	41.90	29.09	40.98
2	9548	आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन	325.00	58.34	383.34	300.38	82.96	21.64
3	5724	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम./एन. आर.एच.एम.)	3,994.75	0	3,994.75	3,962.91	31.84	0.80
4	9923	प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रकचर मिशन	410.04	58.95	468.99	460.55	8.44	1.80
5	1473	जिला/सिविल अस्पताल एवं औषधालय	1,481.91	(-)1.87	1,480.04	1,335.98	144.06	9.73
6	2777	स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन	1,296.43	(-)19.66	1,276.77	1,084.57	192.20	15.05
7	7317	ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन	58.59	1.4	59.99	44.42	15.57	25.95
8	5998	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	55.10	5.43	60.53	52.88	7.65	12.64
9	2502	परिचारिकाओं का प्रशिक्षण	21.11	0.68	21.79	14.43	7.36	33.78
10	8150	बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	324.62	0.12	324.74	288.36	36.38	11.20
11	4245	शीत ज्वर	226.64	0.42	227.06	192.93	34.13	15.03
12	0621	अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र	567.95	1.96	569.91	521.92	47.99	8.42
13	7648	अस्पताल और औषधालयो के भवन निर्माण	150.86	129.09	279.95	261.70	18.25	6.52
14	9922	15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान	1,882.07	(-)303.79	1,578.28	885.62	692.66	43.89
15	5056	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो का भवन निर्माण	225.60	162.25	387.85	373.92	13.93	3.59
		योग	**11,150.00**	**34.98**	**11,184.98**	**9,822.47**	**1,362.51**	**12.18**

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी

लेखापरीक्षा में संचालक, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक द्वारा 31 मार्च 2024 को बचतों के समर्पण के प्रस्ताव में महत्वपूर्ण बचतों के कोई कारण नहीं मिले।

(iv) सतत् बचतें

लेखापरीक्षा ने पाया कि मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिकाओं 30.1 और 30.2 के उल्लंघन से पिछले तीन वर्षों, 2021–22 से 2023–24 तक के दौरान चार योजनाओं में लगातार ₹ एक करोड़ से अधिक की सतत् बचतें हुई, जो कुल बजट आवंटन का 11.34 प्रतिशत से 93.47 प्रतिशत तक रही, जैसा कि नीचे **तालिका 3.27** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.27: 2021–24 के दौरान सतत् बचतें दर्शाती योजनाएँ

(₹ करोड़ में)

स. क्र	योजना का नाम	बचत राशि (योजना में कुल बजट आवंटन का प्रतिशत)		
		2021-22	2022-23	2023-24
1	2210-01-110-0701-5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम./एन.आर.एच.एम)	361.46 (11.34)	595.74 (32.66)	181.56 (12.21)
2	2210-01-110-0702-5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम./एन.आर.एच.एम)	127.81 (18.55)	242.67 (35.29)	386.33 (73.25)
3	2210-01-110-1301-9922-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान	299.56 (32.46)	586.00 (65.35)	336.55 (39.27)
4	2210-05-105-0102-2502-परिचारिकाओं का प्रशिक्षण	4.01 (93.47)	3.96 (88.20)	1.66 (66.76)

स्रोतः विनियोग लेखे 2023–24

लगातार बनी रहने वाली सतत् बचतें अवास्तविक बजटीय आवंटन, बजट निधियों के उप–इष्टतम उपयोग और संसाधन का अपर्याप्त अनुश्रवण अथवा उपयोग को दर्शाती है। इससें ऐसा भी प्रतीत होता है कि बजट आवंटन पिछले वर्षों के व्यय रूझान पर विचार किए बिना किया गया था।

(v) संपूर्ण प्रावधान का उपयोग न होना

वर्ष 2023–24 के दौरान, पांच प्रकरणों में, जहां प्रावधान ₹50.00 लाख या अधिक था, संपूर्ण प्रावधान राशि ₹664.00 लाख का उपयोग नहीं किया गया। इसमें से ₹571.20 लाख (86 प्रतिशत) वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए, लेकिन अव्ययित रहे, जैसा कि **तालिका 3.28** में वर्णित है:

तालिका 3.28: संपूर्ण प्रावधान के पूर्णतः अप्रयुक्त रहने का विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	बजट शीर्ष	योजना नामकरण	आवंटित बजट	बजट नियंत्रण अधिकारियों को जारी राशि	व्यय
1	19-2210-01-110-0701-5724-V-44-008	5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम./एन.आर.एच.एम)	183.00	146.40	0.00
2	19-2210-01-110-0702-5724-V-44-008	5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम./एन.आर.एच.एम)	69.00	55.20	0.00
3	19-2210-01-110-0704-5724-V-44-008	5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम./एन.आर.एच.एम)	122.00	97.60	0.00
4	19-2210-03-103-0101-5507-V-11-025	5507-मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना	200.00	200.00	0.00
5	19-2210-06-196-0102-4245-V-31-010	4245-शीत ज्वर	90.00	72.00	0.00
		योग	**664.00**	**571.20**	**0.00**

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी

(vi) आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवंटित बजट वितरित न करने के कारण बचतें

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका बी–12 के अनुसार, जब विधान सभा द्वारा पारित बजटीय आवंटन बजट नियंत्रण अधिकारियों को एक बार सूचित कर दिया जाता है, तो उनके अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को धनराशि वितरित करने की जिम्मेदारी बजट नियंत्रण अधिकारियों की होती है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2023–24 के दौरान बजट नियंत्रण अधिकारियों ने 23 योजनाओं में जहां प्रावधान ₹10.00 लाख या अधिक था, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को धनराशि वितरित नहीं की। परिणामस्वरूप, संपूर्ण बजट ₹9.59 करोड़ अप्रयुक्त रहा, जैसा कि **तालिका 3.29** में वर्णित है:

तालिका 3.29: आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को वितरित न की गई धनराशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	बजट शीर्ष	योजना का नाम	बजट नियंत्रण अधिकारियों को जारी राशि	बजट वितरण	शेष बजट	व्यय	बजट नियंत्रण अधिकारियों के पास शेष बजट
1	19-2210-03-103-0101-5507-V-11-025	5507-मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना	2.00	निरंक	2.00	निरंक	2.00
2	19-2210-01-110-0701-5724-V-44-008	5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम. /एन.आर.एच.एम)	1.46	निरंक	1.46	निरंक	1.46
3	19-2210-01-110-0704-5724-V-44-008	5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम. /एन.आर.एच.एम)	0.98	निरंक	0.98	निरंक	0.98
4	19-2210-06-196-0102-4245-V-31-010	4245-शीत ज्वर	0.72	निरंक	0.72	निरंक	0.72
5	19-2210-01-110-0702-5724-V-44-008	5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम. /एन.आर.एच.एम)	0.55	निरंक	0.55	निरंक	0.55
6	19-2210-01-001-0101-4065-V-35-000	4065-विशेष अवसरों पर प्रचार	0.40	निरंक	0.40	निरंक	0.40
7	19-4210-01-110-0101-2283-V-23-001	2283-निदेशन और प्रशासन	0.40	निरंक	0.40	निरंक	0.40
8	19-2210-01-110-0703-5724-V-44-008	5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम. /एन.आर.एच.एम)	0.38	निरंक	0.38	निरंक	0.38
9	19-2210-01-110-0705-5724-V-44-008	5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम. /एन.आर.एच.एम)	0.37	निरंक	0.37	निरंक	0.37
10	19-2210-01-196-0102-1473-V-11-011	1473-जिला/सिविल अस्पताल एवं औषधालय	0.30	निरंक	0.30	निरंक	0.30
11	19-2210-01-110-0706-5724-V-44-008	5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम. /एन.आर.एच.एम)	0.26	निरंक	0.26	निरंक	0.26
12	19-2210-05-105-0101-2502-V-12-000	2502-परिचारिकाओं को प्रशिक्षण	0.25	निरंक	0.25	निरंक	0.25

13	19-2211-00-102-0801-2703-V-42-007	2703-प्रत्यक्ष व्यय	0.20	निरंक	0.20	निरंक	0.20
14	19-2210-05-105-0102-2502-V-22-011	2502-परिचारिकाओं को प्रशिक्षण	0.20	निरंक	0.20	निरंक	0.20
15	19-2210-01-110-0101-6668-V-42-007	6668-भारतीय रेडक्रास सोसायटी को अनुदान	0.16	निरंक	0.16	निरंक	0.16
16	19-2210-06-196-0103-4245-V-31-010	4245-शीत ज्वर	0.16	निरंक	0.16	निरंक	0.16
17	19-2210-01-196-0103-1473-V-11-011	1473-जिला/सिविल अस्पताल एवं औषधालय	0.15	निरंक	0.15	निरंक	0.15
18	19-2210-05-105-0102-2502-V-11-001	2502-परिचारिकाओं का प्रशिक्षण	0.13	निरंक	0.13	निरंक	0.13
19	19-2210-03-103-0102-2777-V-22-011	2777-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक)	0.11	निरंक	0.11	निरंक	0.11
20	19-2211-00-198-0801-0621-V-11-011	0621-उप स्वास्थ्य केन्द्र	0.11	निरंक	0.11	निरंक	0.11
21	19-2210-03-103-0102-2777-V-11-011	2777-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक)	0.10	निरंक	0.10	निरंक	0.10
22	19-2210-06-101-0101-8150-V-11-011	8150-बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	0.10	निरंक	0.10	निरंक	0.10
23	19-2210-06-196-0101-4245-V-11-011	4245-शीत ज्वर	0.10	निरंक	0.10	निरंक	0.10
योग			**9.59**	**निरंक**	**9.59**	**निरंक**	**9.59**

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी

(vii) अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिकाओं 28.8 और 28.9 के अनुसार, अनुपूरक अनुदानों की तैयारी और औचित्य सिद्ध करने की प्राथमिक जिम्मेदारी बजट नियंत्रण अधिकारियों की होती है। नियंत्रण अधिकारी द्वारा अनुपुरक अनुदान या पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और प्रशासनिक विभाग को उस प्रस्ताव की अत्यंत सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और वित्त विभाग से केवल उनकी अनुशंसा करनी चाहिए जो पूर्ण रूपेण तर्कसंगत है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2023–24 के दौरान चार योजनाओं में ₹357.77 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुँचा, जैसा कि **तालिका 3.30** में विस्तृत हैः

तालिका 3.30: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान का विवरण 2023–24

(₹ करोड़ में)

स. क्र	लेखा शीर्ष	मूल बजट	बजट नियंत्रण अधिकारियों को कुल आंवटित बजट (अनुपुरक बजट सहित)	अनुपुरक बजट आवंटन	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को बजट वितरण	शेष बजट	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों स्तर का व्यय	कुल बचत
1	19-2210-01-110-0702-9923-42-007-V	9.98	7.19	1.00	3.76	3.43	3.76	3.43
2	19-2210-01-110-0705-9923-42-007-V	6.65	4.79	0.67	2.51	2.28	2.51	2.28
3	19-2210-01-110-1302-9922-42-007-V	299.09	299.09	146.09	153.00	146.09	153.00	146.09
4	19-2210-01-110-1303-9922-42-007-V	422.20	422.20	210.01	212.19	210.01	212.19	210.01
	योग	**737.92**	**733.27**	**357.77**	**371.46**	**361.81**	**371.46**	**361.81**

स्रोतः संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों के वित्तीय लेखे

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यद्यपि बजट का प्रावधान किया गया था, फिर भी बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आवंटन/वितरण प्रावधान से कम किया गया। मूल बजट ₹737.92 करोड़ के विरूद्ध आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को वास्तविक वितरित राशि मात्र ₹371.46 करोड़ (50 प्रतिशत) रही, जिसमें कोई बचत नहीं हुई। यह इंगित करता है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुमानित बचतें वास्तव में बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को उनके आवंटित बजट का पूरा आवंटन करने में विफलता के कारण है।

इस स्थिति में, लेखापरीक्षा यह आश्वासन पाने में असमर्थ है कि बजट प्रावधान वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप था और मध्य प्रदेश शासन के पास बजट प्रावधान के अनुरूप आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संसाधन थे।

(viii) अनुमानित बचत समर्पित न किया जाना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.9 के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए व्यय में प्रत्याशित बचतों का विवरण बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा 15 जनवरी तक वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ताकि वित्त विभाग द्वारा अनुदान की अन्य मांगों के लिए संसाधनों का आवंटन किया जा सके।

तालिका 3.31 में वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान बजट प्रावधान, अनुपूरक आवंटन, किए गए व्यय, समर्पित बचतें तथा असमर्पित बचतों की स्थिति प्रस्तुत करती है:

तालिका 3.31: वर्ष 2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान असमर्पित बचतें

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	व्यय	बचतें	समर्पित बचतें	असमर्पित बचतें
1	**2**	**3**	**4 (2+3)**	**5**	**6 (4-5)**	**7**	**8 (6-7)**
2019-20	7,547.05	107.88	7,654.93	6,762.62	892.31	-	892.31
2020-21	7,405.55	157.84	7,563.39	7,226.08	337.31	7.99	329.32
2021-22	8,045.76	2,634.91	10,680.67	9,719.12	961.55	-	961.55
2022-23	10,379.86	1,795.50	12,175.36	10,426.28	1,749.08	-	1,749.08
2023-24	11,987.74	1,415.27	13,403.01	11,892.31	1,510.70	-	1,510.70
योग					**5,450.95**	**7.99**	**5,442.96**

स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे एवं विस्तृत लेखे

तालिका 3.31 इंगित करती है कि 2019–24 के दौरान ₹5,450.95 करोड़ की कुल बचतों में से विभाग ने केवल ₹7.99 करोड़ समर्पित किए। इसके परिणामस्वरूप, ₹5,442.96 करोड़ वित्तीय वर्षों के अंत में व्यपगत हो गया।

(ix) बिना तत्कालिक आवश्यकता के कोषालय से धनराषि का आहरण कर बैंक खाते में जमा करना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 की सहायक नियमावली 153(1) के अनुसार, कोषालय से कोई राशि तब तक आवंटित नही की जाएगी जब तक कि उसके तुरंत वितरण की आवश्यकता न हो; यह गंभीर अनियमितता है कि भविष्य में मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदान की समाप्ति को रोकने के लिए कोषालय से अग्रिम राशि निकाली जाए एवं ऐसे आहरण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

अभिलेखों की जांच में, हमने देखा कि योजना 9585–''राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन'' के तहत आवंटित ₹ आठ करोड़ में से ₹7.32 करोड़ दिसंबर 2023 में, राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी–एन.एच.एम द्वारा आहरित किए गए और मार्च 2024 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाता संख्या 60438816037 में जमा किए गए। यह राशि अगस्त 2024 तक बैंक खाते में अव्ययित रही। यह दर्शाता है कि कोषालय से धनराशि बिना तत्कालिक आवश्यकता के निकाली गई थी, जो मध्य प्रदेश कोषालय संहिता का उल्लंघन है।

3.4.9.2 अनुदान संख्या 20–लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

वर्ष 2023–24 के दौरान, अनुदान संख्या 20–लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, को लेखापरीक्षा में विस्तृत जांच के लिए चयनित किया गया था, ताकि निर्धारित बजटीय प्रक्रियाओं का पालन, निधियों की निगरानी, नियंत्रण तंत्र और इन अनुदानों के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके।

लेखापरीक्षा ने अनुदान संख्या 20–लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा (सितंबर 2024 में) की, जो प्रमुख अभियंता, भोपाल के अंतर्गत आता है और अनुदान संख्या 20 के बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO कोड–3402) हैं।

(i) बजट और व्यय की सारांशीकृत स्थिति

2023–24 के दौरान अनुदान संख्या 20–लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत बजटीय राशि और किए गए व्यय का विवरण नीचे **तालिका 3.32** में सारांशीकृत किया गया है:

तालिका 3.32: 2023–24 के दौरान सारांशीकृत विनियोग

(₹ करोड़ में)

अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल अनुदान	बजट नियंत्रण अधिकारी को जारी किया गया बजट	व्यय		बचतें	
					विनियोग लेखे के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारी के अनुसार	विनियोग लेखे के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारी के अनुसार
राजस्व (दत्तमत)	1,035.54	40.00	1,075.54	1,046.97	873.74	873.79	201.80	173.18
राजस्व (भारित)	2.25	0.00	2.25	2.25	1.14	1.14	1.11	1.11
पूंजीगत (दत्तमत)	9,154.05	2,616.56	11,770.61	11,770.68	10,531.22	11,704.91	1,239.39	65.77
योग	**10,191.84**	**2,656.56**	**12,848.40**	**12,819.90**	**11,406.10**	**12,579.84**	**1,442.30**	**240.06**

स्रोतः विनियोग लेखे 2023–24 एवं बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि, राजस्व अनुभाग (दत्तमत) के अंतर्गत, विनियोग लेखे के अनुसार बचतें ₹201.80 करोड़ (राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट आवंटन ₹1,075.54 करोड़ के विरूद्ध) थी, जबकि बजट नियंत्रण अधिकारी के अनुसार कुल बचतें ₹173.18 करोड़ थी (वित्त विभाग द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारी को जारी ₹1,046.97 करोड़ के विरूद्ध) थी।

- बचतों के ऐसे अंतर इंगित करते है कि बजट अनुमान तैयार करते समय बजट नियंत्रण अधिकारी ने उचित सावधानी नहीं बरती और बजट अनुमान तैयार करते समय मध्यप्रदेश बजट नियमावली के लागू होने वाले प्रावधानों का भी अनुपालन नहीं किया।

- **तालिका 3.32** के अनुसार, विनियोग लेखों के अनुसार ₹11,406.10 करोड़ का व्यय प्रतिवेदित किया गया, जबकि बजट नियंत्रण अधिकारी ने ₹12,579.84 करोड़ का उच्च व्यय प्रतिबिंबित किया एवं संबंधित आवंटित बजट की तुलना में, विनियोग लेखों में ₹12,848.40 करोड़ आवंटित किए गए, एवं बजट नियंत्रण अधिकारी को ₹12,819.90 करोड़ जारी किए गए। विनियोग लेखों और बजट नियंत्रण अधिकारी के आंकड़ों में बचतों का अंतर ₹1,202.24 करोड़ है।

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 24.9.3 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा संधारित लेखों का महालेखाकार की पुस्तकों में प्रदर्शित लेखों के साथ मिलान करने और गलत वर्गीकरणों की पहचान करने और सही करने के लिए बजट नियंत्रण अधिकारी स्वयं जिम्मेदार है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम और बजट नियंत्रण अधिकारी के कार्यालय के बीच आंकड़ों में अंतर, आंकड़ों का मिलान न करने की प्रणाली के अभाव के कारण है जो मध्यप्रदेश बजट नियमावली के प्रावधान का उल्लंघन था।

(ii) तदर्थ आधार पर बजट अनुमान तैयार करना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली खंड–1 (भाग–ब) की कंडिकाओं ब–7 और ब–8 के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारी उनके अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों को एकत्र करने के साथ–साथ आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान संभावित बजटेत्तर निधियों के अनुमानों को संकलित कर अंतिम रूप देना भी उनका दायित्व हैं, बजट नियंत्रण अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए सभी अनुमानों को एकत्र करना चाहिए और उसकी समीक्षा करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा बजट अनुमान तैयार करते समय बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने से पहले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से जानकारी प्राप्त नहीं की गई है। इसके अलावा, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान विभाग ने आवंटित ₹12,819.90 करोड़ में से ₹12,579.84 करोड़ व्यय किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बजट अनुमान मध्य प्रदेश बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन किए बिना तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना तैयार किए गए, इसके परिणामस्वरूप निधियां अवरुद्ध हुयी साथ ही संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन भी हुआ।

उत्तर में, प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने स्वीकार किया कि बजट और व्यय के बीच अंतर लगभग केवल 10 प्रतिशत है।

हालांकि, वास्तविकता यह बनी रहती है कि बजट अनुमान मनमाने तरीके से, निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना तैयार किए गए थे।

(iii) शासकीय लेखों में अपारदर्शिता – लघु शीर्ष 800 का संचालन

मध्य प्रदेश बजट नियमावली (खंड–I) के कंडिका 8.3 (5) (VI) के अनुसार, चूंकि अधिकांश सरकारी गतिविधियाँ, मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची में स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, महानियंत्रक लेखा द्वारा जारी की जाती हैं लघु शीर्ष "800–अन्य प्राप्तियां/व्यय" का संचालन न्यूनतम किया जाना चाहिए। यदि विशेष परिस्थिति के कारण इस लघु शीर्ष के अंतर्गत व्यय वर्गीकृत करना अपरिहार्य हो, तो अनुमानों के साथ विस्तृत स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए और महालेखाकार द्वारा पुनरीक्षण की आवश्यकता होगी।

बजट नियंत्रण अधिकारी, प्रमुख अभियंता, भोपाल के वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक के अभिलेखों की नमूना जांच (सितंबर 2024) में यह देखा गया कि "800–अन्य व्यय" शीर्ष के अंतर्गत अत्यधिक राशि दर्ज की गई। लघु शीर्ष 800 के संचालन की सीमा तक लेखा शीर्ष 20–4215–01–800 की स्थिति निम्नलिखित **तालिका 3.33** में दी गई है:

तालिका 3.33: 2020–24 के दौरान लघु शीर्ष 800 की सारांशीकृत सिथति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आवंटित बजट	पुनर्विनियोग	कुल बजट	व्यय
2020-21	1,333.52	1,333.52	(-)600.66	732.86	686.29
2021-22	723.58	723.58	0.00	723.58	372.17
2022-23	480.00	480.00	225.00	705.00	646.94
2023-24	708.00	708.00	(-)366.00	342.00	341.99

स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा लघु शीर्ष–800 के अंतर्गत व्यय दर्ज करने से बचने के निर्देशों के बावजूद, विभाग लगातार लघु शीर्ष–800 के अंतर्गत व्यय दर्ज कर रहा है।

प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि, विभाग की मांग के अनुसार वित्त विभाग द्वारा बजट अंतिम रूप से तैयार किया जाता है और राज्य के कोषालय में धन की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न विभागों को बजट उपलब्ध कराया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लघु शीर्ष "800–अन्य व्यय" के अंतर्गत व्यय को न्यूनतम करने के प्रयास में कमीं थी। लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बिना नियंत्रण के प्राप्तियां और व्यय दर्ज करना पारदर्शिता और लेनदेन की प्रवृति को प्रभावित करता है और लेखों को अपारदर्शी बना देता है।

(iv) सतत् बचतें

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मध्यप्रदेश बजट नियमावली की कंडिकाओं 30.1 और 30.2 के उल्लंघन से पिछले चार वर्षों, 2020–21 से 2023–24 के दौरान, आठ योजनाओं में ₹ एक करोड़ से अधिक की सतत् बचतें रही, जो कुल प्रावधान का 0.07 प्रतिशत से 71.04 प्रतिशत तक थी, जो **तालिका 3.34** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.34: 2020–21 से 2023–24 के दौरान ₹ एक करोड़ और उससे अधिक की सतत् बचतें

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष	योजना शीर्ष एवं नाम	बचतों की राशि (प्रतिशत में)			
			2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2215	2294-संचालनालय की स्थापना	7.23 (18.00)	7.88 (20.00)	7.34 (17.00)	10.21 (23.00)
2		2714-प्रशासन	12.77 (3.00)	42.06 (9.28)	34.88 (6.87)	88.90 (17.21)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष	योजना शीर्ष एवं नाम	बचतों की राशि (प्रतिशत में)			
			2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
3		0545-प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	30.65 (17.00)	22.28 (13.00)	17.06 (9.00)	51.18 (25.00)
4	4215	2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	1.72 (0.96)	45.63 (34.31)	20.83 (18.94)	4.99 (7.14)
5		5468-जल जीवन मिशन (जे.जे.एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	20.00 (1.21)	29.34 (0.36)	738.26 (11.68)	8.05 (0.07)
6		4379-समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना	2.74 (1.37)	13.96 (6.98)	2.41 (1.02)	4.57 (1.69)
7		2181-नगरीय जल प्रदाय योजनाए	21.23 (70.77)	7.51 (50.08)	2.49 (16.60)	10.65 (71.04)
8		1854-ड्रिलिंग रिंग्स का आपरेशन/वर्रकशाप/एयर कम्प्रेशन	84.89 (16.72)	12.00 (22.10)	22.24 (30.23)	25.20 (37.64)

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी

सतत बचतें अवास्तविक बजटीय आवंटन, बजट निधियों के अल्प–इष्टतम उपयोग तथा संसाधन उपयोग के अपर्याप्त निगरानी का संकेत है। इससे ऐसा भी प्रतीत होता है कि बजटीय आवंटन पिछले वर्षों के रूझान पर विचार किए बिना किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सतत बचतें हुई।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता ने उत्तर दिया कि राजस्व एवं पूंजीगत दोनों शीर्षों में अधिकांश बचत माननीय न्यायालय के आदेशानुसार वेतन, मजदूरी एवं बकाया भुगतान में कमी के कारण हुई तथा शेष बचतें 10 प्रतिशत से कम रही।

(v) सारभूत बचतें

अनुदान संख्या 20–लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत योजनाओं का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के गांवों में सुरक्षित और पीने योग्य जल उपलब्ध कराने हेतु जल आपूर्ति योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य, जांच, तैयारी और क्रियान्वयन करना है।

विभाग द्वारा 2023–24 में प्रदान किए गए आंकड़ों की जांच के दौरान यह पाया गया कि छः योजनाओं में ₹54.08 करोड की सारभूत बचतें रही, जहां बचतें ₹ पाँच करोड़ या उससे अधिक थी, जो कुल बजट का 0.65 प्रतिशत से 98.45 प्रतिशत तक थी। विवरण **तालिका 3.35** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.35: सारभूत बचतें

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना शीर्ष	कुल बजट आवंटन	व्यय	बचतें	बचतें (प्रतिशत में)
1	20-2215-01-102-0101-8415-V-33-004	30.72	21.08	9.64	31.38
2	20-4215-01-001-0101-1126-V-64-001	10.00	0.15	9.85	98.45
3	20-4215-01-001-9999-1854-V-12-003	14.39	2.15	12.24	85.06
4	20-4215-01-001-9999-1854-V-19-001	25.44	20.04	5.40	21.23
5	20-4215-01-102-0101-2181-V-64-001	15.00	4.34	10.66	71.04
6	20-4215-01-102-0703-5468-V-64-001	966.47	960.17	6.30	0.65
योग		**1,062.02**	**1,007.94**	**54.08**	**5.09**

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा आमतौर पर फरवरी के अंतिम सप्ताह में निधि जारी की जाती है, इसके अतिरिक्त, मासिक और तिमाही व्यय सीमाओं के कारण भी बचतें होती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पेयजल आपूर्ति और अधोसंरचना निर्माण से संबंधित योजनाओं में सारभूत बचतें होना एक गंभीर विषय है, जो सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य और जनकल्याण को प्रभावित करेगा।

(vi) सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं के सौरकरण हेतु आवंटन, परंतु अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजन

प्रभावी वित्तीय प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि नीति स्तर पर लिये गये निर्णय को प्रशासनिक स्तर निधियों के बिना अपव्यय या दुरूप्रयोग के सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा बजट अनुमान तैयार करते समय वित्तीय वर्ष 2023–24 में सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं के सौरकरण हेतु ₹356.23 करोड़ का आवंटन किया गया था, परंतु इसे अंतिम रूप से व्यय नहीं किया गया जिसके लिए प्रावधान किया गया था। इसके बजाय, इस राशि का पुनर्विनियोजन कर जल जीवन मिशन, ग्रामीण पेयजल मिशन, गांवों में नल जल आपूर्ति योजनाओं, समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल आपूर्ति योजना तथा भूजल संरक्षण कार्यक्रम में उपयोग किया गया। जैसा कि निम्न **तालिका 3.36** में विवरण है:

तालिका 3.36: सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं के सौरकरण हेतु बजट आवंटन

(₹ करोड़ में)

स. क्र	बजट नियंत्रण अधिकारी	योजना एवं नाम	घटाई गयी राशि	योजना एवं नाम	बढाई गयी राशि
1	3402-प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	20-4215-01-001-0101-9551-V-64-002-सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जीकरण	217.30	20-4215-01-102-0704-5468-64-001-जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	76.30
2		20-4215-01-001-0102-9551-V-64-002-सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जीकरण	81.93	20-4215-01-102-0705-5468-64-001-जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	16.94
3		20-4215-01-001-0103-9551-V-64-002-सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जीकरण	57.00	20-4215-01-102-0706-5468-64-001-जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	12.99
4				20-4215-01-102-0101-2580-V-64-001-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	10.00
5				20-4215-01-102-0101-4379-V-64-001-समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना	30.00
6				20-4215-01-102-0101-6032-V-64-001-भू–जल संवर्धन कार्यक्रम	10.00
7				20-4215-01-102-0102-2580-V-64-001-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	5.00
8				20-4215-01-102-0102-4379-V-64-001- समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना	25.00
9				20-4215-01-102-0103-2580-V-64-001- पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	5.00

स. क्र	बजट नियंत्रण अधिकारी	योजना एवं नाम	घटाई गयी राशि	योजना एवं नाम	बढाई गयी राशि
10				20-4215-01-102-0103-4379-V-64-001- समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना	15.00
11				20-4215-01-102-0701-5468-64-001-जल जीवन मिशन (जे. जे.एम.) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	91.00
12				20-4215-01-102-0702-5468-64-001- जल जीवन मिशन (जे. जे.एम.) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	35.00
13				20-4215-01-102-0703-5468-64-001-जल जीवन मिशन (जे. जे.एम.) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	24.00
	योग		**356.23**		**356.23**

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी

इस संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बताया कि वित्त विभाग के मौखिक निर्देशानुसार, संबंधित शीर्ष के अंतर्गत व्यय केवल वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उक्त शीर्ष के अंतर्गत कोई कार्य नहीं किया गया और संपूर्ण बजट राशि को अनुदान के अंतर्गत अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वित्त विभाग की उचित स्वीकृति के बिना निधियों का पुनर्विनियोजन करना वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अलावा, विभागों द्वारा इस स्थिति में अपनाई गई मनमानी कार्यप्रणाली से राज्य की बजट नीति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है और इसे नीतिगत प्रकरण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

(vii) समर्पित नहीं की गई अनुमानित बचतें

मध्य प्रदेश बजट नियमावली के कंडिका 26.9 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय में अनुमानित बचतों का विवरण 15 जनवरी तक वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा (सितंबर 2024) में पाया गया कि अनुदान संख्या 20–लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में, बजट नियंत्रण अधिकारी प्रमुख अभियंता, भोपाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए ₹240.06 करोड़ की बचतों के विरुद्ध केवल राशि ₹147.90 करोड़ विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 को निर्धारित समय–सीमा 15 जनवरी के पश्चात् समर्पित की गई थी एवं शेष राशि ₹92.16 करोड़ को विभाग द्वारा व्यपगत होने दिया गया। यह दर्शाता है कि बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान राज्य के अन्य विकास कार्यों हेतु निधियों का उपयोग नहीं हो सका। विवरण निम्न **तालिका 3.37** में विस्तृत हैः

तालिका 3.37: समर्पित नहीं की गई अनुमानित बचतें

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट नियंत्रण अधिकारी को कुल बजट	व्यय	बचतें	कुल समर्पित राशि	असमर्पित राशि
1	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	2215-जल पूर्ति तथा सफाई	1,009.22	838.74	170.48	145.71	24.77
2		3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	40.00	36.19	3.81	0.00	3.81
3		4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	11,770.68	11,704.91	65.77	2.19	63.58
		योग	**12,819.90**	**12,579.84**	**240.06**	**147.90**	**92.16**

उत्तर में, प्रमुख अभियंता ने बताया कि ₹240.06 करोड़ की अप्रयुक्त राशि में से केवल ₹147.90 करोड़ समर्पित की गई, जबकि शेष राशि पर बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं दी गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग 15 जनवरी तक अनुमानित बचत को समर्पित करने में विफल रहा, जैसा कि बजट नियमावली में निर्धारित है।

(viii) संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग न होना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली के खंड–1 (भाग–बी) की कंडिकाओं ए–6 और 8 के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारी उनके अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान विभागीय योजनाओं के लिए प्राप्त होने वाली संभावित बजटेत्तर निधियों के अनुमान तैयार करने के साथ–साथ उनके अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों को एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। बजट नियंत्रण अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए सभी अनुमानों का मिलान और उसकी समीक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा, मध्य प्रदेश बजट नियमावली के भाग बी–13 में बताया गया है कि बजट नियंत्रण अधिकारी व्यय पर नियंत्रण, बचत का समर्पण और वित्त विभाग को प्रस्तुत प्रत्याशित राजस्व और व्यय के मासिक विवरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में, चार योजनओं में जहाँ बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था, प्रत्येक योजना में संपूर्ण प्रावधान राशि का उपयोग उस विशेष योजना/अविशष्ट प्रयोजन पर नहीं किया गया और परिणामस्वरूप, अव्यतित राशि ₹1,174.00 करोड़ को न तो पुनर्विनियोजित किया गया और न ही वित्तीय वर्ष के अंत में समर्पित किया गया, परिणामस्वरूप संपूर्ण बजट प्रावधान की बचत हुयी, जैसा कि नीचे **तालिका 3.38** में विस्तृत है:

तालिका 3.38: सम्पूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग न होना

(₹ करोड़ में)

स. क.	योजना शीर्ष	कुल बजट (मूल+अनु.)	व्यय	समर्पित राशि	कुल बचतें
1	20-4215-01-102-0420-5468-64-001	505.00	0.00	निरंक	505.00
2	20-4215-01-102-0422-5468-64-001	315.00	0.00	निरंक	315.00
3	20-4215-01-102-0423-5468-64-001	80.00	0.00	निरंक	80.00
4	20-4215-01-102-0480-5468-64-001	274.00	0.00	निरंक	274.00
	योग	**1,174.00**	**0.00**	**निरंक**	**1,174.00**

स्रोतः विनियोग लेखे 2023–24

इस प्रकार, उपर्युक्त चार योजनाओं में संपूर्ण बजट प्रावधान अव्ययित रहा, जो संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा अवास्तविक बजट पर प्रावधान को इंगित करता है।

(ix) निर्धारित सीमा से अधिक पुनर्विनियोजन

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र दिनाँक 28.07.2021 के अनुसार पुनर्विनियोजन मूल बजट अनुमान की 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर उस उद्देश्य शीर्ष के अंतर्गत किया जाना है, जिससे राशि का पुनर्विनोयजन किया जा रहा है तथा इसी प्रकार उस उद्देश्य शीर्ष के अंतर्गत मूल बजट अनुमान के 50 प्रतिशत की सीमा तक पुनर्विनियोजन किया जाना है, जिसमे राशि का पुनर्विनियोजन किया जा रहा है।

उपरोक्त प्रावधान के विपरीत, वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक अनुदान संख्या 20–लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित आंकड़ों की जांच में लेखापरीक्षा ने देखा कि 28 योजनाओं में उपरोक्त आदेश में उल्लिखित दिशा–निर्देशों से अधिक पुनर्विनियोजन अर्थात वास्तविक बजट के 50 प्रतिशत से अधिक किया गया। विवरण ***परिशिष्ट 3.23*** में दिया गया है।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने उत्तर दिया कि पुनर्विनियोजन वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद किया गया था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में पुनर्विनियोजन न केवल मूल बजटीय आवंटन को विकृत कर सकता है, बल्कि अवास्तविक बजट अनुमान वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

3.5 निष्कर्ष

कुल अनुदानों/विनियोगों और किए गए व्यय के बीच अंतर के कारण बचतें हुई, जो शासन के विभिन्न स्तरों पर बजट अनुमानों की अनुचित जांच और खराब बजट प्रबंधन को इंगित करती है।

2023–24 के दौरान, ₹3,72,008.74 करोड़ की कुल अनुदानों एवं विनियोगों के विरुद्ध ₹67,926.15 करोड़ की कुल बचतें हुई।

2023–24 के लिए 41 अनुदानों और छः विनियोगों में ₹57,983.90 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान प्राप्त हुए, जबकि 22 अनुदानों और तीन विनियोगों में वास्तविक आवश्यकता ₹28,885.66 करोड़ थी, परिणामस्वरूप ₹29,098.24 करोड़ का अधिक अनुपूरक प्रावधान हुआ।

₹1,575.09 करोड़ के व्यय को राजस्व व्यय के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया था, इस कारण राजस्व व्यय ₹1,575.09 करोड़ से न्यूनोक्त बताया गया था और पूंजीगत व्यय ₹1,575.09 करोड़ से अत्योक्त बताया गया था। इसी प्रकार, ₹3.68 करोड़ की राशि को गलत तरीके से पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के रूप में बजट किया गया था, जिसके कारण राजस्व व्यय ₹3.68 करोड़ से अत्योक्त बताया गया था और पूंजीगत व्यय ₹3.68 करोड़ से न्यूनोक्त बताया गया था।

3.6 अनुशंसाएं

- बजट के उचित विश्लेषण और सार्थक विनियोग लेखें तैयार करने की सुविधा के लिए आवंटन से व्यय में भिन्नता को समझाने के लिए नियंत्रण अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
- राज्य शासन को अपने बजटीय अनुमानों में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचतों/आधिक्य व्यय को कम करने के लिए कुशल नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।

- विधानसभा द्वारा अनुमोदित अनुदान से अधिक व्यय विधानसभा की इच्छा का उल्लंघन है। इसलिए इसे गंभीरता से लेने और जल्द से जल्द नियमित करने की जरूरत है।

- राज्य शासन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व विभिन्न योजनाओं में अनुपूरक अनुदान की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन करना चाहिए, ताकि इसका उपयोग अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में प्रभावी ढंग से किया जा सके।

- राज्य शासन को राजस्व व्यय से सम्बंधित मुद्दों के लिए पूंजीगत व्यय के उपयोग को नियंत्रित करने हेतु उचित कदम उठाने चाहिए।

- राज्य सरकार को विनियोजन/पुनर्विनियोजन चरण में निधियों की आवश्यकताओं का उचित विश्लेषण करना चाहिए, ताकि बचत/समर्पण से बचा जा सके और राजकोषीय घाटे के प्रबंधन हेतु बाह्य ऋणों पर निर्भरता को कम किया जा सके।

अध्याय IV

लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

अध्याय IV–लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

4.1 प्रस्तावना

राज्य शासन द्वारा कुशल तथा प्रभावी शासन के लिए प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक मजबूत आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ सूचना की समयबद्धता और गुणवत्ता इस प्रकार, सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और परिचालन में है, सामरिक योजना और उचित निर्णय लेने सहित अपने बुनियादी प्रबंधन की जिम्मेदारियों को पूरा करने में राज्य शासन की सहायता करती है। यह अध्याय लेखों की गुणवत्ता और राज्य शासन की वित्तीय प्रतिवेदनों की प्रणाली, निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ परिपूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में अनुपालन एवं विहंगावलोकन को प्रस्तुत करता है।

लेखों की पूर्णतः से संबंधित मुदद्

4.2 राज्य शासन के ऋणों को समेकित निधि में जमा नही किया जाना (बजटेत्तर उधारियां)

राज्य शासन की उधारियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (1) द्वारा शासित है। बजटेत्तर उधारियां या बजटेत्तर वित्तपोषण आमतौर पर किसी विशेष वर्ष या वर्षों में व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शासन द्वारा उन वित्तीय संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करता है, जो अनुदान/विनियोग की मांग के लिए उस वर्ष/उन वर्षों के बजट में परिलक्षित नहीं होते हैं, इसलिए विधायी नियंत्रण से बाहर रहते हैं। वे विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम के सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से वित्तपोषित होते है, जो सरकार की ओर से बाजार उधारियों के माध्यम से संसाधन जुटाते हैं। इसलिए, बजटेत्तर उधारियों/वित्तपोषण में आवर्ती आधार पर ब्याज का भुगतान और बजट से उधारी की चुकौती, जब भी यह देय हो, शामिल हैं।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/निगमों, विशेष प्रयोजन साधन और अन्य समतुल्य उपकरणों द्वारा उधारियां, जहां पिछले पांच वर्षों के दौरान मूलधन और/या ब्याज को राज्य के बजट और/या करों/उपकर या किसी अन्य राज्य के राजस्व के समनुदेशन द्वारा पूरा किया जाना है **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/निगमों द्वारा उधारियां

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/उपक्रम या राज्य शासन के नियंत्रणाधीन किसी अन्य संस्था का नाम	जुटाई निधि	राज्य के राजस्व/कर/उपकर का स्रोत जिससे मूलधन और/या ब्याज का भुगतान किया जाना है	उद्देश्य जिसके लिए धन जुटाया गया है
2019-20	मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड	474.48	राज्य बजट मद 1425 के अंतर्गत ऋण की अदायगी हेतु स्टाम्प शुल्क अधिभार निधि (आरक्षित) में जमा करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क पर दो प्रतिशत का उपकर	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना एवं विकास निधि द्वितीय चरण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना।
	नगरीय प्रशासन एवं आवासीय विभाग	50.32		मुख्यमंत्री स्वच्छ पेयजल योजना

वित्तीय वर्ष	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/उपक्रम या राज्य शासन के नियंत्रणाधीन किसी अन्य संस्था का नाम	जुटाई निधि	राज्य के राजस्व/कर/उपकर का स्रोत जिससे मूलधन और/या ब्याज का भुगतान किया जाना है	उद्देश्य जिसके लिए धन जुटाया गया है
	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	109.61	राज्य का राजस्व	कैपेक्स प्रोजेक्ट (एकीकृत विद्युत विकास योजना/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना)
	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	98.94	राज्य का राजस्व	कैपेक्स प्रोजेक्ट (एकीकृत विद्युत विकास योजना/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना)
	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर	63.70	राज्य का राजस्व	कैपेक्स प्रोजेक्ट (एकीकृत विद्युत विकास योजना/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना)
	योग	**797.05**		
2020-21	मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड	151.33	राज्य बजट मद 1425 के अंतर्गत ऋण की अदायगी हेतु स्टाम्प शुल्क अधिभार निधि (आरक्षित) में जमा करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क पर दो प्रतिशत का उपकर	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना एवं विकास निधि द्वितीय चरण
	नगरीय प्रशासन एवं आवासीय विभाग	24.99		मुख्यमंत्री स्वच्छ पेयजल योजना
	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	72.41	राज्य का राजस्व	कैपेक्स प्रोजेक्ट (एकीकृत विद्युत विकास योजना/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना)
	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	27.67	राज्य का राजस्व	कैपेक्स प्रोजेक्ट (एकीकृत विद्युत विकास योजना/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना)
	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड (मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)	978.60	ऊर्जा के मद में एनएचडीसी से लाभांश प्राप्तियां और एसएसपी से राजस्व प्राप्तियां	मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बहु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण
	योग	**1,255.00**		
2021-22	मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड	223.20	राज्य बजट मद 1425 के अंतर्गत ऋण की अदायगी हेतु स्टाम्प शुल्क अधिभार निधि (आरक्षित) में जमा करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क पर दो प्रतिशत का उपकर	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना एवं विकास निधि द्वितीय एवं तृतीय चरण
	नगरीय प्रशासन एवं आवासीय विभाग	22.81		मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना
	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड (मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)	287.77	ऊर्जा के मद में एनएचडीसी से लाभांश प्राप्तियां और एसएसपी से राजस्व प्राप्तियां	मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बहु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण
	योग	**533.78**		

वित्तीय वर्ष	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/उपक्रम या राज्य शासन के नियंत्रणाधीन किसी अन्य संस्था का नाम	जुटाई निधि	राज्य के राजस्व/कर/उपकर का स्रोत जिससे मूलधन और/या ब्याज का भुगतान किया जाना है	उद्देश्य जिसके लिए धन जुटाया गया है
2022-23	मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड	227.22	राज्य बजट मद 1425 के अंतर्गत ऋण की अदायगी हेतु स्टाम्प शुल्क अधिभार निधि (आरक्षित) में जमा करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क पर दो प्रतिशत का उपकर	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना एवं विकास योजना द्वितीय एवं तृतीय चरण
	नगरीय प्रशासन एवं आवासीय विभाग	5.60		मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना
	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड (मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)	331.58	ऊर्जा के मद में एनएचडीसी से लाभांश प्राप्तियां और एसएसपी से राजस्व प्राप्तियां	मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बहु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण
	योग	**564.40**		
2023-24	मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड	122.45	राज्य बजट मद 1425 (दो प्रतिशत) एवं राज्य बजट मद 4035 (एक प्रतिशत) के अंतर्गत ऋण की अदायगी हेतु स्टाम्प शुल्क अधिभार निधि (आरक्षित) में जमा करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क पर तीन प्रतिशत का उपकर	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना एवं विकास योजना द्वितीय एवं तृतीय चरण
	नगरीय प्रशासन एवं आवासीय विभाग	4.10		मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना
	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड (मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)	247.71	ऊर्जा के मद में एनएचडीसी से लाभांश प्राप्तियां और एसएसपी से राजस्व प्राप्तियां	मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बहु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण
	योग	**374.26**		

स्रोतः वित्त विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी

2023–24 के दौरान बजटेत्तर राजकोषीय संचालन जैसे कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, विशेष प्रयोजन साधन और राज्य शासन की ओर से अन्य समतुल्य साधन, जहां राज्य के बजट से मूलधन और/या ब्याज चुकाया जाना है, द्वारा उधारियां ₹374.26 करोड़ थी और पिछले वर्ष की तुलना में यह ₹190.14 करोड़ (33.69 प्रतिशत) से कम हुई।

यह संबंधित उधारियां अंततः राज्य शासन की देनदारियों में बदल जाती है और सरकार पूंजीगत लेखे के अंतर्गत नियमित बजट प्रावधान के माध्यम से इन कंपनियों/निगमों द्वारा लिए गए ऋणों को ब्याज सहित चुकाती रही है।

4.3 ब्याज सहित जमाओं पर ब्याज के संबंध में दायित्व का निर्वहन न करना

सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह ब्याज देने वाली जमा राशियों (लेखों के मुख्य शीर्ष 8336 से 8342) में राशि पर ब्याज उपलब्ध कराये और भुगतान करें। आगे, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय महालेखा

नियंत्रक के आदेश दिनांक 2 सितंबर 2008 के आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए अंशदान, साथ ही सरकार द्वारा भुगतान किए गए समतुल्य अंशदान को सरकार द्वारा भारत के लोक लेखा के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–8342–अन्य जमा–117–परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में रखा गया था और सामान्य भविष्य निधि (सीएस) नियमों के अंतर्गत लागू नियमों पर ब्याज की अनुमति दी गई थी। ब्याज सहित जमा राशियों पर ब्याज के संबंध में देयता का विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है:

तालिका 4.2: ब्याज सहित जमाओं पर ब्याज के संबंध में दायित्व का निर्वहन न करना

(₹ करोड़ में)

ब्याज सहित जमाओं का नाम	1 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2024 को अंतिम शेष	ब्याज की गणना का आधार	ब्याज की राशि का प्रावधान नहीं किया गया
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	20.29	(-)56.18	सरकार द्वारा अधिसूचित/सामान्य भविष्य निधि को देय ब्याज दर के अनुसार ब्याज की गणना 7.1 प्रतिशत की दर से की गयी है	1.44
राज्य क्षतिपूरक वनरोपण जमा	22.26	27.42	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार 3.35 प्रतिशत की दर से	2.39
योग	**42.55**			**3.83**

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 1 अप्रैल 2023 तक ब्याज सहित जमा के अंतर्गत शेष ₹42.55 करोड़ पर ब्याज के रूप में ₹3.83 करोड़ का भुगतान करना आवश्यक था। राज्य शासन द्वारा ब्याज का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप ₹3.83 करोड़ का राजस्व व्यय कम बताया गया।

4.4 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित धनराशि

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर–सरकारी संगठनों को सीधे पर्याप्त धनराशि अंतरित करती है। चूंकि ये निधियां राज्य बजट के माध्यम से नहीं आती हैं, इसलिए ये राज्य सरकार के लेखों में प्रतिबिंबित नहीं होती हैं। भारत सरकार की योजनाएं राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। अप्रैल 2014 में, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को सभी सहायताएं राज्य सरकार के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस प्रकार राज्य के वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी संसाधनों का पूरा चित्रण प्रदान करेंगे।

2023–24 के दौरान, भारत सरकार ने छः केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में कार्यान्वयन एजेंसियों को 2022–23 में जारी ₹15,466.75 करोड़ के विरूद्ध सीधे ₹870.82 करोड़ जारी किए। यह राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों (₹2,34,026.04 करोड़) का 0.37 प्रतिशत और सहायतानुदान (₹34,711.02 करोड़) का 2.51 प्रतिशत था। वर्ष 2023–24 के लिए राज्य शासन के लेखों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के केंद्रीय हिस्से के अन्तर्गत ₹25,855.29 करोड़ दर्शाया गया है। हालाँकि, ₹870.82 करोड़ की सीमा तक, सृजित संपत्तियों और जनता के लिए सृजित रोजगार, राज्य शासन के लेखों से बाहर थे, जिससे यह अधूरा रहा।

वर्ष 2023–24 के दौरान केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के संबंध में राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित धनराशि का विवरण **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.3: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अन्तरित धनराशि

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	भारत सरकार की योजनाओं के नाम	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2023–24 के दौरान भारत सरकार द्वारा विमुक्त
1	कृषि उन्नति योजना	मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम (राज्य शासन के सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)	2.60
2	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	पंचायत राज संचालनालय, भोपाल (राज्य सरकार संस्थान)	3.00
3	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	नाना देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र. (राज्य सरकार संस्थान)	0.63
4	नशीली दवा की मांग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना	एन.जी.ओ.–न्यू प्रताप शिक्षा समिति, मण्डीदीप (राज्य सरकार संस्थान)	0.60
5	आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद (राज्य सरकार संस्थान)	814.96
6	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम (राज्य शासन के सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)	49.03
		योग	**870.82**

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

4.5 स्थानीय निधियों का जमा

मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1993 प्रदान करता है कि, जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत क्रमशः जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि एवं ग्राम पंचायत निधि (मुख्य शीर्ष–8448–स्थानीय निधि जमा–109–पंचायत निकाय निधि के अंतर्गत) का संधारण करेंगे जिसमें अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त या प्राप्ति योग्य सभी राशियां शामिल होंगी एवं सभी राशियां अन्यथा पंचायती राज संस्थानो द्वारा प्राप्त की जाती हैं, जैसे कि केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य शासन से राज्य वित्त आयोग पुरस्कार और अपने स्वयं के राजस्व के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान, जिसमें पंचायत के कर एवं करेत्तर प्राप्तियां शामिल हैं। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 86 में परिकल्पित है कि नगर पालिका निधि को निगम द्वारा ट्रस्ट में रखा जाना है। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्ति योग्य सभी राशि एवं नगर पालिकाओं द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी राशि को नगर पालिका निधि में मुख्य शीर्ष–8448–स्थानीय निधि जमा–102–नगर पालिका निधि के अंतर्गत रखा जाना है। 2019–20 से 2023–24 तक पंचायती राज संस्थानो और नगर पालिका निधि में स्थानीय निधियों के जमा की स्थिति **तालिका 4.4** में दी गई है:

तालिका 4.4: स्थानीय निधियों का जमा

(₹ लाख में)

निधियों के नाम (मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष)		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
जिला निधियाँ **(8448-101)**	प्रारंभिक शेष	1,258.94	1,258.94	1,346.59	1,348.75	1,348.75
	प्राप्तियां	--	87.65	2.15	--	--
	व्यय	--	--	--	--	--
	अंतिम शेष	1,258.94	1,346.59	1,348.75	1,348.75	1,348.75
नगर पालिका निधियाँ **(8448-102)**	प्रारंभिक शेष	1,479.55	1,993.32	2,964.70	3,119.38	3,119.38
	प्राप्तियां	513.77	971.38	154.68	--	--
	व्यय	--	--	--	--	--
	अंतिम शेष	1,993.32	2,964.70	3,119.38	3,119.38	3,119.38
पंचायत निकाय निधियाँ **(8448-109)**	प्रारंभिक शेष	1,332.75	1,361.40	1,361.41	1,361.41	1,361.41
	प्राप्तियां	28.65	0.01	--	--	--
	व्यय	--	--	--	--	--
	अंतिम शेष	1,361.40	1,361.41	1,361.41	1,361.41	1,361.41
अन्य निधियाँ **(8448-120)**	प्रारंभिक शेष	5,48,203.10	6,95,251.96	9,49,270.35	10,60,360.45	11,98,596.39
	प्राप्तियां	1,98,276.57	2,55,156.85	1,17,131.72	1,44,047.30	77,576.48
	व्यय	51,227.71	1,138.46	6,041.62	5,811.36	10,892.45
	अंतिम शेष	6,95,251.96	9,49,270.35	10,60,360.45	11,98,596.39	12,65,280.42

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, पिछले पाँच वर्षों में "अन्य निधियां (8448–120)" के अंतर्गत वृहद् राशि अप्रयुक्त पड़ी है। पिछले पांच वर्षों के दौरान इस शीर्ष में कुल ₹7,921.89 करोड़ प्राप्त हुए, जिसके विरूद्व इस शीर्ष में वास्तविक व्यय केवल ₹751.12 करोड़ है। 31 मार्च 2024 को इस शीर्ष के अंतर्गत अंतिम शेष ₹12,652.80 करोड़ था और 31 मार्च 2024 तक सभी निधियों (अन्य निधियों सहित) में संचयी अंतिम शेष ₹12,711.10 करोड़ तक है।

इन निधियों का उपयोग न किए जाने के परिणामस्वरूप न केवल निधियों का संचय और निष्क्रियता हुई, बल्कि वांछित लाभार्थियों को योजनाओं से लाभ प्राप्त करने से भी वंचित रखा गया जिनके लिए इन निधियों का अंतरण किया गया था।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

4.6 उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

राज्य वित्तीय नियम प्रावधान करते हैं कि अनुदान स्वीकृत करने वाले प्रत्येक आदेश में उसका उद्देश्य और साथ ही अनुदान को खर्च करने की समय सीमा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होगी। सहायतानुदान प्राप्त करने वाले विभागीय अधिकारी, जहां आवश्यक हो, महालेखाकार को प्रमाणित करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होंगे, अनुदान से जुड़ी शर्तों को पूरा करना और प्रमाण–पत्र (उपयोगिता प्रमाण–पत्र) को ऐसे रूप में और ऐसे अंतराल पर जमा करना जो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) और संबंधित विभाग प्रमुख के बीच सहमती से हो।

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 182 के अनुसार, विभागीय अधिकारी सशर्त सहायतानुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र आगामी वर्ष के 30 सितम्बर तक या इससे पहले महालेखाकार को प्रस्तुत करेंगे

जिससे सहायता अनुदान संबंधित है। उपयोगिता प्रमाण–पत्र न जमा करने की स्थिति में वित्त लेखे में दर्शायी गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंचने का जोखिम बना रहता है।

31 मार्च 2024 तक, 28 विभागों द्वारा प्रदान किए गए सहायतानुदान के विरूद्ध राज्य के निकायों और प्राधिकरणो द्वारा ₹22,049.38 करोड़ के कुल 19,897 उपयोगिता प्रमाण–पत्र, जो देय हो गए हैं, प्रस्तुत नहीं किए गए थे। आयु–वार उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति मे विलंब का विवरण **तालिका 4.5** में दिया गया है:

तालिका 4.5: लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का आयु–वार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का आयु–वार विश्लेषण	अवधि	उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	राशि
नौ वर्षों से अधिक	2014-15 तक	19,426	13,607.30
7-9	2015-18	11	44.33
4-6	2018-21	21	480.26
1-3	2021-24	439	7,917.49
योग		**19,897**	**22,049.38**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि उपरोक्त **तालिका** से देखा जा सकता है, बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र (19,426) का 98 प्रतिशत 2014–15 तक की अवधि से संबंधित है। वर्ष 2023–24 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का विभाग–वार विभाजन ***परिशिष्ट 4.1*** में दिया गया है। विभागीय अधिकारियों ने अभी तक यह स्पष्ट (नवम्बर 2024) नहीं किया कि विगत वर्षों में राशि ₹22,049.38 करोड़ किस प्रकार व्यय की गई। इसलिए, यह चिंता का विषय है, क्योंकि इसमे विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उन्हें प्रदान किया गया सार्वजनिक धन शामिल है और इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि इन निधियों को प्रदान करने से इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है। पिछले नौ वर्ष या अधिक समय के लिये प्रदान की गई धनराशि से संबंधित व्यय के लिये जबावदेही के अभाव में, इन निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। आगे, उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति में विलंब से भारत सरकार से निष्पादन अनुदानों की प्राप्ति प्रभावित हो सकती है। 10 प्रमुख विभागों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की स्थिति **चार्ट 4.1** में दी गई है:

चार्ट 4.1: 2023–24 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र (₹ करोड़ में)

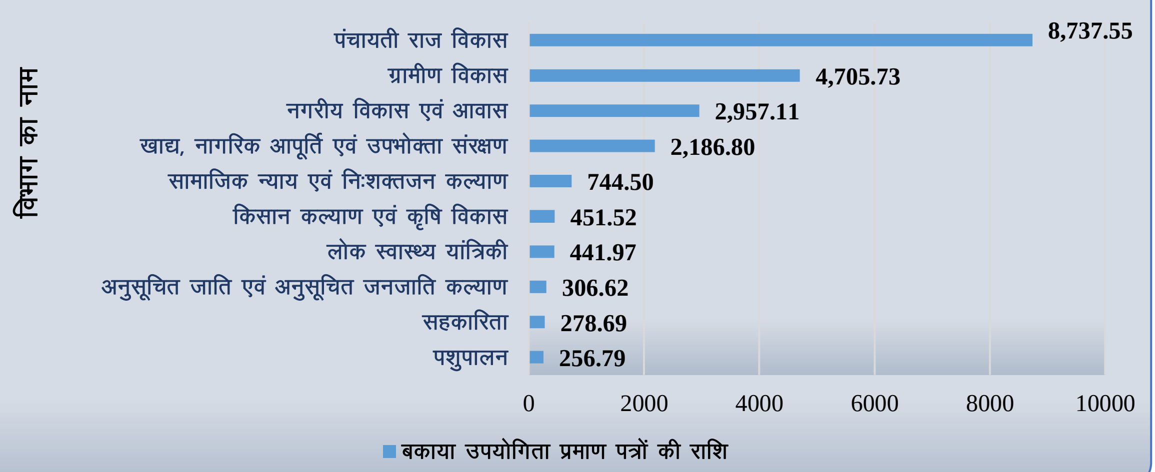

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदान का उपयोग उन उद्देश्यों के लिये किया था जिसके लिये उन्हें दिया गया था। उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुतीकरण में बड़ी संख्या में विलंबता धोखाधड़ी के जोखिम और निधियों के दुर्विनियोग से भरा है। नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्ष–दर–वर्ष इस मुद्दे पर राज्य शासन का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद इसमें सुधार नहीं हुआ है।

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य शासन उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने/देरी के कारणों की पहचान करने के लिए एक कठोर निगरानी तंत्र स्थापित करे और यह सुनिश्चित करे, कि विभाग समय पर उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के प्रस्तुतीकरण के संबंध में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करें।

4.7 अनुदानग्राही संस्थान का "अन्य" के रूप में अभिलेखन

सरकार से सहायतानुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों को संस्थान कोड देने की एक प्रणाली है। इन अनुदानों को कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम के प्रमाणक स्तर कम्प्यूटरीकरण प्रणाली में भी दर्ज किया जाता है और प्रत्येक संस्था हेतु बकाया राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुति की अनुवीक्षा की जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रणाली को कार्य करने के लिए अनुदानग्राही संस्थान का विवरण ठीक से दर्ज होना चाहिए।

वर्ष 2023–24 के लिए मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों के अनुसार, वर्ष 2023–24 के दौरान कुल सहायतानुदान ₹81,993.02 करोड़ में से राशि ₹51,904.28 करोड़ (कुल का 63.30 प्रतिशत) की अनुदानग्राही संस्थानों को प्रकार "अन्य" के रूप में संवितरित दिखाई गई थी। वर्ष 2019–24 के दौरान अनुदानग्राही संस्थानों कों "अन्य" के रूप में जारी कुल राशि का विवरण **तालिका 4.6** में दिया गया है:

तालिका 4.6: 2019–24 के दौरान अनुदानग्राही संस्थानों को "अन्य" के रूप में जारी की गई निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदानग्राही का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अन्य	36,343.51	34,137.57	36,883.42	39,655.08	51,904.28
कुल सहायतानुदान	65,258.33	64,270.95	66,597.97	72,506.80	81,993.02
सहायतानुदान के संबंध में अन्य का प्रतिशत	55.69	53.11	55.38	54.69	63.30

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 2019–24 के दौरान कुल सहायतानुदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा "अन्य" प्रकार के अनुदानग्राही संस्थानों को वितरित किया जा रहा है। 2019–24 के दौरान अनुदानग्राही संस्थान को संवितरित राशि "अन्य" के रूप मे 53.11 प्रतिशत से 63.30 प्रतिशत तक रही। उचित कोड के अभाव में, ऐसे सभी अनुदानग्राही संस्थानों के विरुद्ध बकाया राशि की गणना नहीं की जा सकती है।

चूँकि सहायतानुदान राज्य के कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग है, यह आवश्यक है कि लेखों की पारदर्शिता के हित में सरकार अनुदानग्राही संस्थान का विवरण एवं प्रकृति प्रदान करें जिसे वह निधियाँ उपलब्ध करा रही है।

4.8 व्यक्तिगत जमा खाते

व्यक्तिगत जमा खाते वे जमा खाते होते हैं जो कोषालय में खातों के प्रशासकों के नाम पर रखे जाते हैं। धनराशियां 8443–सिविल जमा–106 व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत रखी जाती है। ये खाते वित्त विभाग की स्वीकृति से खोले जा सकते हैं। व्यक्तिगत जमा खातों में अव्ययित शेष को वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व

समेकित निधि को वापस अंतरित किया जाना चाहिए तथा यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आगामी वर्ष में व्यक्तिगत जमा खाते पुनः खोले जा सकते है।

नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, मध्य प्रदेश शासन के कई विभागों द्वारा वित्तीय प्रावधानों के उल्लंघन पर बार—बार टिप्पणी की गई है, जहाँ वित्त वर्ष के अंत में अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए अव्ययित निधियों को सामान्यतः लोक लेखे के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तिगत जमा खातों में अंतरित कर दिया जाता है।

2019—24 की अवधि के लिए व्यक्तिगत जमा खातों का आयु—वार विश्लेषण **तालिका 4.7** में दिया गया है:

तालिका 4.7: व्यक्तिगत जमा खातों की आयु—वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान बंद किए गए खाते	अंतशेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	राशि	संख्या	संख्या	राशि
2019-20	731	3,938.48	70	9,267.05	6,936.83	0	801	6,268.70
2020-21	801	6,268.70	23	7,561.86	8,867.97	8	816	4,962.59
2021-22	816	4,962.59	0	4,064.64	6,390.83	2	814	2,636.40
2022-23	814	2,636.40	10	5,417.63	5,700.45	3	821	2,353.57
2023-24	821	2,353.57	34	2,098.40	5,369.20	125	730	(-)917.24*[44]

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

** अंत शेष में ₹0.01 करोड़ का अंतर पूर्णांकन के कारण है।*

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से पता चलता है कि, 2019—20 से 2023—24 के दौरान, कुल 137 व्यक्तिगत जमा खाते खोले गए, जबकि अन्य 138 व्यक्तिगत जमा खाते बंद कर दिए गए थे। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 138 बंद व्यक्तिगत जमा खातों में से 125 व्यक्तिगत जमा खाते (91 प्रतिशत) 2023—24 में बंद किए गए थे, जो दर्शाता है कि व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या को कम करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा सकारात्मक प्रयास किए गए थे। 31 मार्च 2024 तक, 730 व्यक्तिगत जमा खाते अस्तित्व में थे और इन खातों में (—)₹917.24 करोड़ अंतशेष था। 730 व्यक्तिगत जमा खातों में से, 145 व्यक्तिगत जमा खातों में राशि (—)₹2,820.57 करोड़ का ऋणात्मक शेष प्रकट हुआ।

व्यक्तिगत जमा खातों मे पड़ी अव्ययित शेषों को राज्य की समेकित निधि में अंतरित न करने से सार्वजनिक निधि के दुरूपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन का जोखिम होता है।

असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता बताता है कि प्रशासक उस योजना/परियोजना का विस्तृत लेखा संधारित रखेगा जिसके लिए इसे खोला गया है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्तिगत जमा खाता तीन साल की अवधि से संचालित नहीं किया जाता है और यह विश्वास किए जाने का कारण है कि ऐसे जमा खातों की आवश्यकता समाप्त हो गई है, तो उसे बंद कर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक कुल 730 व्यक्तिगत जमा खातों (31 मार्च 2024 की स्थिति में) में से 214 व्यक्तिगत जमा खाते जिनमें कुल शेष राशि ₹325.86 करोड़ थी, तीन वर्षों से अधिक

[44] लोक निर्माण संभाग, जल संसाधन संभाग इत्यादि के संकलित लेखों में कार्यों से व्यक्तिगत जमा खाते में अंतरण लेन—देन को प्रतिबिंबित न करने के कारण प्रतिकूल शेष दिखाई दे रहा है, इससे प्राप्तियों की तुलना में अधिक व्यय होता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत जमा खातों में प्रतिकूल शेष रहता है।

समय से असंचालित थे। हालाँकि, संबंधित कोषालयों द्वारा इन खातों को बंद करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण ***परिशिष्ट 4.2*** में दिया गया है।

4.9 लघु शीर्ष 800 का उपयोग

अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय से संबंधित सर्वग्राही लघु शीर्ष 800 का परिचालन मात्र उन प्रकरणों में किया जाना है जहां लेखों में मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया है। लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्यय का विवेकहीन पुस्तांकन लेनदेनों की प्रकृति एवं पारदर्शिता को प्रभावित करता है, तथा लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

2023–24 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों (₹2,34,026.04 करोड़) के 4.71 प्रतिशत को दर्शाने वाली ₹11,014.25 करोड़ की प्राप्तियों को 51 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया गया था, और लेखों में लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, 2023–24 के दौरान, 62 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किये गये ₹38,786.36 करोड़ का व्यय, कुल व्यय (₹2,78,076.85 करोड़) का 13.95 प्रतिशत को लेखों में 40 राजस्व और 22 पूंजीगत मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

2019–24 के दौरान प्राप्तियों एवं व्यय के लिए लघु शीर्ष 800 के परिचालन की सीमा, कुल प्राप्तियों एवं व्यय के प्रतिशत के रूप में **चार्ट 4.2 एवं 4.3** में दी गयी है:

चार्ट 4.2: 2019–24 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों का संचालन

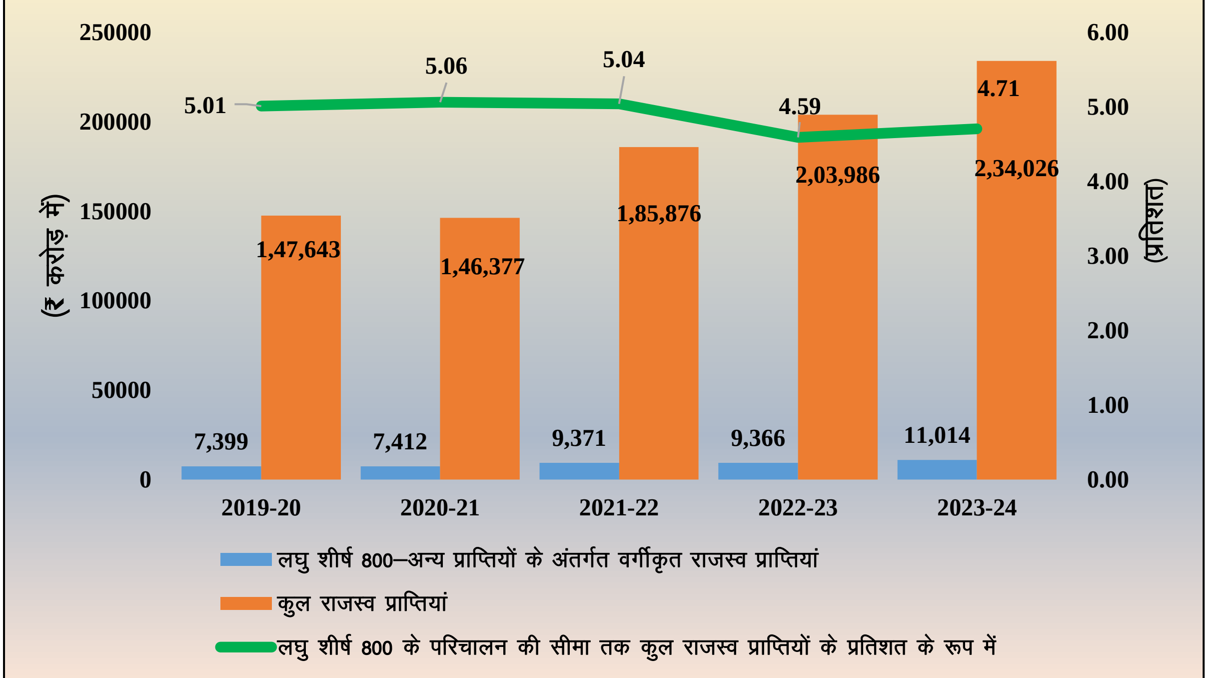

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

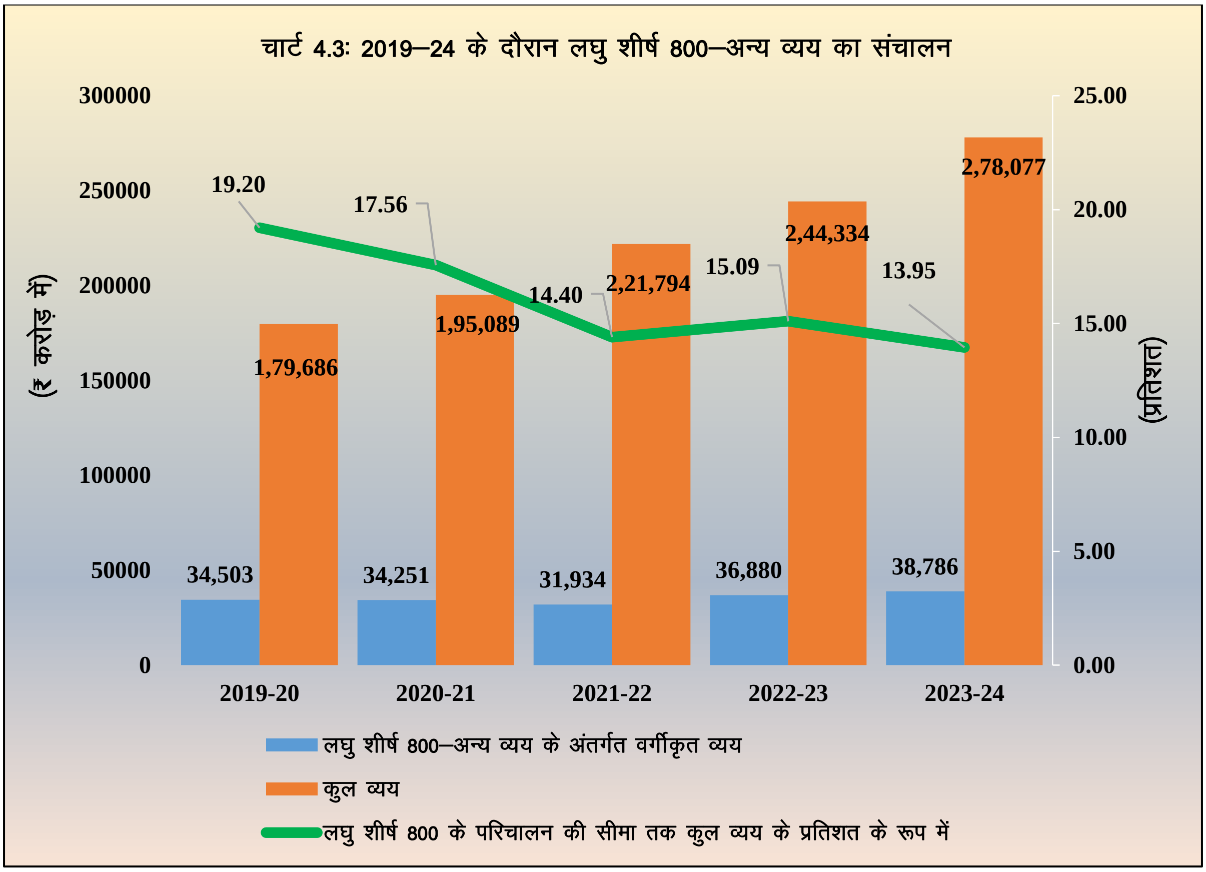

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019–24 के दौरान, अंतर–वर्षीय उतार–चढ़ाव के साथ लघुशीर्ष 800 के संचालन में प्राप्तियों में सारभूत कमी (प्रतिशत के रूप में) आई है। हालाँकि, व्यय के संबंध में, लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पुस्तांकित 2019–20 में ₹34,503 करोड़ से 2023–24 में ₹38,786 करोड़ (12 प्रतिशत) तक बढ़ा। तथ्य यह है कि लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा लगातार पुस्तांकित किया जाना चिंता का कारण है, क्योंकि यह लेखों की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

दृष्टांत जहाँ प्राप्तियों/व्यय के सारभूत भाग (संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय का 50 प्रतिशत या उससे अधिक) को लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों/व्यय के अंतर्गत वर्गीकरण ***परिशिष्ट 4.3*** एवं ***4.4*** में दिया गया है एवं **तालिका 4.8** में सारांशीकृत हैं:

तालिका 4.8: लघु शीर्ष 800–'अन्य प्राप्तियां' एवं 'अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकित राशि

विवरण	प्राप्तियां		व्यय	
	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष
100 प्रतिशत	2,754.51	0047, 0059, 0211, 0220, 0235, 0401, 0404, 0408, 0435, 0702, 0801, 0852, 1054, 1452	951.16	2250, 2705, 4070, 4408, 4705, 4853, 5475
75 प्रतिशत एवं 99 प्रतिशत के मध्य	358.83	0056, 0210, 0700, 0217	12,723.50	2702, 2852, 4700, 4701, 4875
50 प्रतिशत एवं 74 प्रतिशत के मध्य	58.21	0071	7,506.73	2075, 2204, 2217, 2401, 2851, 3454
50 प्रतिशत से कम	7,842.70	अन्य मुख्य शीर्ष	17,604.97	अन्य मुख्य शीर्ष
योग	**11,014.25**		**38,786.36**	

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

आगे, लेखापरीक्षा ने लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत पुस्तांकित चयनित मामलों की जांच की, और पाया कि कुछ मामलों में, इन लेनदेन के पुस्तांकन के लिए 800 के अतिरिक्त मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची में एक उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध था, जिसे **तालिका 4.9** में सारांशीकृत किया गया हैं और विवरण ***परिशिष्ट 4.5*** में दिया गया है।

तालिका 4.9: उपलब्ध/उपयुक्त लघु शीर्ष के स्थान पर लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पुस्तांकन

(₹ करोड़ में)

योजना/इकाई का नाम	लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकित व्यय	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष जिसका उपयोग मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार किया जा सकता था
8711- भूजल प्रबंधन संस्थान कमांड क्षेत्र कार्यक्रम	3.71	2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	307-मृदा एवं जल संरक्षण
5159- खेल अकादमियों की स्थापना	16.34	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	102- खेल स्टेडियम
6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	50.94		102- खेल स्टेडियम
0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	50.00	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	103- ग्राम विकास
9667- वन संरक्षण मण्डल	117.04	4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	101- वन संरक्षण विकास एवं पुनर्जनन
6345- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना	1,500.00	2401-फसल कृषि कर्म	115-लघु/सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमकों की योजना
6710- दीनदयाल अंत्योदय मिशन को वित्तीय सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	14.84	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	103- महिला कल्याण
6692- मुख्यमंत्री विवाह योजना	2.22		103- महिला कल्याण
7569- निःशक्तजनों के लिये बाधा रहित वातावरण	2.02		101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

योजना/इकाई का नाम	लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकित व्यय	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष जिसका उपयोग मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार किया जा सकता था
2123- निवेश प्रोत्साहन योजना	112.50	6856- पेट्रोकेमिकल उद्योगों को ऋण	190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों हेतु ऋण
	946.49	2852- उद्योग	104- औद्योगिक संवर्धन
5722- कॉल सेंटर की स्थापना	15.00	2053- जिला प्रशासन	094- अन्य स्थापनाएं
2087- आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना	2.20	2403- पशुपालन	102-पशु तथा भैंस विकास
2043- मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	710.00	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश
6749- मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	120.00	4875- अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश
योग	**3,663.30**		

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा संकलित व्ही.एल.सी. आंकड़े

माप से संबंधित मुदद्े

4.10 उचंत एवं ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

शासकीय लेखों में प्राप्ति और भुगतान के लेन–देन को दर्शाने के लिए खोले गये निश्चित मध्यस्थ/समायोजित लेखा शीर्षों को 'उचंत शीर्ष' के रूप में जाना जाता है, जिन्हें कोषालय/वेतन लेखा अधिकारियों द्वारा अनुसूची के निपटान की गैर–प्रस्तुती, भारतीय रिजर्व बैंक से निकासी ज्ञापन की प्राप्ति न होने, प्रमाणक की अप्राप्ति, आदि जानकारी के अभाव में लेखों के अंतिम शीर्ष में पुस्तांकित नहीं किया जा सकता है। लेखों के इन शीर्षों को अंततः ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा समाशोधित (Clear) कर दिया जाता है, जब लेखों को उनके संबंधित लेखों के अंतिम शीर्षों के अंतर्गत पुस्तांकित किया जाता है। यदि ये राशियां समाशोधित नही होती हैं, तो उचंत शीर्षों के अंतर्गत शेष जमा हो जाएगी एवं सरकार की प्राप्तियां और व्यय सही प्रदर्शित नही होगी।

प्रेषण सभी लेन–देनो को अंगीकार करते हैं जो लेखों के शीर्षों को समायोजित कर रहे हैं और इन शीर्षों के अंतर्गत डेबिट या क्रेडिट को अंततः उसी या लेखांकन के किसी अन्य चक्र में संबंधित क्रेडिट या डेबिट द्वारा समाशोधित किए जाते है।

वित्त लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया नामे (डेबिट) एवं जमा (क्रेडिट) शेषों को पृथक–पृथक समेकित कर निकाला गया है, 31 मार्च 2024 को, मुख्य शीर्ष 8658 के अंतर्गत (–)₹514.28 करोड़ (डेबिट) एवं मुख्य शीर्ष 8782 के अंतर्गत ₹7,198.98 करोड़ (क्रेडिट) एवं मुख्य शीर्ष 8793 के अंतर्गत ₹997.60 करोड़ (डेबिट) बकाया शेष था। पिछले तीन वर्षों के लिए उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत मुख्य घटकों की स्थिति **तालिका 4.10** में दी गई है:

तालिका 4.10: उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

मुख्य/लघु शीर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
8658–उचंत लेखे	**डेबिट**	**क्रेडिट**	**डेबिट**	**क्रेडिट**	**डेबिट**	**क्रेडिट**
101–वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	545.43	(-)200.10	615.00	(-)116.75	161.42	31.61
निवल	**डेबिट 745.53**		**डेबिट 731.75**		**डेबिट 129.81**	
102–उचंत लेखा (सिविल)	0.19	0.01	0.19	0.01	0.19	0.01
निवल	**डेबिट 0.18**		**डेबिट 0.18**		**डेबिट 0.18**	
107–नकद परिनिर्धारण उचंत लेखा	141.60	28.05	141.60	28.05	141.60	28.05
निवल	**डेबिट 113.55**		**डेबिट 113.55**		**डेबिट 113.55**	
110–रिजर्व बैंक उचंत– केंद्रीय लेखा कार्यालय	436.59	5.47	455.24	5.21	307.57	5.41
निवल	**डेबिट 431.12**		**डेबिट 450.03**		**डेबिट 302.16**	
112–स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत	(-)297.06	319.97	(-)297.06	627.21	(-) 297.06	401.10
निवल	**क्रेडिट 617.03**		**क्रेडिट 924.27**		**क्रेडिट 698.16**	
113–भविष्य निधि उचंत	9.05	--	8.83	--	11.06	--
निवल	**डेबिट 9.05**		**डेबिट 8.83**		**डेबिट 11.06**	
123–ए.आई.एस. अधिकारी समूह बीमा योजना	4.06	15.18	4.56	15.73	4.99	16.25
निवल	**क्रेडिट 11.12**		**क्रेडिट 11.17**		**क्रेडिट 11.26**	
129–सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा	36.10	223.11	36.10	223.11	36.10	223.11
निवल	**क्रेडिट 187.01**		**क्रेडिट 187.01**		**क्रेडिट 187.01**	
139–वस्तु एवं सेवा कर– स्रोत पर कर कटौती उचंत	676.97	1,089.01	1,060.28	1,489.59	1,901.86	2,050.98
निवल	**क्रेडिट 412.04**		**क्रेडिट 429.31**		**क्रेडिट 149.12**	
8782–नकद प्रेषण						
102–लोक निर्माण प्रेषण	1,68,749.56	1,75,495.91	1,87,976.06	1,95,677.65	2,15,221.14	2,23,771.52
निवल	**क्रेडिट 6,746.35**		**क्रेडिट 7,701.59**		**क्रेडिट 8,550.37**	
103–वन प्रेषण	4,505.36	4,581.45	4,506.19	4,585.54	4,506.70	4,585.37
निवल	**क्रेडिट 76.09**		**क्रेडिट 79.35**		**क्रेडिट 78.67**	
110–विविध प्रेषण	8,826.65	7,503.25	8,984.61	7,604.80	9,153.04	7,722.08
निवल	**डेबिट 1,323.40**		**डेबिट 1,379.81**		**डेबिट 1,430.96**	

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को दर्शाती है। यदि इन उचंत शीर्षों के अंतर्गत राशियां असमायोजित रहती है, तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि संचित हो जाती है, परिणामस्वरूप सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों की न्यूनोक्ति हो जाती है। आगे, इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों की गैर निकासी राज्य सरकार के लेखों (जिन्हे वर्ष–दर–वर्ष आगे बढ़ाया जाता है) के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और शेषों की परिशुद्धता को प्रभावित करती है।

4.11 लेखों का मिलान

सभी नियंत्रण अधिकारियों को शासन की प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम द्वारा लेखांकित आंकड़ों के साथ करना आवश्यक हैं। मध्य प्रदेश में, बजट नियंत्रण अधिकारियों के स्थान पर, संचालनालय कोष एवं लेखा प्राथमिक रूप से कार्यालय लेखा एवं हकदारी के साथ आंकड़ों का मिलान कर रहा है।

2023–24 के दौरान, संचालनालय, कोष एवं लेखा ने व्यय ₹2,86,095.61 करोड़ (संचित निधि के अंतर्गत कुल व्यय ₹3,00,521.86 करोड़ का 95.20 प्रतिशत) एवं प्राप्ति ₹2,95,199.94 करोड़ (संचित निधि के अंतर्गत कुल प्राप्तियों ₹2,99,581.24 करोड़ का 98.54 प्रतिशत) का मिलान किया है। पिछले तीन वर्ष की अवधि 2021–22 से 2023–24 के दौरान प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों के मिलान की स्थिति को **चार्ट 4.4** एवं **4.5** में दर्शाया गया है:

चार्ट 4.4: 2021–24 के दौरान प्राप्तियों का मिलान

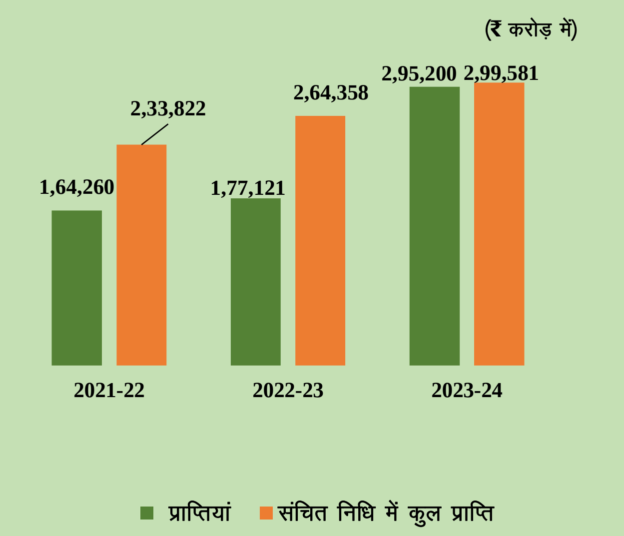

चार्ट 4.5: 2021–24 के दौरान व्यय का मिलान

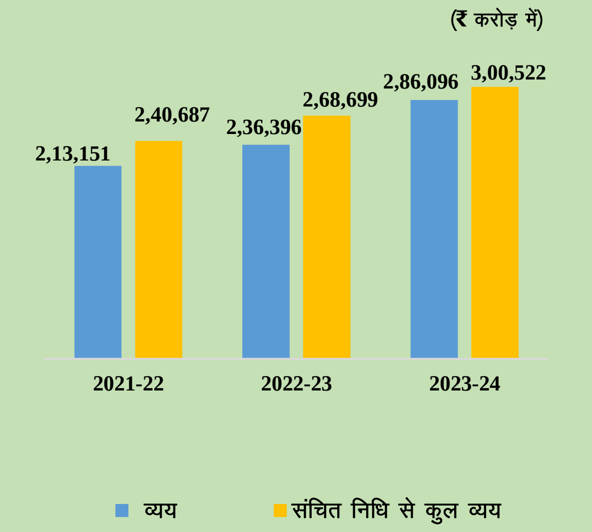

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

जुलाई 2020 में, संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा ऑनलाइन मिलान की प्रणाली की शुरूआत के बाद, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2020–21 से मिलान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

4.12 रोकड़ शेष का मिलान

1. बैंक शाखाओं द्वारा कोषालयों को पेंशन भुगतान स्क्रॉल के साथ तिथि–वार मासिक पत्रक प्रस्तुत किये जा रहे है।
2. भोपाल कोषालय द्वारा समेकित बैंक स्क्रॉल डेटा भेजा नहीं जा रहा है।
3. 31 मार्च 2024 की स्थिति में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखा पुस्तकों के अनुसार राज्य शासन का रोकड़ शेष (₹508.49 करोड़ (क्रेडिट)) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष (₹188.99 करोड़ (डेबिट)) के मध्य ₹319.50 करोड़ (क्रेडिट) का अंतर था। ₹319.50 करोड़ का अंतर मुख्य रूप से कोषालय/आरबीआई/एजेंसी बैंक एवं कार्यालय महालेखाकार के बीच लंबित पुनर्मिलान के कारण था।

प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे

4.13 लेखांकन मानकों का अनुपालन

वर्ष 2002 में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा स्थापित, शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार मण्डल जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए शासकीय लेखांकन एवं वित्तीय सूचना के लिए मानक तैयार कर रहा है। मार्च 2024 के अंत तक, तीन भारतीय शासकीय लेखांकन मानक अधिसूचित किए गए है। इन मानकों के विवरण तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2023–24 के लिए अपने वित्तीय विवरण में इनके अनुपालन की सीमा **तालिका 4.11** में दी गई है:

तालिका 4.11: लेखांकन मानकों का अनुपालन

स. क्र.	लेखा मानक	भारतीय शासकीय लेखा मानक का सार	राज्य शासन द्वारा अनुपालन	गैर–अनुपालन का प्रभाव
1.	भारतीय शासकीय लेखा मानक 1 शासन द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों के प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ	इस मानक के अंतर्गत शासन से वर्ष के दौरान अपने वित्तीय विवरण में परिग्रहितियाँ, हटाई गई, आमंत्रित, निपटाई गई एवं वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि प्रकट किया जाना अपेक्षित है।	अनुपालन किया गया	--
2.	भारतीय शासकीय लेखा मानक 2 सहायतानुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	अंतिम उपयोग के निरपेक्ष, सहायतानुदान प्रदाता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में एवं अनुदानगृहीता के लेखे में राजस्व प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।	आंशिक अनुपालन किया गया	राज्य शासन ने राशि ₹190.00 करोड़ की सहायतानुदान को राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया। गैर–अनुपालन के कारण राजस्व अधिशेष को अत्युक्त एवं पूंजीगत व्यय को अत्युक्त बताया गया।
3.	भारतीय शासकीय लेखा मानक 3 शासन द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	यह मानक सम्पूर्ण, सटीक एवं एकरूप लेखांकन प्रथाएँ सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा अपने वित्तीय विवरण में किए गए ऋणों एवं अग्रिमों की पहचान, मापन, मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन से संबन्धित है।	आंशिक अनुपालन किया गया	"अप्रतिलभ्य ऋणों एवं अग्रिमों का अपलेखन", 'बकाया में ब्याज भुगतान', 'ऋण के प्रकरणों में ऋण के रूप में स्थायी रूप से स्वीकृत किया गया', ऋणी संस्थाओं से बकायों में पुनर्भुगतान", "वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम" तथा "ऋणों एवं अग्रिमों से संबन्धित असाधारण लेन–देनों को इंगित करने वाले प्रकटीकरण" वित्त लेखों में नहीं किए गए थे, क्योंकि राज्य शासन द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गयी थी। इसलिए राज्य वित्त के इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रतिवेदन करना संभव नहीं है।

स्रोत: वित्त लेखे 2023–24

4.13.1 सहायतानुदान में व्यय का गलत वर्गीकरण

भारतीय शासकीय लेखा मानक–2 के अनुसार, सहायतानुदान से संबंधित व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, भले ही इसमें संपत्ति का निर्माण शामिल हो, उन मामलों को छोड़कर जो विशेष रूप से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत हैं।

वर्ष 2019–24 के दौरान राज्य शासन द्वारा राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में सहायतानुदान के वर्गीकरण की सीमा **तालिका 4.12** में दी गई है:

तालिका 4.12: पूंजीगत व्यय के रूप में सहायतानुदान के वर्गीकरण की सीमा

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पूंजीगत व्यय के रूप में पुस्तांकित सहायतानुदान	257.04	250.27	280.38	256.18	190.00
पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायतानुदान	237.64	82.73	316.04	415.00	निरंक
योग	**494.68**	**333.00**	**596.42**	**671.18**	**190.00**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

4.14 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

राज्य शासन ने कृषि, आवास, श्रम कल्याण, नगरीय विकास, इत्यादि के क्षेत्रों में अनेक स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों की स्थापना की है। इन निकायों और प्राधिकरणों को वार्षिक लेखा तैयार करने और उनको लेखापरीक्षा के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्य में सात स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लंबित[45] लेखाओं की स्थिति **तालिका 4.13** में दी गयी है:

तालिका 4.13: स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के बकाया लेखे

स.क्र.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे जब से लंबित	वित्त वर्ष 2023–24 तक लंबित लेखाओं की संख्या
1	मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	2013-14	11
2	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	2023-24	01
3	मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, भोपाल	2023-24	01
4	मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल	2023-24	01
5	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल	2020-21	04

नोटः किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष के लम्बित रहने की अंतिम तिथि अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर को ली जानी है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि लेखों को प्रस्तुत करने में लम्बितता एक से 11 वर्षों के बीच है। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने वर्ष 2013–14 से अपने लेखें प्रस्तुत नहीं किये (अक्टूबर 2024) है। 2023–24 के दौरान, किसी भी स्वायत निकाय द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I एवं II) मध्य प्रदेश के कार्यालय में कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए, लेखापरीक्षा ने वर्ष के दौरान लेखों पर कोई भी अभिमत नहीं बनाया। लेखों को अंतिम रूप देने में देरी से वित्तीय

[45] शेष दो स्वायत्त निकायों (मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एवं मध्य प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण) के पास महालेखाकार को प्रस्तुत करने हेतु कोई लेखा लंबित नहीं हैं।

अनियमितताओं का खतरा रहता है, इसलिए, लेखों को जल्द से जल्द अंतिम रूप देकर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

4.15 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 और 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कार्य और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसके वार्षिक सामान्य सभा (AGM) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी चाहिए। इस प्रकार की तैयारी के बाद यथाशीघ्र, वार्षिक प्रतिवेदन को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई किसी भी टिप्पणी या अनुपूरको के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद होते हैं। विभागीय उपक्रम वाणिज्यिक/अर्द्ध–वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियां निष्पादित करते हैं। उन्हे प्रतिवर्ष संचालन के कार्य परिणाम दिखाते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रोफार्मा लेखे तैयार करने की आवश्यकता होती है, ताकि सरकार उनके कार्य का आंकलन कर सके।

उपर्युक्त तंत्र राज्य की समेकित निधि से कंपनियों और निगमों में निवेशित लोक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

सांविधिक निगमों के लेखों को उनके अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाना, लेखापरीक्षा करना और विधानमंडल में प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में, 56 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/कंपनियों के लेखे बकाया हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल और मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लेखे क्रमशः 18 वर्ष और 16 वर्ष से बकाया थे तथा 54 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के संबंध में यह एक से 11 वर्ष के बीच रहा। 56 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में से 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम घाटे में चल रहे थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/सरकारी कंपनियों जिनके लेखे 30 सितम्बर 2024 की स्थिति में बकाया थें, का विवरण, ***परिशिष्ट 4.6*** में दिया गया हैं।

अन्य मुदद्े

4.16 दुर्विनियोग, हानियाँ, चोरियाँ, इत्यादि

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड–1 का नियम 22(1) प्रावधान करता है कि गबन अथवा अन्य कारण से किसी लोक धन की हानि की सूचना तत्काल महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए, भले ही जिम्मेदार पक्ष द्वारा इस हानि की पूर्ति कर दी गई हो।

राज्य शासन ने 31 मार्च 2024 तक ₹40.02 करोड़ से संबंधित दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के 3,157 प्रकरण सूचित किये थे जिन पर जून 2024 तक अंतिम कार्रवाई लंबित थी। मुख्य प्रकरण वानिकी तथा वन्य जीवन (₹17.13 करोड़ के 2,606 प्रकरण), कोष एवं लेखा प्रशासन (₹8.30 करोड़ के 11 प्रकरण), स्कूल शिक्षा (₹6.94 करोड़ के 92 प्रकरण) तथा पुलिस विभाग (₹3.50 करोड़ के 328 प्रकरण) से संबंधित थे। 31 मार्च 2024 की स्थिति में दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के वसूली हेतु लंबित प्रकरणों का मुख्य शीर्ष–वार विवरण **तालिका 4.14** में दिया गया है:

तालिका 4.14: 31 मार्च 2024 को दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के वसूली हेतु लंबित प्रकरण

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोग/ हानियों/चोरियों के प्रकरण		दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के लंबित प्रकरणों के अंतिम निराकरण में विलंब के कारण की गयी कार्रवाई					
			विभागीय और आपराधिक जाँच का इंतजार		विभागीय कार्रवाई आरंभ लेकिन पूर्ण नहीं		आपराधिक कार्रवाई पूर्ण परन्तु राशि की वसूली लंबित	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	09	48.40	01	3.65	06	22.15	02	22.60
2211– परिवार कल्याण	03	47.67	0	0.00	02	47.35	01	0.32
2014– न्याय प्रशासन	08	34.90	03	2.58	03	19.39	02	12.93
2015–चुनाव	02	48.73	01	40.83	01	7.90	0	0.00
2055–पुलिस	328	350.31	182	246.43	146	103.88	0	0.00
2225–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	06	7.05	06	7.05	0	0.00	0	0.00
2235–महिला एवं बाल कल्याण	07	16.13	07	16.13	0	0.00	0	0.00
2058–लेखन सामग्री एवं मुद्रण	02	8.58	0	0.00	01	0.17	01	8.41
2202–स्कूल शिक्षा	92	693.63	21	277.99	54	390.80	17	24.84
2203–तकनीकी शिक्षा	33	78.12	09	8.43	16	40.24	08	29.45
2204–खेलकूद एवं युवा सेवाएँ	03	4.20	02	1.70	01	2.50	0	0.00
2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	04	46.56	02	3.34	01	42.31	01	0.91
2054–कोषालय और लेखा	11	830.44	11	830.44	0	0.00	0	0.00
2853–अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	03	4.22	02	4.22	01	0.00	0	0.00
2040–बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	01	0.70	01	0.70	0	0.00	0	0.00
2401–कृषि कर्म	22	49.28	12	27.51	07	11.05	03	10.72
2403–पशुपालन	17	19.75	13	13.24	02	0.91	02	5.60
2406–वानिकी एवं वन्य जीवन	2606	1,713.42	1118	594.79	1457	1,097.18	31	21.45
योग	**3157**	**4,002.09**	**1391**	**2,079.03**	**1698**	**1,785.83**	**68**	**137.23**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 3157 प्रकरणों में से राशि ₹20.79 करोड़ के 1391 प्रकरण विभागीय और आपराधिक जांच के लिए लंबित हैं।

यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग को दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के लंबित प्रकरणों को अंतिम रूप देने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

4.17 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रत्येक राज्य में, लोक लेखा समिति/वित्त विभाग को विधानमंडल में प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के एक महीने के अन्दर संबंधित विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं पर स्वतः व्याख्यात्मक टीप प्रदान

करने की आवश्यकता होती है। संबंधित विभागों को प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के तीन महीने के अन्दर महालेखाकार को (जांच एवं लोक लेखा समिति को आगे प्रेषित करने हेतु) कार्यान्वयन टीप प्रदान करने की भी आवश्यकता होती है।

वर्ष 2008–09 से राज्य वित्त पर एक पृथक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है और उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 और 2013–14 पर 2018–19 में चर्चा की गई, जिसमें लोक लेखा समिति ने अपने उन्नीसवे प्रतिवेदन में वर्ष 2013–14 के लिए आधिक्य व्यय के नियमितीकरण की आवश्यकता वाली कंडिका के संबंध में नियमितीकरण की सिफारिश की थी। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 पर 2018–19 और 2019–20 में चर्चा की गई थी, जिसमें लोक लेखा समिति ने अपने चवालीसवे प्रतिवेदन में नियमितीकरण की सिफारिश की थी और इसे मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 22.08.2024 के माध्यम से नियमित किया गया था। आगे, राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016–17 पर वर्ष 2021–22 और 2022–23 में चर्चा की गई थी, जिसमें कंडिका आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है को मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 13.02.2024 के माध्यम से नियमित किया गया।

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 पर चर्चा अभी भी लंबित है एवं राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 क्रमशः दिनांक 08.02.2024 और 05.07.2024 को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए गए।

4.18 निष्कर्ष

2023–24 के दौरान, 145 व्यक्तिगत जमा खातों में ऋणात्मक शेष था तथा 214 व्यक्तिगत जमा खाते ₹325.86 करोड़ के साथ तीन से अधिक वर्षों से असंचालित थे। सरकार को इन खातों की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए थी और सुनिश्चित करें कि ऐसे असंचालित खाते बंद कर दिए गए हैं तथा राज्य के कोषालय संहिता के अनुसार शेषों को शासकीय लेखों में अंतरित कर दिया गया है।

2019–24 के दौरान, राशि के संबंध में प्राप्ति और व्यय में लघु शीर्ष 800 के संचालन में क्रमिक वृद्धि हुई तथापि, प्रतिशत के संबंध में प्राप्ति एवं व्यय पक्ष में लघु शीर्ष 800 के संचालन में कमीं आई।

विभागीय आंकड़ों का कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से मिलान का कार्य संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा जुलाई 2020 में ऑनलाइन शुरू किया गया है और प्राप्तियों के संबंध में 98.54 प्रतिशत तथा व्यय के संबंध में 95.20 प्रतिशत की सीमा तक मिलान किया गया है।

4.19 अनुशंसाएं

- यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य शासन को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने/देरी के कारणों की पहचान करने के लिए एक कठोर निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करें कि विभाग समय पर उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के प्रस्तुतीकरण के संबंध में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते है।
- राज्य शासन को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि इन खातों में निष्क्रिय पड़ी निधियों को शासकीय लेखों में तत्काल अंतरित कर दिया गया है। आगे, शासन को व्यक्तिगत जमा खातों में अव्ययित शेषों का विवरण प्रकट करना चाहिए।
- राज्य शासन को वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता में सुधार के लिए सर्वग्राही लघु शीर्ष–800 का उपयोग हतोत्साहित करना चाहिए। सरकार को लेखा–पुस्तकों में लेन–देनों को सही ढंग से वर्गीकृत करने के

लिए उपयुक्त लेखा शीर्षों की पहचान करने के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ परामर्श कर एक विशिष्ट समय–सीमा की रूपरेखा बनाना चाहिए।

- आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है तथा शासन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विभागीय आंकड़ो का कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से मिलान शत प्रतिशत होना चाहिये, चूंकि यह 2019–20 से शासकीय लेन–देन के लेखांकन में पारदर्शिता और सटीकता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन शुरू किया गया है।

(प्रिया पारिख)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय)
मध्य प्रदेश

भोपाल
दिनांकः 21 अप्रैल 2025

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 30 अप्रैल 2025

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)
(संदर्भः कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

क	सामान्य आंकड़े			
स.क्र.	विवरण			आंकड़े
1	क्षेत्र			3,08,252 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या			
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार		6.03 करोड़
	ख.	2024 की जनसंख्या		8.76 करोड़
3	क.	जनसंख्या का घनत्व (2024 का घनत्व) (अखिल भारतीय घनत्व = 426.09 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)		284.22 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
	ख.	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)		236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत)			31.65 प्रतिशत
5	क.	साक्षरता (2001 के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)		63.74 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता (2024 के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)		69.30 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत = 28 प्रति 1000 जीवित बच्चे) (2023–24)			43 प्रति 1000 जीवित बच्चे
7	जन्म के समय जीवित रहने की प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत वर्ष 2016–20 में = 70 वर्ष)			67.40 वर्ष
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2023–24 वर्तमान मूल्य पर			₹13,63,327 करोड़
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2023–24 स्थिर मूल्य पर			₹6,60,363 करोड़
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2014 से 2024)		मध्य प्रदेश	10.77 प्रतिशत
			अखिल भारतीय (केंद्र शासित प्रदेशों सहित)	8.89 प्रतिशत
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2014 से 2024)		मध्य प्रदेश	12.30 प्रतिशत
			अखिल भारतीय (केंद्र शासित प्रदेशों सहित)	10.06 प्रतिशत
12	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2014 से 2024)		मध्य प्रदेश	14.77 प्रतिशत
			अखिल भारतीय (केंद्र शासित प्रदेशों सहित)	11.26 प्रतिशत

ख	वित्तीय आंकड़े								
		संवृद्धि दर (प्रतिशत में)							
	विवरण	2014–15 से 2017–18		2018–19 से 2021–22		2021–22 से 2022–23		2022–23 से 2023–24	
		मध्य प्रदेश	सामान्य श्रेणी के राज्य	मध्य प्रदेश	सामान्य श्रेणी के राज्य	मध्य प्रदेश	सामान्य श्रेणी के राज्य	मध्य प्रदेश	सामान्य श्रेणी के राज्य
क	राजस्व प्राप्तियां	15.02	12.61	7.68	7.12	9.74	13.41	14.73	8.19
ख	स्वयं के कर राजस्व	7.01	9.49	9.19	7.17	9.62	19.80	24.95	10.58
ग	करेत्तर राजस्व	-4.41	6.52	8.75	544	29.88	12.94	0.24	14.62
घ	संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	28.25	24.87	6.55	5.52	7.19	7.22	18.95	19.11
ड़	भारत सरकार से सहायतानुदान	19.67	7.83	6.72	10.87	6.21	5.47	-6.07	-21.89
च	कुल प्राप्तियां	13.57	13.09	8.82	10.04	13.06	10.83	13.32	13.92
छ	राजस्व व्यय	16.50	12.06	8.40	8.07	10.40	11.45	10.83	8.90
ज	पूंजीगत व्यय	9.97	12.02	12.94	4.80	6.45	18.92	22.54	19.85
झ	पूंजीगत परिव्यय	37.55	12.53	11.45	5.61	9.10	14.18	27.23	26.16
ञ	कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण	-50.18	7.11	43.63	-3.28	-26.90	75.21	-65.68	-28.93
ट	कुल व्यय	15.07	12.05	9.23	7.57	9.63	12.53	13.05	10.56
ठ	शिक्षा पर राजस्व व्यय	13.95	9.33	4.12	7.34	10.11	13.21	12.42	5.11
ड	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर राजस्व व्यय	12.33	14.09	21.54	14.96	6.03	0.88	11.21	10.34
ढ	वेतन एवं मजदूरी पर राजस्व व्यय	5.94	9.86	14.71	8.19	13.90	9.71	7.26	7.52
ण	पेंशन पर राजस्व व्यय	10.76	14.24	12.45	9.58	15.54	11.38	11.56	6.27
त	राजसहायताओं पर राजस्व व्यय	24.87	15.92	-3.14	8.64	0.00	15.25	5.61	8.61

स्रोतः आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट 2.1
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े[46]

(संदर्भः कंडिकाएं 2.3, 2.6.2, 2.10.1 एवं 2.14.2; पृष्ठ 20, 24, 37 एवं 68)

(₹करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)	**1,47,643**	**1,46,377**	**1,85,876**	**2,03,986**	**2,34,026**
(क) कर राजस्व (i+ii)	**1,05,342(71)**	**1,01,373(69)**	**1,35,779(73)**	**1,47,154(72)**	**1,79,389(77)**
(i) स्वयं के कर राजस्व	**55824(38)**	**54,459(37)**	**66,237(49)**	**72,611(49)**	**90,724(51)**
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	20,448(37)	17,258(32)	22,028(33)	23,397(32)	37,791(41)
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	11,258(20)	13,296(24)	16,185(24)	17,719(24)	17,863(20)
राज्य उत्पाद शुल्क	10,829(19)	9,526(17)	10,334(16)	12,955(18)	13,524(15)
वाहन कर	3,251(6)	2,749(5)	3,029(5)	4,028(6)	4,606(5)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	5,569(10)	6,817(13)	8,098(12)	8,812(12)	10,331(11)
भू–राजस्व	562(1)	504(1)	733(1)	956(1)	1,079(1)
माल तथा यात्री कर	145(0)	75(0)	64(0)	59(0)	31(0)
अन्य कर	3,762(7)	4,234(8)	5,766(9)	4,685(6)	5,499(6)
(ii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	**49,518(47)**	**46,914(46)**	**69,542(51)**	**74,543(51)**	**88,665(49)**
(ख) करेत्तर राजस्व	**10,349(7)**	**9,902(7)**	**15,305(8)**	**19,878(10)**	**19,926(9)**
(ग) भारत सरकार से सहायतानुदान	**31,952(22)**	**35,102(24)**	**34,792(19)**	**36,954(18)**	**34,711(15)**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**14**	**14**	**1,598**	**47**	**4**
2क. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	**(-)0.25**	**(-)0.02**	**1.14**	**(-)0.78**	**(-)0.39**
3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां	**46**	**58**	**62**	**1,458**	**372**
4. कुल राजस्व तथा ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+2क+3)	**1,47,703**	**1,46,449**	**1,87,537**	**2,05,490**	**2,34,402**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**34,364**	**65,171**	**46,285**	**58,867**	**65,180**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष छोड़कर)	29,496	54,242	33,671	48,202	50,108
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	4,868	10,929[47]	12,614[48]	10,665	15,072
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**1,82,067**	**2,11,620**	**2,33,822**	**2,64,357**	**2,99,582**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**--**	**--**	**--**	**--**	**19**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**2,00,611**	**2,35,479**	**2,29,353**	**2,63,707**	**2,92,530**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**3,82,678**	**4,47,099**	**4,63,175**	**5,28,064**	**5,92,133**
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**1,50,444(83)**	**1,64,733(84)**	**1,81,061(80)**	**1,99,895(81)**	**2,21,538(79)**
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	39,827(26)	47,885(29)	49,461(27)	54,807(27)	62,830(28)
सामाजिक सेवाएं	64,224(43)	68,757(42)	71,644(40)	82,084(41)	93,007(42)
आर्थिक सेवाएं	40,493(27)	42,191(25)	52,831(29)	55,127(28)	57,185(26)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	5,900(4)	5,900(4)	7,125(4)	7,877(4)	8,516(4)
11. पूंजीगत परिव्यय	**29,241(16)**	**30,356(15)**	**40,733(18)**	**44,438(18)**	**56,538(20)**
सामान्य सेवाएं	982(3)	974(3)	989(2)	1,165(3)	1,204(2)
सामाजिक सेवाएं	6,922(24)	8,132(27)	14,352(36)	14,632(33)	21,618(38)
आर्थिक सेवाएं	21,337(73)	21,250(70)	25,392(62)	28,641(64)	33,716(60)

---

46 कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक उप–शीर्षक के कुल योग के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

47 इसमें से ₹4,542 करोड़ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैक–टू–बैक ऋण से संबंधित हैं।

48 इसमें से ₹7,011 करोड़ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैक–टू–बैक ऋण से संबंधित हैं।

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
12. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण	**987(1)**	**1,230(1)**	**3,229(1)**	**2,360(1)**	**810(0.3)**
13. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	**(-)0.62**	**(-)0.25**	**1**	**(-)0.95**	**(-)0.23**
14. कुल व्यय (10+11+12+13)	**1,80,672**	**1,96,319**	**2,25,024**	**2,46,692**	**2,78,887**
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**10,934**	**12,757**	**15,162**	**22,007**	**21,636**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षो को छोड़कर)	9,713	11,315	13,376	19,788	19,021
अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,221	1,442	1,786	2,219	2,615
16. आकस्मिकता निधि में विनियोग	--	--	--	--	--
17. समेकित निधि में से कुल संवितरण (14+15+16)	**1,91,606**	**2,09,076**	**2,40,186**	**2,68,699**	**3,00,522**
18. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	**19**	**15**
19. लोक लेखा संवितरण	**1,89,401**	**2,27,522**	**2,23,811**	**2,57,491**	**2,92,211**
20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)	**3,81,007**	**4,36,598**	**4,63,997**	**5,26,209**	**5,92,748**
भाग ग. घाटे					
21. राजस्व घाटा(–)/राजस्व अधिशेष(+) (1-10)	-2,801	-18,356	4,815	4,091	12,488
22. राजकोषीय घाटा(–)/राजकोषीय अधिशेष(+) (4-14)	-32,970	-49,870	-37,487	-41,202	-44,485
23. प्राथमिक घाटा(–)/अधिशेष(+) (22+24)	-18,753	-33,952	-19,041	-21,749	-21,386
भाग घ. अन्य आंकड़े					
24. ब्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	14,217	15,918	18,446	19,453	23,098
25. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	28,659	30,101	28,645	31,980	29,491
26. लिया गया अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
– लिया गया अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	--	--	--	--	--
– लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
27. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षों पर ब्याज	0.41	--	--	--	--
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद[49]	9,27,855	9,46,628	10,92,964	12,46,471	13,63,327
29. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	2,30,572	2,89,298[50]	3,23,218[51]	3,63,952	4,08,888
30. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	30,930	37,010	35,006	39,788	45,551
31. प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	43,017	54,464	60,634	67,624	69,417
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	81	72	1,345	792	1,206
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी	29,606	15,461	6,564	12,049	14,653
भाग ङ राजकोषीय स्थिति संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	6.02	5.75	6.06	5.83	6.65
स्वयं के करेत्तर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.12	1.05	1.40	1.59	1.46

49 वर्ष 2017–18 से 2020–21 के लिये शासन द्वारा सूचित संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया।

50 इसमें से ₹4,542 करोड़ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैक–टू–बैक ऋण से संबंधित हैं।

51 इसमें से ₹11,553(₹7,011+₹4,542) करोड़ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैक–टू–बैक ऋण से संबंधित हैं।

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केन्द्रीय अंतरण[52]/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	8.78	8.66	9.55	8.95	9.05
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता (प्रतिशत)	-0.09	0.35	1.25	1.01	0.59
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.47	20.74	20.59	19.79	20.46
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	122.37	134.12	121.06	120.94	119.17
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	83.27	83.91	80.46	81.03	79.44
सामान्य सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	22.59	24.88	22.42	22.68	22.96
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	39.38	39.17	38.22	39.20	41.10
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	34.22	32.32	34.76	33.96	32.59
पूंजीगत परिव्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	16.18	15.46	18.10	18.01	20.27
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	15.64	14.97	17.66	17.54	19.84
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा(–)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-0.30	-1.94	0.44	0.33	0.92
राजकोषीय घाटा(–)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-3.55	-5.27	-3.43	-3.31	-3.26
प्राथमिक घाटा(–)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-2.02	-3.59	-1.74	-1.74	-1.57
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	0.08	0.37	निरंक	निरंक	निरंक
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	14.68	15.48	14.31	13.64	14.56
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	24.85	30.08	28.57	28.32	29.17
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	156.17	197.64	174.20	178.70	169.94
V अन्य राजकोषीय संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (कोष्ठक में प्रतिशत)	475.96 (1.31)	288.44 (0.74)	138.73 (0.34)	159.58 (0.37)	291.41 (0.61)
देयताओं के लिए वित्तीय परिसम्पत्तियों का अनुपात	0.74	0.86	0.86	0.88	0.87

52 केन्द्रीय अंतरण में संघीय करों/शुल्क का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान समाविष्ट है।

परिशिष्ट 3.1

राजस्व अनुभाग के अंतर्गत बजट अनुमान और वास्तविक व्यय

(संदर्भः कंडिका 3.1.4; पृष्ठ 76)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	बजट अनुमान			वास्तविक व्यय			विचलन	प्रतिशत
	राज.द.	राज.भा.	योग	राज.द.	राज.भा.	योग		
1	871.02	103.11	974.13	706.92	77.20	784.12	-190.01	-19.51
2	65.96	0.00	65.96	87.97	0.00	87.97	22.01	33.37
3	9,573.48	1.54	9,575.02	8,306.50	1.52	8,308.02	-1,267.00	-13.23
4	35.21	0.00	35.21	17.75	0.00	17.75	-17.46	-49.60
5	555.67	0.05	555.72	500.04	0.00	500.04	-55.68	-10.02
6	24,857.17	1,107.97	25,965.14	22,221.86	21.52	22,243.38	-3,721.77	-14.33
7	2,197.26	0.12	2,197.38	2,263.46	0.00	2,263.46	66.08	3.01
8	8,974.69	3.71	8,978.40	5,877.40	0.90	5,878.31	-3,100.09	-34.53
9	59.05	0.01	59.06	8.18	0.00	8.18	-50.88	-86.15
10	2,386.51	1.95	2,388.46	1,956.80	1.26	1,958.06	-430.40	-18.02
11	1,047.08	0.00	1,047.08	1,030.14	0.00	1,030.14	-16.94	-1.62
12	9,894.52	0.00	9,894.52	13,657.42	0.00	13,657.42	3,762.90	38.03
13	16,981.01	0.45	16,981.46	21,379.16	0.02	21,379.18	4,397.72	25.90
14	1,478.17	0.14	1,478.31	1,116.60	0.01	1,116.61	-361.69	-24.47
15	33.59	0.01	33.60	19.27	0.00	19.27	-14.33	-42.66
16	225.34	0.10	225.44	121.37	0.09	121.46	-103.98	-46.12
17	883.85	0.12	883.97	765.60	0.00	765.60	-118.37	-13.39
18	944.19	0.17	944.36	953.44	0.00	953.44	9.08	0.96
19	10,918.25	0.01	10,918.26	10,803.68	0.00	10,803.68	-114.58	-1.05
20	1,035.54	2.25	1,037.79	873.74	1.14	874.88	-162.91	-15.70
21	117.53	0.00	117.53	101.74	0.00	101.74	-15.79	-13.43
22	11,010.24	1,167.02	12,177.26	9,089.41	1,165.83	10,255.24	-1,922.02	-15.78
23	1,531.92	0.00	1,531.92	1,209.84	0.00	1,209.84	-322.08	-21.02
24	2,287.59	10.00	2,297.59	2,229.50	1.98	2,231.48	-66.11	-2.88
25	268.88	850.05	1,118.93	291.95	842.91	1,134.86	15.93	1.42
26	347.10	0.01	347.11	260.08	0.00	260.08	-87.03	-25.07
27	28,603.07	0.40	28,603.47	26,859.84	0.00	26,859.84	-1,743.63	-6.10
28	108.94	0.73	109.67	91.02	0.37	91.39	-18.28	-16.67
29	2,619.33	263.68	2,883.01	2,154.69	215.00	2,369.69	-513.32	-17.81
30	14,943.24	0.07	14,943.31	9,535.09	0.00	9,535.09	-5,408.22	-36.19
31	296.26	0.02	296.28	315.48	0.00	315.48	19.20	6.48
32	697.29	0.01	697.30	1,049.50	0.00	1,049.50	352.20	50.51
33	10,034.17	0.09	10,034.26	8,256.57	0.02	8,256.59	-1,777.67	-17.72
34	3,887.00	0.01	3,887.01	4,531.33	0.00	4,531.33	644.32	16.58
35	727.19	0.00	727.19	620.87	0.00	620.87	-106.32	-14.62
36	149.82	0.25	150.07	84.74	0.08	84.82	-65.25	-43.48
37	117.96	0.00	117.96	74.40	0.00	74.40	-43.56	-36.93

अनुदान संख्या	बजट अनुमान			वास्तविक व्यय			विचलन	प्रतिशत
	राज.द.	राज.भा.	योग	राज.द.	राज.भा.	योग		
38	721.94	0.08	722.02	624.42	0.00	624.42	-97.60	-13.52
39	1,008.72	0.02	1,008.74	1,439.96	0.00	1,439.96	431.22	42.75
40	6,972.06	0.01	6,972.07	7,395.88	0.00	7,395.88	423.81	6.08
41	0.86	0.00	0.86	20.01	0.00	20.01	19.15	2226.74
42	143.21	0.05	143.26	129.05	0.00	129.05	-14.21	-9.92
43	196.91	0.01	196.92	182.39	0.00	182.39	-14.53	-7.38
44	3,056.95	0.35	3,057.30	2,265.87	0.00	2,265.87	-791.43	-25.89
45	55.76	0.00	55.76	8.08	0.00	8.08	-47.68	-85.52
46	180.52	0.05	180.57	159.69	0.00	159.69	-20.88	-11.57
47	2,262.18	0.10	2,262.28	1,318.96	0.00	1,318.96	-943.32	-41.70
48	234.91	0.00	234.91	287.75	0.00	287.75	52.84	22.49
49	1,934.17	0.10	1,934.27	1,100.35	0.02	1,100.37	-833.90	-43.11
50	484.43	0.01	484.44	313.30	0.00	313.30	-171.14	-35.33
51	112.44	0.02	112.46	77.53	0.00	77.53	-34.92	-31.06
52	1,934.62	0.10	1,934.72	2,077.31	0.00	2,077.31	142.59	7.37
53	14.56	0.00	14.56	9.69	0.00	9.69	-4.87	-33.48
54	1,284.08	0.01	1,284.09	1,187.87	0.00	1,187.87	-96.22	-7.49
55	14,507.71	0.10	14,507.81	20,299.38	0.10	20,299.48	5,791.67	39.92
56	132.72	0.01	132.73	86.26	0.00	86.26	-46.47	-35.01
57	7.00	0.00	7.00	4.87	0.00	4.87	-2.13	-30.43
Ch-I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ch-II	0.00	22,619.91	22,619.91	0.00	23,098.41	23,098.41	478.52	2.12
योग	**2,06,010.84**	**26,134.98**	**2,32,145.83**	**1,98,411.96**	**25,428.39**	**2,23,840.35**		

परिशिष्ट 3.2
पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत बजट अनुमान और वास्तविक व्यय
(संदर्भ: कंडिका 3.1.4; पृष्ठ 77)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	बजट अनुमान			वास्तविक व्यय			विचलन	प्रतिशत
	पूंजी.द.	पूंजी.भा.	योग	पूंजी.द.	पूंजी.भा.	योग		
1	49.55	0.00	49.55	25.79	0.00	25.79	-23.76	-47.95
2	191.00	40.00	231.00	1.24	21.72	22.96	-208.04	-90.06
3	674.70	0.00	674.70	611.76	0.00	611.76	-62.94	-9.33
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	87.50	0.00	87.50	42.45	0.00	42.45	-45.05	-51.48
6	480.70	2.00	482.70	79.35	0.00	79.35	-403.35	-83.56
7	16.00	0.00	16.00	5.03	0.00	5.03	-10.97	-68.56
8	306.18	0.00	306.18	260.29	0.00	260.29	-45.89	-14.99
9	1,519.97	0.00	1,519.97	1,587.86	0.00	1,587.86	67.89	4.47
10	955.00	0.00	955.00	954.41	0.00	954.41	-0.59	-0.06
11	8,348.44	0.00	8,348.44	1,230.98	0.00	1,230.98	-7,117.46	-85.25
12	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	-15.00	-100.00
13	13.83	0.00	13.83	5.83	0.00	5.83	-8.00	-57.85
14	9.16	0.00	9.16	6.09	0.00	6.09	-3.07	-33.52
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	1,500.50	0.00	1,500.50	1,500.05	0.00	1,500.05	-0.45	-0.03
17	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	-100.00
18	1,069.47	0.00	1,069.47	1,088.63	0.00	1,088.63	19.16	1.79
19	9,154.05	0.00	9,154.05	10,531.22	0.00	10,531.22	1,377.17	15.04
20	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	-100.00
21	2,585.30	0.00	2,585.30	3,347.97	0.00	3,347.97	762.67	29.50
22	5,639.73	145.00	5,784.73	6,624.12	45.00	6,669.12	884.39	15.29
23	7,064.34	10.10	7,074.44	10,933.54	10.24	10,943.78	3,869.34	54.69
24	800.80	45.00	845.80	860.00	422.54	1,282.54	436.74	51.64
25	372.24	0.00	372.24	171.78	0.00	171.78	-200.46	-53.85
26	3,029.58	0.00	3,029.58	2,606.19	0.00	2,606.19	-423.39	-13.98
27	169.50	0.00	169.50	155.98	0.00	155.98	-13.52	-7.98
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2,528.00	0.00	2,528.00	1,764.93	0.00	1,764.93	-763.07	-30.18
30	608.32	0.00	608.32	589.95	0.00	589.95	-18.37	-3.02
31	3.00	0.00	3.00	0.79	0.00	0.79	-2.21	-73.67
32	1,713.85	0.00	1,713.85	1,476.23	0.00	1,476.23	-237.62	-13.86
33	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
34	152.20	0.00	152.20	137.20	0.00	137.20	-15.00	-9.86
35	10.00	0.00	10.00	2.78	0.00	2.78	-7.22	-72.20
36	152.00	0.00	152.00	144.49	0.00	144.49	-7.51	-4.94

अनुदान संख्या	बजट अनुमान			वास्तविक व्यय			विचलन	प्रतिशत
	पूंजी.द.	पूंजी.भा.	योग	पूंजी.द.	पूंजी.भा.	योग		
37	23.59	0.00	23.59	18.12	0.00	18.12	-5.47	-23.19
38	102.11	0.00	102.11	59.85	0.00	59.85	-42.26	-41.39
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
40	10.05	0.00	10.05	1.89	0.00	1.89	-8.16	-81.19
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	541.22	0.00	541.22	291.20	0.00	291.20	-250.01	-46.19
43	687.94	0.00	687.94	459.40	0.00	459.40	-228.53	-33.22
44	85.00	0.00	85.00	85.96	0.00	85.96	0.96	1.13
45	162.52	0.00	162.52	73.58	0.00	73.58	-88.95	-54.73
46	734.84	0.00	734.84	507.14	0.00	507.14	-227.71	-30.99
47	3,630.92	0.00	3,630.92	8,197.29	0.00	8,197.29	4,566.37	125.76
48	228.00	1.50	229.50	122.77	1.23	124.00	-105.49	-45.97
49	5.00	0.00	5.00	4.00	0.00	4.00	-1.00	-20.01
50	1,233.64	0.00	1,233.64	1,397.35	0.00	1,397.35	163.70	13.27
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	140.00	0.00	140.00	0.84	0.00	0.84	-139.16	-99.40
53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
54	178.67	0.00	178.67	139.36	0.00	139.36	-39.31	-22.00
55	0.25	0.00	0.25	0.09	0.00	0.09	-0.16	-64.09
56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CH-I	0.00	24,551.00	24,551.00	0.00	21,635.73	21,635.73	-2,915.27	-11.87
CH-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**57,084.41**	**24,794.60**	**81,879.01**	**58,105.77**	**22,136.46**	**80,242.23**		

परिशिष्ट 3.3
राजस्व अनुभाग के अंतर्गत पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय

(संदर्भ: कंडिका 3.1.4; पृष्ठ 77)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	पुनरीक्षित अनुमान			वास्तविक व्यय			विचलन	प्रतिशत
	राज.द.	राज.भा.	योग	राज.द.	राज.भा.	योग		
1	851.36	101.77	953.13	706.92	77.20	784.12	-169.02	-17.73
2	100.43	0.00	100.43	87.97	0.00	87.97	-12.46	-12.40
3	9,317.16	1.54	9,318.70	8,306.50	1.52	8,308.02	-1,010.67	-10.85
4	35.21	0.00	35.21	17.75	0.00	17.75	-17.46	-49.60
5	546.76	0.05	546.81	500.04	0.00	500.04	-46.77	-8.55
6	24,381.89	27.97	24,409.86	22,221.86	21.52	22,243.38	-2,166.48	-8.88
7	2,336.16	0.12	2,336.28	2,263.46	0.00	2,263.46	-72.81	-3.12
8	7,699.63	3.39	7,703.02	5,877.40	0.90	5,878.30	-1,824.71	-23.69
9	55.50	0.01	55.51	8.18	0.00	8.18	-47.33	-85.27
10	2,155.49	1.95	2,157.44	1,956.80	1.26	1,958.06	-199.38	-9.24
11	179.94	0.00	179.94	1,030.14	0.00	1,030.14	850.19	472.47
12	10,078.57	0.00	10,078.57	13,657.42	0.00	13,657.42	3,578.86	35.51
13	23,578.73	0.45	23,579.18	21,379.16	0.02	21,379.18	-2,200.00	-9.33
14	1,422.14	0.14	1,422.28	1,116.60	0.01	1,116.61	-305.67	-21.49
15	28.93	0.01	28.94	19.27	0.00	19.27	-9.67	-33.42
16	196.54	0.10	196.64	121.37	0.09	121.46	-75.18	-38.23
17	839.05	0.12	839.17	765.60	0.00	765.60	-73.57	-8.77
18	918.83	0.17	919.00	953.44	0.00	953.44	34.44	3.75
19	11,919.67	0.01	11,919.68	10,803.68	0.00	10,803.68	-1,115.99	-9.36
20	1,018.21	1.00	1,019.21	873.74	1.14	874.88	-144.33	-14.16
21	113.18	0.00	113.18	101.74	0.00	101.74	-11.44	-10.11
22	10,333.18	1,167.02	11,500.20	9,089.41	1,165.83	10,255.24	-1,244.95	-10.83
23	1,374.57	0.00	1,374.57	1,209.84	0.00	1,209.84	-164.73	-11.98
24	2,184.10	1.00	2,185.10	2,229.50	1.98	2,231.48	46.38	2.12
25	298.76	842.96	1,141.72	291.95	842.91	1,134.86	-6.86	-0.60
26	293.96	0.01	293.97	260.08	0.00	260.08	-33.89	-11.53
27	26,806.74	0.40	26,807.14	26,859.84	0.00	26,859.84	52.70	0.20
28	106.98	0.67	107.65	91.02	0.37	91.39	-16.26	-15.11
29	2,496.73	252.27	2,749.00	2,154.69	215.00	2,369.69	-379.31	-13.80
30	10,583.36	0.07	10,583.43	9,535.09	0.00	9,535.09	-1,048.33	-9.91
31	331.85	0.02	331.87	315.48	0.00	315.48	-16.39	-4.94
32	749.87	0.01	749.88	1,049.50	0.00	1,049.50	299.62	39.96
33	9,886.47	0.09	9,886.56	8,256.57	0.02	8,256.59	-1,629.97	-16.49
34	4,679.11	0.01	4,679.12	4,531.33	0.00	4,531.33	-147.79	-3.16
35	513.51	0.00	513.51	620.87	0.00	620.87	107.36	20.91
36	142.50	0.25	142.75	84.74	0.08	84.82	-57.92	-40.58
37	73.11	0.00	73.11	74.40	0.00	74.40	1.29	1.77
38	723.16	0.08	723.24	624.42	0.00	624.42	-98.82	-13.66

अनुदान संख्या	पुनरीक्षित अनुमान			वास्तविक व्यय			विचलन	प्रतिशत
	राज.द.	राज.भा.	योग	राज.द.	राज.भा.	योग		
39	1,657.09	0.02	1,657.11	1,439.96	0.00	1,439.96	-217.15	-13.10
40	9,524.44	0.01	9,524.45	7,395.88	0.00	7,395.88	-2,128.56	-22.35
41	20.86	0.00	20.86	20.01	0.00	20.01	-0.85	-4.09
42	141.52	0.05	141.57	129.05	0.00	129.05	-12.52	-8.85
43	211.75	0.01	211.76	182.39	0.00	182.39	-29.37	-13.87
44	2,553.92	0.34	2,554.26	2,265.87	0.00	2,265.87	-288.40	-11.29
45	18.36	0.00	18.36	8.08	0.00	8.08	-10.28	-56.01
46	181.52	0.04	181.56	159.69	0.00	159.69	-21.89	-12.05
47	1,217.72	0.10	1,217.82	1,318.96	0.00	1,318.96	101.14	8.30
48	233.60	0.00	233.60	287.75	0.00	287.75	54.15	23.18
49	1,719.93	0.10	1,720.03	1,100.35	0.02	1,100.37	-619.66	-36.03
50	359.51	0.01	359.52	313.30	0.00	313.30	-46.22	-12.86
51	87.26	0.02	87.28	77.53	0.00	77.53	-9.75	-11.17
52	2,082.85	0.10	2,082.95	2,077.31	0.00	2,077.31	-5.64	-0.27
53	14.31	0.00	14.31	9.69	0.00	9.69	-4.62	-32.28
54	1,532.52	0.01	1,532.53	1,187.87	0.00	1,187.87	-344.65	-22.49
55	20,645.46	0.10	20,645.56	20,299.38	0.10	20,299.48	-346.08	-1.68
56	121.62	0.01	121.63	86.26	0.00	86.26	-35.39	-29.09
57	7.00	0.00	7.00	4.87	0.00	4.87	-2.13	-30.43
Ch-I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ch-II	0.00	23,993.88	23,993.88	0.00	23,098.41	23,098.41	-895.47	-3.73
योग	**2,11,682.58**	**26,398.46**	**2,38,081.05**	**1,98,411.97**	**25,428.38**	**2,23,840.35**		

परिशिष्ट 3.4
पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक व्यय
(संदर्भः कंडिका 3.1.4; पृष्ठ 77)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	पुनरीक्षित अनुमान			वास्तविक व्यय			विचलन	प्रतिशत
	पूंजी.द.	पूंजी.भा.	योग	पूंजी.द.	पूंजी.भा.	योग		
1	54.07	0.00	54.07	25.79	0.00	25.79	-28.28	-52.30
2	41.00	40.00	81.00	1.24	21.72	22.96	-58.04	-71.65
3	654.88	0.00	654.88	611.76	0.00	611.76	-43.12	-6.58
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	87.50	0.00	87.50	42.45	0.00	42.45	-45.05	-51.49
6	151.20	2.00	153.20	79.35	0.00	79.35	-73.85	-48.20
7	26.00	0.00	26.00	5.03	0.00	5.03	-20.97	-80.65
8	217.50	0.00	217.50	260.29	0.00	260.29	42.79	19.67
9	0.00	0.00	0.00	1,587.86	0.00	1,587.86	1,587.86	0.00
10	1,617.11	0.00	1,617.11	954.41	0.00	954.41	-662.70	-40.98
11	865.00	0.00	865.00	1,230.98	0.00	1,230.98	365.98	42.31
12	14,844.03	0.00	14,844.03	0.00	0.00	0.00	-14,844.03	-100.00
13	1.00	0.00	1.00	5.83	0.00	5.83	4.83	483.07
14	15.14	0.00	15.14	6.09	0.00	6.09	-9.05	-59.78
15	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00	-9.16	-100.00
16	0.00	0.00	0.00	1,500.05	0.00	1,500.05	1,500.05	--
17	2,000.05	0.00	2,000.05	0.00	0.00	0.00	-2,000.05	-100.00
18	0.50	0.00	0.50	1,088.63	0.00	1,088.63	1,088.13	217625.33
19	1,141.19	0.00	1,141.19	10,531.22	0.00	10,531.22	9,390.04	822.83
20	9,126.63	0.00	9,126.63	0.00	0.00	0.00	-9,126.63	-100.00
21	0.25	0.00	0.25	3,347.97	0.00	3,347.97	3,347.72	1339088.79
22	2,642.30	285.00	2,927.30	6,624.12	45.00	6,669.12	3,741.81	127.82
23	6,342.91	10.10	6,353.01	10,933.54	10.24	10,943.78	4,590.77	72.26
24	9,430.74	45.00	9,475.74	860.00	422.54	1,282.54	-8,193.20	-86.47
25	860.80	0.00	860.80	171.78	0.00	171.78	-689.02	-80.04
26	239.80	0.00	239.80	2,606.19	0.00	2,606.19	2,366.38	986.81
27	2,532.74	0.00	2,532.74	155.98	0.00	155.98	-2,376.76	-93.84
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	167.55	0.00	167.55	1,764.93	0.00	1,764.93	1,597.39	953.41
30	2,441.00	0.00	2,441.00	589.95	0.00	589.95	-1,851.05	-75.83
31	605.72	0.00	605.72	0.79	0.00	0.79	-604.94	-99.87
32	3.00	0.00	3.00	1,476.23	0.00	1,476.23	1,473.23	49107.65
33	1,750.34	0.00	1,750.34	0.00	0.00	0.00	-1,750.34	-100.00
34	50.00	0.00	50.00	137.20	0.00	137.20	87.20	174.40
35	152.20	0.00	152.20	2.78	0.00	2.78	-149.42	-98.17
36	10.00	0.00	10.00	144.49	0.00	144.49	134.49	1344.91

अनुदान संख्या	पुनरीक्षित अनुमान			वास्तविक व्यय			विचलन	प्रतिशत
	पूंजी.द.	पूंजी.भा.	योग	पूंजी.द.	पूंजी.भा.	योग		
37	152.00	0.00	152.00	18.12	0.00	18.12	-133.88	-88.08
38	23.59	0.00	23.59	59.85	0.00	59.85	36.26	153.69
39	77.11	0.00	77.11	0.00	0.00	0.00	-77.11	-100.00
40	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	1.89	1.89	--
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	10.05	0.00	10.05	291.20	0.00	291.20	281.15	2797.42
43	352.29	0.00	352.29	459.40	0.00	459.40	107.11	30.41
44	482.52	0.00	482.52	85.96	0.00	85.96	-396.55	-82.18
45	86.00	0.00	86.00	73.57	0.00	73.57	-12.43	-14.46
46	162.53	0.00	162.53	507.13	0.00	507.13	344.61	212.04
47	701.18	0.00	701.18	8,197.29	0.00	8,197.29	7,496.12	1069.07
48	7,536.63	1.00	7,537.63	122.77	1.23	124.01	-7,413.62	-98.35
49	201.00	0.00	201.00	4.00	0.00	4.00	-197.00	-98.01
50	5.00	0.00	5.00	1,397.35	0.00	1,397.35	1,392.35	27844.15
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	1,203.64	0.00	1,203.64	0.84	0.00	0.84	-1,202.80	-99.93
53	28.18	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00	-28.18	-100.00
54	0.00	0.00	0.00	139.36	0.00	139.36	139.36	--
55	146.83	0.00	146.83	0.09	0.00	0.09	-146.74	-99.94
56	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	-100.00
57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CH-I	0.00	21,072.06	21,072.06	0.00	2,1635.73	21,635.73	563.67	2.67
CH-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**69,249.88**	**21,455.16**	**90,705.03**	**58,105.78**	**22,136.46**	**80,242.23**		

परिशिष्ट 3.5
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक
(संदर्भः कंडिका 3.3.3; पृष्ठ 80)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल + अनु.+ पुनर्वि.)	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 11–वेतन				
1	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	1.22	0.63
2	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	26.52	24.63
3	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.94	0.94
4	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	92.03	93.05
5	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5.49	5.56
6	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	52.93	53.40
		योग (उद्देश्य शीर्ष 11–वेतन)	**179.13**	**178.21**
उद्देश्य शीर्ष 12–मजदूरी				
7	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	902.30	889.49
8	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	22.86	10.01
9	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.46	0.46
10	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4.91	4.91
11	23	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.55	0.55
12	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	42.08	42.08
13	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	7.29	7.29
14	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21.62	21.62
		योग (उद्देश्य शीर्ष 12–मजदूरी)	**1,002.07**	**976.41**
उद्देश्य शीर्ष 13–पेंशन और पेंशन लाभ				
15	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.03	0.03
		योग (उद्देश्य शीर्ष 13–पेंशन और पेंशन लाभ)	**0.03**	**0.03**
उद्देश्य शीर्ष 16–वेतन भत्ते–अखिल भारतीय सेवाएं				
16	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	1.14	0.12
17	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.42	0.49
		योग (उद्देश्य शीर्ष 16–वेतन भत्ते–अखिल भारतीय सेवाएं)	**1.56**	**0.61**
उद्देश्य शीर्ष 19–भारित/आकस्मिक कार्य के कर्मचारी का वेतन				
18	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	38.32	28.74
19	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1.04	1.04
20	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2.09	2.09
21	23	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1.73	1.73
22	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	29.90	30.62
23	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1.73	1.78
24	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3.79	3.92
		योग (उद्देश्य शीर्ष 19–भारित/आकस्मिक कार्य के कर्मचारी का वेतन)	**78.60**	**69.92**
उद्देश्य शीर्ष 21–यात्रा भत्ता				
25	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.05
26	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.02	0.02
27	23	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01
28	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.55	0.55
29	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.04	0.04
30	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.27	0.27
		योग (उद्देश्य शीर्ष 21–यात्रा भत्ता)	**1.14**	**0.94**

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल + अनु.+ पुनर्वि.)	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 22–कार्यालय व्यय				
31	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	12.40	11.70
32	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.26	0.09
33	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01
34	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.31	0.31
35	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1.53	1.53
36	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.06	0.06
37	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.82	2.82
		योग (उद्देश्य शीर्ष 22–कार्यालय व्यय)	**17.39**	**16.52**
उद्देश्य शीर्ष 24–परीक्षण और प्रशिक्षण				
38	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	7.78	7.03
39	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.07	0.07
		योग (उद्देश्य शीर्ष 24–परीक्षण और प्रशिक्षण)	**7.85**	**7.10**
उद्देश्य शीर्ष 31 व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ				
40	6	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3.53	0.03
41	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	107.29	104.01
42	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	7.41	7.41
43	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.44	0.44
44	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	7.05	7.05
		योग (उद्देश्य शीर्ष 31–व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ)	**125.72**	**118.94**
उद्देश्य शीर्ष 33–अनुरक्षण कार्य				
45	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	0.05	0.01
46	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.22	0.22
47	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.13	0.13
		योग (उद्देश्य शीर्ष 33–अनुरक्षण कार्य)	**0.40**	**0.36**
उद्देश्य शीर्ष 35–विज्ञापन एवं प्रचार				
48	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	0.05	0.05
		योग (उद्देश्य शीर्ष 35–विज्ञापन एवं प्रचार)	**0.05**	**0.05**
उद्देश्य शीर्ष 42–सहायता अनुदान				
49	30	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	190.00	190.00
		योग (उद्देश्य शीर्ष 42–सहायता अनुदान)	**190.00**	**190.00**
उद्देश्य शीर्ष 43–अंशदान				
50	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.00	6.00
		योग (उद्देश्य शीर्ष 43–अंशदान)	**6.00**	**6.00**
उद्देश्य शीर्ष 44–राजसहायताएं				
51	24	5054-सड़कें और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	10.00	10.00
		योग (उद्देश्य शीर्ष 44–राजसहायताएं)	**10.00**	**10.00**
		महायोग	**1,619.94**	**1,575.09**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.6

राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक

(संदर्भः कंडिका 3.3.3; पृष्ठ 80)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल+ अनु.+ पुनर्वि.)	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 61–सर्वेक्षण, अन्वेषण, रूपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर व्यय				
1	9	2810-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2.13	0.66
2	25	2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0.30	0.18
योग (उद्देश्य शीर्ष 61–सर्वेक्षण, अन्वेषण, रूपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर व्यय)			**2.43**	**0.84**
उद्देश्य शीर्ष 63–मशीनरी				
3	22	2217-शहरी विकास	3.00	0.84
योग (उद्देश्य शीर्ष 63–मशीनरी)			**3.00**	**0.84**
उद्देश्य शीर्ष 65–निवेश				
4	35	2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2.00	2.00
योग (उद्देश्य शीर्ष 65–निवेश)			**2.00**	**2.00**
महायोग			**7.43**	**3.68**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.7
वास्तविक अनुपूरक आवश्यकता
(संदर्भ: कंडिका 3.3.4; पृष्ठ 81)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द./ पूंजी.द./ पूंजी.भा./ राज.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय/बचत	वास्तविक अनुपूरक आवश्यकता
1	CH-II	भारित विनियोग – ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राज.भा.	22,619.91	1,961.90	24,581.81	23,098.41	1,483.39	478.51
2	2	विमानन	राज.द.	65.96	35.00	100.96	87.97	12.99	22.01
3	7	वाणिज्यिक कर	राज.द.	2,197.26	264.71	2,461.97	2,263.46	198.51	66.20
4	10	वन	पूंजी.द.	1,519.97	98.27	1,618.24	1,587.86	30.38	67.89
5	12	ऊर्जा	राज.द.	9,894.52	3,949.57	13,844.09	13,657.42	186.67	3,762.90
6	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राज.द.	16,981.01	7,746.50	24,727.51	21,379.16	3,348.34	4,398.16
7	18	श्रम	राज.द.	944.19	316.25	1,260.44	953.44	307.00	9.25
8	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूंजी.द.	1,069.47	71.72	1,141.19	1,088.63	52.56	19.16
9	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी.द.	9,154.05	2,616.57	11,770.62	10,531.22	1,239.39	1,377.17
10	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूंजी.द.	2,585.30	860.00	3,445.30	3,347.97	97.33	762.67
11	23	जल संसाधन	पूंजी.द.	5,639.73	1,200.75	6,840.48	6,624.12	216.36	984.39
12	23	जल संसाधन	पूंजी.भा.	10.10	10.00	20.10	10.24	9.86	0.14
13	24	लोक निर्माण कार्य	पूंजी.द.	7,064.34	4,403.00	11,467.35	10,933.54	533.81	3,869.20
14	24	लोक निर्माण कार्य	पूंजी.भा.	45.00	400.00	445.00	422.54	22.46	377.54
15	25	खनिज संसाधन	राज.द.	268.88	40.00	308.88	291.95	16.93	23.07
16	25	खनिज संसाधन	पूंजी.द.	800.80	60.00	860.80	860.00	0.80	59.20
17	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राज.द.	296.26	57.75	354.01	315.48	38.53	19.22
18	32	जनसंपर्क	राज.द.	697.29	381.00	1,078.29	1,049.50	28.79	352.21
19	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राज.द.	3,887.00	755.00	4,642.00	4,531.33	110.67	644.33
20	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राज.द.	1,008.72	650.17	1,658.89	1,439.96	218.94	431.23
21	40	पंचायत	राज.द.	6,972.06	2,605.00	9,577.06	7,395.88	2,181.18	423.82
22	41	प्रवासी भारतीय	राज.द.	0.86	20.00	20.86	20.01	0.85	19.15
23	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	पूंजी.द.	85.00	25.00	110.00	85.96	24.04	0.96
24	48	नर्मदा घाटी विकास	राज.द.	234.91	62.50	297.41	287.75	9.66	52.84
25	48	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी.द.	3,630.92	4,802.00	8,432.92	8,197.30	235.63	4,566.37

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द./ पूंजी.द./ पूंजी.भा./ राज.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय/बचत	वास्तविक अनुपूरक आवश्यकता
26	52	चिकित्सा शिक्षा	राज.द.	1,934.62	333.06	2,267.68	2,077.31	190.36	142.70
27	52	चिकित्सा शिक्षा	पूंजी.द.	1,233.64	362.50	1,596.14	1,397.35	198.80	163.70
28	55	महिला एवं बाल विकास	राज.द.	14,507.71	6,441.14	20,948.85	20,299.38	649.48	5,791.67
योग				**1,15,349.48**	**40,529.36**	**1,55,878.85**	**1,44,235.14**	**11,643.71**	**28,885.66**

स्रोतः विनियोग लेखे 2023–24

परिशिष्ट 3.8
अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान
(संदर्भ: कंडिका 3.3.4; पृष्ठ 81)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द./ पूंजी.द./ पूंजी.भा./ राज.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	वास्तविक व्यय	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान
1	Ch-II	भारित विनियोग – ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राज.भा.	22,619.91	1,961.90	23,098.41	1,483.39
2	1	सामान्य प्रशासन	राज.द.	871.02	27.22	706.92	27.22
3	1	सामान्य प्रशासन	राज.भा.	103.11	0.21	77.20	0.21
4	1	सामान्य प्रशासन	पूंजी.द.	49.55	8.59	25.79	8.59
5	2	विमानन	राज.द.	65.96	35.00	87.97	12.99
6	3	गृह	राज.द.	9,573.48	20.35	8,306.50	20.35
7	3	गृह	पूंजी.द.	674.70	24.00	611.76	24.00
8	5	जेल	राज.द.	555.67	0.02	500.04	0.02
9	6	वित्त	राज.द.	24,857.17	2.00	22,221.86	2.00
10	7	वाणिज्यिक कर	राज.द.	2,197.26	264.71	2,263.46	198.51
11	7	वाणिज्यिक कर	पूंजी.द.	16.00	19.00	5.03	19.00
12	10	वन	राज.द.	2,386.51	35.41	1,956.80	35.41
13	10	वन	पूंजी.द.	1,519.97	98.27	1,587.86	30.38
14	12	ऊर्जा	राज.द.	9,894.52	3,949.57	13,657.42	186.67
15	12	ऊर्जा	पूंजी.द.	8,348.44	13,365.00	1,230.98	13,365.00
16	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राज.द.	16,981.01	7,746.50	21,379.16	3,348.34
17	14	पशुपालन और डेयरी	राज.द.	1,478.17	86.16	1,116.60	86.16
18	14	पशुपालन और डेयरी	पूंजी.द.	13.83	5.00	5.83	5.00
19	17	सहकारिता	पूंजी.द.	1,500.50	500.00	1,500.05	500.00
20	18	श्रम	राज.द.	944.19	316.25	953.44	307.00
21	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज.द.	10,918.26	1,343.56	10,803.68	1,343.56
22	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूंजी.द.	1,069.47	71.72	1,088.63	52.56
23	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राज.द.	1,035.54	40.00	873.74	40.00
24	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी.द.	9,154.05	2,616.57	10,531.22	1,239.39
25	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज.द.	11,010.24	10.00	9,089.41	10.00
26	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूंजी.द.	2,585.30	860.00	3,347.97	97.33
27	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूंजी.भा.	145.00	140.00	45.00	140.00
28	23	जल संसाधन	राज.द.	1,531.92	50.00	1,209.84	50.00
29	23	जल संसाधन	पूंजी.द.	5,639.73	1,200.75	6,624.12	216.36
30	23	जल संसाधन	पूंजी.भा.	10.10	10.00	10.24	9.86
31	24	लोक निर्माण कार्य	राज.द.	2,287.59	306.00	2,229.50	306.00
32	24	लोक निर्माण कार्य	पूंजी.द.	7,064.34	4,403.00	10,933.54	533.81
33	24	लोक निर्माण कार्य	पूंजी.भा.	45.00	400.00	422.54	22.46
34	25	खनिज संसाधन	राज.द.	268.88	40.00	291.95	16.93
35	25	खनिज संसाधन	पूंजी.द.	800.80	60.00	860.00	0.80
36	27	स्कूल शिक्षा	राज.द.	28,603.07	350.00	26,859.84	350.00

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द./ पूंजी.द./ पूंजी.भा./ राज.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	वास्तविक व्यय	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान
37	29	विधि और विधायी कार्य	राज.द.	2,619.33	0.55	2,154.69	0.55
38	30	ग्रामीण विकास	राज.द.	14,943.24	592.00	9,535.09	592.00
39	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राज.द.	296.26	57.75	315.48	38.53
40	32	जनसंपर्क	राज.द.	697.29	381.00	1,049.50	28.79
41	33	जनजातीय कार्य	पूंजी.द.	1,713.85	36.49	1,476.23	36.49
42	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राज.द.	3,887.00	755.00	4,531.33	110.67
43	37	पर्यटन	राज.द.	117.96	0.39	74.40	0.39
44	38	आयुष	राज.द.	721.94	5.00	624.42	5.00
45	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राज.द.	1,008.72	650.17	1,439.96	218.94
46	40	पंचायत	राज.द.	6,972.06	2,605.00	7,395.88	2,181.18
47	41	प्रवासी भारतीय	राज.द.	0.86	20.00	20.01	0.85
48	43	खेल और युवा कल्याण	राज.द.	196.92	20.00	182.39	20.00
49	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	पूंजी.द.	85.00	25.00	85.96	24.04
50	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राज.द.	180.52	6.00	159.69	6.00
51	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	पूंजी.द.	734.84	2.79	507.13	2.79
52	48	नर्मदा घाटी विकास	राज.द.	234.91	62.50	287.75	9.66
53	48	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी.द.	3,630.92	4,802.00	8,197.30	235.63
54	49	अनुसूचित जाति कल्याण	पूंजी.द.	228.00	8.00	122.77	8.00
55	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज.द.	484.43	7.69	313.30	7.69
56	52	चिकित्सा शिक्षा	राज.द.	1,934.62	333.06	2,077.31	190.36
57	52	चिकित्सा शिक्षा	पूंजी.द.	1,233.64	362.50	1,397.35	198.80
58	54	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राज.द.	1,284.08	250.00	1,187.87	250.00
59	55	महिला एवं बाल विकास	राज.द.	14,507.71	6,441.14	20,299.38	649.48
60	55	महिला एवं बाल विकास	पूंजी.द.	178.67	193.13	139.36	193.13
योग				**2,44,713.03**	**57,983.92**	**2,50,088.85**	**29,098.27**

स्रोतः विनियोग लेखे 2023–24

परिशिष्ट 3.9
निधियों का पुनर्विनियोजन
(संदर्भः कंडिका 3.3.5; पृष्ठ 82)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य (+)
1	CH-I	भारित विनियोग – लोक ऋण	6003-111.6835-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	(मू.) 4,200.00 (पुनर्वि.) 300.00	4,500.00	4,753.91	(+) 253.91
2	CH-II	भारित विनियोग – ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01.101.1185-7.40 प्रतिशत मध्यप्रदेश गवर्नमेंट स्टॉक 2034	(अनु.) टोकन (पुनर्वि.) 296.00	296.00	188.25	(-) 107.75
3			2049-01.101.1365-7.46 प्रतिशत मध्यप्रदेश गवर्नमेंट स्टॉक 2039	(अनु.) टोकन (पुनर्वि.) 111.90	111.90	0.00	(-) 111.90
4			2049-01.101.1367-7.46 प्रतिशत मध्यप्रदेश गवर्नमेंट स्टॉक 2038	(अनु.) टोकन (पुनर्वि.) 149.20	149.20	0.00	(-) 149.20
5			2049-01.101.1368-7.44 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2035	(अनु.) टोकन (पुनर्वि.) 37.20	37.20	0.00	(-) 37.20
6			2049-01.101.1371-7.48 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2029	(अनु.) टोकन (पुनर्वि.) 149.60	149.60	0.00	(-) 149.60
7			2049-01.101.1372-7.45 प्रतिशत मध्यप्रदेश गवर्नमेंट स्टॉक 2044	(अनु.) टोकन (पुनर्वि.) 149.00	149.00	0.00	(-) 149.00
8			2049-01.101.1374-7.46 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य गवर्नमेंट स्टॉक 2038	(अनु.) टोकन (पुनर्वि.) 74.60	74.60	0.00	(-) 74.60
9			2049-01.101.1176-7.62 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य गवर्नमेंट स्टॉक 2034	(अनु.) टोकन (पुनर्वि.) 228.60	228.60	124.50	(-) 104.10
10	10	वन	2406-01.101.0101.0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृतों की स्थापना	(मू.) 1,207.46 (अनु.) 0.61 (पुनर्वि.) 1.00	1,209.07	969.28	(-) 239.79
11	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01.102.0707.5468-जल जीवन मिशन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	(मू.) 20.00 (पुनर्वि.) 3.50	23.50	21.75	(-) 1.75
12			4215-01.102.0101.2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	(मू.) 30.50 (पुनर्वि.) 10.00	40.50	38.56	(-) 1.94
13			4215-01.102.0101.6032-भू–जल संवर्धन कार्यक्रम	(मू.) 8.00 (पुनर्वि.) 10.00	18.00	17.76	(-) 0.24
14			4215-01.102.0102.4379-समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना	(मू.) 50.25 (पुनर्वि.) 25.00	75.25	74.60	(-) 0.65

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू: मूल अनु: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य (+)
15	23	जल संसाधन	4700-60.800.0101.2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(मू.) 6.00 (अनु.) 40.00 (पुनर्वि.) 5.93	51.93	54.55	(+) 2.62
16			4701-E1.800.0101.2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(मू.) 0.00 (R) 28.95	28.95	9.55	(-) 19.40
17	24	लोक निर्माण कार्य	2217-01.001.0101.1872-प्रकाश तरण पुष्कर की स्थापना एवं अनुरक्षण	(मू.) 2.90 (अनु.) टोकन (पुनर्वि.) 0.15	3.05	1.68	(-) 1.37
18			3054-01.337.0101.0134-अनुरक्षण और मरम्मत – साधारण मरम्मत	(मू.) 3.42 (पुनर्वि.) 23.00	26.42	1.24	(-) 25.18
19			3054-04.337.0102.0134-अनुरक्षण और मरम्मत – साधारण मरम्मत	(मू.) 102.76 (पुनर्वि.) 8.00	110.76	35.04	(-) 75.72
20			2059-01.053.6720-कार्यालय भवनों का रखरखाव व अनुरक्षण	(मू.) 12.00 (अनु.) 0.50 (पुनर्वि.) 8.27	20.77	20.73	(-) 0.04
21			2216-05.053.0183-एफ टाईप से उच्च श्रेणी के शासकीय आवास एवं गैर आवासीय भवनों का अनुरक्षण	(मू.) 40.00 (पुनर्वि.) 35.00	75.00	74.91	(-) 0.09
22			3054-03.337.0103.0134-अनुरक्षण और मरम्मत – साधारण मरम्मत	(मू.) 0.00 (पुनर्वि.) 17.00	17.00	16.25	(-) 0.75
23			5054-03.337.1901.6841-म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण	(मू.) 35.75 (अनु.) 250.00 (पुनर्वि.) 150.00	435.75	135.75	(-) 300.00
24			5054-04.337.0103.9892-नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	(मू.) 200.00 (पुनर्वि.) 50.00	250.00	41.59	(-) 208.41
25	27	स्कूल शिक्षा	2202-01.101.0702.5330-समग्र शिक्षा अभियान	(मू.) 320.43 (अनु.) 21.00 (पुनर्वि.) 175.21	516.64	500.94	(-) 15.70
26	29	विधि और विधायी कार्य	2015-108.9503-मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करना	(मू.) 16.37 (पुनर्वि.) 18.63	35.00	34.92	(-) 0.08
27	30	ग्रामीण विकास	4515-800.0420.6084-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना	(मू.) 100.00 (पुनर्वि.) 263.18	363.18	0.00	(-) 363.18
28	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	2408-01.001.1471-जिला कार्यालय	(मू.) 64.71 (पुनर्वि.) 1.50	66.21	43.57	(-) 22.64
29			2408-01.102.0101.9954-मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना	(मू.) 0.00 (पुनर्वि.) 7.89	7.89	7.85	(-) 0.04

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू: मूल अनु: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य (+)
30			2408-01.102.0102.9954-मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना	(मू.) 0.00 (पुनर्वि.) 1.95	1.95	1.43	(-) 0.52
31			2408-01.102.0103.9954-मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना	(मू.) 0.00 (पुनर्वि.) 1.40	1.40	1.19	(-) 0.21
32	40	पंचायत	2515-101.0101.2467-पंचायत संचालनालय	(मू.) 7.95 (पुनर्वि.) 10.00	17.95	15.84	(-) 2.11
33			2853-02.198.0101.6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	(मू.) 538.02 (पुनर्वि.) 150.00	688.02	622.89	(-) 65.13
34	43	खेल और युवा कल्याण	2204-800.0102.8840-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	(मू.) 9.59 (पुनर्वि.) 2.34	11.93	11.92	(-) 0.01
35			2204-800.0103.8840-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	(मू.) 6.61 (पुनर्वि.) 1.24	7.85	7.84	(-) 0.01
36	44	उच्च शिक्षा	2202-03.104.0101.7043-अतिथि विद्वानों को मानदेय	(मू.) 75.00 (पुनर्वि.) 49.90	124.90	124.77	(-) 0.13
37			2202-03.104.0102.7043-अतिथि विद्वानों को मानदेय	(मू.) 32.78 (पुनर्वि.) 15.95	48.73	48.60	(-) 0.13
38	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	4059-80.051.0101.9848-लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना	(मू.) 50.00 (अनु.) 25.00 (पुनर्वि.) 3.96	78.96	78.74	(-) 0.22
39	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80.800.1401.9838-आई.एस.पी. कालीसिंध उद्वहन माइक्रों सिंचाई योजना फेस–2	(मू.) 222.00 (पुनर्वि.) 623.00	845.00	940.00	(+) 95.00
40	52	चिकित्सा शिक्षा	4210-03.105.0101.1103-रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय (राज्य सहायता)	(मू.) 18.99 (पुनर्वि.) 19.70	38.69	32.96	(-) 5.73
41			4210-03.105.0102.9077-नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण (राज्य सहायता)	(मू.) 11.97 (पुनर्वि.) 80.19	92.16	92.06	(-) 0.10
42	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02.102.0707.0658-आंगनवाडी सेवाएं (सक्षम आंगनवाडी और पोषण 2.0)	(मू.) 640.13 (अनु.) 143.35 (पुनर्वि.) 719.43	1,502.91	1,579.34	(+) 76.43
43			2235-02.103.0101.1130-मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023	(मू.) 4,611.72 (अनु.) 4,448.00 (पुनर्वि.) 1,505.64	10,565.36	10,566.36	(+) 1.00
योग					**23,096.78**	**21,291.12**	**(-) 2,234.62** **(+) 428.96**

स्रोतः विनियोग लेखे 2023-24

परिशिष्ट 3.10
सारभूत समर्पण 50 प्रतिशत एवं अधिक
(संदर्भः कंडिका 3.3.6.1; पृष्ठ 84)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
1	1	सामान्य प्रशासन	2013-102.1922-पूर्व मुख्यमंत्रियों को विवेकानुदान	(मूल) 1.69	1.16	68.64
2			2015-101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 0.50	0.36	72.00
3			2070-800.6910-राज्य सूचना आयोग की स्थापना	(मूल) 12.50	6.54	52.32
4			2070-800.9608-गुणवत्ता आश्वासन परिषद	(मूल) 15.00	11.25	75.00
5			2250-800.5669-मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार	(मूल) 2.00	2.00	100.00
6			2015-101.6757-स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	(मूल) 0.10	0.10	100.00
7			4059-01.051.0101.1341-मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली का पुर्ननिर्माण	(मूल) 15.00	7.71	51.40
8			4059-01.051.0101.3689-राज्य लोक सेवा आयोग	(मूल) 4.50	4.50	100.00
9			4059-01.051.6925-नई दिल्ली में प्रस्तावित मध्यांचल भवन का निर्माण	(मूल) 14.60	14.60	100.00
10	3	गृह	2055-001.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 75.00	41.88	55.84
11			2055-101.0101.6329-नवीन भर्ती प्रक्रिया पर व्यय	(मूल) 0.70	0.70	100.00
12			2055-109.0703.5172-अनुसूचित जाति/जनजाति के पुलिस थानों की स्थापना	(मूल) 37.02	36.75	99.27
13			2055-109.0706.5172-अनुसूचित जाति/जनजाति के पुलिस थानों की स्थापना	(मूल) 37.02	37.02	100.00
14			2055-109.0707.5172-अनुसूचित जाति/जनजाति के पुलिस थानों की स्थापना	(मूल) 67.36	50.49	74.96
15			2055-111.0101.9259-पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेल पुलिस–पश्चिम संभाग)	(मूल) 2.00	2.00	100.00
16			2055-115.0701.2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	(मूल) 5.25	4.53	86.29
17			2055-115.0704.2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	(मूल) 3.50	3.02	86.29
18			2055-800.6329-नवीन भर्ती प्रक्रिया पर व्यय	(मूल) 10.05	7.98	79.40
19			2055-800.8333-सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	(मूल) 20.00	19.87	99.35
20			2070-114.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 1.00	0.93	93.00

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
21			2216-05.053.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 30.00	16.83	56.10
22			4055-207.0701.2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	(मूल) 9.00	6.02	66.89
23			4055-207.0704.2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	(मूल) 6.00	4.31	71.83
24			4055-207.8333-सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	(मूल) 20.00	20.00	100.00
25			4055-800.0101.7346-केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	(मूल) 35.00	25.86	73.89
26			4055-800.0703.5172-अनुसूचित जाति/जनजाति के पुलिस थानों की स्थापना	(मूल) 2.91	2.91	100.00
27			4055-800.0706.5172-अनुसूचित जाति/जनजाति के पुलिस थानों की स्थापना	(मूल) 2.91	2.91	100.00
28	6	वित्त	2052-091.0101.5652-म.प्र. परियोजना विकास कोष योजना	(मूल) 0.75	0.60	80.00
29			2052-091.6357-पी.पी.पी. प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण	(मूल) 5.30	4.24	80.00
30	7	वाणिज्यिक कर	4059-01.051.0101.1267-वाणिज्यिक कर कार्यालय भवनों का निर्माण	(मूल) 15.00	9.97	66.47
31			4059-01.051.0101.7382-जिला/उप पंजीयक कार्यालय–भवन निर्माण/विस्तार	(मूल) 1.00 (अनु.) 14.00 15.00	15.00	100.00
32	8	भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	2029-103.0101.5070-कम्प्यूटरों का उन्नयन एवं नवीन तकनीकी उपकरण	(मूल) 35.00	33.73	96.37
33			2029-103.0101.7167-एस.एल.टी.आई. एवं प्रशिक्षण शालाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	(मूल) 1.05	1.05	100.00
34			2245-01.101.6422-सूखा से संबंधित फसल क्षति एवं अन्य कार्यों हेतु सहायता	(मूल) 7.00	7.00	100.00
35			2245-02.101.2018-बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत	(मूल) 600.00	333.48	55.58
36			2245-02.122.0989-क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों की मरम्मत और उसकी पुनः स्थापना	(मूल) 50.00	50.00	100.00
37			2245-80.102.6276-आपदा प्रबंधन योजना	(मूल) 1,131.21	736.22	65.08

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
38			2245-80.102.6374-आपदा प्रबंधन का प्रचार प्रसार	(मूल) 1.00	1.00	100.00
39			2245-80.102.7667-15 वे वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण	(मूल) 267.51	261.55	97.77
40			2245-80.102.7767-महामारी/रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (CBRN) आपदाओं की रोकथाम हेतु किये जाने वाले कार्यों पर व्यय	(मूल) 80.00	80.00	100.00
41			2245-80.800.7021-पाला से क्षति पर राहत सहायता	(मूल) 5.78	5.62	97.40
42			2245-80.800.7249-कीट प्रकोप से फसल क्षति	(मूल) 10.18	10.06	98.82
43			2245-80.800.8030-पुनः स्थापना और अन्य कार्य हेतु सहायता	(मूल) 6.00	5.97	99.50
44			4058-103.0101.3427-मशीनों और उपकरण छपाई की मशीनों की खरीद	(मूल) 6.00	4.98	83.00
45			4070-800.6846-भू–प्रबंधन	(मूल) 10.00	10.00	100.00
46	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-102.0101.9899-ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना	(मूल) 217.00	217.00	100.00
47			2401-102.0102.9899-ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना	(मूल) 77.00	77.00	100.00
48			2401-102.0103.9899-ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना	(मूल) 56.00	56.00	100.00
49			2401-102.0702.7717-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	(मूल) 1.99	1.99	100.00
50			2401-105.0702.1227-परंपरागत कृषि विकास योजना	(मूल) 2.86	2.84	99.30
51			2401-105.0704.1227-परंपरागत कृषि विकास योजना	(मूल) 4.27	4.23	99.06
52			2401-109.0101.9530-प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन हेतु प्रचार–प्रसार योजना	(मूल) 18.60	18.60	100.00
53			2401-109.0101.9531-एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	(मूल) 3.10	3.10	100.00
54			2401-109.0101.9538-निर्यात प्रोत्साहन योजना	(मूल) 6.82	6.82	100.00
55			2401-109.0101.9901-राज्य कृषि वानिकी योजना	(मूल) 10.00	10.00	100.00

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
56			2401-109.0102.9530-प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन हेतु प्रचार–प्रसार योजना	(मूल) 5.10	5.10	100.00
57			2401-109.0103.9530-प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन हेतु प्रचार–प्रसार योजना	(मूल) 6.30	6.30	100.00
58			2401-109.0103.9531-एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	(मूल) 1.05	1.05	100.00
59			2401-109.0103.9538-निर्यात प्रोत्साहन योजना	(मूल) 2.31	2.31	100.00
60			2401-109.0701.7494-सब मिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	(मूल) 31.85	28.18	88.48
61			2401-109.0701.9920-नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग	(मूल) 7.32	7.32	100.00
62			2401-109.0702.7493-नेशनल ई गर्वनेंस प्लान	(मूल) 0.36 (अनु.) 0.66 1.02	1.02	100.00
63			2401-109.0702.9920-नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग	(मूल) 2.76	2.76	100.00
64			2401-113.0101.9598-प्राथिमक प्रसंस्करण को प्रोत्साहन योजना	(मूल) 12.20	12.20	100.00
65			2401-113.0701.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	(मूल) 27.00	27.00	100.00
66			2401-113.0704.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	(मूल) 18.00	18.00	100.00
67			2401-113.0706.7501-फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी	(मूल) 1.28	1.28	100.00
68			2408-01.102.7847-मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना	(मूल) 1,000.00	799.90	79.99
69			2401-001.0119-अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)	(मूल) 0.35	0.34	97.14
70			4401-800.0101.9576-कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना विकास	(मूल) 9.15	9.15	100.00
71			4401-800.0102.9576-कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना विकास	(मूल) 3.45	3.45	100.00
72			4401-800.0103.9576-कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना विकास	(मूल) 2.40	2.40	100.00
73	14	पशुपालन एवं डेयरी	2403-001.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 11.61	6.66	57.36

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
74			2403-001.0102.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 4.73	3.19	67.44
75			2403-001.0103.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 3.66	2.97	81.15
76			2403-001.0702.7595-राष्ट्रीय पशुधन मिशन	(मूल) 2.71	2.41	88.93
77			2403-001.0705.7595-राष्ट्रीय पशुधन मिशन	(मूल) 1.80	1.60	88.89
78			2403-101.0101.1443-मुख्यमंत्री सहकारिता दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना	(अनु.) 6.20	6.20	100.00
79			2403-101.0101.9612-मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना	(मूल) 91.50 (अनु.) 31.00 122.50	73.51	60.01
80			2403-101.0102.1443-मुख्यमंत्री सहकारिता दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना	(अनु.) 2.20	2.20	100.00
81			2403-101.0102.9612-मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना	(मूल) 34.50 (अनु.) 11.00 45.50	33.33	73.25
82			2403-101.0103.1443-मुख्यमंत्री सहकारिता दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना	(अनु.) 1.60	1.60	100.00
83			2403-101.0103.9612-मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना	(मूल) 24.00 (अनु.) 8.00 32.00	27.02	84.44
84			2403-101.0701.0752-पी.पी. आर. रोग नियंत्रण	(मूल) 0.67	0.67	100.00
85			2403-101.0702.0752-पी.पी. आर. रोग नियंत्रण	(मूल) 0.58	0.58	100.00
86			2403-101.0704.0752-पी.पी. आर. रोग नियंत्रण	(मूल) 0.68	0.68	100.00
87			2403-101.0706.1458-महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम	(मूल) 2.11	1.19	56.40
88			2403-107.0701.7595-राष्ट्रीय पशुधन मिशन	(मूल) 11.60	8.80	75.86
89			2403-107.0704.7595 राष्ट्रीय पशुधन मिशन	(मूल) 7.73	5.86	75.81
90			2403-001.4297-संचालनालय स्तर	(मूल) 0.14	0.12	85.71
91			4403-102.0101.7153-गौ संर्वधन एवं पशुओं का संवर्धन	(अनु.) 3.10	3.10	100.00
92			4403-102.0102.7153-गौ संर्वधन एवं पशुओं का संवर्धन	(अनु.) 1.10	1.10	100.00
93			4403-800.0101.7482-गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र	(मूल) 5.05	3.72	73.66

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
94	17	सहकारिता	2425-001.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 0.92	0.73	79.35
95			4425-107.0101.6684-नवीन सहकारी संस्थाओं को अंशपूंजी सहायता	(मूल) 0.50	0.45	90.00
96	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215-01.101.0102.0545-प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	(मूल) 5.29	4.19	79.21
97	23	जल संसाधन	4701-80.001.0101.2304-निदेशन और प्रशासन	(मूल) 7.00	7.00	100.00
98	26	संस्कृति	2205-102.0101.6042-रविन्द्र भवन का स्थापना व्यय	(मूल) 6.00	3.48	58.00
99			2205-102.0101.6368-अशासकीय संस्थाओं को पोषण अनुदान	(मूल) 2.00	1.52	76.00
100			2205-102.0101.9904-हिन्दी भवन निर्माण हेतु सहायता	(मूल) 5.00	3.00	60.00
101			2205-800.9571-रामपथ गमन अंचल विकास योजना	(मूल) 9.00	9.00	100.00
102			4202-04.106.0101.1123-संग्रहालयों का उन्नयन एवं विकास कार्य	(मूल) 5.00	5.00	100.00
103			4202-04.800.0101.5685-राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय	(मूल) 5.00	2.60	52.00
104			4202-04.800.9571-रामपथ गमन अंचल विकास योजना	(मूल) 14.00	14.00	100.00
105	27	स्कूल शिक्षा	2202-01.001.0102.9560-कलाओं से समृद्ध शिक्षा–अनुगूंज	(मूल) 1.77	1.77	100.00
106			2202-01.001.0103.9560-कलाओं से समृद्ध शिक्षा–अनुगूंज	(मूल) 1.23	1.23	100.00
107			2202-01.101.0101.0729-स्काउट गाईड गतिविधियां	(मूल) 1.00	1.00	100.00
108			2202-01.101.0101.7661-विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये प्रखर योजना	(मूल) 2.44	2.44	100.00
109			2202-01.101.0102.4396-सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	(मूल) 109.39	55.03	50.31
110			2202-01.102.0701.6344-मदरसों में गुणवत्तापरख शिक्षा एवं अधोसंरचनात्मक विकास	(मूल) 14.66	14.66	100.00
111			2202-01.102.0704.6344-मदरसों में गुणवत्तापरख शिक्षा एवं अधोसंरचनात्मक विकास	(मूल) 9.77	9.77	100.00
112			2202-02.101.0702.1121-पी.एम.श्री	(मूल) 8.80	8.80	100.00
113			2202-02.101.0703.1121-पी.एम.श्री	(मूल) 6.12	6.12	100.00

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
114			2202-02.101.0705.1121-पी.एम.श्री	(मूल) 5.87	5.87	100.00
115			2202-02.109.0101.7912-शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण	(मूल) 96.38	74.58	77.38
116			2202-02.109.0102.7912-शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण	(मूल) 36.34	27.96	76.94
117			2202-02.109.0102.7912-शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण	(मूल) 25.28	18.90	74.76
118			2202-03.103.0703.1121-पी.एम.श्री	(मूल) 4.26	4.26	100.00
119			2202-03.103.0705.1121-पी.एम.श्री	(मूल) 4.08	4.08	100.00
120			2202-03.103.0706.1121-पी.एम.श्री	(मूल) 2.84	2.84	100.00
121			2202-80.107.0101.7127-बेटी बचाओं योजना के अंतर्गत बालिकाओं को छात्रवृत्ति	(मूल) 1.00	1.00	100.00
122			4202-01.202.0101.6970-शासकीय स्कूल/छात्रावास/पुस्तकालय/आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार	(मूल) 76.78	61.66	80.31
123			4202-01.202.0102.6970-शासकीय स्कूल/छात्रावास/पुस्तकालय/आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार	(मूल) 28.95	23.16	80.00
124			4202-01.202.1901.6970-शासकीय स्कूल/छात्रावास/पुस्तकालय/आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार	(मूल) 76.78	49.48	64.44
125			4202-01.202.1902.6970-शासकीय स्कूल/छात्रावास/पुस्तकालय/आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार	(मूल) 28.95	22.37	77.27
126	28	राज्य विधान मण्डल	2011-02.103.8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	(मूल) 1.40	0.84	60.00
127	29	विधि और विधायी कार्य	2014-102.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 16.00	13.30	83.13

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
128			2014-102.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 4.00	2.25	56.25
129			2014-103.0701.9634-पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना	(मूल) 37.76	21.98	58.21
130			2014-103.0704.9634-पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना	(मूल) 25.17	14.66	58.24
131			2216-05.053.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 4.00	2.82	70.50
132			2225-01.800.0703.5171-विशेष न्यायालयो की स्थापना	(मूल) 31.06	30.62	98.58
133			2225-01.800.0706.5171-विशेष न्यायालयो की स्थापना	(मूल) 30.92	25.88	83.70
134			2225-01.800.0707.5171-विशेष न्यायालयो की स्थापना	(मूल) 58.01	36.27	62.52
135			2015-106.4006-राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार	(मूल) 0.20	0.20	100.00
136			2216-05.053.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 4.00	2.69	67.25
137			4059-01.051.0101.1489-ए.डी.आर. सेंटर्स का निर्माण	(मूल) 7.50	5.70	76.00
138			4059-01.051.0101.9073-महाधिवक्ता कार्यालय का भवन निर्माण एवं उन्नयन	(मूल) 1.00	1.00	100.00
139			4059-01.051.0101.9074-उच्च न्यायालय का भवन एवं आवासीय परिसर का निर्माण	(मूल) 10.00	5.98	59.80
140	30	ग्रामीण विकास	2215-02.001.0101.5565-राज्य जल स्वच्छता मिशन	(मूल) 1.24	1.24	100.00
141			2215-02.001.0102.5565-राज्य जल स्वच्छता मिशन	(मूल) 0.43	0.43	100.00
142			2216-03.198.0101.1134-मुख्यमंत्री जन आवास योजना	(मूल) 61.00	61.00	100.00
143			2216-03.198.0101.9610-मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना	(मूल) 3.05	3.05	100.00
144			2216-03.198.0102.1134-मुख्यमंत्री जन आवास योजना	(मूल) 23.00	23.00	100.00
145			2216-03.198.0102.9610-मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना	(मूल) 1.15	1.15	100.00

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
146			2216-03.198.0103.1134-मुख्यमंत्री जन आवास योजना	(मूल) 16.00	16.00	100.00
147			2216-03.198.0103.9610-मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना	(मूल) 0.80	0.80	100.00
148			2216-03.198.0701.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	(मूल) 2,430.00	1,473.67	60.64
149			2216-03.198.0702.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	(मूल) 1,174.80	721.43	61.41
150			2216-03.198.0703.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	(मूल) 1,195.20	743.74	62.23
151			2216-03.198.0704.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	(मूल) 1,620.00	970.02	59.88
152			2216-03.198.0705.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	(मूल) 783.20	476.26	60.81
153			2216-03.198.0706.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	(मूल) 796.80	492.56	61.82
154			2505-01.198.0801.9566-सामाजिक संपरीक्षा योजना	(अनु.) 48.00	29.45	61.35
155			2515-001.0102.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 1.35	0.79	58.52
156			2515-800.0102.1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	(मूल) 22.43	12.85	57.29
157	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101.0101.7613-प्रदेश में क्रियान्वित परियोजनाओं की मानिटरिंग, सलाहकार सेवायें, नवाचार, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	(मूल) 7.52	3.87	51.46
158	33	जनजातीय कार्य	2225-01.001.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 143.94	133.63	92.84
159			2225-01.001.0102.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 5.00	5.00	100.00
160			2225-01.800.0102.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 1.00	0.99	99.00
161			2225-02.102.0102.2321-नेतृत्व विकास एवं भारत दर्शन	(मूल) 1.12	1.12	100.00
162			2225-02.102.0102.4719-अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के लिए सहायता योजना	(मूल) 0.50	0.48	96.00
163			2225-02.102.0102.8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	(मूल) 5.10	3.19	62.55
164			2225-02.102.0802.6500-विशेष पिछडी जनजातियो का विकास	(मूल) 100.00	100.00	100.00
165			2225-02.190.0102.7660-कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन	(मूल) 0.50	0.50	100.00

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
166			2225-02.190.0102.9855-वन्य प्रकाशन	(मूल) 5.50	3.03	55.09
167			2225-02.277.0102.0978-क्रीड़ा परिसर	(मूल) 25.00	12.54	50.16
168			2225-02.277.0102.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 3.03	3.03	100.00
169			2225-02.277.0102.9846-स्काउट गाईड	(मूल) 0.65	0.49	75.38
170			2225-02.277.0422.9516-सी. एम. राइज	(मूल) 11.69	6.82	58.34
171			2225-02.277.0702.6175-छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वी	(मूल) 93.75	93.75	100.00
172			2225-02.277.0705.6175-छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वी	(मूल) 31.25	31.25	100.00
173			2225-02.277.1702.9516-सी. एम. राइज	(मूल) 12.12	8.56	70.63
174			2225-02.277.1702.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 3.03	3.03	100.00
175			2225-02.800.0602.5211-आई.टी.डी.पी./माडा पॉकेट /क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	(मूल) 79.00	78.00	98.73
176			4225-02.277.0102.6502-महाविद्यालयीन छात्रावास	(मूल) 10.00	5.51	55.10
177			4225-02.800.0102.3728-अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संवर्द्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	(अनु.) 2.50	2.50	100.00
178			4225-02.800.0602.5211-आई.टी.डी.पी./माडा पॉकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	(मूल) 180.00	97.90	54.39
179			4225-02.800.0802.3728-अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संवर्द्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	(मूल) 9.00	7.57	84.11
180	36	परिवहन	2041-001.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 0.50	0.50	100.00
181			2041-001.3561-मुख्यालय स्थापना	(मूल) 27.56	19.79	71.81
182			3055-004.9845-ग्रामीण परिवहन नीति का क्रियान्वयन	(मूल) 2.00	2.00	100.00
183			2041-101.4280-जिला स्थापना	(मूल) 0.25	0.17	68.00
184			4059-80.201.0101.7311-कार्यालय भवनों का निर्माण	(मूल) 10.00	7.22	72.20
185	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	4210-01.110.0101.0775-स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	(मूल) 10.00	8.11	81.10

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
186	43	खेल और युवा कल्याण	4202-01.800.0101.7265-ओलंपिक 2024	(मूल) 1.92	1.22	63.54
187			4202-03.003.0101.7662-खेलों इंडिया एम.पी.	(मूल) 203.13	130.00	64.00
188			4202-03.003.0102.7662-खेलों इंडिया एम.पी.	(मूल) 76.59	39.68	51.81
189			4202-03.003.0103.7662-खेलों इंडिया एम.पी.	(मूल) 53.28	53.06	99.59
190	44	उच्च शिक्षा	2202-03.103.0101.5765-प्रयोगशाला का उन्नयन	(मूल) 12.20	12.20	100.00
191			2202-03.103.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 13.50	11.00	81.48
192			2202-03.103.0101.9574-शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था	(मूल) 1.90	1.90	100.00
193			2202-03.103.0102.6916-गांव की बेटी योजना	(मूल) 20.00	13.10	65.50
194			2202-03.103.0102.9574-शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था	(मूल) 1.80	1.80	100.00
195			2202-03.103.0103.5765-प्रयोगशाला का उन्नयन	(मूल) 3.20	3.20	100.00
196			2202-03.103.0103.9574-शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था	(मूल) 1.30	1.30	100.00
197			2202-03.104.0102.3444-अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	(मूल) 50.00	46.29	92.58
198			2202-03.103.0101.0798-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	(मूल) 0.35	0.35	100.00
199			4202-01.203.0101.6938-अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय भोपाल को ब्लाक ग्रांट	(मूल) 4.47	4.47	100.00
200			4202-01.203.0701.7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	(मूल) 37.53	26.33	70.16
201			4202-01.203.0704.7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	(मूल) 20.94	13.47	64.33
202			4202-01.203.0705.7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	(मूल) 8.65	6.20	71.68
203			4202-01.203.1202.7464-म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	(मूल) 76.82	49.01	63.80
204			4202-01.203.1203.7464-म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	(मूल) 53.44	37.63	70.42

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
205	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425-60.004.0101.1090-क्लाउड सेवाओं का प्रदाय व प्रबंधन	(मूल) 3.05	3.05	100.00
206			3425-60.004.0102.1090-क्लाउड सेवाओं का प्रदाय व प्रबंधन	(मूल) 1.15	1.15	100.00
207			3425-60.004.0103.1090-क्लाउड सेवाओं का प्रदाय व प्रबंधन	(मूल) 0.80	0.80	100.00
208			5425-600.0101.7615-प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मेन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना	(मूल) 12.20	12.20	100.00
209			5425-600.0102.7615-प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मेन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना	(मूल) 4.60	4.60	100.00
210			5425-600.0103.7615-प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मेन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना	(मूल) 3.20	3.20	100.00
211	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2203-112.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 6.05	4.27	70.58
212			2203-112.0102.5400-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदण्ड के अनुसार कमियों की पूर्ति	(मूल) 1.15	1.13	98.26
213			2203-112.0102.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 1.80	1.21	67.22
214			2203-112.0103.5400-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदण्ड के अनुसार कमियों की पूर्ति	(मूल) 0.80	0.77	96.25
215			2230-02.101.0101.0724-जनभागीदारी के आधार पर रोजगार कार्यालयों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	(मूल) 3.00	2.15	71.67
216			2230-02.101.0801.0644-इंटरलिंकिंग ऑफ एम्पलॉयमेंट एक्सचेंजेस	(मूल) 2.00	1.60	80.00
217			2230-03.003.0101.1868-तकनीकी शिक्षा मण्डल (मेपसेट)	(मूल) 3.51	2.81	80.06
218			2230-03.003.0701.2327-संकल्प प्रोजेक्ट	(मूल) 6.46	5.17	80.03
219			2230-03.003.0704.2327-संकल्प प्रोजेक्ट	(मूल) 4.00	3.20	80.00
220			2230-03.003.1201.0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	(मूल) 41.50	23.99	57.81
221			2230-03.003.1202.0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	(मूल) 12.85	9.80	76.25
222			2230-03.101.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 1.20	0.96	80.00

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
223			2230-03.101.0102.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मूल) 1.15	0.92	80.00
224			2230-03.101.0801.5392-स्ट्राइव योजना	(मूल) 10.00	8.00	80.00
225			2230-03.101.0801.7490-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	(मूल) 43.00	34.40	80.00
226			2230-03.101.0802.7490-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	(मूल) 13.54	10.83	79.99
227			2230-03.101.0803.7490-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	(मूल) 13.86	11.09	80.01
228			4202-02.104.0701.1232-आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रुप में उन्नयन	(मूल) 1.28	1.28	100.00
229			4202-02.104.0704.1232-आई.टी.आई का मॉडल आई.टी.आई. के रुप में उन्नयन	(मूल) 0.55	0.55	100.00
230			4202-03.003.0704.1232-आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रुप में उन्नयन	(मूल) 0.61	0.61	100.00
231			4202-03.003.1203.0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	(मूल) 65.26	58.90	90.25
232	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-51.001.0101.2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट–एक एवं यूनिट–दो)	(मूल) 42.68	22.32	52.30
233			4700-51.001.0101.3296-मण्डल कार्यालय एवं अधिनस्थ तीन संभागों का स्थापना व्यय	(मूल) 8.62	7.06	81.90
234			4701-45.001.1902.5152-हालोन परियोजना	(मूल) 1.00	0.93	93.00
235	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01.190.0103.9606-अनुसूचित जाति के युवाओं के लिये रोजगार मूलक आर्थिक सहायता	(मूल) 40.00	27.32	68.30
236			2225-01.196.0103.8844-कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं (कक्षा ग्यारहवी)	(मूल) 22.73	14.67	64.54
237			2225-01.196.0703.0327-अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	(मूल) 2.57	2.57	100.00
238			2225-01.196.0703.5133-विविध छात्रवृत्तियां	(मूल) 63.00	62.54	99.27
239			2225-01.196.0706.0327-अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	(मूल) 1.71	1.71	100.00

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
240			2225-01.277.0703.7764-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	(मूल) 375.00	375.00	100.00
241			2225-01.793.0603.2040-सावित्री बाई फूले स्व सहायता	(मूल) 8.20	8.20	100.00
242			2225-01.793.0703.9550-नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ	(मूल) 0.61	0.61	100.00
243			2225-01.793.0706.9550-नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ	(मूल) 0.42	0.42	100.00
244			2225-01.793.0803.1213-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	(मूल) 128.75	128.75	100.00
245			4225-01.277.0103.8829-शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना	(मूल) 40.00	34.12	85.30
246			4225-01.800.0103.6101-संत रविदास स्मारक निर्माण	(मूल) 5.00 (अनु.) 8.00 13.00	12.93	99.46
247			4225-01.800.0603.4722-अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों का विकास	(मूल) 30.00	30.00	100.00
248			4225-01.800.0803.5635-बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना	(मूल) 16.00	16.00	100.00
249	55	महिला एवं बाल विकास	4235-02.102.0102.5360-आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	(मूल) 22.10	11.81	53.44
250			4235-02.102.0701.0658-आंगनवाडी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाडी और पोषण 2.0)	(मूल) 6.00 (अनु.) 97.02 103.02	97.02	94.18
251			4235-02.102.0704.0658-आंगनवाडी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाडी और पोषण 2.0)	(मूल) 4.00 (अनु.) 64.68 68.68	64.68	94.18
252			4235-02.102.1501.7449-सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण	(मूल) 13.52	13.52	100.00
253			4235-02.103.0801.1327-वन स्टॉप सेंटर (मिशन शक्ति संबल)	(मूल) 1.92	1.92	100.00
254			4235-02.800.0701.5608-महिला विश्रामालय का भवन निर्माण	(मूल) 1.80	1.80	100.00
255			4235-02.800.0701.6103-समेकित बाल संरक्षण योजना (आई सी पी एस)(मिशन वात्सल्य)	(मूल) 12.00	10.33	86.08
256			4235-02.800.0704.5608-महिला विश्रामालय का भवन निर्माण	(मूल) 1.20	1.20	100.00
योग				**16,185.34**	**11,302.96**	**69.83**

स्रोतः विनियोग लेखे 2023–24

परिशिष्ट 3.11
समर्पित नहीं की गई प्रत्याशित बचतें
(संदर्भः कंडिका 3.3.6.2; पृष्ठ 84)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द./ पूंजी.द./ पूंजी.भा./ राज.भा.	बचतें	कुल समर्पण	समर्पित नहीं की गई बचतें
1	Ch-I	भारित विनियोग – लोक ऋण	पूंजी. भा.	2,915.27	5.15	2,910.12
2	Ch-II	भारित विनियोग – ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राज. भा.	1,483.39	1.67	1,481.72
3	1	सामान्य प्रशासन	राज. द.	191.32	170.73	20.59
4	1	सामान्य प्रशासन	राज. भा.	26.12	13.02	13.10
5	1	सामान्य प्रशासन	पूंजी. द.	32.35	31.72	0.63
6	2	विमानन	राज. द.	12.99	0.00	12.99
7	2	विमानन	पूंजी. द.	189.76	0.00	189.76
8	2	विमानन	पूंजी. भा.	18.28	0.00	18.28
9	3	गृह	राज. द.	1,287.34	1,156.86	130.48
10	3	गृह	पूंजी. द.	86.94	75.37	11.57
11	4	पर्यावरण	राज. द.	17.46	0.00	17.46
12	5	जेल	राज. द.	55.65	0.00	55.65
13	5	जेल	पूंजी. द.	45.05	0.00	45.05
14	6	वित्त	राज. द.	2,637.32	20.77	2,616.55
15	6	वित्त	राज. भा.	1,086.45	0.03	1,086.42
16	6	वित्त	पूंजी. द.	401.35	0.01	401.34
17	6	वित्त	पूंजी. भा.	2.00	0.00	2.00
18	7	वाणिज्यिक कर	राज. द.	198.51	90.79	107.72
19	7	वाणिज्यिक कर	पूंजी. द.	29.97	24.97	5.00
20	8	भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	राज. द.	3,097.29	2,256.96	840.33
21	8	भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	राज. भा.	2.81	0.02	2.79
22	8	भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	पूंजी. द.	45.88	14.99	30.89
23	9	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राज. द.	50.88	0.00	50.88
24	10	वन	राज. द.	465.12	5.47	459.65
25	10	वन	पूंजी. द.	30.38	0.00	30.38
26	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राज. द.	16.94	16.91	0.03
27	12	ऊर्जा	राज. द.	186.67	0.00	186.67
28	12	ऊर्जा	पूंजी. द.	20,482.47	0.00	20,482.47
29	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राज. द.	3,348.34	3,348.34	0.00
30	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	पूंजी. द.	15.00	15.00	0.00
31	14	पशुपालन एवं डेयरी	राज. द.	447.73	447.71	0.02
32	14	पशुपालन एवं डेयरी	पूंजी. द.	13.00	13.00	0.00
33	15	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	राज. द.	14.32	0.00	14.32
34	15	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	पूंजी. द.	3.07	0.00	3.07
35	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राज. द.	103.97	12.47	91.50
36	17	सहकारिता	राज. द.	118.25	87.10	31.15

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द./ पूंजी.द./ पूंजी.भा./ राज.भा.	बचतें	कुल समर्पण	समर्पित नहीं की गई बचतें
37	17	सहकारिता	पूंजी. द.	500.45	0.45	500.00
38	18	श्रम	राज. द.	307.00	20.94	286.06
39	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज. द.	1,458.13	0.00	1,458.13
40	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूंजी. द.	52.56	0.00	52.56
41	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राज. द.	201.80	144.68	57.12
42	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राज. भा.	1.11	1.02	0.09
43	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी. द.	1,239.39	2.19	1,237.20
44	21	लोक सेवा प्रबंधन	राज. द.	15.79	0.00	15.79
45	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज. द.	1,930.83	20.00	1,910.83
46	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज. भा.	1.19	0.00	1.19
47	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूंजी. द.	97.33	0.06	97.27
48	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूंजी. भा.	240.00	0.00	240.00
49	23	जल संसाधन	राज. द.	372.08	0.00	372.08
50	23	जल संसाधन	पूंजी. द.	216.36	99.25	117.11
51	23	जल संसाधन	पूंजी. भा.	9.86	9.86	0.00
52	24	लोक निर्माण कार्य	राज. द.	364.09	0.00	364.09
53	24	लोक निर्माण कार्य	राज. भा.	8.02	0.00	8.02
54	24	लोक निर्माण कार्य	पूंजी. द.	533.81	1.75	532.06
55	24	लोक निर्माण कार्य	पूंजी. भा.	22.46	0.00	22.46
56	25	खनिज साधन	राज. द.	16.93	13.59	3.34
57	25	खनिज साधन	राज. भा.	7.14	7.14	0.00
58	26	संस्कृति	राज. द.	87.02	87.01	0.00
59	26	संस्कृति	पूंजी. द.	200.46	199.46	1.01
60	27	स्कूल शिक्षा	राज. द.	2,093.23	2,091.26	1.97
61	27	स्कूल शिक्षा	पूंजी. द.	423.39	422.94	0.45
62	28	राज्य विधान मण्डल	राज. द.	17.93	16.61	1.32
63	29	विधि और विधायी कार्य	राज. द.	465.19	449.40	15.79
64	29	विधि और विधायी कार्य	राज. भा.	48.69	41.28	7.41
65	29	विधि और विधायी कार्य	पूंजी. द.	13.52	13.52	0.00
66	30	ग्रामीण विकास	राज. द.	6,000.15	5,899.36	100.79
67	30	ग्रामीण विकास	पूंजी. द.	763.07	399.89	363.18
68	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राज. द.	38.53	7.56	30.97
69	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	पूंजी. द.	18.37	0.00	18.37
70	32	जनसंपर्क	राज. द.	28.79	0.00	28.79
71	32	जनसंपर्क	पूंजी. द.	2.21	0.00	2.21
72	33	जनजातीय कार्य	राज. द.	1,777.60	1,776.38	1.22
73	33	जनजातीय कार्य	पूंजी. द.	274.11	212.29	61.82
74	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राज. द.	110.67	0.00	110.67
75	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	पूंजी. द.	100.00	0.00	100.00
76	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राज. द.	106.32	75.16	31.16
77	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	पूंजी. द.	15.00	0.00	15.00
78	36	परिवहन	राज. द.	65.08	64.51	0.57
79	36	परिवहन	पूंजी. द.	7.22	7.22	0.00
80	37	पर्यटन	राज. द.	43.95	43.95	0.00
81	37	पर्यटन	पूंजी. द.	7.51	7.51	0.00
82	38	आयुष	राज. द.	102.52	84.44	18.08

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द./ पूंजी.द./ पूंजी.भा./ राज.भा.	बचतें	कुल समर्पण	समर्पित नहीं की गई बचतें
83	38	आयुष	पूंजी. द.	5.47	0.00	5.47
84	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राज. द.	218.94	8.42	210.52
85	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	पूंजी. द.	42.26	1.55	40.71
86	40	पंचायत	राज. द.	2,181.18	0.00	2,181.18
87	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	राज. द.	14.16	14.15	0.01
88	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	पूंजी. द.	8.16	8.16	0.00
89	43	खेल और युवा कल्याण	राज. द.	34.53	21.08	13.45
90	43	खेल और युवा कल्याण	पूंजी. द.	250.01	250.01	0.00
91	44	उच्च शिक्षा	राज. द.	791.08	774.12	16.96
92	44	उच्च शिक्षा	पूंजी. द.	228.53	222.18	6.35
93	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	राज. द.	47.68	0.00	47.68
94	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	पूंजी. द.	24.04	0.00	24.04
95	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राज. द.	26.83	26.83	0.00
96	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	पूंजी. द.	88.95	22.04	66.91
97	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राज. द.	943.22	261.58	681.64
98	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	पूंजी. द.	230.50	176.39	54.11
99	48	नर्मदा घाटी विकास	राज. द.	9.66	9.66	0.00
100	48	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी. द.	235.63	233.17	2.46
101	49	अनुसूचित जाति कल्याण	राज. द.	833.82	833.81	0.01
102	49	अनुसूचित जाति कल्याण	पूंजी. द.	113.23	113.23	0.00
103	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज. द.	178.83	0.00	178.83
104	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	पूंजी. द.	1.00	0.00	1.00
105	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राज. द.	34.91	0.00	34.91
106	52	चिकित्सा शिक्षा	राज. द.	190.36	0.00	190.36
107	52	चिकित्सा शिक्षा	पूंजी. द.	198.80	0.00	198.80
108	53	अल्पसंख्यक कल्याण	राज. द.	4.87	0.00	4.87
109	53	अल्पसंख्यक कल्याण	पूंजी. द.	139.16	0.00	139.16
110	54	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राज. द.	346.20	0.00	346.20
111	55	महिला एवं बाल विकास	राज. द.	649.48	648.84	0.64
112	55	महिला एवं बाल विकास	पूंजी. द.	232.44	232.44	0.00
113	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राज. द.	46.45	0.00	46.45
114	57	आनंद	राज. द.	2.13	0.00	2.13
		योग		**67,918.98**	**23,887.37**	**44,031.61**

स्रोतः विनियोग लेखे 2023–24

परिशिष्ट 3.12

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) थी, परन्तु उनका कोई भी भाग समर्पित नहीं किया गया, का विवरण पत्रक

(संदर्भः कंडिका 3.3.6.2; पृष्ठ 84)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द./पूंजी.द./ पूंजी.भा./राज. भा.	बचतें
1	2	विमानन	राज. द.	12.99
2	2	विमानन	पूंजी. द.	189.76
3	2	विमानन	पूंजी. भा.	18.28
4	4	पर्यावरण	राज. द.	17.46
5	5	जेल	राज. द.	55.65
6	5	जेल	पूंजी. द.	45.05
7	6	वित्त	पूंजी. भा.	2.00
8	9	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राज. द.	50.88
9	10	वन	पूंजी. द.	30.38
10	12	ऊर्जा	राज. द.	186.67
11	12	ऊर्जा	पूंजी. द.	20,482.47
12	15	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	राज. द.	14.32
13	15	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	पूंजी. द.	3.07
14	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज. द.	1,458.13
15	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूंजी. द.	52.56
16	21	लोक सेवा प्रबंधन	राज. द.	15.79
17	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज. भा.	1.19
18	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूंजी. भा.	240.00
19	23	जल संसाधन	राज. द.	372.08
20	24	लोक निर्माण कार्य	राज. द.	364.09
21	24	लोक निर्माण कार्य	राज. भा.	8.02
22	24	लोक निर्माण कार्य	पूंजी. भा.	22.46
23	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	पूंजी. द.	18.37
24	32	जनसंपर्क	राज. द.	28.79
25	32	जनसंपर्क	पूंजी. द.	2.21
26	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राज. द.	110.67
27	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	पूंजी. द.	100.00
28	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	पूंजी. द.	15.00
29	38	आयुष	पूंजी. द.	5.47
30	40	पंचायत	राज. द.	2,181.18
31	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	राज. द.	47.68
32	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	पूंजी. द.	24.04
33	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज. द.	178.83
34	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	पूंजी. द.	1.00
35	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राज. द.	34.91
36	52	चिकित्सा शिक्षा	राज. द.	190.36
37	52	चिकित्सा शिक्षा	पूंजी. द.	198.80
38	53	अल्प संख्यक कल्याण	राज. द.	4.87
39	53	अल्प संख्यक कल्याण	पूंजी. द.	139.16
40	54	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राज. द.	346.20
41	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राज. द.	46.45
42	57	आनंद	राज. द.	2.13
		योग		**27,319.42**

स्रोतः विनियोग लेखे 2023–24

परिशिष्ट 3.13 (अ)
महालेखाकार द्वारा स्वीकार नहीं किये गये समर्पण आदेश

(संदर्भः कंडिका 3.3.6.4; पृष्ठ 85)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान/विनियोग क्र.	राशि	समर्पण स्वीकार न किये जाने का कारण
1	8	1, 5, 8, 10, 31, 50, 52, 57	10,838.30	वित्त वर्ष की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च 2024 के बाद स्वीकृति का जारी होना।
2	4	3, 19, 24, 39	1,619.64	नियत दिनांक अर्थात् 15 मई 2024 के बाद महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में स्वीकृति की प्राप्ति में देरी होना।
3	2	3, 21	11.00	स्वीकृति आदेशों में पूर्ण विवरण का प्राप्त न होना।
योग			**12,468.94**	

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.13 (ब)
महालेखाकार द्वारा स्वीकार नहीं किये गये पुनर्विनियोग आदेश

(संदर्भः कंडिका 3.3.6.4; पृष्ठ 85)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान/विनियोग क्र.	राशि	पुनर्विनियोग स्वीकार न किये जाने का कारण
1	5	18	2.71	नियत दिनांक अर्थात् 15 मई 2024 के बाद महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में स्वीकृति की प्राप्ति में देरी होना।
योग			**2.71**	

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.14
योजनाएं जिनमें कुल प्रावधान ₹10 करोड़ एवं अधिक अप्रयुक्त रहा

(संदर्भः कंडिका 3.3.6.5; पृष्ठ 86)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	समूह शीर्ष	योजना शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	द.म. /भा.	कुल बजट	व्यय	बचतें
1	भारित विनियोग–I	6003		101		0716	66	भा.	100.00	0.00	100.00
2	भारित विनियोग–I	6003		110		0637	66	भा.	1,643.92	0.00	1,643.92
3	भारित विनियोग–I	6003		110		0779	66	भा.	2,000.00	0.00	2,000.00
4	भारित विनियोग–II	2049	01	101		1365	52	भा.	111.90	0.00	111.90
5	भारित विनियोग–II	2049	01	101		1367	52	भा.	149.20	0.00	149.20
6	भारित विनियोग–II	2049	01	101		1368	52	भा.	37.20	0.00	37.20
7	भारित विनियोग–II	2049	01	101		1371	52	भा.	149.60	0.00	149.60
8	भारित विनियोग–II	2049	01	101		1372	52	भा.	149.00	0.00	149.00
9	भारित विनियोग–II	2049	01	101		1374	52	भा.	74.60	0.00	74.60
10	भारित विनियोग–II	2049	01	200		6973	52	भा.	10.00	0.00	10.00
11	भारित विनियोग–II	2049	60	701		0716	52	भा.	300.00	0.00	300.00
12	1	2051		102		3689	74	भा.	33.52	0.00	33.52
13	2	5053	02	102	0101	3115	62	भा.	10.00	0.00	10.00
14	2	5053	80	800	0101	6592	23	द.म.	150.00	0.00	150.00
15	3	4070		003	0101	2710	63	द.म.	10.00	0.00	10.00
16	6	2048		101		1086	73	भा.	1,000.00	0.00	1,000.00
17	6	2054		095		5329	51	द.म.	1,471.42	0.00	1,471.42
18	6	2054		095		5329	53	भा.	100.00	0.00	100.00
19	6	2070		800	0101	0224	51	द.म.	10.00	0.00	10.00
20	6	4070		800		8808	27	द.म.	23.00	0.00	23.00
21	6	4070		800		8808	27	द.म.	19.47	0.00	19.47
22	6	6075		800		6788	66	द.म.	10.00	0.00	10.00
23	8	2053		093		8808	31	द.म.	41.29	0.00	41.29
24	9	2810		102	0410	0718	44	द.म.	14.00	0.00	14.00
25	9	2810		102	0412	0718	44	द.म.	15.00	0.00	15.00
26	9	2810		102	0413	0718	44	द.म.	10.00	0.00	10.00
27	10	2406	01	101	0430	7882	12	द.म.	11.20	0.00	11.20
28	10	2406	01	101	0430	7882	51	द.म.	10.00	0.00	10.00
29	12	2801	80	101	0101	7837	44	द.म.	1,692.05	0.00	1,692.05
30	12	2801	80	101	0102	7837	44	द.म.	795.00	0.00	795.00
31	12	2801	80	101	0103	7837	44	द.म.	512.95	0.00	512.95
32	12	4801	05	190	0101	2051	65	द.म.	13,365.00	0.00	13,365.00
33	12	4801	05	190	0101	7837	64	द.म.	2,273.35	0.00	2273.35
34	12	4801	05	190	0102	7837	64	द.म.	975.64	0.00	975.64
35	12	4801	05	190	0103	7837	64	द.म.	686.02	0.00	686.02
36	12	4801	05	190	0410	7900	65	द.म.	150.00	0.00	150.00

स.क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	समूह शीर्ष	योजना शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	द.म. /भा.	कुल बजट	व्यय	बचतें
37	12	4801	05	190	0410	9654	65	द.म.	10.00	0.00	10.00
38	12	4801	05	190	0705	9542	67	द.म.	33.50	0.00	33.50
39	12	4801	05	190	0706	9542	67	द.म.	24.36	0.00	24.36
40	12	4801	05	190	1201	0700	65	द.म.	10.00	0.00	10.00
41	12	4801	05	190	1901	9542	67	द.म.	600.00	0.00	600.00
42	12	4801	05	190	1902	9542	67	द.म.	290.00	0.00	290.00
43	12	4801	05	190	1903	9542	67	द.म.	200.00	0.00	200.00
44	12	6801		190	0101	5336	65	द.म.	30.00	0.00	30.00
45	12	6801		190	0101	7900	67	द.म.	250.00	0.00	250.00
46	12	6801		190	0102	7900	67	द.म.	80.00	0.00	80.00
47	12	6801		190	0103	7900	67	द.म.	85.00	0.00	85.00
48	12	6801		205	1201	9655	67	द.म.	40.00	0.00	40.00
49	19	4210	01	110	0701	9923	63	द.म.	31.84	0.00	31.84
50	19	4210	01	110	0702	9923	63	द.म.	12.00	0.00	12.00
51	19	4210	01	110	0704	9923	63	द.म.	21.23	0.00	21.23
52	19	4210	01	110	1301	9922	63	द.म.	49.95	0.00	49.95
53	19	4210	01	110	1301	9922	64	द.म.	101.92	0.00	101.92
54	19	4210	01	110	1302	9922	63	द.म.	25.00	0.00	25.00
55	19	4210	01	110	1302	9922	64	द.म.	39.00	0.00	39.00
56	19	4210	01	110	1303	9922	63	द.म.	25.00	0.00	25.00
57	19	4210	01	110	1303	9922	64	द.म.	62.92	0.00	62.92
58	20	4215	01	102	0420	5468	64	द.म.	505.00	0.00	505.00
59	20	4215	01	102	0422	5468	64	द.म.	315.00	0.00	315.00
60	20	4215	01	102	0423	5468	64	द.म.	80.00	0.00	80.00
61	20	4215	01	102	0480	5468	64	द.म.	274.00	0.00	274.00
62	22	2217	05	800	0701	7838	42	द.म.	171.00	0.00	171.00
63	22	2217	05	800	0704	7838	42	द.म.	200.00	0.00	200.00
64	22	3604		191	0101	9578	42	द.म.	30.00	0.00	30.00
65	22	3604		191		9611	42	द.म.	15.00	0.00	15.00
66	22	3604		192		9611	42	द.म.	10.00	0.00	10.00
67	22	4217	03	190	1901	9882	65	द.म.	85.40	0.00	85.40
68	22	4217	03	190	1901	9883	65	द.म.	27.45	0.00	27.45
69	22	4217	03	190	1901	9884	65	द.म.	54.90	0.00	54.90
70	22	4217	03	190	1901	9886	65	द.म.	85.40	0.00	85.40
71	22	4217	03	190	1903	9882	65	द.म.	22.40	0.00	22.40
72	22	4217	03	190	1903	9886	65	द.म.	22.40	0.00	22.40
73	22	4217	60	050	0530	2043	45	द.म.	192.00	0.00	192.00
74	22	4217	60	050	0530	2043	62	भा.	240.00	0.00	240.00
75	22	4217	60	051	0101	7029	64	द.म.	10.00	0.00	10.00
76	22	4217	60	051	0101	9631	64	द.म.	50.00	0.00	50.00
77	22	4217	60	051	0101	9631	64	द.म.	10.00	0.00	10.00
78	22	4217	60	051	1901	9631	64	द.म.	50.00	0.00	50.00
79	22	4217	60	051	1902	9631	64	द.म.	50.00	0.00	50.00
80	22	4217	60	051	1903	9631	64	द.म.	40.00	0.00	40.00
81	22	4217	60	052	0101	8333	63	द.म.	10.00	0.00	10.00
82	22	4217	60	800	1201	1262	64	द.म.	12.50	0.00	12.50
83	22	4217	60	800	1201	7336	64	द.म.	15.00	0.00	15.00
84	22	4217	60	800	1202	7336	64	द.म.	10.00	0.00	10.00
85	22	4217	60	800	1203	7336	64	द.म.	10.00	0.00	10.00
86	22	6217	60	800	0101	9619	67	द.म.	500.00	0.00	500.00
87	22	6217	60	800	1201	1262	67	द.म.	19.50	0.00	19.50
88	22	6217	60	800	1201	7711	67	द.म.	50.00	0.00	50.00
89	22	6217	60	800	1202	7336	67	द.म.	15.00	0.00	15.00
90	22	6217	60	800	1203	7336	67	द.म.	10.00	0.00	10.00

स.क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	समूह शीर्ष	योजना शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	द.म. /भा.	कुल बजट	व्यय	बचतें
91	23	4700	80	001	0103	9551	64	द.म.	100.00	0.00	100.00
92	24	5054	03	337	1903	5139	64	द.म.	75.00	0.00	75.00
93	24	5054	04	337	0101	1428	64	द.म.	15.00	0.00	15.00
94	24	5054	04	337	0420	2457	64	द.म.	13.50	0.00	13.50
95	24	5054	04	337	0422	2457	64	द.म.	11.60	0.00	11.60
96	27	2202	01	001	0102	9545	33	द.म.	15.78	0.00	15.78
97	27	2202	01	001	0103	9545	33	द.म.	10.98	0.00	10.98
98	30	2515		103	0550	9216	33	द.म.	61.50	0.00	61.50
99	30	2515		103	0552	9216	33	द.म.	23.00	0.00	23.00
100	30	2515		103	0553	9216	33	द.म.	16.00	0.00	16.00
101	30	4515		800	0420	6084	64	द.म.	363.18	0.00	363.18
102	33	4225	02	277	0102	7912	64	द.म.	23.00	0.00	23.00
103	33	4225	02	277	0422	0762	64	द.म.	38.82	0.00	38.82
104	34	4235	02	101	0101	1167	65	द.म.	61.00	0.00	61.00
105	34	4235	02	101	0102	1167	65	द.म.	23.00	0.00	23.00
106	34	4235	02	101	0103	1167	65	द.म.	16.00	0.00	16.00
107	35	4851		800	0101	6820	65	द.म.	15.00	0.00	15.00
108	39	2408	01	102	0101	5623	44	द.म.	24.40	0.00	24.40
109	40	3604		198	0101	9611	42	द.म.	48.19	0.00	48.19
110	40	3604		198	0102	9611	42	द.म.	18.17	0.00	18.17
111	40	3604		198	0103	9611	42	द.म.	12.64	0.00	12.64
112	45	4070		190	0101	9549	65	द.म.	10.00	0.00	10.00
113	46	5425		600	0101	7062	64	द.म.	40.82	0.00	40.82
114	46	5425		600	0102	7062	64	द.म.	15.39	0.00	15.39
115	46	5425		600	0103	7062	64	द.म.	10.71	0.00	10.71
116	47	2230	03	102	0102	1138	24	द.म.	116.15	0.00	116.15
117	47	2230	03	102	0102	1138	31	द.म.	23.00	0.00	23.00
118	47	2230	03	102	0103	1138	24	द.म.	80.80	0.00	80.80
119	47	2230	03	102	0103	1138	31	द.म.	16.00	0.00	16.00
120	47	4202	02	105	0701	1140	64	द.म.	18.30	0.00	18.30
121	47	4202	02	105	0704	1140	64	द.म.	12.20	0.00	12.20
122	50	2401		119	0101	2816	44	द.म.	23.50	0.00	23.50
123	50	2401		119	0704	5626	42	द.म.	10.98	0.00	10.98
124	52	4210	03	105	0103	5402	64	द.म.	16.00	0.00	16.00
125	52	4210	03	105	0701	1211	63	द.म.	12.20	0.00	12.20
126	52	4210	03	105	0701	2061	64	द.म.	10.98	0.00	10.98
127	52	4210	03	105	0701	5388	64	द.म.	13.70	0.00	13.70
128	52	4210	03	105	0702	2061	64	द.म.	14.14	0.00	14.14
129	52	4210	03	105	0703	2061	64	द.म.	12.88	0.00	12.88
130	52	4210	03	105	0704	9080	64	द.म.	72.39	0.00	72.39
योग									**34,843.90**	**0.00**	**34,843.90**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.15

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹10 करोड़ एवं अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी

(संदर्भः कंडिका 3.3.9; पृष्ठ 88)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द./पूंजी.द./पूंजी भा./राज. भा.	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत (प्रतिशत में)
प्रकरण जहां बचतें ₹10 करोड़ एवं ₹100 करोड़ के मध्य थी							
1	1	सामान्य प्रशासन	राज. भा.	103.32	77.20	26.12	25.28
2	1	सामान्य प्रशासन	पूंजी. द.	58.14	25.79	32.35	55.65
3	2	विमानन	पूंजी. भा.	40.00	21.72	18.28	45.71
4	4	पर्यावरण	राज. द.	35.21	17.75	17.46	49.60
5	5	जेल	पूंजी. द.	87.50	42.45	45.05	51.48
6	7	वाणिज्यिक कर	पूंजी. द.	35.00	5.03	29.97	85.62
7	9	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राज. द.	59.06	8.18	50.88	86.15
8	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	पूंजी. द.	15.00	0.00	15.00	100.00
9	14	पशुपालन और डेयरी	पूंजी. द.	18.83	5.83	13.00	69.04
10	15	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	राज. द.	33.59	19.27	14.32	42.64
11	26	संस्कृति	राज. द.	347.10	260.08	87.02	25.07
12	36	परिवहन	राज. द.	149.82	84.74	65.08	43.44
13	37	पर्यटन	राज. द.	118.35	74.40	43.95	37.13
14	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	पूंजी. द.	102.11	59.85	42.26	41.38
15	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	राज. द.	55.76	8.08	47.68	85.52
16	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	पूंजी. द.	110.00	85.96	24.04	21.85
17	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	पूंजी. द.	162.52	73.57	88.95	54.73
18	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राज. द.	112.44	77.53	34.91	31.05
19	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राज. द.	132.72	86.26	46.46	35.00
योग				**1,776.47**	**1,033.69**	**742.78**	**41.81**
प्रकरण जहाँ बचतें ₹100 करोड़ एवं ₹500 करोड़ के मध्य थी							
20	1	सामान्य प्रशासन	राज. द.	898.24	706.92	191.32	21.30
21	2	विमानन	पूंजी. द.	191.00	1.24	189.76	99.35
22	6	वित्त	पूंजी. द.	480.70	79.35	401.35	83.49
23	14	पशुपालन एवं डेयरी	राज. द.	1,564.33	1,116.60	447.73	28.62
24	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राज. द.	225.34	121.37	103.97	46.14
25	18	श्रम	राज. द.	1,260.44	953.44	307.00	24.36
26	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूंजी. भा.	285.00	45.00	240.00	84.21
27	23	जल संसाधन	राज. द.	1,581.92	1,209.84	372.08	23.52
28	26	संस्कृति	पूंजी. द.	372.24	171.78	200.46	53.85
29	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	पूंजी. द.	100.00	0.00	100.00	100.00
30	43	खेल और युवा कल्याण	पूंजी. द.	541.21	291.20	250.01	46.19
31	44	उच्च शिक्षा	पूंजी. द.	687.93	459.40	228.53	33.22
32	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	पूंजी. द.	737.63	507.13	230.50	31.25
33	49	अनुसूचित जाति कल्याण	पूंजी. द.	236.00	122.77	113.23	47.98
34	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज. द.	492.12	313.30	178.83	36.34
35	53	अल्प संख्यक कल्याण	पूंजी. द.	140.00	0.84	139.16	99.40

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द. /पूंजी.द. /पूंजी भा./राज. भा.	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत (प्रतिशत में)
36	54	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राज. द.	1,534.08	1,187.87	346.20	22.57
37	55	महिला एवं बाल विकास	पूंजी. द.	371.80	139.36	232.44	62.52
योग				**11,699.98**	**7,427.41**	**4,272.57**	**36.52**
प्रकरण जहॉं बचतें ₹500 करोड़ एवं अधिक थी							
38	6	वित्त	राज. भा.	1,107.97	21.52	1,086.45	98.06
39	8	भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	राज. द.	8,974.69	5,877.40	3,097.29	34.51
40	12	ऊर्जा	पूंजी. द.	21,713.44	1,230.98	20,482.46	94.33
41	17	सहकारिता	पूंजी. द.	2,000.50	1,500.05	500.45	25.02
42	30	ग्रामीण विकास	राज. द.	15,535.24	9,535.09	6,000.15	38.62
43	30	ग्रामीण विकास	पूंजी. द.	2,528.00	1,764.93	763.07	30.18
44	40	पंचायत	राज. द.	9,577.06	7,395.88	2,181.18	22.78
45	44	उच्च शिक्षा	राज. द.	3,056.95	2,265.87	791.08	25.88
46	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राज. द.	2,262.18	1,318.96	943.22	41.70
47	49	अनुसूचित जाति कल्याण	राज. द.	1,934.17	1,100.35	833.82	43.11
योग				**68,690.20**	**32,011.03**	**36,679.17**	**53.40**
महायोग				**82,166.65**	**40,472.13**	**41,694.52**	**50.74**

स्रोतः विनियोग लेखे 2023–24

परिशिष्ट 3.16
तदर्थ आधार पर बजट अनुमान

(संदर्भः कंडिका 3.3.11; पृष्ठ 90)

(राशि ₹ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा का शीर्ष	कुल बजट (मूल+अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन/समर्पण
1	1	सामान्य प्रशासन	4059-01-051-0101-6375	1,000	1,000
2	3	गृह	2055-109-7822	1,000	1,000
3			4055-207-0704-8333	1,000	1,000
4			4055-207-0801-5430	1,000	1,000
5			4055-208-0101-7185	1,000	1,000
6			4055-800-0101-7344	1,000	1,000
7			4055-800-0801-0783	1,000	1,000
8			4055-800-0801-1948	1,000	1,000
9			4055-800-0801-7453	1,000	1,000
10			4235-60-800-0101-1314	1,000	1,000
11	11	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन	4875-60-800-0102-7879	1,000	1,000
12			4875-60-800-0103-7879	1,000	1,000
13	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-001-0101-5669	1,000	1,000
14			2401-102-0101-1445	100	100
15			2401-102-0102-1445	100	100
16			2401-102-0103-1445	100	100
17			2401-103-0102-5081	100	100
18			2401-103-0102-8769	100	100
19			2401-103-0103-5081	100	100
20			2401-103-0103-8769	100	100
21			2401-105-0102-6410	1,000	1,000
22			2401-105-0103-6410	1,000	1,000
23			2401-108-0801-7500	100	100
24			2401-108-0802-7500	100	100
25			2401-108-0803-7500	100	100
26			2401-113-0102-6674	1,000	1,000
27			2401-113-0103-6674	1,000	1,000
28			2401-113-0701-7500	1,000	1,000
29			2401-113-0702-7500	1,000	1,000
30			2401-113-0703-7500	1,000	1,000
31			2401-113-0704-7500	1,000	1,000
32			2401-113-0705-7500	1,000	1,000
33			2401-113-0706-7500	1,000	1,000
34			2401-113-0802-5907	1,000	1,000
35			2401-113-0803-5907	1,000	1,000
36			2401-800-1920	1,000	1,000
37			2401-800-0101-5319	1,000	1,000

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा का शीर्ष	कुल बजट (मूल+अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन / समर्पण
38			2401-800-0101-5321	1,000	1,000
39			2401-800-0102-5319	1,000	1,000
40			2401-800-0103-5319	1,000	1,000
41			4401-103-6287	1,000	1,000
42	14	पशुपालन एवं डेयरी	2403-001-0101-5669	1,000	1,000
43			2403-001-0101-6998	1,000	1,000
44			2403-001-0102-6998	1,000	1,000
45			2403-001-0103-6998	1,000	1,000
46			2403-001-0801-7595	100	100
47			2403-001-0802-7595	100	100
48			2403-001-0803-7595	100	100
49			2403-101-5393	1,000	1,000
50			2403-101-0102-7647	1,000	1,000
51			2403-101-0103-7647	1,000	1,000
52			2403-101-0801-1458	100	100
53			2403-101-0802-1458	100	100
54			2403-101-0803-1458	100	100
55			2403-102-0102-5418	100	100
56			2403-102-0103-5418	100	100
57			2403-109-9512	1,000	1,000
58			2403-109-0101-6295	1,000	1,000
59			2403-109-0102-6295	1,000	1,000
60			2403-109-0103-6295	1,000	1,000
61			2403-800-0702-5626	1,000	1,000
62			2403-800-0703-5626	1,000	1,000
63			2403-800-0705-5626	1,000	1,000
64			2403-800-0706-5626	1,000	1,000
65			4403-001-0102-6998	1,000	1,000
66			4403-001-0103-6998	1,000	1,000
67			4403-101-0101-9568	1,000	1,000
68			4403-101-0701-1458	1,000	1,000
69			4403-101-0701-1926	1,000	1,000
70			4403-101-0703-1458	1,000	1,000
71			4403-101-0704-1458	1,000	1,000
72			4403-101-0704-1926	1,000	1,000
73			4403-101-0706-1458	1,000	1,000
74	17	सहकारिता	2425-800-0910-6965	1,000	1,000
75			4425-107-0701-1449	300	300
76			4425-107-0704-1449	300	300
77			4425-107-0910-6965	1,000	1,000
78			4425-108-0101-9937	1,000	1,000

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा का शीर्ष	कुल बजट (मूल+अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन/समर्पण
79			6425-107-0910-6965	1,000	1,000
80	23	जल संसाधन	4700-13-800-0101-2884	1,000	1,000
81			4700-31-800-0101-6596	1,000	1,000
82			4700-54-800-0101-2884	1,000	1,000
83			4700-56-800-1401-2884	1,000	1,000
84			4700-56-800-1402-2884	1,000	1,000
85			4700-56-800-1403-2884	1,000	1,000
86			4700-68-800-0801-2884	1,000	1,000
87			4700-68-800-1901-2897	1,000	1,000
88			4700-69-800-1901-2884	1,000	1,000
89			4700-70-800-0101-2884	1,000	1,000
90			4700-83-800-1901-2884	1,000	1,000
91			4700-83-800-1901-2897	1,000	1,000
92			4700-84-800-1901-2897	1,000	1,000
93			4700-C7-800-0701-1141	1,000	1,000
94			4700-C7-800-0702-1141	1,000	1,000
95			4700-C7-800-0704-1141	1,000	1,000
96			4700-C7-800-0705-1141	1,000	1,000
97			4700-C7-800-0706-1141	1,000	1,000
98			4700-C7-800-1901-2897	1,000	1,000
99			4700-C8-800-1901-2897	1,000	1,000
100			4700-C9-800-1901-2897	1,000	1,000
101			4700-D4-800-0101-2897	1,000	1,000
102			4701-91-800-0101-2884	1,000	1,000
103			4701-91-800-1901-2884	1,000	1,000
104			4701-99-800-1901-2897	1,000	1,000
105			4701-B1-800-1901-2884	1,000	1,000
106			4701-B9-800-1901-2884	1,000	1,000
107			4701-C1-800-1901-2884	1,000	1,000
108			4701-C2-800-1901-2884	1,000	1,000
109			4701-C3-800-1901-2884	1,000	1,000
110			4701-E5-800-0101-2884	1,000	1,000
111			4701-E7-800-0101-2884	1,000	1,000
112			4711-01-103-0101-1149	1,000	1,000
113			4711-01-103-0101-9553	1,000	1,000
114			4711-01-103-0701-1147	1,000	1,000
115	26	संस्कृति	2205-001-0101-5669	1,000	1,000
116			2205-102-0101-6478	1,000	1,000
117			2205-102-0101-6936	1,000	1,000
118			2205-102-0101-7067	1,000	1,000
119			2205-102-0101-8001	1,000	1,000

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा का शीर्ष	कुल बजट (मूल+अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन/समर्पण
120			2205-102-0102-7876	1,000	1,000
121			2205-102-0103-7876	1,000	1,000
122			2205-107-0103-2102	1,000	1,000
123			2205-107-0701-4283	1,000	1,000
124			2205-107-0704-4283	1,000	1,000
125			4202-04-800-0101-7073	1,000	1,000
126			4202-04-800-0101-8001	1,000	1,000
127			4202-04-800-0102-0687	1,000	1,000
128			4202-04-800-0102-7011	1,000	1,000
129	27	स्कूल शिक्षा	2202-01-001-7300	1,000	1,000
130			2202-01-101-0702-1382	100	100
131			2202-01-101-0705-1382	100	100
132			2202-01-102-0801-6344	1,000	1,000
133			2202-01-107-0701-9678	1,000	1,000
134			2202-01-107-0702-9678	1,000	1,000
135			2202-01-107-0703-9678	1,000	1,000
136			2202-01-107-0704-9678	1,000	1,000
137			2202-01-107-0705-9678	1,000	1,000
138			2202-01-107-0706-9678	1,000	1,000
139			2202-02-101-0101-1233	1,000	1,000
140			2202-03-103-0101-2071	1,000	1,000
141			2202-03-103-0101-7618	1,000	1,000
142			2202-80-001-0101-5669	1,000	1,000
143			2202-80-001-0701-1121	1,000	1,000
144			2202-80-001-0702-1121	1,000	1,000
145			2202-80-001-0703-1121	1,000	1,000
146			2202-80-001-0704-1121	1,000	1,000
147			2202-80-001-0705-1121	1,000	1,000
148			2202-80-001-0706-1121	1,000	1,000
149			4202-01-201-0101-7617	1,000	1,000
150			4202-01-202-0701-1121	100	100
151			4202-01-202-0702-1121	100	100
152			4202-01-202-0703-1121	100	100
153			4202-01-202-0704-1121	100	100
154			4202-01-202-0705-1121	100	100
155			4202-01-202-0706-1121	100	100
156			4202-01-202-1701-6970	1,000	1,000
157			4202-01-202-1702-6970	1,000	1,000
158			4202-01-202-1703-6970	1,000	1,000
159			4202-01-203-0701-1121	100	100
160			4202-01-203-0702-1121	100	100

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा का शीर्ष	कुल बजट (मूल+अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन/समर्पण
161			4202-01-203-0703-1121	100	100
162			4202-01-203-0704-1121	100	100
163			4202-01-203-0705-1121	100	100
164			4202-01-203-0706-1121	100	100
165			4202-02-103-1401-9516	300	300
166			4202-02-103-1402-9516	300	300
167			4202-02-103-1403-9516	300	300
168			4202-02-105-0101-0067	1,000	1,000
169			4202-04-105-0101-5473	1,000	1,000
170			4202-04-105-0102-5473	1,000	1,000
171			4202-04-105-0103-5473	1,000	1,000
172	29	विधि एवं विधायी कार्य	2014-105-4497	1,000	1,000
173			2052-090-5669	1,000	1,000
174			2235-60-200-0101-7209	1,000	1,000
175	30	ग्रामीण विकास	2216-03-198-0702-1390	100	100
176			2216-03-198-0705-1390	100	100
177			2501-06-198-0101-2372	1,000	1,000
178			2501-06-198-0701-9528	1,000	1,000
179			2501-06-198-0702-9528	1,000	1,000
180			2501-06-198-0703-9528	1,000	1,000
181			2501-06-198-0704-9528	1,000	1,000
182			2501-06-198-0705-9528	1,000	1,000
183			2501-06-198-0706-9528	1,000	1,000
184			2501-06-800-0101-9856	1,000	1,000
185			2505-01-198-0101-2368	1,000	1,000
186			2505-01-198-0801-1072	1,000	1,000
187			2505-01-198-0801-1073	1,000	1,000
188			2505-01-198-0802-1072	1,000	1,000
189			2505-01-198-0802-1073	1,000	1,000
190			2505-01-198-0803-1072	1,000	1,000
191			2505-01-198-0803-1073	1,000	1,000
192			2515-001-0101-5669	1,000	1,000
193			2515-198-0101-1329	1,000	1,000
194			2515-198-0102-1329	1,000	1,000
195			2515-198-0103-1329	1,000	1,000
196			2515-198-0701-0660	1,000	1,000
197			2515-198-0702-0660	1,000	1,000
198			2515-198-0703-0660	1,000	1,000
199			2515-198-0704-0660	1,000	1,000
200			2515-198-0705-0660	1,000	1,000
201			2515-198-0706-0660	1,000	1,000

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा का शीर्ष	कुल बजट (मूल+अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन/समर्पण
202			4515-103-0702-1391	100	100
203			4515-103-0705-1391	100	100
204	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	2401-102-1501-6080	1,000	1,000
205			2401-102-1503-6080	1,000	1,000
206			4401-102-0701-6080	1,000	1,000
207			4401-102-0703-6080	1,000	1,000
208			4401-102-1501-6080	1,000	1,000
209			4401-102-1503-6080	1,000	1,000
210	33	जनजातीय कार्य	2202-01-101-0102-7831	1,000	1,000
211			2202-01-102-0101-7828	1,000	1,000
212			2225-01-001-0102-5669	1,000	1,000
213			2225-01-102-0102-8861	1,000	1,000
214			2225-02-102-0102-6462	1,000	1,000
215			2225-02-102-0102-7829	1,000	1,000
216			2225-02-102-0102-9900	1,000	1,000
217			4225-02-102-0802-6500	1,000	1,000
218			4225-02-800-0102-1092	1,000	1,000
219	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	2851-001-3370	1,000	1,000
220			2851-800-0101-7623	1,000	1,000
221			4851-101-0101-5380	1,000	1,000
222			4851-800-0101-7623	1,000	1,000
223			4851-800-0101-7624	1,000	1,000
224			4851-800-0101-9603	1,000	1,000
225	36	परिवहन	2041-001-5669	1,000	1,000
226			3055-001-0801-9911	1,000	1,000
227			3055-003-0801-9910	1,000	1,000
228			5055-800-0701-8858	1,000	1,000
229	37	पर्यटन	3452-80-001-0101-2529	1,000	1,000
230			3452-80-001-0101-5669	1,000	1,000
231			3452-80-800-0101-1447	100	100
232			5452-01-101-2001-1251	100	100
233			5452-01-101-2002-1251	100	100
234			5452-01-101-2003-1251	100	100
235	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	3475-106-6113	100	100
236			3475-106-0101-6113	1,000	1,000
237	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	2210-01-001-0101-5669	1,000	1,000
238			2235-02-001-0101-3171	1,000	1,000
239			2235-02-001-0101-6735	1,000	1,000
240			2235-02-001-0101-7187	1,000	1,000
241			4235-01-201-0101-4889	1,000	1,000
242			4235-01-201-0701-6281	1,000	1,000

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा का शीर्ष	कुल बजट (मूल+अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन/समर्पण
243			4235-01-201-0704-6281	1,000	1,000
244	44	उच्च शिक्षा	2202-03-102-0101-8518	1,000	1,000
245			2202-03-102-0102-8518	1,000	1,000
246			2202-03-102-0103-8518	1,000	1,000
247			2202-03-107-0102-5766	1,000	1,000
248			2202-03-107-0103-5766	1,000	1,000
249			4202-01-203-0101-9620	1,000	1,000
250	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425-60-600-0101-5669	1,000	1,000
251			3425-60-600-0101-7062	1,000	1,000
252			3425-60-600-0101-9522	1,000	1,000
253			3425-60-600-0102-7062	1,000	1,000
254			3425-60-600-0102-8808	1,000	1,000
255			3425-60-600-0103-7062	1,000	1,000
256			3425-60-600-0103-8808	1,000	1,000
257			3425-60-600-0701-7615	1,000	1,000
258			5425-600-1901-9891	1,000	1,000
259			5425-600-1902-9891	1,000	1,000
260			5425-600-1903-9891	1,000	1,000
261	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2203-001-0101-5669	1,000	1,000
262			2203-104-0101-2376	1,000	1,000
263			2203-104-0101-5700	1,000	1,000
264			4202-02-104-0701-2327	1,000	1,000
265			4202-02-104-0704-2327	1,000	1,000
266			4202-02-104-0801-2667	1,000	1,000
267			4202-02-104-0801-5392	1,000	1,000
268			4202-02-104-1401-6952	1,000	1,000
269	48	नर्मदा घाटी विकास	2700-80-001-0101-1407	1,000	1,000
270			2700-80-001-0101-8191	1000	1000
271			2700-80-001-0102-5090	1,000	1,000
272			2801-01-001-0101-5287	1,000	1,000
273			2801-01-001-0101-5669	1,000	1,000
274			2801-01-001-0101-6818	1,000	1,000
275			2801-80-001-0101-3561	1,000	1,000
276			4700-43-800-0702-2884	1,000	1,000
277			4700-43-800-0703-2884	1,000	1,000
278			4700-43-800-0705-2884	1,000	1,000
279			4700-43-800-0706-2884	1,000	1,000
280			4700-45-800-0701-9091	1,000	1,000
281			4700-45-800-0702-9091	1,000	1,000
282			4700-45-800-0703-9091	1,000	1,000
283			4700-45-800-0704-9091	1,000	1,000

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा का शीर्ष	कुल बजट (मूल+अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन/समर्पण
284			4700-45-800-0705-9091	1,000	1,000
285			4700-45-800-0706-9091	1,000	1,000
286			4700-80-001-1901-9539	100	100
287			4700-80-001-1901-9540	100	100
288			4700-80-800-0101-1152	1,000	1,000
289			4700-80-800-0101-1153	1,000	1,000
290			4700-80-800-0101-1155	1,000	1,000
291			4700-80-800-0101-1156	1,000	1,000
292			4700-80-800-0101-1952	1,000	1,000
293			4700-80-800-0101-2334	1,000	1,000
294			4700-80-800-0101-2338	1,000	1,000
295			4700-80-800-0101-2339	1,000	1,000
296			4700-80-800-0101-6399	1,000	1,000
297			4700-80-800-0102-2085	1,000	1,000
298			4700-80-800-0103-0651	1,000	1,000
299			4700-80-800-1901-9662	100	100
300			4700-80-800-1902-9661	100	100
301			4701-11-800-0102-5223	1,000	1,000
302			4701-12-001-0102-4647	1,000	1,000
303			4701-80-001-0101-5869	1,000	1,000
304			4701-80-800-0102-5869	1,000	1,000
305			4701-80-800-0103-5869	1,000	1,000
306			4801-01-203-0101-6942	1,000	1,000
307			4801-01-205-0101-9133	1,000	1,000
308			4801-01-205-0102-9133	1,000	1,000
309			4801-01-205-0103-9133	1,000	1,000
310			4801-01-800-0101-9839	1,000	1,000
311			4801-80-001-0101-8808	1,000	1,000
312			4801-80-800-0101-3561	1,000	1,000
313	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-001-0103-5669	1,000	1,000
314			2225-01-001-0603-9094	1,000	1,000
315			2225-01-196-0803-5133	1,000	1,000
316			2225-01-277-0603-0538	1,000	1,000
317			2225-01-800-0703-5635	1,000	1,000
318			2225-01-800-0706-5635	1,000	1,000
319			2225-01-800-0803-5635	1,000	1,000
320			4225-01-190-0103-3185	1,000	1,000
321			4225-01-190-0706-3185	1,000	1,000
322			4225-01-277-0103-2294	1,000	1,000
323			4225-01-277-0103-7912	1,000	1,000
324			4225-01-800-0103-1032	1,000	1,000

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा का शीर्ष	कुल बजट (मूल+अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन/समर्पण
325			4225-01-800-0703-1400	1,000	1,000
326			4225-01-800-0703-4722	1,000	1,000
327			4225-01-800-0703-5635	1,000	1,000
328			4225-01-800-0706-1400	1,000	1,000
329			4225-01-800-0706-4722	1,000	1,000
330			4225-01-800-0706-5635	1,000	1,000
331	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-001-0101-5669	1,000	1,000
332			2235-02-102-0101-6442	1,000	1,000
333			2235-02-102-0102-6442	1,000	1,000
334			2235-02-102-0103-6442	1,000	1,000
335			2235-02-102-0701-1193	100	100
336			2235-02-102-0704-1193	100	100
337			2235-02-103-0101-1098	1,000	1,000
338			2235-02-103-0101-9586	1,000	1,000
339			2235-02-103-0102-5033	1,000	1,000
340			2235-02-103-0801-1097	1,000	1,000
341			2236-02-101-0702-6392	1,000	1,000
342			2236-02-101-0703-6392	1,000	1,000
343			4235-02-102-0702-0658	1,000	1,000
344			4235-02-102-0703-0658	1,000	1,000
345			4235-02-102-0705-0658	1,000	1,000
346			4235-02-102-0706-0658	1,000	1,000
347			4235-02-800-0701-9646	1,000	1,000
348			4235-02-800-0704-9646	1,000	1,000
योग				**3,02,200**	**3,02,200**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.17
आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

(संदर्भः कंडिका 3.3.12; पृष्ठ 90)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या	आधिक्य राशि
2011-12	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 33 पूंजीगत (दत्तमत): 15, 52, 74 राजस्व (भारित): 23 पूंजीगत (भारित): 23	135.10
2018-19	01 अनुदान 01 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 4 पूंजीगत (भारित): लोक ऋण	1,028.62
2020-21	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 20	9.92
योग	**06 अनुदान और 03 विनियोग**		**1,173.64**

स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.18

एकमुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ समर्पण प्रत्येक प्रकरण में ₹50 करोड़ से अधिक और कुल बजट प्रावधान का 50 प्रतिशत या उससे अधिक था)

(संदर्भः कंडिका 3.4.3; पृष्ठ 93)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	मूल बजट प्रावधान मू: मूल अनु: अनुपूरक	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
1	3	गृह	2055-109.0707.5172-अनुसूचित जाति/जनजाति के थानो की स्थापना	(मू.) 67.36	50.49	74.96
2	8	भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	2245-02.101.2018-बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत	(मू.) 600.00	333.48	55.58
3			2245-02.122.0989-क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों की मरम्मत और उसकी पुनः स्थापना	(मू.) 50.00	50.00	100.00
4			2245-80.102.6276-आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु	(मू.) 1,131.21	736.22	65.08
5			2245-80.102.7667-15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण	(मू.) 267.51	261.55	97.77
6			2245-80.102.7767-महामारी/रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (CBRN) आपदाओं की रोकथाम हेतु किये जाने वाले कार्यों पर व्यय	(मू.) 80.00	80.00	100.00
7	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-102.0101.9899-ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना	(मू.) 217.00	217.00	100.00
8			2401-102.0102.9899-ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना	(मू.) 77.00	77.00	100.00
9			2401-102.0103.9899-ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना	(मू.) 56.00	56.00	100.00
10			2408-01.102.7847-मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना	(मू.) 1,000.00	799.90	79.99
11	14	पशुपालन एवं डेयरी	2403-101.0101.9612-मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना	(मू.) 91.50 (अनु.) 31.00 122.50	73.51	60.01
12	27	स्कूल शिक्षा	2202-01.101.0102.4396-सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	(मू.) 109.39	55.03	50.31
13			2202-02.109.0101.7912-शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण तथा अन्य कार्य	(मू.) 96.38	74.58	77.38
14			4202-01.202.0101.6970-शासकीय स्कूल/छात्रावास/पुस्तकालय/आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार	(मू.) 76.78	61.66	80.31
15	30	ग्रामीण विकास	2216-03.198.0101.1134-मुख्यमंत्री जन आवास योजना	(मू.) 61.00	61.00	100.00
16			2216-03.198.0701.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	(मू.) 2,430.00	1,473.67	60.64

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	मूल बजट प्रावधान मू: मूल अनु: अनुपूरक	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
17			2216-03.198.0702.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	(मू.) 1,174.80	721.43	61.41
18			2216-03.198.0703.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	(मू.) 1,195.20	743.74	62.23
19			2216-03.198.0704.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	(मू.) 1,620.00	970.02	59.88
20			2216-03.198.0705.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	(मू.) 783.20	476.26	60.81
21			2216-03.198.0706.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	(मू.) 796.80	492.56	61.82
22	33	जनजातीय कार्य	2225-01.001.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	(मू.) 143.94	133.63	92.84
23			2225-02.102.0802.6500-विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	(मू.) 100.00	100.00	100.00
24			2225-02.277.0702.6175-छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं	(मू.) 93.75	93.75	100.00
25			2225-02.800.0602.5211-आई.टी.डी.पी. /माडा पॉकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	(मू.) 79.00	78.00	98.73
26			4225-02.800.0602.5211-आई.टी.डी.पी. /माडा पॉकेट /क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	(मू.) 180.00	97.90	54.39
27	43	खेल और युवा कल्याण	4202-03.003.0101.7662-खेलों इंडिया एम.पी.	(मू.) 203.13	130.00	64.00
28			4202-03.003.0103.7662-खेलों इंडिया एम.पी.	(मू.) 53.28	53.06	99.59
29	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	4202-03.003.1203.0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	(मू.) 65.26	58.90	90.25
30	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01.196.0703.5133-विविध छात्रवृत्तियां	(मू.) 63.00	62.54	99.27
31			2225-01.277.0703.7764-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	(मू.) 375.00	375.00	100.00
32			2225-01.793.0803.1213-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	(मू.) 128.75	128.75	100.00
33	55	महिला एवं बाल विकास	4235-02.102.0701.0658-आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाडी और पोषण 2.0)	(मू.) 6.00 (अनु.) 97.02 103.02	97.02	94.18
34			4235-02.102.0704.0658-आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाडी और पोषण 2.0)	(मू.) 4.00 (अनु.) 64.68 68.68	64.68	94.18
			योग	**13,668.94**	**9,338.33**	**68.32**

स्रोतः विनियोग लेखे 2023–24

परिशिष्ट 3.19
व्यय की अधिकता

(संदर्भः कंडिका 3.4.5; पृष्ठ 97)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान क्रमांक एवं नाम	योजना क्रमांक	जनवरी–मार्च 2024 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2024 में किया गया व्यय	कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी –मार्च 2024	मार्च 2024
1	भारित विनियोग I-लोक ऋण	1089	736.00	736.00	736.00	100.00	100.00
2	भारित विनियोग I-लोक ऋण	9928	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00
3	भारित विनियोग I-लोक ऋण	9822	750.00	750.00	750.00	100.00	100.00
4	भारित विनियोग I-लोक ऋण	9823	750.00	750.00	750.00	100.00	100.00
5	2-विमानन	3115	12.00	12.00	21.72	55.25	55.25
6	3-गृह	1416	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00
7	3-गृह	9545	29.61	29.58	46.43	63.78	63.71
8	3-गृह	9953	8.28	8.28	15.77	52.48	52.48
9	4-पर्यावरण	5240	7.32	5.52	10.20	71.74	54.10
10	6-वित्त	6857	36.59	36.58	36.58	100.00	100.00
11	6-वित्त	8808	24.85	24.77	35.24	70.51	70.30
12	7-वाणिज्यिक कर	2360	481.40	481.40	481.40	100.00	100.00
13	7-वाणिज्यिक कर	0817	851.53	851.53	851.53	100.00	100.00
14	7-वाणिज्यिक कर	2359	216.29	216.29	216.29	100.00	100.00
15	7-वाणिज्यिक कर	8808	14.89	12.69	21.90	68.00	57.97
16	8-भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	0475	2,140.80	2,140.80	2,140.80	100.00	100.00
17	8-भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	9597	522.40	522.40	522.40	100.00	100.00
18	8-भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	6276	243.46	210.89	394.99	61.64	53.39
19	10-वन	8859	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00
20	10-वन	5109	65.08	65.08	82.08	79.29	79.29
21	10-वन	9668	12.17	9.31	13.86	87.85	67.15
22	11-औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	2123	1,058.99	696.49	1,250.00	84.72	55.72
23	12-ऊर्जा	5381	1,702.05	1,702.05	1,702.05	100.00	100.00
24	12-ऊर्जा	7900	396.28	396.28	396.28	100.00	100.00
25	12-ऊर्जा	9656	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00
26	12-ऊर्जा	3218	780.78	780.78	780.78	100.00	100.00
27	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	7847	200.02	200.00	200.10	99.96	99.95
28	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	8768	906.40	906.40	1203.66	75.30	75.30
29	14-पशुपालन एवं डेयरी	2087	11.32	10.00	16.56	68.33	60.39
30	14-पशुपालन एवं डेयरी	7482	10.10	10.03	13.63	74.06	73.59
31	14-पशुपालन एवं डेयरी	1458	7.14	7.14	14.27	50.00	50.00
32	14-पशुपालन एवं डेयरी	9612	36.56	33.75	38.23	95.63	88.29
33	14-पशुपालन एवं डेयरी	9570	34.80	34.80	66.95	51.98	51.98
34	17-सहकारिता	9254	532.94	532.94	532.94	100.00	100.00
35	17-सहकारिता	5006	71.37	71.37	74.74	95.48	95.48

स. क्र.	अनुदान क्रमांक एवं नाम	योजना क्रमांक	जनवरी–मार्च 2024 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2024 में किया गया व्यय	कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी –मार्च 2024	मार्च 2024
36	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9545	33.08	29.66	42.44	77.95	69.90
37	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6032	10.53	10.06	17.76	59.31	56.67
38	22-नगरीय विकास एवं आवास	1191	840.00	690.00	840.00	100.00	82.14
39	22-नगरीय विकास एवं आवास	8017	228.49	228.49	408.00	56.00	56.00
40	22-नगरीय विकास एवं आवास	9638	310.20	310.20	517.00	60.00	60.00
41	23-जल संसाधन	1163	50.19	25.42	50.19	100.00	50.64
42	23-जल संसाधन	1141	171.02	139.01	171.02	100.00	81.28
43	23-जल संसाधन	1908	21.15	11.15	21.15	100.00	52.72
44	23-जल संसाधन	8695	7.48	7.35	10.62	70.43	69.25
45	24-लोक निर्माण कार्य	5343	250.00	250.00	250.00	100.00	100.00
46	24-लोक निर्माण कार्य	1316	58.52	49.29	94.77	61.75	52.01
47	24-लोक निर्माण कार्य	4090	19.82	18.17	31.89	62.15	56.96
48	25-खनिज साधन	6606	842.91	842.91	842.91	100.00	100.00
49	26-संस्कृति	7060	18.18	14.18	27.58	65.92	51.41
50	27-स्कूल शिक्षा	1382	22.00	22.00	22.00	100.00	100.00
51	27-स्कूल शिक्षा	6716	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00
52	27-स्कूल शिक्षा	1121	54.99	54.99	74.22	74.10	74.10
53	30-ग्रामीण विकास	6084	265.96	212.35	363.18	73.23	58.47
54	32-जनसंपर्क	7248	155.28	149.28	266.39	58.29	56.04
55	32-जनसंपर्क	9660	160.21	160.00	320.00	50.07	50.00
56	33-जनजातीय कार्य	1396	25.99	25.99	25.99	100.00	100.00
57	33-जनजातीय कार्य	7881	113.54	106.63	191.08	59.42	55.80
58	34-सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन	7569	16.50	14.90	22.90	72.05	65.06
59	35-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	9921	49.61	39.53	74.68	66.43	52.93
60	40-पंचायत	7668	1,906.00	1,906.00	1,906.00	100.00	100.00
61	40-पंचायत	8209	37.87	29.65	53.48	70.82	55.44
62	43-खेल और युवा कल्याण	7662	67.04	63.95	121.44	55.20	52.65
63	44-उच्च शिक्षा	7600	29.17	29.17	29.17	100.00	100.00
64	44-उच्च शिक्षा	6916	49.23	48.68	57.06	86.28	85.32
65	45-लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	9848	53.74	53.74	78.74	68.25	68.25
66	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	6760	7.35	7.35	10.50	70.00	70.00
67	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	7608	13.95	13.95	16.46	84.75	84.75
68	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	0144	8.40	8.40	15.00	56.00	56.00
69	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	0820	384.28	344.92	450.00	85.39	76.65
70	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2377	25.70	25.70	29.50	87.12	87.12
71	48-नर्मदा घाटी विकास	1158	14.00	14.00	14.00	100.00	100.00
72	48-नर्मदा घाटी विकास	1151	38.16	38.16	38.16	100.00	100.00
73	48-नर्मदा घाटी विकास	5011	17.34	16.98	23.36	74.24	72.69
74	48-नर्मदा घाटी विकास	1157	30.00	21.18	30.00	100.00	70.59
75	48-नर्मदा घाटी विकास	9539	509.50	410.38	510.00	99.90	80.47
76	48-नर्मदा घाटी विकास	1250	5.57	5.51	10.50	53.01	52.47
77	49-अनुसूचित जाति कल्याण	5133	37.54	33.38	42.46	88.41	78.61
78	52-चिकित्सा शिक्षा	9077	299.10	258.04	494.92	60.44	52.14

स. क्र.	अनुदान क्रमांक एवं नाम	योजना क्रमांक	जनवरी–मार्च 2024 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2024 में किया गया व्यय	कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी–मार्च 2024	मार्च 2024
79	52-चिकित्सा शिक्षा	1211	6.65	5.88	11.00	60.48	53.45
80	52-चिकित्सा शिक्षा	6355	12.08	10.69	12.11	99.81	88.30
81	55-महिला एवं बाल विकास	1197	13.41	13.41	13.41	100.00	100.00
82	55-महिला एवं बाल विकास	5360	57.91	57.91	57.91	100.00	100.00
83	55-महिला एवं बाल विकास	5067	891.13	830.64	935.84	95.22	88.76
84	55-महिला एवं बाल विकास	1291	80.76	80.76	116.70	69.20	69.20
85	55-महिला एवं बाल विकास	1204	13.69	13.69	14.02	97.63	97.63
योग			**24,123.64**	**23,135.83**	**26,331.89**	**91.61**	**87.86**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.20

2023–24 के दौरान सभी अनुदानों/विनियोगों के लिए तिमाही–वार व्यय दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भः कंडिका 3.4.5; पृष्ठ 96 एवं 97)

(₹ करोड़ में)

स. क्रं.	अनुदान संख्या	विवरण	वर्ष 2023–24 के दौरान आवंटन	प्रथम तिमाही में व्यय	प्रथम तिमाही में व्यय का प्रतिशत	द्वितीय तिमाही में व्यय	द्वितीय तिमाही में व्यय का प्रतिशत	तृतीय तिमाही में व्यय	तृतीय तिमाही में व्यय का प्रतिशत	चतुर्थ तिमाही में व्यय	मार्च में व्यय	वर्ष 2023–24 में कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चौथी तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2024 में व्यय
1	CH-I	भारित विनियोग -लोक ऋण	24,545.85	2,082.47	9.63	4,656.56	21.52	4,145.33	19.16	10,751.37	7,267.81	21,635.73	49.69	33.59
2	CH-II	भारित विनियोग – ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	24,580.14	3,305.50	14.31	7,012.37	30.36	3,643.76	15.77	9,136.78	5,384.55	23,098.41	39.56	23.31
3	1	सामान्य प्रशासन	844.23	198.34	24.49	212.42	26.23	189.44	23.39	209.71	78.33	809.91	25.89	9.67
4	2	विमानन	331.96	28.15	25.38	34.35	30.97	27.26	24.57	21.17	15.38	110.93	19.09	13.87
5	3	गृह	9,061.83	2,346.79	26.31	2,308.79	25.88	2,371.00	26.58	1,893.19	766.96	8,919.77	21.22	8.60
6	4	पर्यावरण	35.21	0.48	2.66	4.71	26.56	3.45	19.44	9.11	5.52	17.75	51.34	31.10
7	5	जेल	643.25	157.62	29.05	123.09	22.69	126.16	23.26	135.62	30.46	542.49	25.00	5.62
8	6	वित्त	26,429.04	5,884.56	26.36	5,860.51	26.25	5,656.93	25.34	4,920.73	1,383.99	22,322.73	22.04	6.20
9	7	वाणिज्यिक कर	2,381.31	123.18	5.43	137.34	6.05	168.89	7.45	1,839.09	1,750.88	2,268.50	81.07	77.18
10	8	भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	7,012.60	852.53	13.89	724.08	11.80	891.51	14.52	3,670.48	3,174.15	6,138.60	59.79	51.71
11	9	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	59.06	6.41	78.35	0.24	2.95	1.39	16.94	0.14	0.08	8.18	1.77	1.01
12	10	वन	4,036.64	658.39	18.57	782.48	22.07	925.54	26.10	1,179.51	561.19	3,545.92	33.26	15.83
13	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	1,984.57	236.85	11.93	352.35	17.75	31.09	1.57	1,364.26	876.34	1,984.55	68.74	44.16
14	12	ऊर्जा	35,557.53	4,140.44	27.81	2,488.47	16.71	3,522.50	23.66	4,736.99	4,673.33	14,888.40	31.82	31.39
15	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	21,379.18	4,164.69	19.48	4,017.47	18.79	4,267.68	19.96	8,929.34	4,624.30	21,379.18	41.77	21.63
16	14	पशुपालन एवं डेयरी	1,122.46	272.91	24.31	239.65	21.35	262.30	23.37	347.58	221.58	1,122.44	30.97	19.74
17	15	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	42.76	1.71	6.73	4.27	16.84	6.77	26.70	12.61	6.53	25.36	49.72	25.77

स. क्रं.	अनुदान संख्या	विवरण	वर्ष 2023–24 के दौरान आवंटन	प्रथम तिमाही में व्यय	प्रथम तिमाही में व्यय का प्रतिशत	द्वितीय तिमाही में व्यय	द्वितीय तिमाही में व्यय का प्रतिशत	तृतीय तिमाही में व्यय	तृतीय तिमाही में व्यय का प्रतिशत	चतुर्थ तिमाही में व्यय	मार्च में व्यय	वर्ष 2023–24 में कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चौथी तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2024 में व्यय
18	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	212.97	17.60	14.49	35.26	29.03	13.89	11.44	54.70	4.80	121.45	45.04	3.95
19	17	सहकारिता	2,796.81	1,554.39	68.61	32.03	1.41	30.65	1.35	648.58	612.86	2,265.65	28.63	27.05
20	18	श्रम	1,240.17	54.71	5.74	66.74	7.00	65.41	6.86	766.59	10.61	953.45	80.40	1.11
21	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13,403.01	2,622.38	22.05	2,558.98	21.52	3,093.30	26.01	3,617.64	2,177.83	11,892.30	30.42	18.31
22	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	12,700.51	3,138.64	27.52	3,047.34	26.72	2,605.44	22.84	2,614.68	-670.84	11,406.11	22.92	-5.88
23	21	लोक सेवा प्रबंधन	117.78	19.79	19.45	32.17	31.61	36.29	35.67	13.49	3.60	101.74	13.26	3.54
24	22	नगरीय विकास एवं आवास	15,897.51	3,107.46	22.77	2,632.65	19.29	2,172.64	15.92	5,735.45	2,650.77	13,648.20	42.02	19.42
25	23	जल संसाधन	8,333.39	1,903.20	24.26	1,732.46	22.09	1,587.67	20.24	2,620.86	1,244.43	7,844.19	33.41	15.86
26	24	लोक निर्माण कार्य	14,514.19	2,739.36	20.16	3,492.91	25.71	2,179.98	16.04	5,175.31	2,308.27	13,587.56	38.09	16.99
27	25	खनिज साधन	1,998.80	278.41	13.96	273.28	13.70	255.63	12.81	1,187.55	1,005.19	1,994.87	59.53	50.39
28	26	संस्कृति	432.87	58.70	13.59	136.52	31.61	78.76	18.24	157.89	70.44	431.87	36.56	16.31
29	27	स्कूल शिक्षा	29,468.45	6,539.10	22.19	8,344.95	28.32	7,166.36	24.32	7,415.62	3,031.66	29,466.03	25.17	10.29
30	28	राज्य विधान मंडल	92.71	27.75	30.36	23.60	25.82	19.08	20.87	20.97	8.28	91.40	22.94	9.06
31	29	विधि और विधायी कार्य	2,548.86	676.56	26.79	611.38	24.21	571.26	22.62	666.47	199.61	2,525.67	26.39	7.90
32	30	ग्रामीण विकास	11,763.99	5,463.76	48.35	2,531.18	22.40	670.98	5.94	2,634.10	1,468.47	11,300.02	23.31	13.00
33	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	954.79	224.96	24.85	344.03	38.00	165.08	18.23	171.36	97.86	905.43	18.93	10.81
34	32	जनसंपर्क	1,081.30	143.87	13.70	276.81	26.36	154.87	14.75	474.73	435.73	1,050.28	45.20	41.49
35	33	जनजातीय कार्य	9,795.86	2,461.62	25.29	2,807.35	28.84	2,133.64	21.92	2,330.20	1,106.58	9,732.82	23.94	11.37
36	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	4,742.01	1,445.68	31.90	760.95	16.79	1,201.70	26.52	1,123.00	63.63	4,531.33	24.78	1.40
37	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	804.23	346.80	45.75	43.18	5.70	113.49	14.97	254.60	216.89	758.07	33.59	28.61
38	36	परिवहन	88.17	20.33	23.21	22.80	26.03	30.35	34.64	14.12	5.35	87.60	16.12	6.11
39	37	पर्यटन	218.89	69.99	31.97	43.74	19.98	18.30	8.36	86.86	58.84	218.89	39.68	26.88
40	38	आयुष	666.18	127.69	19.87	149.17	23.22	175.64	27.33	190.05	88.13	642.54	29.58	13.72

स. क्रं.	अनुदान संख्या	विवरण	वर्ष 2023–24 के दौरान आवंटन	प्रथम तिमाही में व्यय	प्रथम तिमाही में व्यय का प्रतिशत	द्वितीय तिमाही में व्यय	द्वितीय तिमाही में व्यय का प्रतिशत	तृतीय तिमाही में व्यय	तृतीय तिमाही में व्यय का प्रतिशत	चतुर्थ तिमाही में व्यय	मार्च में व्यय	वर्ष 2023–24 में कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चौथी तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2024 में व्यय
41	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1,751.04	310.06	20.67	254.14	16.94	575.87	38.40	359.74	221.14	1,499.81	23.99	14.74
42	40	पंचायत	9,577.07	1,099.23	14.86	1,981.34	26.79	446.36	6.04	3,868.95	3,612.87	7,395.88	52.31	48.85
43	41	प्रवासी भारतीय	20.86	0.00	0.00	20.01	99.98	0.00	0.02	0.00	0.00	20.01	0.00	0.00
44	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	130.95	39.62	30.25	25.63	19.57	30.40	23.21	35.30	16.19	130.94	26.96	12.36
45	43	खेल और युवा कल्याण	487.04	95.15	20.09	75.15	15.87	113.24	23.91	190.05	125.90	473.59	40.13	26.58
46	44	उच्च शिक्षा	2,748.58	708.98	26.02	660.99	24.25	690.14	25.32	665.17	305.24	2,725.28	24.41	11.20
47	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	165.76	3.31	3.51	3.20	3.41	27.91	29.68	59.62	58.39	94.04	63.40	62.09
48	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	300.22	81.68	35.02	34.55	14.81	42.37	18.16	74.66	62.60	233.26	32.01	26.84
49	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2,561.84	271.43	14.86	405.40	22.20	339.51	18.59	809.76	572.92	1,826.10	44.34	31.37
50	48	नर्मदा घाटी विकास	8,488.73	1,891.64	22.29	2,025.96	23.87	1,104.35	13.01	3,464.33	1,766.17	8,486.28	40.82	20.81
51	49	अनुसूचित जाति कल्याण	1,223.15	248.76	20.34	266.56	21.79	285.21	23.32	422.62	222.68	1,223.15	34.55	18.21
52	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	497.13	67.90	21.40	79.84	25.16	62.50	19.70	107.05	43.43	317.29	33.74	13.69
53	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	112.45	21.39	27.59	13.91	17.94	6.17	7.96	36.05	4.72	77.52	46.51	6.08
54	52	चिकित्सा शिक्षा	3,863.92	942.40	27.12	592.32	17.05	968.26	27.87	971.68	577.90	3,474.66	27.96	16.63
55	53	अल्प संख्यक कल्याण	154.56	2.36	22.42	2.89	27.44	2.39	22.71	2.89	2.55	10.53	27.43	24.20
56	54	पिछड़ा वर्ग कल्याण	1,534.09	140.86	11.86	201.37	16.95	83.64	7.04	762.00	371.29	1,187.87	64.15	31.26
57	55	महिला एवं बाल विकास	20,439.48	1,854.66	9.07	5,491.83	26.87	5,901.67	28.87	7,190.68	1,269.53	20,438.84	35.18	6.21
58	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	132.98	33.64	38.96	16.73	19.37	19.30	22.35	16.68	6.23	86.35	19.32	7.22
59	57	आनंद	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	70.02	1.46	1.46	4.87	29.98	29.98
		योग	**3,48,117.92**	**65,316.84**	**21.48**	**71,110.45**	**23.39**	**61,484.11**	**20.22**	**1,06,171.19**	**56,261.58**	**3,04,082.59**	**34.92**	**18.50**

स्रोतः मासिक विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.21
बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण

(संदर्भ: कंडिका 3.4.6; पृष्ठ 98)

स. क्रं.	अनुदान संख्या	नामावली	उप–शीर्षो की कुल संख्या	उप–शीर्षो की संख्या जहां स्पष्टीकरण की आवश्यकता है	उप–शीर्षो की संख्या जहां स्पष्टीकरण प्राप्त हुये थे
1	CH-I	लोक ऋण	35	13	2
2	CH-II	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	167	39	15
3	1	सामान्य प्रशासन	73	17	15
4	2	विमानन	11	6	0
5	3	गृह	145	34	11
6	4	पर्यावरण	14	5	3
7	5	जेल	25	10	2
8	6	वित्त	79	34	6
9	7	वाणिज्यिक कर	38	18	3
10	8	भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	75	23	14
11	9	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	21	11	0
12	10	वन	103	23	6
13	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	23	0	0
14	12	ऊर्जा	67	31	2
15	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	233	39	35
16	14	पशुपालन एवं डेयरी	136	34	32
17	15	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	38	7	0
18	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	40	9	1
19	17	सहकारिता	58	20	16
20	18	श्रम	26	9	1
21	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	189	32	0
22	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	65	29	12
23	21	लोक सेवा प्रबंधन	12	7	0
24	22	नगरीय विकास एवं आवास	231	24	0
25	23	जल संसाधन	362	33	10
26	24	लोक निर्माण कार्य	182	37	0
27	25	खनिज साधन	15	4	3
28	26	संस्कृति	93	16	15
29	27	स्कूल शिक्षा	284	53	33
30	28	राज्य विधान मंडल	12	5	5
31	29	विधि और विधायी कार्य	57	23	9
32	30	ग्रामीण विकास	164	44	44
33	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	45	6	1
34	32	जनसंपर्क	62	1	0
35	33	जनजातीय कार्य	109	39	33
36	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	153	2	0
37	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	43	9	8
38	36	परिवहन	15	7	2
39	37	पर्यटन	27	6	6
40	38	आयुष	59	18	4
41	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	80	25	9

स. क्रं.	अनुदान संख्या	नामावली	उप–शीर्षो की कुल संख्या	उप–शीर्षो की संख्या जहां स्पष्टीकरण की आवश्यकता है	उप–शीर्षो की संख्या जहां स्पष्टीकरण प्राप्त हुये थे
42	40	पंचायत	70	19	1
43	41	प्रवासी भारतीय	2	0	0
44	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	18	3	0
45	43	खेल और युवा कल्याण	64	20	20
46	44	उच्च शिक्षा	122	23	23
47	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	8	6	0
48	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	70	14	10
49	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	124	42	6
50	48	नर्मदा घाटी विकास	207	15	14
51	49	अनुसूचित जाति कल्याण	69	21	21
52	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	57	22	17
53	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	19	7	1
54	52	चिकित्सा शिक्षा	118	41	14
55	53	अल्प संख्यक कल्याण	25	9	0
56	54	पिछड़ा वर्ग कल्याण	27	8	0
57	55	महिला एवं बाल विकास	119	15	15
58	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	57	16	0
59	57	आनंद	2	1	0
		योग	**4,844**	**1,084**	**500**

स्रोतः विनियोग लेखे 2023-24

परिशिष्ट 3.22
बजट आवंटन के विरूद्ध अधिक व्यय

(संदर्भः कंडिका 3.4.6; पृष्ठ 99)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मूः मूल अनु.ः अनुपूरक पुनर्वि.ः पुनर्विनियोजन/समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य (+)
1	CH-I	भारित विनियोग – लोक ऋण	6003-111.6835-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	(मूल) 4,200 (पुनर्वि.) 300 4,500	4,753.91	253.91
2			6004-02.101.9086-बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बेक टू बेक ऋण	1,250	1,980.11	730.11
3	CH-II	भारित विनियोग – ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03.104.0095-अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज	9.61	10.98	1.37
4			2049-01.101.9314-8.05 प्रतिशत म.प्र. राज्य विकास ऋण 2028	161.00	233.00	72.00
5			2049-01.123.5042-भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को रा. अ. ब. निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	2,850.00	3,044.59	194.59
6			2049-01.200.0845-उदय बान्डस का ब्याज भुगतान	524.63	528.72	4.09
7			2049-04.101.3707-राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज	(मूल) 600.00 (अनु.) 1,200.00 1,800.00	2,119.29	319.29
8	6	वित्त	2054-095.8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	33.67	35.21	1.54
9			2071-01.101.9998-मध्यप्रदेश पेंशन	4000.00	4473.42	473.42
10			2071-01.105.9998-मध्यप्रदेश पेंशन	1300.00	1446.23	146.23
11			2071-01.200.5653-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	12.00	41.56	29.55
12			2071-01.102.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	0.05	0.44	0.39
13			2071-01.104.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	0.45	0.64	0.19
14			2071-01.106.9998-मध्यप्रदेश पेंशन	5.00	13.05	8.05
15			2071-01.106.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	0.79	7.11	6.32
16	7	वाणिज्यिक कर	2043-101.1509-जिला स्थापना	(मूल) 256.59 (पुनर्वि.) (-) 67.60 188.99	189.29	0.30

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य (+)
17	8	भू–राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	2245-02.101.2018-बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत	(मूल) 600.00 (पुनर्वि.) (-) 333.48 266.52	268.59	2.08
18	12	ऊर्जा	2801-80.101.0101.5381-अटल कृषि ज्योति योजना	(मूल) 10.00 (अनु.) टोकन 10.00	1702.05	1692.05
19			2801-80.101.0102.5378-अटल गृह ज्योति योजना	(मूल) 1,330.88 (अनु.) टोकन 1,330.88	2,125.88	795.00
20			2801-80.101.0103.5378-अटल गृह ज्योति योजना	(मूल) 977.77 (अनु.) टोकन 977.77	1,316.60	338.83
21			6801-190.1901.9542-रीवेम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)	(अनु.) टोकन	76.49	76.49
22			6801-204.0101.6869-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना	(अनु.) 0.00	984.88	984.88
23	17	सहकारिता	2425-107.0101.5006-प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	(मूल) 6.71 (पुनर्वि.) (-) 0.33 6.38	55.81	49.43
24			2425-107.0102.5006-प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	(मूल) 2.53 (पुनर्वि.) (-) 0.00 2.53	14.75	12.22
25			2425-107.0103.5006-प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	(मूल) 1.76 (पुनर्वि.) (-) 0.74 1.02	4.18	3.16
26	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01.001.0101.2283-निदेशन और प्रशासन	127.54	152.75	25.22
27			2210-01.001.0103.7834-स्वास्थ्य संस्थाओं की सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था	9.19	9.99	0.80
28			2210-01.110.0702.2315-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)	39.11	115.94	76.82
29			2210-01.110.0703.2315-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)	12.03	87.51	75.48
30			2210-01.110.0704.5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम)	990.95	1,342.07	351.12
31			2210-01.110.0706.5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम)	255.73	623.30	367.57

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य (+)
32			2210-06.003.0101.5989-राज्य स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र	7.85	8.65	0.80
33			2211-196.0802.1508-जिला स्तरीय अमला	10.37	11.46	1.09
34	22	नगरीय विकास एवं आवास	2217-05.191.0701.1263-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	38.00	51.00	13.00
35			2217-05.191.0704.1263-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	25.00	37.00	12.00
36			2217-05.800.0701.1199-अमृत 2.0–जी.आई.एस. आधारित मास्टर प्लान	(अनु.) टोकन	9.63	9.63
37			2217-05.800.0701.1205-अमृत 2.0–ए,तथा ओ.ई. सुधार प्रोत्साहन	(अनु.) टोकन	65.81	65.81
38			2217-05.800.0701.1223-नगरीय स्वच्छ भारत मिशन 2.0–आई.एच.एच.एल.सी.टी. पी.टी.	(अनु.) टोकन	5.51	5.51
39			2217-05.800.0704.1205-अमृत 2.0–ए,तथा ओ.ई. सुधार प्रोत्साहन	(अनु.) टोकन	45.81	45.81
40	23	जल संसाधन	4700-60.800.0101.2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(मूल) 6.00 (अनु.) 40.00 (पुनर्वि.) 5.93 51.93	54.55	2.62
41			4700-C7.800.0701.1141-केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना	(मूल) 0.00 (पुनर्वि.) (-) 0.00 0.00	0.10	0.10
42			4700-C7.800.0702.2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(मूल) 351.00 (पुनर्वि.) (-) 0.15 350.85	351.22	0.98
43			4701-80.800.0101.3368-मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य	(मूल) 60.84 (पुनर्वि.) (-) 52.37 8.47	27.87	19.40
44	24	लोक निर्माण कार्य	4217-01.051.0101.1555-विधान सभा तथा विधायक विश्राम गृह	1.00	2.50	1.50
45			5054-03.337.0102.6841-म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण	0.00	60.00	60.00
46			5054-03.337.0103.6841-म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण	0.00	195.00	195.00
47			5054-03.337.0801.0948-केन्द्रीय सड़क निधि	(मूल) 488.00 (अनु.) 450.00 (पुनर्वि.) (-) 70.00	893.89	25.89

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य (+)
				868.00		
48			5054-03.337.1901.5139-मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	(मूल) 220.00 (पुनर्वि.) (-) 202.00 18.00	18.24	0.24
49			5054-03.337.1902.6841-म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण	12.50	82.50	70.00
50			5054-03.337.1903.6841-म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण	1.75	76.75	75.00
51			5054-80.0101.9686-बी.ओ.टी. परियोजना की समाप्ति पर भुगतान	(मूल) 6.00 (अनु.) 10.00 16.00	26.00	10.00
52	28	राज्य विधान मंडल	2011-02.103.4009-विधान सभा सचिवालय	(मूल) 50.90 (पुनर्वि.) (-) 9.76 41.14	41.46	0.32
53	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	2851-101.0101.6750-सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास	(मूल) 0.20 (पुनर्वि.) (-) 0.07 0.13	1.23	1.10
54	40	पंचायत	3604-198.8209-पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधायें	11.04	28.50	17.46
55	44	उच्च शिक्षा	2202-03.103.0101.0798-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	(मूल) 1508.57 (पुनर्वि.) (-) 475.32 1033.25	1033.90	0.66
56	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-51.001.0101.2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट– एक एवं यूनिट–दो)	(मूल) 42.68 (पुनर्वि.) (-) 22.29 20.39	20.52	0.13
57			4700-51.001.0101.3296-मण्डल कार्यालय एवं अधीनस्थ तीन संभागों का स्थापना व्यय	(मूल) 8.62 (पुनर्वि.) (-) 8.22 0.40	0.44	0.04
58			4700-51.001.0101.3557-मुख्यालय स्थापना (मुख्य अभियंता रा.अ.बा. लो.सा.)	(मूल) 6.30 (पुनर्वि.) (-) 2.94 3.36	3.41	0.05
59			4700-51.001.0101.8191-निष्पादन स्थापना (यूनिट–दो)	(मूल) 52.90 (पुनर्वि.) (-) 21.64 31.26	31.53	0.26
60			4700-66.800.0102.5091-लोअर गोई परियोजना	(मूल) 18.00 (पुनर्वि.) (-) 3.51 14.49	14.74	0.25
61			4701-45.001.1902.5152-हालोन परियोजना	(मूल) 1.00 (पुनर्वि.) (-) 0.93 0.07	20.57	20.50
62			4801-80.800.0101.3561-मुख्यालय स्थापना	(मूल) 36.79 (पुनर्वि.) (-) 18.39 18.40	18.73	0.32

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य (+)
63			4700-80.800.1401.9838-आई.एस.पी. कालीसिंध उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना फेस. 2	(अनु.) 222.00 (पुनर्वि.) 623.00 845.00	940.00	95.00
64	52	चिकित्सा शिक्षा	4210-03.105.0102.1103-रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय (राज्य सहायता)	17.92	25.14	7.22
65			4210-03.105.0703.1136-नवीन नर्सिंग कालेजों का निर्माण	2.40	4.16	1.76
66			4210-03.105.0704.1136-नवीन नर्सिंग कालेजों का निर्माण	6.10	10.79	4.69
67			4210-03.105.0705.1136-नवीन नर्सिंग कालेजों का निर्माण	2.30	3.77	1.47
68	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02.102.0704.0658-आंगनवाडी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाडी और पोषण 2.0)	(मूल) 366.19 (अनु.) 139.98 (पुनर्वि.) (-) 280.44 225.73	239.89	14.16
69			2235-02.102.0707.0658-आंगनवाडी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाडी और पोषण 2.0)	(मूल) 640.13 (अनु.) 143.35 (पुनर्वि.) 719.43 1,502.91	1,579.34	76.43
70			2235-02.103.0101.1130-मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023	(मूल) 4,611.72 (अनु.) 4,448.00 (पुनर्वि.) 1,505.64 10,565.36	10,566.36	1.00
			योग	**36,417.21**	**44,366.31**	**7,949.70**

स्रोत: विनियोग लेखे 2023-24

परिशिष्ट 3.23

सीमा से अधिक पुनर्विनियोजन

(संदर्भ: कंडिका 3.4.9.2(ix); पृष्ठ 117)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष/योजना शीर्ष	बजट आवंटन	बजट पुनर्विनियोजन
	2021-22		
1	20-4215-01-001-9999-1854-V-12-003	1.25	2.13
2	20-4215-01-001-9999-1854-V-19-009	0.25	0.20
3	20-4215-01-101-0704-3862-V-11-025	टोकन राशि	2.00
4	20-4215-01-101-0704-3862-V-34-001	टोकन राशि	1.50
5	20-4215-01-101-0705-3862-V-34-000	टोकन राशि	0.75
6	20-4215-01-101-0706-3862-V-34-000	टोकन राशि	0.50
7	20-4215-01-102-0705-5468-V-64-001	255.00	258.00
8	20-4215-01-102-0705-9029-V-64-001	टोकन राशि	0.50
9	20-4215-01-102-0706-5468-V-64-001	195.00	195.25
10	20-4215-01-800-0704-7163-V-11-025	टोकन राशि	4.65
11	20-4215-01-800-0704-7163-V-26-000	टोकन राशि	1.35
12	20-4215-01-800-0704-7163-V-35-000	टोकन राशि	0.50
13	20-4215-01-800-0705-7163-V-26-000	टोकन राशि	1.00
14	20-4215-01-800-0705-7163-V-35-000	टोकन राशि	0.50
15	20-4215-01-800-0706-7163-V-26-000	टोकन राशि	0.25
16	20-4215-01-800-0706-7163-V-35-000	टोकन राशि	0.25
	2022-23		
17	20-4215-01-102-0101-2580-V-64-001	30.50	18.30
18	20-4215-01-102-0101-4379-V-64-001	91.50	57.70
19	20-4215-01-102-0101-6032-V-64-001	8.00	6.50
20	20-4215-01-102-0102-2580-V-64-001	11.50	6.90
21	20-4215-01-102-0103-2580-V-64-001	8.00	4.80
22	20-4215-01-800-1401-7301-V-64-002	280.60	167.50
23	20-4215-01-800-1403-7301-V-64-002	73.60	45.00
	2023-24		
24	20-4215-01-102-0101-6032-V-64-001	8.00	10.00
25	20-4215-01-102-0103-2580-V-64-001	8.00	5.00
26	20-4215-01-102-0704-5468-V-64-001	536.98	705.57
27	20-4215-01-102-0705-5468-V-64-001	123.64	209.94
28	20-4215-01-102-0706-5468-V-64-001	170.26	186.26

परिशिष्ट 4.1
लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की विभाग–वार स्थिति

(संदर्भः कंडिका 4.6; पृष्ठ 125)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	राशि
1	संसदीय कार्य	2011	संसद / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	30	1.29
2	सामान्य प्रशासन	2013	मंत्री परिषद	37	0.74
		2014	न्याय प्रशासन	375	1.55
		2015	निर्वाचन	02	0.16
		2052	सचिवालय–सामान्य सेवाएं	93	87.72
		2053	जिला प्रशासन	02	5.08
3	राजस्व विभाग	2029	भू–राजस्व	104	1.20
4	वाणिज्यिक कर	2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	04	0.17
5	वित्त	2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	04	0.01
		2075	विविध सामान्य सेवाएं	532	4.95
6	स्कूल शिक्षा विभाग	2202	सामान्य शिक्षा	06	7.13
7	खेल एवं युवक कल्याण	2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	91	21.04
8	संस्कृति	2205	कला एवं संस्कृति	21	20.54
9	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	जलपूर्ति तथा सफाई	552	441.97
10	नगरीय विकास एवं आवास	2216	आवास	14	2,534.81
		2217	शहरी विकास	35	422.30
11	जन संपर्क	2220	सूचना एवं प्रचार	35	1.50
12	अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति कल्याण	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	83	306.62
13	श्रम	2230	श्रम तथा रोजगार	1269	44.61
14	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1081	744.50
15	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401	फसल कृषि–कर्म	3138	450.27
		4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	11	1.25
16	पशुपालन	2403	पशुपालन	527	256.79
17	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	2405	मछली पालन	3359	10.49
18	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	2408	खाद्य, भंडारण एवं भांडागार	1453	2,186.80
19	सहकारिता	2425	सहकारिता	722	278.69
20	ग्रामीण विकास	2505	ग्रामीण विकास	16	1,155.78
		2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	43	3,549.95
21	जल संसाधन	2702	लघु सिंचाई	280	12.55
22	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	34	30.77
23	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	623	218.26
24	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	2852	उद्योग	2988	191.07
25	खनिज संसाधन	2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	871	234.49
26	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	02	2.24
27	पर्यटन	3452	पर्यटन	188	84.54
28	पंचायती राज विकास	3604	स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1272	8,737.55
		योग		**19897**	**22,049.38**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट 4.2
31 मार्च 2024 को अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 4.8; पृष्ठ 128)

(₹ लाख में)

स.क्र.	कोषालय का नाम	व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या	राशि
1	अलीराजपुर	2	0.17
2	अनूपपुर	1	0.24
3	बैतूल	9	-126.44
4	भिण्ड	1	12.84
5	भोपाल	5	331.92
6	छतरपुर	14	428.14
7	दतिया	4	184.49
8	देवास	1	0.06
9	धार	5	265.54
10	गुना	1	0.98
11	हरदा	8	44.36
12	इंदौर शहर	22	17,060.40
13	इंदौर	2	-405.74
14	जबलपुर शहर	5	107.89
15	जबलपुर	8	3,081.34
16	झाबुआ	5	841.82
17	खरगौन	6	2,817.65
18	खण्डवा	3	2,104.49
19	मंडला	8	1,643.42
20	मुरैना	4	13.10
21	नरसिंहपुर	9	53.75
22	राजगढ़	6	-39.89
23	रतलाम	4	67.83
24	रीवा	8	273.12
25	रायसेन	15	1,861.86
26	सागर	10	-215.77
27	शाजापुर	2	-0.95
28	सतना	7	17.07
29	सीहोर	2	61.50
30	सिवनी	7	33.38
31	शहडोल	8	197.13
32	सीधी	4	3.79
33	सिंगरौली	3	18.95
34	टीकमगढ़	3	25.78
35	उज्जैन	2	11.52
36	उमरिया	1	35.57
37	वल्लभ भवन	1	-2,044.66
38	विन्ध्याचल	8	3,819.64
योग		**214**	**32,586.29**

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट 4.3
लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत पुस्तांकन
(संदर्भ: कंडिका 4.9; पृष्ठ 129)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्तियां	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्ति	प्रतिशत
1	0047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.02	0.02	100.00
2	0056	जेल	2.51	3.25	77.23
3	0059	लोक निर्माण कार्य	62.63	62.84	99.66
4	0071	पेंशन तथा अन्य सेवा–निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	58.21	81.73	71.22
5	0210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	180.76	200.24	90.27
6	0211	परिवार कल्याण	0.14	0.13	111.05
7	0217	शहरी विकास	73.52	74.90	98.15
8	0220	सूचना तथा प्रचार	0.18	0.18	100.00
9	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	16.16	16.12	100.22
10	0401	फसल कृषि कर्म	1,937.77	1,951.16	99.31
11	0404	डेयरी विकास	0.00*	0.00*	99.63
12	0408	खाद्य भंडारण एवं भांडागार	0.91	0.92	99.61
13	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	41.20	41.20	99.98
14	0700	मुख्य सिंचाई	102.04	132.18	77.20
15	0702	लघु सिंचाई	325.78	325.78	100.00
16	0801	बिजली	352.66	352.66	100.00
17	0852	उद्योग	0.04	0.04	100.00
18	1054	सड़क तथा सेतु	0.00*	0.00*	100.00
19	1452	पर्यटन	17.03	17.03	100.00
20	50 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	50 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	7,842.70	2,30,765.66	3.40
योग			**11,014.25**	**2,34,026.04**	**4.71**

स्रोत: वित्त लेखे 2023–24

* **नगण्य**

परिशिष्ट 4.4
लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकन
(संदर्भ: कंडिका 4.9; पृष्ठ 129)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	प्रतिशत
1	2075	विविध सामान्य सेवाएं	39.52	77.04	51.30
2	2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	135.28	233.09	58.04
3	2217	शहरी विकास	2,186.87	3,426.36	63.82
4	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	77.68	77.68	100.00
5	2401	फसल कृषि कर्म	4,629.07	7,273.80	63.64
6	2702	लघु सिंचाई	83.28	85.60	97.29
7	2705	कमान क्षेत्र विकास	5.90	5.90	100.00
8	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	448.76	710.37	63.17
9	2852	उद्योग	1,026.75	1,040.35	98.69
10	3454	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	67.23	127.33	52.80
11	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.49	6.49	100.00
12	4408	खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	0.02	0.02	100.00
13	4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	9,601.56	12,620.28	76.08
14	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,401.91	1,438.11	97.48
15	4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.89	0.89	100.00
16	4853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	860.00	860.00	100.00
17	4875	अन्य उद्योगो पर पूंजीगत परिव्यय	610.00	704.41	86.60
18	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.18	0.18	100.00
19	50 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	50 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	17,604.97	2,49,388.95	7.06
		योग	**38,786.36**	**2,78,076.85**	**13.95**

स्रोत: वित्त लेखे 2023–24

परिशिष्ट 4.5

लघु शीर्ष 800 के बजाय उपयुक्त लघु शीर्ष खोजने के लिए मैन्युअल रूप से और यादृच्छिक रूप से चयनित प्रमाणकों की सूची

(संदर्भ: कंडिका 4.9; पृष्ठ 130)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	प्रमाणक संख्या/कोषालय	वर्गीकरण	राशि	योजना का नाम	लघु शीर्ष जिसका उपयोग मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार किया जा सकता था
1	04_2501_विंध्याचल भवन _25	30_2501_02 _800_ 0101_8711_42_007 _V	1.41	8711-भूजल प्रबंधन संस्थान कमांड क्षेत्र कार्यक्रम	307-मृदा एवं जल संरक्षण
2	10_23_2501_विंध्याचल भवन _1	30_2501_02 _800_ 0101_8711_42_007 _V	1.28	8711-भूजल प्रबंधन संस्थान कमांड क्षेत्र कार्यक्रम	307-मृदा एवं जल संरक्षण
3	01_24_2501_विंध्याचल भवन _2	30_2501_02 _800_ 0101_8711_42_007 _V	1.02	8711-भूजल प्रबंधन संस्थान कमांड क्षेत्र कार्यक्रम	307-मृदा एवं जल संरक्षण
		योग	**3.71**		
4	07_4202_वल्लभ भवन _13	43-4202-03-800-0101-5159-63-002-V	1.00	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101-युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम का उपयोग निधि के उपयोग के अनुसार किया जाना चाहिए।
5	07_4202_वल्लभ भवन _40	43-4202-03-800-0102-5159-64-002-V	1.00	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101-युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम का उपयोग निधि के उपयोग के अनुसार किया जाना चाहिए।
6	10_23_4202_वल्लभ भवन _9	43-4202-03-800-0102-5159-64-002-V	2.00	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101-युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम का उपयोग निधि के उपयोग के अनुसार किया जाना चाहिए।
7	10_23_4202_वल्लभ भवन _11	43-4202-03-800-0102-5159-64-002-V	2.00	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101-युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम का उपयोग निधि के उपयोग के अनुसार किया जाना चाहिए।
8	10_23_4202_वल्लभ भवन _21	43-4202-03-800-0101-5159-64-002-V	2.90	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101-युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम का उपयोग निधि के उपयोग के अनुसार किया जाना चाहिए।
9	10_23_4202_वल्लभ	43-4202-03-800-	1.27	5159-खेल अकादमियों	101-युवा छात्रावास

स. क्र.	प्रमाणक संख्या/कोषालय	वर्गीकरण	राशि	योजना का नाम	लघु शीर्ष जिसका उपयोग मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार किया जा सकता था
	भवन _45	0102-5159-63-002-V		की स्थापना	अथवा 102- खेल स्टेडियम का उपयोग निधि के उपयोग के अनुसार किया जाना चाहिए।
10	10_23_4202_वल्लभ भवन _46	43-4202-03-800-0101-5159-63-002-V	1.76	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101-युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम का उपयोग निधि के उपयोग के अनुसार किया जाना चाहिए।
11	01_24_4202_वल्लभ भवन _8	43-4202-03-800-0101-5159-64-002-V	1.50	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101-युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम का उपयोग निधि के उपयोग के अनुसार किया जाना चाहिए।
12	01_24_4202_वल्लभ भवन _9	43-4202-03-800-0101-5159-64-002-V	1.50	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	101-युवा छात्रावास अथवा 102- खेल स्टेडियम का उपयोग निधि के उपयोग के अनुसार किया जाना चाहिए।
13	12_23_2202_वल्लभ भवन _1	43-2204-00-800-0101-5159-42-007-V	1.40	5159-खेल अकादमियों की स्थापना	104- खेल और क्रीड़ा
		योग	**16.34**		
14	07_23_4202_वल्लभ भवन _39	43-4202-03-800-0101-6703-64-002-V	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
15	07_4202_वल्लभ भवन _38	43-4202-03-800-0103-6703-64-002-V	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
16	07_4202_वल्लभ भवन _14	43-4202-03-800-0101-6703-64-002-V	1.45	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
17	07_4202_वल्लभ भवन _41	43-4202-03-800-0102-6703-64-002-V	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
18	03_24_4202_वल्लभ भवन _52	43-4202-03-800-0101-6703-64-002-V	2.50	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
19	03_24_4202_वल्लभ भवन _25	43-4202-03-800-0101-6703-64-002-V	2.39	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
20	03_24_4202_वल्लभ भवन _28	43-4202-03-800-0101-6703-64-002-V	2.98	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
21	03_24_4202_वल्लभ भवन _58	43-4202-03-800-0102-6703-64-002-V	2.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
22	03_24_4202_वल्लभ भवन _67	43-4202-03-800-0102-6703-64-002-V	1.96	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
23	03_24_4202_वल्लभ भवन _53	43-4202-03-800-0101-6703-64-002-V	2.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
24	03_24_4202_वल्लभ भवन _104	43-4202-03-800-0101-6703-64-002-V	5.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
25	03_24_4202_वल्लभ	43-4202-03-800-	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं	102- खेल स्टेडियम का

स. क्र.	प्रमाणक संख्या/कोषालय	वर्गीकरण	राशि	योजना का नाम	लघु शीर्ष जिसका उपयोग मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार किया जा सकता था
	भवन _103	0102-6703-64-002-V		खेल अद्योसंरचना	उपयोग होना चाहिए
26	03_24_4202_वल्लभ भवन _91	43-4202-03-800-0101-6703-64-002-V	2.50	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
27	03_24_4202_वल्लभ भवन _102	43-4202-03-800-0101-6703-64-002-V	4.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
28	02_24_4202_वल्लभ भवन _31	43-4202-03-800-0103-6703-64-002-V	1.50	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
29	02_24_4202_वल्लभ भवन _53	43-4202-03-800-0101-6703-64-002-V	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
30	02_24_4202_वल्लभ भवन _38	43-4202-03-800-0102-6703-64-002-V	1.50	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
31	02_24_4202_वल्लभ भवन _33	43-4202-03-800-0102-6703-64-002-V	1.50	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
32	02_24_4202_वल्लभ भवन _39	43-4202-03-800-0103-6703-64-002-V	1.50	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
33	02_24_4202_वल्लभ भवन _37	43-4202-03-800-0103-6703-64-002-V	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
34	02_24_4202_वल्लभ भवन _30	43-4202-03-800-0102-6703-64-002-V	1.50	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
35	02_24_4202_वल्लभ भवन _51	43-4202-03-800-0101-6703-64-002-V	3.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
36	02_24_4202_वल्लभ भवन _32	43-4202-03-800-0103-6703-64-002-V	1.50	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
37	10_23_4202_वल्लभ भवन _36	43-4202-03-800-0101-6703-63-002-V	1.10	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
38	09_4202_वल्लभ भवन _25	43-4202-03-800-0103-6703-64-002-V	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
39	04_23_4202_वल्लभ भवन _24	43-4202-03-800-0102-6703-64-002-V	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
40	04_23_4202_वल्लभ भवन _33	43-4202-03-800-0101-6703-64-002-V	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
41	04_23_4202_वल्लभ भवन _35	43-4202-03-800-0102-6703-64-002-V	1.00	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
42	04_23_4202_वल्लभ भवन _34	43-4202-03-800-0101-6703-64-002-V	1.06	6703- खेल स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना	102- खेल स्टेडियम का उपयोग होना चाहिए
		योग	**50.94**		
43	08_4515_विंध्याचल भवन _1	30-4515-800-1202-0654-64-001-V	11.50	0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	103- ग्राम विकास
44	08_4515_विंध्याचल भवन _2	30-4515-800-1201-0654-64-001-V	30.50	0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	103- ग्राम विकास
45	08_4515_विंध्याचल भवन _3	30-4515-800-1203-0654-64-001-V	8.00	0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	103- ग्राम विकास
		योग	**50.00**		
46	04_23_4406_सागर_1	10_4406_01_800_ _9667_54_ V	78.86	9667- वन संरक्षण मण्डल	101-वन संरक्षण विकास एवं पुनर्जनन
47	04_23_4406_सागर _2	10_4406_01_800_ _9667_54_ V	18.44	9667- वन संरक्षण मण्डल	101-वन संरक्षण विकास एवं पुनर्जनन
48	06_23_4406_वल्लभ भवन _25	10_4406_01_800_ _9667_34_ V	1.84	9667- वन संरक्षण मण्डल	101-वन संरक्षण विकास एवं पुनर्जनन

स. क्र.	प्रमाणक संख्या/कोषालय	वर्गीकरण	राशि	योजना का नाम	लघु शीर्ष जिसका उपयोग मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार किया जा सकता था
49	07_23_4406_मंदसौर_1	10_4406_01_800_9667_34_V	2.46	9667- वन संरक्षण मण्डल	101-वन संरक्षण विकास एवं पुनर्जनन
50	07_23_4406_मंदसौर _21	10_4406_01_800_9667_34_V	1.23	9667- वन संरक्षण मण्डल	101-वन संरक्षण विकास एवं पुनर्जनन
51	09_23_4406_मंदसौर _10	10_4406_01_800_9667_34_V	2.31	9667- वन संरक्षण मण्डल	101-वन संरक्षण विकास एवं पुनर्जनन
52	09_23_4406_सागर _51	10_4406_01_800 _9667_54 _V	11.90	9667- वन संरक्षण मण्डल	101-वन संरक्षण विकास एवं पुनर्जनन
		योग	**117.04**		
53	06_23_2401_ग्वालियर_54	13_2401__800_0101 _6345_44_001_V	300.00	6345-मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना	115-लघु/सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमकों की योजना
54	06_23_2401_ग्वालियर _56	13_2401__800_0102 _6345_44_001_V	300.00	6345-मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना	115-लघु/सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमकों की योजना
55	06_23_2401_ग्वालियर _57	13_2401__800_0103 _6345_44_001_V	300.00	6345-मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना	115-लघु/सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमकों की योजना
56	06_23_2401_ग्वालियर _53	13_2401__800_0101 _6345_44_001_V	300.00	6345-मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना	115-लघु/सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमकों की योजना
57	06_23_2401_ग्वालियर _55	13_2401__800_0101 _6345_44_001_V	300.00	6345-मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना	115-लघु/सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमकों की योजना
		योग	**1,500.00**		
58	03_24_2235_रीवा_117	34_2235_02_800_0101_6710_42_001_V	1.13	6710-दीनदयाल अंत्योदय मिशन को वित्तीय सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	103- महिला कल्याण
59	03_24_2235_डिंडौरी_25	34_2235_02_800_0101_6710_42_001_V	1.20	6710-दीनदयाल अंत्योदय मिशन को वित्तीय सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	103- महिला कल्याण
60	02_24_2235_रीवा _86	34_2235_02_800_0101_6710_42_001_V	1.10	6710-दीनदयाल अंत्योदय मिशन को वित्तीय सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	103- महिला कल्याण
61	02_24_2235_रीवा _60	34_2235_02_800_0101_6710_42_001_V	1.09	6710-दीनदयाल अंत्योदय मिशन को वित्तीय सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	103- महिला कल्याण
62	02_24_2235_सीहोर_19	34_2235_02_800_0101_6710_42_001_V	3.66	6710-दीनदयाल अंत्योदय मिशन को वित्तीय सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	103- महिला कल्याण
63	03_24_2235_रीवा _65	34_2235_02_800_0101_6710_42_001_V	1.13	6710-दीनदयाल अंत्योदय मिशन को वित्तीय सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	103- महिला कल्याण

स. क्र.	प्रमाणक संख्या/कोषालय	वर्गीकरण	राशि	योजना का नाम	लघु शीर्ष जिसका उपयोग मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार किया जा सकता था
64	07_23_2235_झाबुआ _9	34-2235-02-800-0102-6710-42-007-V	1.42	6710-दीनदयाल अंत्योदय मिशन को वित्तीय सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	103- महिला कल्याण
65	07_23_2235_ सागर _6	34-2235-02-800-0101-6710-42-007-V	1.87	6710-दीनदयाल अंत्योदय मिशन को वित्तीय सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	103- महिला कल्याण
66	07_23_2235_सागर _7	34-2235-02-800-0103-6710-42-007-V	1.16	6710-दीनदयाल अंत्योदय मिशन को वित्तीय सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	103- महिला कल्याण
67	07_23_2235_नरसिंहपुर_25	34-2235-02-800-0102-6710-42-007-V	1.08	6710-दीनदयाल अंत्योदय मिशन को वित्तीय सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	103- महिला कल्याण
		योग	**14.84**		
68	03_24_6856_विंध्याचल भवन _01	11_6856_00_800_0101_2123_67_000_V	50.00	2123-निवेश प्रोत्साहन योजना	190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों हेतु ऋण
69	02_24_6856_विंध्याचल भवन _01	11_6856_00_800_0101_2123_67_000_V	62.50	2123-निवेश प्रोत्साहन योजना	190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों हेतु ऋण
70	02_24_2852_विंध्याचल भवन _01	11_2852_80_800_0101_2123_44_008_V	300.00	2123-निवेश प्रोत्साहन योजना	104- औद्योगिक संवर्धन
71	03_24_2852_विंध्याचल भवन _02	11_2852_80_800_0101_2123_44_008_V	332.00	2123-निवेश प्रोत्साहन योजना	104- औद्योगिक संवर्धन
72	03_24_2852_विंध्याचल भवन _03	11_2852_80_800_0101_2123_42_007_V	18.00	2123-निवेश प्रोत्साहन योजना	104- औद्योगिक संवर्धन
73	03_24_2852_विंध्याचल भवन _05	11_2852_80_800_0101_2123_44_008_V	286.49	2123-निवेश प्रोत्साहन योजना	104- औद्योगिक संवर्धन
74	03_24_2852_विंध्याचल भवन _04	11_2852_80_800_0101_2123_42_007_V	10.00	2123-निवेश प्रोत्साहन योजना	104- औद्योगिक संवर्धन
		योग	**1,058.99**		
75	10_23_2053_वल्लभ भवन _28	21_2053_00_800_0101_5722_42_002_V	3.00	5722-कॉल सेंटर की स्थापना	094- अन्य स्थापनाएं
76	11_23_2053_वल्लभ भवन _28	21_2053_00_800_0101_5722_42_002_V	3.00	5722-कॉल सेंटर की स्थापना	094- अन्य स्थापनाएं
77	12_23_2053_वल्लभ भवन _31	21_2053_00_800_0101_5722_42_002_V	3.00	5722-कॉल सेंटर की स्थापना	094- अन्य स्थापनाएं
78	01_24_2053_वल्लभ भवन _10	21_2053_00_800_0101_5722_42_002_V	3.00	5722-कॉल सेंटर की स्थापना	094- अन्य स्थापनाएं
79	07_23_2053_वल्लभ भवन _6	21_2053_00_800_0101_5722_42_002_V	3.00	5722-कॉल सेंटर की स्थापना	094- अन्य स्थापनाएं
		योग	**15.00**		
80	08_23_2235_भोपाल_56	34_2235_02_800_0101_6692_44_001_V	1.12	6692-मुख्यमंत्री विवाह योजना	103- महिला कल्याण
81	03_24_2235_सीहोर _51	34_2235_02_800_0101_6692_44_001_V	1.10	6692-मुख्यमंत्री विवाह योजना	103- महिला कल्याण

स. क्र.	प्रमाणक संख्या/कोषालय	वर्गीकरण	राशि	योजना का नाम	लघु शीर्ष जिसका उपयोग मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार किया जा सकता था
		योग	**2.22**		
82	08_23_2235_वल्लभ भवन _51	34_2235_02_800_0801_7569_42_007_V	1.01	7569-निःशक्तजनों के लिये बाधा रहित वातावरण	101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
83	03_24_2235_वल्लभ भवन _48	34_2235_02_800_0801_7569_42_007_V	1.01	7569-निःशक्तजनों के लिये बाधा रहित वातावरण	101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
		योग	**2.02**		
84	04_23_2403_वल्लभ भवन _56	14_2403__800_0101_2087_44_001_V	2.20	2087-आचार्य विद्यासागर गौ संवर्द्धन योजना	102-पशु तथा भैंस विकास
		योग	**2.20**		
85	06_23_4217_विंध्याचल भवन _ 3	22_4217_60_800_1201_2043_65_000_V	5.78	2043-मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश
86	07_23_4217_विंध्याचल भवन _ 1	22_4217_60_800_1201_2043_65_000_V	94.22	2043-मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश
87	02_24_4217_विंध्याचल भवन _12	22_4217_60_800_1201_2043_65_000_V	310.00	2043-मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश
88	06_23_4217_विंध्याचल भवन _ 2	22_4217_60_800_1201_2043_65_000_V	157.22	2043-मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश
89	04_23_4217_विंध्याचल भवन _ 1	22_4217_60_800_1201_2043_65_000_V	142.78	2043-मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश
		योग	**710.00**		
90	03_24_4875_विंध्याचल भवन _ 4	11_4875_60_800_0101_6749_65_000_V	54.00	6749-मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश
91	05_23_4875_विंध्याचल भवन _ 1	11_4875_60_800_0101_6749_65_000_V	66.00	6749-मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश
		योग	**120.00**		

***स्रोत:** कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा संकलित व्ही.एल.सी. आंकड़े*

परिशिष्ट 4.6

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों/निगमों/कंपनियों में निवेशों और लेखों को अंतिम रूप देने का विवरण

(संदर्भ: कंडिका 4.15; पृष्ठ 136)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/कंपनियों के नाम	बकाया लेखें	बकाया लेखों की अवधि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ निगम, घाटे में चल रही है या नहीं	अन्तिम प्राप्त लेखों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों /निगमों में किया गया निवेश
1	संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	3	2021-22 से 2023-24	लाभ देने वाली	1.26
2	मध्य प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड	7	2017-18 से 2023-24	लाभ देने वाली	378.58
3	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	4	2020-21 से 2023-24	लाभ देने वाली	2.82
4	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड	1	2023-24	घाटे में चल रही	209.69
5	मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड	1	2023-24	घाटे में चल रही	33.01
6	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड	1	2023-24	लाभ देने वाली	14.12
7	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	3	2021-22 से 2023-24	घाटे में चल रही	2893.46
8	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	1	2023-24	घाटे में चल रही	373.40
9	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल	1	2023-24	घाटे में चल रही	13.39
10	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	5	2019-20 से 2023-24	लाभ देने वाली	690.13
11	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	2023-24	लाभ देने वाली	8.83
12	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	4	2020-21 से 2023-24	लाभ देने वाली	3.29
13	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम	5	2019-20 से 2023-24	लाभ देने वाली	167.53
14	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड	3	2021-22 से 2023-24	लाभ देने वाली	10.00
15	मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन	3	2021-22 से 2023-24	घाटे में चल रही	5.60
16	मध्य प्रदेश एएमआरएल (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	1	2023-24	घाटे में चल रही	3.19
17	मध्य प्रदेश एएमआरएल (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	1	2023-24	घाटे में चल रही	1.11
18	मध्य प्रदेश एएमआरएल (बिचारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	1	2023-24	घाटे में चल रही	49.06
19	मध्य प्रदेश एएमआरएल (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड	1	2023-24	घाटे में चल रही	11.38
20	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड	16	अंतिम लेखा 2007–08 में प्राप्त हुआ		
21	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	1	2023-24	घाटे में चल रही	16,770.43
22	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	1	2023-24	घाटे में चल रही	17,434.07
23	मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	1	2023-24	लाभ देने वाली	18,280.53

स. क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/कंपनियों के नाम	बकाया लेखें	बकाया लेखों की अवधि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम, घाटे में चल रही है या नहीं	अन्तिम प्राप्त लेखों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों /निगमों में किया गया निवेश
24	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2	2022-23 से 2023-24	घाटे में चल रही	100.00
25	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड	2	2022-23 से 2023-24	लाभ देने वाली	20.00
26	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2	2022-23 से 2023-24	लाभ देने वाली	67.98
27	शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड	1	2023-24	लाभ देने वाली	6.42
28	बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड	1	2023-24	लाभ देने वाली	14.25
29	मध्य प्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड	1	2023-24	घाटे में चल रही	0.05
30	प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	3	2021-22 से 2023-24	घाटे में चल रही	0.50
31	मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड	4	2020-21 से 2023-24	घाटे में चल रही	0.01
32	मध्य प्रदेश वित्त निगम	1	2023-24	घाटे में चल रही	650.06
33	मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस लिमिटेड	4	2020-21 से 2023-24	घाटे में चल रही	0.81
34	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	2	2022-23 से 2023-24	लाभ देने वाली	31139.52
35	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2	2022-23 से 2023-24	लाभ देने वाली	0.00
36	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2	2022-23 से 2023-24	लाभ देने वाली	197.62
37	जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड	2	2022-23 से 2023-24	लाभ देने वाली	0.00
38	भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड	2	2022-23 से 2023-24	लाभ देने वाली	0.00
39	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्वालियर	1	2023-24	घाटे में चल रही	200.00
40	सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, सागर	1	2023-24	घाटे में चल रही	200.00
41	सतना स्मार्ट सिटी लिमिटेड, सतना	3	2021-22 से 2023-24	--	--
42	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंदौर	1	2023-24	घाटे में चल रही	200.00
43	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर	1	2023-24	लाभ देने वाली	200.00
44	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उज्जैन	1	2023-24	निंरक	200.00
45	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल	2	2022-23 से 2023-24	निंरक	200.00
46	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, भोपाल	2	2022-23 से 2023-24	घाटे में चल रही	10.00
47	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	2023-24	लाभ देने वाली	2,623.85
48	मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल	2	2022-23 से 2023-24	लाभ देने वाली	4.58
49	रतलाम बस सर्विस	7	2017-18 से 2023-24	कोई लेखें प्राप्त नहीं हुए (2017–18 से बकाया)	
50	इंदौर आइडिया फैक्ट्री फाउंडेशन	1	2023-24	घाटे में चल रही	0.10
51	बी–नेस्ट फाउंडेशन	2	2022-23 से 2023-24	निंरक	1.00
52	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल	18	2006-07 से 2023-24	लाभ देने वाली	19.36
53	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम भोपाल	11	2013-14 से 2023-24	लाभ देने वाली	18.27

स. क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/कंपनियों के नाम	बकाया लेखें	बकाया लेखों की अवधि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम, घाटे में चल रही है या नहीं	अन्तिम प्राप्त लेखों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में किया गया निवेश
54	मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल	1	2023-24	लाभ देने वाली	10.00
55	बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस	10	2014-15 से 2023-24	कोई लेखें प्राप्त नहीं हुए (2014–15 से बकाया)	
56	सागर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस	3	2021-22 से 2023-24	कोई लेखें प्राप्त नहीं हुए (2021–22 से बकाया)	

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in